खण्ड–13, अंक–5
बुधवार, चैत्र 09, शक संवत् 1927
(30 मार्च, 2005 ई०)

उत्तरांचल विधान सभा

की

कार्यवाही

–: 0 :–

(अधिकृत विवरण)

(प्रथम विधान सभा)
(द्वितीय सत्र, 2005)

668

(खण्ड 13 में 9 अंक हैं)

उत्तरांचल विधान सभा सचिवालय, (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक :
उप निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रुड़की, उत्तराखण्ड (भारत)
2005

मूल्य–

विषय–सूची

विषय	पृष्ठ संख्या
उपस्थिति	क
उत्तरांचल के व्यापारियों द्वारा वैट के विरोध में 72 घण्टे के बन्द को नियम 311 के अन्तर्गत उठाये जाने का प्रयास	01
प्रश्नोत्तर	01–30
जनपद उत्तरकाशी के ग्राम नौगांव को पर्यटन ग्राम घोषित करने के सम्बन्ध में याचिका (उपस्थापित)	31
जनपद नैनीताल के अन्तर्गत विकास खण्ड भीमताल की ग्राम पंचायत मद्‌बूनी के तोक मोरा में दो बरसाती नालों पर पुल निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में याचिका (उपस्थापित)	31
जनपद नैनीताल के क्षेत्र पंचायत भीमताल में ज्योलीकोट व खुर्पाताल में प्लास्टिक हाउस प्रोजेक्ट के अन्तर्गत ग्रीन हाउस प्रणाली के सम्बन्ध में याचिका (उपस्थापित)	31
जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत लोक निर्माण विभाग दुगड्डा द्वारा निर्माणाधीन माण्डलू ग्वील मोटर मार्ग के सुधारीकरण, चौड़ीकरण एवं अवशेष निर्माण कार्य पूर्ण किये जाने के सम्बन्ध में याचिका (उपस्थापित)	31–32
जनपद टिहरी गढ़वाल के बूढ़ाकेदार में पर्यटक विश्राम गृह निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में याचिका (उपस्थापित)	32
जनपद पौड़ी गढ़वाल के स्थान चुना महेड़ा और जुड़ारोडियाल के मध्य मालन नदी पर झूला पुल बनाने के सम्बन्ध में याचिका (उपस्थापित)	32
जनपद चमोली के विकास खण्ड घाट ग्राम पंचायत कनौल के राजकीय जूनियर हाईस्कूल के उच्चीकरण के सम्बन्ध में याचिका (उपस्थापित)	32
जनपद उत्तरकाशी में यमुनोत्री में हुए भूस्खलन से क्षतिग्रस्त परिसम्पत्तियों के पुनर्निर्माण तथा ट्रीटमेन्ट शीघ्र कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	32–33
राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय द्वाराहाट, जनपद अल्मोड़ा को अनुदान एवं रिक्त पदों को भरे जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	33
जनपद नैनीताल के न्याय पंचायत ओखलढूंगा के गांवों से होकर जाने वाली काठगोदाम हैड़ाखान मोटर मार्ग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	33–34
जनपद ऊधमसिंह नगर के काशीपुर के अन्तर्गत राधेहरि राजकीय महाविद्यालय के कला एवं विज्ञान संकाय के भवन निर्माण न होने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	34

विषय	पृष्ठ संख्या
जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत हरिद्वार बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित गरुड़चट्टी में दो लेन मोटर पुल का निर्माण न होने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	34–35
जनपद चमोली के उढामाढा पाट्यू चोपड़ा मोटर मार्ग का प्रधानमंत्री सड़क योजना के अन्तर्गत निर्माण न होने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	35
जनपद चमोली के कर्णप्रयाग वि0 खण्ड में नौली बाजार के बीच बने झूला पुल की स्थिति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	35
कार्यमंत्रणा समिति की सिफारिश......(स्वीकृत)	35–37
जनपद हरिद्वार के खिस्सूपुरा मामले में नेता प्रतिपक्ष द्वारा सदन में गलत बयानी के सम्बन्ध में विशेषाधिकार हनन की मौखिक सूचना	38–39
विभिन्न विभागों के आय–व्ययक के अनुदानों सम्बन्धी साहित्य के समय पर न मिलने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न	39–40
कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं	40–51
वित्तीय वर्ष 2005–2006 के आय–व्ययक में अनुदानों की मांगों पर चर्चा एवं मतदान अनुदान संख्या–11 शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति विभाग.........(स्वीकृत)	51–67
अनुदान संख्या–16, श्रम और रोजगार........(स्वीकृत)	67–81
अनुदान संख्या–12, चिकित्सा एवं परिवार कल्याण........(स्वीकृत) ...	81–102
अनुदान संख्या–8, आबकारी विभाग........(स्वीकृत)	102–107
अनुदान संख्या–24, परिवहन विभाग........(स्वीकृत)	107–117
नियम 51 के अन्तर्गत सूचना	117
जनपद चमोली के विकास खण्ड पोखरी के अन्तर्गत प्रा0 वि0 विरसणसेरा में क्षतिग्रस्त विद्यालय भवन निर्माण के सम्बन्ध में श्री महेन्द्र भट्ट स0वि0स0 द्वारा दिनांक 28 मार्च, 2005 को दी गयी सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का वक्तव्य	117–118
नत्थी	119–120

उपस्थिति

1—श्री अजय भट्ट
2—श्री अनिल नौटियाल
3—डा0 अनुसूया प्रसाद मैखुरी
4—श्रीमती अमृता रावत
5—श्रीमती आशा देवी
6—श्रीमती इन्दिरा हृदयेश
7—श्री उम्मेद सिंह माजिला
8—श्री काशी सिंह ऐरी
9—श्री किशोर उपाध्याय
10—श्री कैलाश शर्मा
11—श्री कौल दास
12—श्री गगन सिंह
13—श्री गणेश प्रसाद गोदियाल
14—श्री गोपाल सिंह राणा
15—श्री गोविन्द लाल
16—श्री गोबिन्द सिंह कुंजवाल
17—श्री चन्द्रशेखर
18—श्री जोत सिंह
19—श्री तसलीम अहमद
20—श्री तिलक राज बेहड
21—श्री तेजपाल सिंह रावत
22—श्री दिनेश अग्रवाल
23—श्री नव प्रभात
24—श्री नारायण पाल
25—श्री नारायण राम आर्य
26—श्री नारायण सिंह जंतवाल
27—श्री प्रकाश पंत
28—कुँवर प्रणव सिंह "चैम्पियन"
29—डा0 प्रताप बिष्ट
30—श्री प्रदीप टम्टा
31—श्री प्रीतम सिंह
32—श्री प्रीतम सिंह पंवार
33—श्री प्रेमानन्द महाजन
34—श्री पुष्पेश त्रिपाठी
35—श्री फूल सिंह बिष्ट
36—श्री बलबीर सिंह नेगी
37—श्री विजयपाल सिंह सजवाण
38—श्री विशन सिंह चुफाल
39—श्री भगत सिंह कोश्यारी
40—श्री मदन कौशिक
41—श्री मंत्री प्रसाद नैथानी
42—श्री महेन्द्र भट्ट
43—श्री महेन्द्र सिंह माहरा (महू भाई)
44—श्री मातबर सिंह
45—श्री मालचन्द्र
46—चौ0 यशवीर सिंह
47—श्री रणजीत सिंह
48—श्री रस्सैल वैलेन्टाइन गार्डनर
49—श्रीमती विजय बड़थ्वाल
50—श्री शूरवीर सिंह
51—डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल
52—श्री सहजाद
53—श्री सुबोध उनियाल
54—श्री सुन्दर लाल मन्द्रवाल
55—श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी
56—श्री हरबंस कपूर
57—श्री हरभजन सिंह चीमा
58—श्री हरिदास
59—श्री हरीश चन्द्र दुर्गापाल
60—श्री हीरा सिंह बिष्ट
61—श्री हेमेश खर्कवाल
62—श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत

बुधवार, दिनांक 30 मार्च, 2005 ई0

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, देहरादून में दिन के 11.00 बजे पूर्वान्ह में अध्यक्ष श्री यशपाल आर्य की अध्यक्षता में आरम्भ हुई)

उत्तरांचल के व्यापारियों द्वारा वैट के विरोध में 72 घण्टे के बन्द को नियम 311 के अन्तर्गत उठाये जाने का प्रयास

(भारतीय जनता पार्टी के सभी माननीय सदस्य श्री मातबर सिंह कण्डारी और श्री भगत सिंह कोश्यारी को छोड़कर अपने स्थान पर खड़े होकर जोर–जोर से अपनी बात को कहने लगे तथा बसपा के माननीय सदस्य श्री प्रेमानन्द महाजन भी अपने स्थान पर खड़े होकर अपनी बात कहने लगे जिस कारण सदन में घोर व्यवधान पैदा हो गया)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, आज पूरे प्रदेश के व्यापारियों ने 72 घण्टे का बन्द रखा है, जिससे पूरा जनजीवन अशान्त है।

श्री अध्यक्ष–

कृपया बैठ जायें। मैं आप की सूचनाओं को नियम–56 में सुन लूंगा।

प्रश्नोत्तर

अल्पसूचित प्रश्न

राज्य को हर्बल स्टेट बनाने की कार्य योजना

** 1–श्री प्रकाश पंत–

क्या उद्यान मंत्री बतायेंगे कि राज्य को हर्बल स्टेट बनाने की सरकार की कोई कार्य योजना है ?

यदि हां, तो क्या सरकार उक्त का सम्पूर्ण विवरण सदन के पटल पर रखेगी ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

उद्यान मंत्री (श्री गोबिन्द सिंह कुंजवाल)–

जी हां, प्रदेश में औषधीय एवं सगन्ध जड़ी–बूटियों के कृषिकरण, विपणन, शोध एवं निर्यात की योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं।

जी हां, कार्य योजना का आकार वृहत् होने के कारण मा0 सदस्य चाहें तो उन्हें उपलब्ध करायी जा सकती है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री प्रकाश पंत–

माननीय अध्यक्ष जी, मैंने विनम्रतापूर्वक आग्रह किया था कि सम्पूर्ण कार्य योजना जो सरकार का नीतिगत विषय है, वह सदन में प्रस्तुत नहीं हो सकी। मान्यवर, वह कार्य योजना हमारे सम्मुख प्रस्तुत हो जाती तो सदन उस पर समीक्षा करना चाहता। ऐसे क्या सुझाव हो सकते हैं कि उसे बेहतर ढंग से लागू कर सकें ? माननीय मंत्री जी ने उसे देने से मना किया। मैं आग्रह करता हूं कि उसे सदन में प्रस्तुत किया जाय। दूसरा मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि आपने अपने उत्तर में कहा है कि प्रदेश में औषधीय

एवं सगन्ध जड़ी–बूटियों के कृषिकरण , विपणन, शोध एवं निर्यात की योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं। मेरी स्पष्ट जानकारी है कि जितनी भी जड़ी–बूटियां हैं उनका कार्य इस वर्ष नहीं किया जा सका, उसका कारण है कि आपकी नीति में कमी रह गयी जिसके कारण वह क्रय नहीं हो पायी। आज मैं जानना चाहता हूं कि ऐसे कितने जनपद हैं जहां जड़ी–बूटियां काश्तकारों के गोदामों में पड़ी हैं ? पिथौरागढ़ में कितनी जड़ी–बूटियां भेषज संघ के माध्यम से क्रय की जानी हैं ?

श्री गोबिन्द सिंह कुंजवाल–

मान्यवर, कार्य योजना सदन में प्रस्तुत करने की बात माननीय पंत जी ने उठायी है, कार्य योजना पूर्णतः बनी हुई है। चूंकि अल्पसूचित प्रश्न था और उसको सबको उपलब्ध कराना सम्भव नहीं हो पाया था। माननीय पंत जी चाहते हैं तो मैं आज ही उन्हें उपलब्ध करा सकता हूं। अगर भविष्य में सभी सदस्य चाहेंगे तो मैं उनको भी उपलब्ध करा दूंगा। जहां तक जड़ी–बूटी निकासी का प्रश्न उठाया है, मेरी जानकारी में है कि हमारी जड़ी–बूटी नीति के आधार पर कोई भी ऐसा व्यवधान जड़ी–बूटी निकासी पर नहीं पड़ा है और जो भी जड़ी–बूटी कृषकों द्वारा उत्पादित होती है या वन विभाग से निकाली जाती है, उनकी निकासी देने की व्यवस्था है। जो भी कृषक आते हैं, निकासी देने के बाद उनको बिक्री के लिए ले सकते हैं। इस नीति के आधार पर सरकार ने जड़ी–बूटी के सम्बन्ध में मण्डियों की व्यवस्था की है। प्रदेश में तीन मण्डियां इस समय स्थापित हो सकी हैं।

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, आपने उत्तर में बताया कि जड़ी–बूटी क्रय करने के लिए तीन मण्डियां उत्तरांचल में कुमाऊं क्षेत्र में रामनगर और टनकपुर गढ़वाल में ऋषिकेश में हैं..........

मान्यवर, अब श्रीमन्, उत्तरांचल के पर्वतीय क्षेत्र में जो जड़ी–बूटी होती है, उसकी निकासी कैसे होगी ? मान्यवर, कम मूल्य पर उनके उत्पाद को खरीदा जा रहा है। उन्हें इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। पहले भेषज संघ के माध्यम से नाप भूमि के किसानों के उत्पाद को खरीदा जाता था। लेकिन अब भेषज संघ के द्वारा इनकी बिक्री नहीं की जा रही है। इस कारण नाप भूमि के काश्तकारों की जड़ी–बूटी की निकासी नहीं हो पा रही है। जड़ी–बूटी उनके गोदामों में पड़ी हुई है। आज पर्वतीय क्षेत्र के अधिकतर काश्तकार अपनी जड़ी–बूटी के कारोबार को बन्द करने पर विचार कर रहे हैं। क्या माननीय मंत्री जी पूर्व की भांति भेषज संघ के माध्यम से नाप भूमि के काश्तकारों की जड़ी–बूटी के क्रय करने का प्रबन्ध करेंगे ? दूसरा आपने 'कार्य योजना' कम समय होने के कारण नहीं दिये जाने की बात कही है तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि हर्बल स्टेट स्थापित करने के लिए जो कार्य योजना बनी है, उसके प्रमुख बिन्दु क्या हैं, इसे अवगत करायें।

श्री गोबिन्द सिंह कुंजवाल–

मान्यवर, जैसा कि माननीय सदस्य जी ने इच्छा जाहिर की है कि मण्डियां स्थापित होने से निकासी काश्तकारों को नहीं मिल पा रही है, उनका माल नहीं बिक पा रहा है और उन्हें मूल्य भी कम मिल रहे हैं। जबकि मान्यवर, स्थिति इसके ठीक विपरीत है और सरकार की मंशा है कि बिचौलियों के माध्यम से काश्तकारों का शोषण न हो और उनके माल को सीधी मण्डियों में लाकर उसकी बिक्री की जा सके। यह इसकी मंशा है। इसके अनुसार कार्य हो भी रहा है और यह प्रमाण भी है कि जब मण्डी में माल आया तो उसका रेट जो काश्तकार बिचौलियों को बेचकर प्राप्त करता था उससे कई गुना ज्यादा रेट उसे मिल रहा है। माननीय सदस्य ने जो जड़ी–बूटी की निकासी न होने की बात कही है, वह मेरे संज्ञान में नहीं है कि किसी की भी जड़ी–बूटी सड़ रही हो।

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, मेरे दूसरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया है। आपने बिचौलिया शब्द का प्रयोग किया है। क्या पूर्व की भांति ही वर्तमान में सरकार भेषज संघ के माध्यम से जड़ी–बूटी क्रय करने की व्यवस्था करेगी ? क्या सहकारी संघों को सुदृढ़ करने पर सरकार विचार करेगी ?

श्री गोबिन्द सिंह कुंजवाल–

मान्यवर, भेषज संघ के अधिकारी में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। सिर्फ इतना अन्तर किया गया कि यदि कोई भेषज संघ भी माल लायेगा तो वह उसे मण्डी में ही लायेगा और इससे काश्तकारों को लाभ भी हो रहा है।

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, पिथौरागढ़ में नाप भूमि के किसानों के रीठा, तेज पत्ता की आज की तिथि तक भी बिक्री नहीं हो पायी है। मैं इसकी सुस्पष्ट जानकारी उपलब्ध करा सकता हूं। क्या इसको बाजार मूल्य में बेचने की व्यवस्था सरकार करेगी ?

श्री गोबिन्द सिंह कुंजवाल–

मान्यवर, अगर वैधानिक रूप से उन्होंने इसे इकट्ठा किया होगा तो उसकी विधिवत् निकासी होगी। नाप भूमि की पैदावार के लिए भी व्यवस्था है। इसी संबंध में पिछली बार सदन में जंतवाल जी द्वारा प्रश्न उठाया गया था और वन मंत्री नवप्रभात जी के द्वारा इसका उत्तर सदन में दिया गया था। उसमें कहीं कोई प्रतिबन्ध नहीं है, निकासी में कोई प्रतिबन्ध नहीं है। केवल चोरी का माल न हो और कृषिकरण का माल हो तो कोई प्रतिबन्ध नहीं है। आज भी नहीं है और आगे भी नहीं होगा।

(व्यवधान)

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, कार्य योजना के प्रमुख बिन्दु तो बता दें।

श्री गोबिन्द सिंह कुंजवाल–

मान्यवर, कई कोशिशों से जड़ी–बूटी के विकास का कार्य किया गया, इस कार्य योजना में कई बिन्दु हैं जिन्हें मैं माननीय सदस्य को प्रस्तुत कर दूंगा। इसमें तो प्रमुख बिन्दु हैं कि 1500 हेक्टेयर में एम0पी0सी0ए0 और 100 हेक्टेयर में हर्बल गार्डन का निर्माण करेंगे। एक हजार लोगों को इसमें प्रशिक्षित किया जायेगा। 800 हेक्टेयर में नर्सरी बनाने एवं 1000 हेक्टेयर भूमि में जड़ी–बूटियों का कृषिकरण होगा। 13 जगहों पर कलेक्शन सेंटर बनाये जायेंगे और 3 जगहों पर मण्डियां बनी हैं। इसमें मूल अवधारणा यह है कि जब यह काम शुरू हो जायेगा, 10 करोड़ रुपये का प्रतिवर्ष टर्न ओवर इसका होगा। इसकी एक प्रति मैं माननीय सदस्य को उपलब्ध करा दूंगा।

श्री रणजीत सिंह रावत–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो जड़ी–बूटियां खेतों में नहीं उग सकती हैं जैसे झौला और मौस जो अपने आप पेड़ों में उगती है, और उसे स्थानीय लोग और मजदूर बीनकर लाते थे और बाजार में बेचते थे, इसकी प्रमुख मण्डी रामनगर में थी और हजारों मजदूर इस कार्य में लगे थे लेकिन आज सत्यता यह है कि जब से सरकार ने वन निगम के माध्यम से खरीद शुरू करवाई है तो लोगों ने इसे बीनना छोड़ दिया है, तो मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि जो इससे आमदनी होती थी

उसके नुकसान की भरपाई कैसे होगी, और पिछले वर्षों में कितनी आय हुई। तो क्या सरकार, जो व्यवस्था पहले इसको निकालने और बिक्री की थी, उसे बहाल करेगी ?

श्री गोबिन्द सिंह कुंजवाल–

मान्यवर, माननीय सदस्य ने जो बात कही है कि उनकी ही बात को लेकर कर के और प्रदेश के जड़ी–बूटी के काम करने वाले लोगों का फायदा हो सके इसके लिए यह कोशिश की गई है। जड़ी–बूटी का काम करने वाले काश्तकार बिचौलियों से बच सकें, जो माल वे बाजार में लाते थे अब वे इसे सीधे मंडी में ला सकते हैं, और उनको, उनके काम का सही दाम मिल सके, इस दृष्टि से यह नियम लागू करने की कोशिश की जा रही है। वन निगम के माध्यम से यह माल मंडियों में आये और उनको इसका पैसा नकद मिल रहा है और इसकी एक और शंका जड़ी–बूटी के क्षेत्र में रहती थी कि जब कोई व्यक्ति झौला मौस आदि को बीनकर उसे इकट्ठा करके उसे ट्रक में भरकर सीधे व्यापारी की दुकान में ले जाता था तो एक शंका रहती थी कि उसने इसमें झौला और मौस के अतिरिक्त कुछ और महत्वपूर्ण जड़ी–बूटियां न बेची हो, इसका पता नहीं लग पाता था। अब इसे वन निगम के माध्यम से सीधे मंडियों में लाया जा रहा है ताकि यह सबके सामने आयें। मान्यवर, इससे हमको यह पता लग सकेगा कि हमारे प्रदेश में कितने प्रकार की जड़ी–बूटियां बाजार में बिक रही हैं। जब तक मण्डी प्रारम्भ नहीं हुई थी, तब तक यह पता नहीं चल पाता था। मण्डी प्रारम्भ होते ही पहले दिन नीलामी के लिए 42 प्रकार की जड़ी–बूटियां बाजार में आयी थी। सरकार की मंशा जड़ी–बूटी लगाने वालों को लाभ पहुंचाने की है।

श्री रणजीत सिंह रावत–

मान्यवर, मेरा प्रश्न झूला पत्ता और मौस से सम्बन्धित था, जो खेतों में पैदा नहीं किया जाता है। हम नियम की बात कर रहे हैं और आप क्राइम की बात कर रहे हैं। हो सकता है कि कोई व्यक्ति चावलों के बीच में अफीम और गांजा रख कर ले जाय। हम यह स्पष्ट आश्वासन चाहते हैं कि क्या आप झूला पत्ता और मौस को पूर्ववत् रखेंगे अथवा नहीं ?

श्री गोबिन्द सिंह कुंजवाल–

मान्यवर, इसकी समीक्षा कर लेंगे। यदि वास्तव में इसमें कोई नुकसान होने वाली बात होगी तो उसको देख लेंगे।

श्री रणजीत सिंह रावत–

मान्यवर, झौला पत्ता और मौस तो जंगल में पैदा होता है, यदि उसको नहीं निकालेंगे तो वह अपने आप नष्ट हो जायेगा। इसमें बहुत पहले से एक व्यवस्था चली आ रही थी। यदि सरकार चाहे तो इसके आंकड़े मंगवाकर देख लें, आज इनका विदोहन कम हुआ है। इससे राजस्व और रोजगार भी घट रहा है। इसमें आप स्पष्ट आश्वासन दीजिए।

श्री गोविन्द सिंह कुंजवाल–

मान्यवर, हमारे यहां अभी मंडियों की व्यवस्था प्रारम्भिक स्तर पर है। अभी व्यापारियों को काफी परेशानी होती होगी। जब ये लोग मंडियों में आयेंगे तो इनको लाभ होगा।

श्री रणजीत सिंह रावत–

मान्यवर, मेरा अनुरोध है कि सरकार हां या ना में जवाब दे।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवस्था)

श्री गोविन्द सिंह कुंजवाल–

मान्यवर, निकासी में कोई प्रतिबन्ध नहीं है। माननीय सदस्य ने जो शंका व्यक्त की है, इस पर हम विचार कर लेंगे। हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे, जिससे किसी को नुकसान हो।

श्री अध्यक्ष–

कब तक विचार कर लेंगे ?

(व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह कुंजवाल–

मान्यवर, शीघ्र ही विचार कर लेंगे। एक महीने के अन्दर इसका शासनादेश निकल जायेगा।

श्री रणजीत सिंह रावत–

मान्यवर, इसमें विचार करने वाली कोई बात नहीं है। मेरी स्पष्ट जानकारी में है, इससे सम्बन्धित एक पत्रावली, जिसमें वन मंत्री जी और आपकी टिप्पणी लिखी हुई है, पिछले एक महीने से सचिवालय में घूम रही है।

वन एवं पर्यावरण मंत्री (श्री नवप्रभात)–

मान्यवर, जब पत्रावली के बारे में पता है तो यह भी पता होगा कि इस पर विचार चल रहा है।

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, कब तक विचार कर लेंगे ?

श्री नव प्रभात–

मान्यवर, एक महीने में।

श्री रणजीत सिंह रावत–

मान्यवर, इस विषय पर एक महीना लगने का कोई कारण नहीं है। फाईल तैयार है, तो हां या ना कहने में क्यों घबरा रहे हैं ? इस सम्बन्ध में इतना समय क्यों बर्बाद कर रहे हैं ? या तो हां कह दें अन्यथा ना कह दें।

श्री गोविन्द सिंह कुंजवाल–

मान्यवर, एक महीने में हो जायेगा।

श्री नारायण सिंह जंतवाल–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जिस नीति की बात यहां पर पूर्व में भी कही गई और यह नीति मेरे क्षेत्र में लागू है इसे मेरे द्वारा नियम 58 में भी पूर्व में उठाया गया था। मान्यवर, रामनगर में जो मण्डी बनाई गई है और उसमें जो ऑक्शन हुआ उसमें इन काश्तकारों को जो दाम मिलते थे उसके आधे दाम भी नहीं मिल पाये। सरकार की ओर से आश्वासन भी दिया गया था कि हम इसे

दिखवा लेंगे। मान्यवर, जिस तरह का लाभ इस नीति के तहत काश्तकारों को मिलना चाहिए था वैसा लाभ नहीं मिल पा रहा है इस पर विचार करने की आवश्यकता है। जो नीति बनाई गई है उस पर माननीय मंत्री जी ने पूर्व में विचार करने की बात कही थी क्या कोई विचार हुआ है, शासन स्तर पर ?

श्री नवप्रभात–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से एक चीज स्पष्ट करना चाहता हूं कि वन निगम के माध्यम से कोई भी खरीददारी नहीं की जाती है। हम कृषिकर्म की तरफ बढ़ रहे हैं। इसके लिए हमने काश्तकारों के पंजीकरण की व्यवस्था की है। काश्तकारों के लिए मण्डी की व्यवस्था है उसमें कोई भी काश्तकार उत्पादित जड़ी–बूटी बेचने के लिए ला सकता है। वहां पर किसी खरीददार के ऊपर कोई रोक नहीं है। कोई भी खरीददार वहां आ सकता है। मान्यवर, आश्चर्यजनक बात यह है कि पिछली बार जब हमने जड़ी–बूटी नर्सरी तैयार की तो कोई भी काश्तकार खरीदने के लिए नहीं आया क्योंकि तब बाजार की कोई सुस्पष्ट व्यवस्था नहीं थी। अब मण्डी परिषद् के माध्यम से जो खरीददार वहां आते हैं वे खरीद सकते हैं।

डा0 अनुसुया प्रसाद मैखुरी–

माननीय अध्यक्ष जी, निश्चित रूप से सरकार ने जड़ी–बूटी के क्षेत्र में काफी कार्य किया है किन्तु फिर भी जनपद चमोली में जो जड़ी–बूटी शोध संस्थान का मुख्यालय है उसका जो स्वरूप होना चाहिए था, स्ट्रक्चर होना चाहिए उसमें कमी है और उन कमियों को पूरा करने के लिए सरकार को प्रयास करना चाहिए। वहां पर विपणन की समस्या है तथा जड़ी–बूटी शोध संस्थान का मुख्यालय है। वहां पर एडमिनिट्रेटिव भवन की आवश्यकता है। वहां जो स्टाफ है उनके रहने की समस्या है। इसके लिए सरकार को प्रयास करने चाहिए। सरकार की क्या मंशा है ?

दूसरा सवाल है कि क्या सरकार इसका विकास करेगी और इसे वृहद् रूप में बनायेगी ? मान्यवर, मैं चाहता हूं हर्बल प्लान की स्थापना की जानी चाहिए इस ओर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। मान्यवर, वहां पर मण्डल में जो जड़ी–बूटी शोध संस्थान है, उसके आस–पास की जमीन का अघोषित रूप से अधिग्रहण किया गया है, क्योंकि अभी वहां पर काश्तकारों की जमीन का वैधानिक रूप से अधिग्रहण नहीं किया गया है। प्रशासन ने वहां की जमीन को अन्य लोगों को बेचने से भी मनाकर दिया है। मान्यवर, शोध संस्थान वहां की आस–पास की जमीन को कब खरीदेगा इसका भी अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है। मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि इन बिन्दुओं पर क्या कार्यवाही हुई ?

श्री गोविन्द सिंह कुंजवाल–

मान्यवर, माननीय सदस्य ने विशेष रूप से जड़ी–बूटी शोध संस्थान, जो कि मण्डल गोपेश्वर में स्थापित है, का जिक्र किया। मान्यवर, इस संस्थान को वृहद् रूप में विकसित करने और उसके भवन के निर्माण के सम्बन्ध में सरकार की मंशा है, इसीलिए इसकी स्थापना की गयी है। इस प्रदेश में जड़ी–बूटी के सम्बन्ध में यह संस्थान आधुनिक बने, इस दिशा में सरकार प्रयास कर रही है। मान्यवर, जहां तक प्रशासनिक और आवासीय भवनों के निर्माण का सवाल है इस सम्बन्ध में वर्तमान निदेशक को निर्देश दिया है कि वे प्रस्ताव लायें तो वहां पर भवन बनाने की स्वीकृति दी जायेगी। वहां पर आधुनिक लैब की स्थापना की बात कहीं। इस सम्बन्ध में कहना चाहता हूं कि वहां पर जो शोध का कार्य कर रहे हैं उसको आधुनिक बनाने की कोशिश हम कर रहे हैं।

श्री भगत सिंह कोश्यारी–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हू कि क्या उत्पादकों को उचित दाम मिला ? क्या गेहूं, धान आदि के लिए सपोर्ट प्राईज निर्धारित कर लिया गया ? यदि नहीं किया गया तो यह व्यवस्था क्यों नहीं लागू की गयी ? आज हर देश में निजीकरण हो रहा है, यहां तक की चाईना में भी हो रहा है।

श्री अध्यक्ष–

कृपया मूल प्रश्न पर आयें।

श्री भगत सिंह कोश्यारी–

मान्यवर, मेरा कहना है कि सपोर्ट प्राईज निर्धारित कर लिया गया है या नहीं, यह चिंता सभी माननीय सदस्यों की है। मान्यवर, पहले जिस ढंग से व्यवस्था हो रही थी क्या ऐसा कोई निर्णय हो सकता है कि वही व्यवस्था फिर अपनायी जाय ? ऐसा निर्णय माननीय मंत्री जी लेंगे।

श्री गोविन्द सिंह कुंजवाल–

मान्यवर, पूर्व में भी हमारे माननीय सदस्य ने जो बात उठायी है, वहीं हमारे माननीय सदस्य श्री भगत सिंह कोश्यारी जी ने भी रखी है। मान्यवर, उस पर मैं पहले भी कह चुका हूं कि एक महीने के अन्दर उस दिशा में निर्णय किया जायेगा।

श्री काशी सिंह ऐरी–

माननीय अध्यक्ष जी, यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, इतने सारे सम्मानित सदस्यों ने पूछा और सरकार के सामने प्रश्न रखा गया कि क्या आप इस प्रदेश को हर्बल स्टेट विकसित कर रहे हैं और कई सवाल के जबाब सही आये और कुछ के नहीं आये। मान्यवर, मेरा सुझाव है कि इस प्रश्न पर 1–2 घण्टे की चर्चा करा दें, जिससे कि सरकार की जो कार्य प्रणाली है, जो सोच है, जो योजना है वह भी सदन में आये और सभी माननीय सदस्यों को उसमें अपना मत रखने का मौका मिल जाय।

तारांकित प्रश्न

राज्य में विशिष्ट बी0टी0सी0 में आरक्षित वर्ग अनुसूचित जाति/जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्ग के रिक्त पदों को अन्तर्जनपदीय व्यवस्था के अनुसार भरने की व्यवस्था

* 1–श्री प्रीतम सिंह पंवार–

*क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि राज्य में विशिष्ट बी0टी0सी0 2004–05 में आरक्षित वर्ग अनुसूचित जाति/जनजाति के रिक्त पदों को अन्तर्जनपदीय व्यवस्था द्वारा भरे जाने हेतु कोई शासनादेश जारी किया गया है ?

यदि हां, तो अन्य पिछड़ा वर्ग (ओ0बी0सी0) के पदों को भी अन्तर्जनपदीय व्यवस्था के तहत भरे जाने सम्बन्धी शासनादेश जारी किया जा रहा है ?

यदि हां, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

शिक्षा मंत्री (श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी)–

जी हां।

अन्य पिछड़ा वर्ग (ओ0बी0सी0) के पदों को भी अन्तर्जपदीय व्यवस्था के तहत भरे जाने संबंधी शासनादेश दिनांक 19–3–2005 को निर्गत कर दिया गया है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री प्रीतम सिंह पंवार–

माननीय अध्यक्ष जी, सरकार ने विशिष्ट बी0टी0सी0 के अन्तर्जनपदीय व्यवस्था के तहत अनुसूचित जाति और जनजाति के पदों को भरने के लिए पूर्व में एक शासनादेश जारी किया और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 19–3–05 को शासनादेश निर्गत करने की बात स्वीकार की। मान्यवर, मैं जानना चाहूंगा कि यह शासनादेश एक साथ क्यों जारी नहीं हुआ और आरक्षित वर्ग अनुसूचित जाति/जनजाति और ओ0बी0सी0 के जनपदवार रिक्तियां क्या–क्या हैं ?

संसदीय कार्यमंत्री (श्रीमती इन्दिरा हृदयेश)–

मान्यवर, आपने शासनादेश को एक साथ जारी न होने की बात पूछी तो सर्वाधिक प्राथमिकता अनुसूचित जाति और जनजाति को दी गयी और जब इसका परीक्षण किया गया कि ओ0बी0सी0 के लोग सब जगह उपलब्ध नहीं है तो इस पर भी शासनादेश जारी करना आवश्यक समझा, इसलिए यह क्रमशः हो गया। दूसरा आपने रिक्तियों की जानकारी प्राप्त करने की बात कही तो वह है–

				कुल
बागेश्वर जनपद में	एस0सी0 27	एस0टी0 6	ओ0बी0सी0 33	60
नैनीताल जनपद में	एस0सी0 5	एस0टी0 4	ओ0बी0सी0 9	18
ऊधमसिंह नगर में	एस0सी0 32	एस0टी0 7	ओ0बी0सी0 9	41
चम्पावत जनपद में	एस0सी0 11	एस0टी0 5	ओ0बी0सी0 8	24
पिथौरागढ़ में	एस0सी0 15	एस0टी0 3	ओ0बी0सी0 11	29
टिहरी जनपद में	एस0सी0 11	एस0टी0 8	ओ0बी0सी0 13	32
पौढ़ी जनपद में	एस0सी0 20	एस0टी0 12	ओ0बी0सी0 22	54
उत्तरकाशी में	एस0सी0 7	एस0टी0 1	ओ0बी0सी0 11	19
देहरादून में	एस0सी0 9	एस0टी0 1	ओ0बी0सी0 1	11

श्री प्रीतम सिंह पंवार–

मान्यवर, यह सभी जनपदों में रिक्तियां हैं ?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, जी हां, सभी जगह के हैं।

श्री प्रीतम सिंह पंवार–

मान्यवर, सभी जनपदों में रिक्तियां हैं। क्या आवश्यकता पड़ गई अन्तर्जनपदीय से भरे जाने की ?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, जब उन जनपदों में नहीं मिले तो यह व्यवस्था की गई। पहली प्राथमिकता उस जनपद की है।

श्री प्रीतम सिंह पंवार–

मान्यवर, कब तक चयन किया जायेगा ?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, अतिशीघ्र हो जायेगा, चयन प्रक्रिया प्रारम्भ है।

श्री प्रीतम सिंह पंवार–

मान्यवर, उत्तरकाशी जनपद में विशिष्ट बी०टी०सी० वालों को नियुक्तियां प्रदान कर दी हैं।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, नियुक्तियां सब जगह प्रदान कर दी हैं। जनपद उत्तरकाशी में भी जो रिक्तियां हैं उनके विरुद्ध नियुक्तियों कर दी गई हैं।

श्री प्रीतम सिंह पंवार–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी प्रश्न का सही उत्तर नहीं दे रही हैं, अब तक उत्तरकाशी में एक भी नियुक्ति नहीं हुई है।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, पूर्व निर्धारित पद उत्तरकाशी में 50 थे और वृद्धि के उपरान्त 100 हैं। जनरल में नियुक्तियां नहीं हुई हैं। एस०सी० में 7 रिक्तियां, एस०टी० में 01 और ओ०बी०सी० में 11 रिक्तियां हैं, इस प्रकार कुल 19 रिक्तियां हैं।

श्री प्रीतम सिंह पंवार–

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि जनरल की कितनी हैं ?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, कुल 100 हैं। जनरल में शून्य हैं। इसमें पदोन्नति के पद भरे जा रहे हैं। (व्यवधान)

श्री प्रीतम सिंह पंवार–

मान्यवर, कब तक भर दिये जायेंगे ?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, प्रक्रिया लगातार जारी है। मेरे पास जो सूचना है। वह विभाग से ही प्राप्त हुई है। इसमें लिखा है कि पद रिक्त नहीं थे, नियुक्तियां नहीं हुई हैं। आपरेशन ब्लैक बोर्ड के तहत 66 पद थे ये पद पहले पदोन्नति से भरे जायेंगे।

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने बताया कि उत्तरकाशी में 100 पद हैं और अब कह रही हैं कि 66 पद हैं। मान्यवर, 2 विरोधाभासी बातें आ रही हैं। अभी माननीय मंत्री जी ने कहा कि रिक्तियां शून्य हैं। इस प्रकार अलग-अलग तरह की जानकारियां दी जा रही हैं।

श्री भगत सिंह कोश्यारी–

मान्यवर, उत्तर ठीक से नहीं आ रहे हैं। इसको आप स्थगित कर दीजिए तो ज्यादा अच्छा होगा।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, स्थगित करवा दीजिए। मैं भी इससे संतुष्ट नहीं हूं।

श्री अध्यक्ष–

मैं इस प्रश्न को स्थगित कर रहा हूं।

* 2–श्रीमती विजय बड़थ्वाल–

पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त।

राज्य की शिक्षा नीति में संशोधन

* 3–श्री नारायण पाल–

*क्या शिक्षा मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तरांचल राज्य में बनाई गई शिक्षा नीति के तहत किये गये नये संशोधनों को सार्वजनिक किया जायेगा ?

यदि हां, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

उत्तरांचल राज्य द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 तथा पैतृक राज्य उत्तर प्रदेश में संचालित कार्यक्रमों के अनुसार ही कार्यवाही की जा रही है। उत्तरांचल राज्य गठन के पश्चात् इसमें कोई संशोधन नहीं किये गये।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री नारायण पाल–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि नये उत्तरांचल राज्य में जहां हमारी परिस्थितियां उत्तर प्रदेश से बिल्कुल भिन्न हैं। तो इसमें मान्यवर, बदलाव की आवश्यकता है। जो यह रोजगारपरक शिक्षा है क्या इसको इस नीति में स्थान दिया जा सकता है ?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, माननीय सदस्य की जिज्ञासा सही है। राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा के संबंध में जो नीति निर्धारित है उसमें वे तमाम बिन्दु हैं। संख्या, गुणवत्तापरक शिक्षा, प्रत्येक 1 किलोमीटर में प्राथमिक एवं प्रत्येक 3 किलोमीटर पर उच्च प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों का विद्यालयों में प्रवेश, कक्षा 1 से कक्षा 8 तक की शिक्षा का अवश्य प्रबन्ध कराया जाये। विद्यालयों में आवश्यकतानुसार भवन, अतिरिक्त कक्ष, शौचालय, पेयजल आदि की व्यवस्था, उच्च कक्षाओं में कम्प्यूटर आधारित शिक्षा की व्यवस्था, ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थियों को प्रोत्साहित किया जाये। कम्प्यूटर आधारित शिक्षा, टैलेन्ट एकेडमी के रूप में राजीव गांधी नवोदय विद्यालयों का विकास करना, शिक्षा को रोजगारपरक बनाना आदि ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति का पूरा चार्ट देश के सभी राज्यों को प्राप्त हो चुका है। उसी के आधार पर उत्तर प्रदेश में नीति बनी है और उसे आधारभूत मानते हुए सभी राज्यों ने इसे लागू किया है। यह अधिकार प्रत्येक राज्य को है कि वह अपने राज्य में आवश्यकतानुसार नियमों में, प्रणाली में, कार्यों में और परिनियमों में परिवर्तन कर सके।

श्री नारायण पाल–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने नीतियों की बात की, मैं संशोधन की बात कर रहा हूं। यह सब लोग जानते हैं कि उत्तरांचल की परिस्थितियां अलग हैं और इन्हीं परिस्थितियों को देखते हुए उत्तरांचल राज्य का गठन भी हुआ, तो जो हमारे राज्य की अलग परिस्थितियां हैं उनको देखते हुए क्या संशोधन किये जायेंगे और जिससे कि रोजगारपरक शिक्षा यहां के लोगों को मिल पाये ऐसा प्रयास किया जायेगा, यह मेरी जिज्ञासा थी।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, नीति के संबंध में शिक्षा नीति में क्या नये संशोधन हैं, जो राष्ट्रीय नीति है शिक्षा की, वही हमारा आधार है और राज्य में संशोधनों की बात है तो सी०बी० एस०ई० पाठ्यक्रम पढ़ाया जा रहा है और कक्षा 1 से अंग्रेजी का प्रावधान किया गया है असेवित क्षेत्रों में विद्यालय बन रहे हैं। खेलकूद के क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में मिनी स्टेडियम बनाने और यहां तक कि कृषि के क्षेत्र में भी जोर दिया जा रहा है। 3 एकड़ जमीन की बात होती थी तो अड़ोस–पड़ोस से भूमि ले रहे हैं। रोजगारपरक शिक्षा हम दे सकें इसके लिए तो निरन्तर प्रयास किये जा रहे हैं कि हमारे प्रदेश में ऐसी शिक्षा हो जो रोजगार का आधार बन सके।

श्री नारायण पाल–

मान्यवर, एक ही सवाल मैं यहां पर दो बार पूछ चुका हूं और माननीय मंत्री जी ने उत्तर दिया नहीं, जो उत्तर उन्होंने दिया उससे मैं संतुष्ट नहीं हूं। मैंने पूछा था कि उत्तरांचल की परिस्थितियों को देखते हुए क्या यहां पर संशोधन शिक्षा नीति में किये जा सकते हैं।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, जी हां, इसकी काफी संभावनायें हैं।

श्री नारायण पाल–

मान्यवर, लेकिन आपने उत्तर में लिखा है कि कोई प्रावधान नहीं है तो कोई संभावनायें नहीं हैं ?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, राष्ट्रीय शिक्षा नीति ही हमारी नीति का आधार होती है, संभावनाओं की बात है तो वह तो है ही।

नेता प्रतिपक्ष (श्री मातबर सिंह)–

मान्यवर, माननीय सदस्य श्री नारायण पाल जी ने एक बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा। मान्यवर, मैं सरकार से यह पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार उत्तरांचल की परिस्थितियों के अनुरूप अपनी एक शिक्षा नीति बनायेगी ? यदि बनायेगी तो कब तक ?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, हमारा आधार राष्ट्रीय शिक्षा नीति ही रहती है, क्योंकि इसकी आधारभूत संस्तुतियां होती हैं।

(व्यवधान)

श्री मातबर सिंह–

मान्यवर, मैंने पूछा है कि अपनी शिक्षा नीति हमारे राज्य की कब तक बन जायेगी।

श्रीमती इन्दिरा ह्रदयेश–

मान्यवर, मैंने पहले भी बताया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति ही प्रदेशों की शिक्षा नीति का आधार होती है। राज्य के पाठ्यक्रम में क्या पढ़ाया जाय इसके निरन्तर प्रावधान हो रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, एक महत्वपूर्ण प्रश्न रह गया है।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

कृपया प्रश्न संख्या–4 पर आ जायं।

(व्यवधान)

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि शिक्षा के क्षेत्र में जब अविभाजित उत्तर प्रदेश था तो जो शिक्षा का आधारभूत ढांचा वहां था उसे उत्तरांचल बनने पर परिवर्तित किया गया है ? क्या उसमें परिवर्तन का प्रावधान उत्तरांचल में किया गया है तथा जो प्राथमिक और माध्यमिक के एकीकरण की बात है तो क्या सरकार उसके लिए प्रयासरत है ?

श्रीमती इन्दिरा ह्रदयेश–

मान्यवर, मूल प्रश्न नीति से सम्बन्धित था। हमने राष्ट्रीय नीति को आधार बनाकर पूर्ववर्ती नीति को यहां पर लागू करने की बात कही। जहां तक शिक्षा के क्षेत्र में परिवर्तन का प्रश्न है, तो हमने कहा है कि हम कक्षा एक से अंग्रेजी पढ़ायेंगे, हमने सी0बी0एस0सी का पाठ्यक्रम पढ़ाने का निर्णय लिया है। हमने कृषि को प्राथमिकता देने का निर्णय लिया है। हम खेल–कूद को बढ़ावा दे रहे हैं। इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं कि स्कूल में ही मिनी स्टेडियम बनाया जाय। यदि वहां पर स्टेडियम बनाया जाना सम्भव नहीं होगा तो अन्यत्र कहीं पर स्टेडियम बनाया जायेगा।

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी आधार भूत ढांचे की बात कर रही हैं। तो क्या जो ढांचा उत्तर प्रदेश में था क्या आपने उसमें कोई परिवर्तन किया है ?

श्रीमती इन्दिरा ह्रदयेश–

मान्यवर, जी हां।

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने मूल प्रश्न के उत्तर में कहा है–"उत्तरांचल राज्य द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 तथा पैतृक राज्य उत्तर प्रदेश में संचालित कार्यक्रमों के अनुसार ही कार्यवाही की जा रही है। उत्तरांचल राज्य गठन के पश्चात् इसमें कोई

संशोधन नहीं किये गये।'' अब माननीय मंत्री जी कह रही हैं कि हमने आधार भूत ढांचे में परिवर्तन किया है। आपने प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा के एकीकरण की बात कही है। पहले आपने उत्तर दिया कि उत्तर प्रदेश में संचालित कार्यक्रमों के अनुसार ही यहां पर कार्यवाही की जा रही है।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, प्रश्न पूंछा गया था कि शिक्षा की नीति क्या है। हमने कोई नीति का अभिलेख सदन में प्रस्तुत नहीं किया है। जो शिक्षा नीति उत्तर प्रदेश में है और जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, उसी को आधार बनाकर यहां लागू किया गया है। जहां तक व्यवस्था में परिवर्तन की बात है, पहले भी कक्षा एक से 12 तक की पढ़ाई एक स्कूल में होती थी। मैं स्वयं जिस स्कूल में हूं, वह कक्षा एक से कक्षा 12 तक है। अभी यह प्रयास किया जा रहा है कि इनको एक साथ शुरू किया जाय, इसके लिए जमीन आदि में परेशानी आ रही है।

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, आपने मूल प्रश्न के उत्तर में कहा कि उत्तर प्रदेश में संचालित कार्यक्रमों के अनुसार ही कार्यवाही की जा रही है। उत्तरांचल राज्य के गठन के पश्चात् इसमें कोई संशोधन नहीं किये गये। लेकिन आपने आधारभूत ढांचे में ही परिवर्तन कर दिया है और शिक्षा का एकीकरण कर रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, सरकार की ओर से सही उत्तर नहीं आ रहा है।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, शिक्षा नीति का कोई डाक्यूमेन्ट उत्तरांचल सरकार ने नहीं बनाया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति का जो डाक्यूमेन्ट है, हमने उसी को लागू किया है। जहां तक व्यवस्था में परिवर्तन की बात है तो उसे हम कर रहे हैं।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, सही उत्तर नहीं आ रहा है।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, आपकी कृपा से भाषा का थोड़ा बहुत ज्ञान मुझे भी है। जब नीति के विषय में प्रश्न पूछा गया था तो क्या सरकार की तरफ से कोई गलत उत्तर आ जाता ? जब प्रश्न आया कि कौन सी नीति पर चल रहे हैं, तो हमने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर ही हम चल रहे हैं। उसी राष्ट्रीय नीति का पालन उत्तर प्रदेश भी कर रहा है और हम भी उसी का पालन कर रहे हैं। जहां तक व्यवस्था में परिवर्तन की बात है, तो उसे हम कर रहे हैं लेकिन अभी वह भी नहीं हो पाया है। शिक्षा नीति के बारे में सरकार ने कोई डाक्यूमेंट प्रस्तुत नहीं किये हैं।

श्री भगत सिंह कोश्यारी–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी इतनी योग्य हैं, लेकिन फिर भी सही उत्तर नहीं आ रहा है। आपने डाक्यूमेंट की बात कही कि हमने कोई डाक्यूमेंट प्रस्तुत नहीं किया है और जो राष्ट्रीय नीति है, उसी पर चल रहे हैं। फिर आपने कहा कि आधारभूत ढांचे में परिवर्तन कर दिया है। मान्यवर, 4 साल हमें उत्तर प्रदेश से आये हुए हो गये हैं, आपने कहा कि वही नीति हमने यहां पर लागू की है, जो उत्तर प्रदेश में लागू है।

मान्यवर, आपका उत्तर विरोधाभाषी है। फिर भी आप अपने उत्तर पर स्टिक कर रही है।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, विभागीय ढांचा और नीति में अंतर है। हमने कोई भी नीतिगत दस्तावेज पेश नहीं किया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति हमारा आधार है। विभागीय ढांचे में तो परिवर्तन होते रहते हैं।

विशिष्ट बी0टी0सी0 प्रशिक्षण प्राप्त प्रशिक्षुओं का सेवायोजन

* 4–श्री प्रकाश पंत–

* क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि वर्ष 2004–05 में विशिष्ट बी0टी0सी0 प्रशिक्षण प्राप्त कितने प्रशिक्षु सेवायोजित किये जा चुके हैं ?

सेवायोजित न किये गये प्रशिक्षु कितने हैं ?

उन्हें कब तक सेवायोजित कर दिया जायेगा ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

वर्ष 2004–05 में विशिष्ट बी0टी0सी0 प्रशिक्षण प्राप्त 1652 प्रशिक्षु सेवायोजित किये जा चुके हैं।

278 प्रशिक्षु सेवायोजित नहीं हुए हैं।

1. 34 प्रशिक्षुओं के प्रकरण पर मा0 उच्च न्यायालय के निर्णयोपरान्त सेवायोजन की कार्यवाही की जायेगी।
2. 70 प्रशिक्षुओं के सेवायोजन की कार्यवाही गतिमान है।
3. 168 प्रशिक्षुओं को प्राथमिक विद्यालयों के सहायक अध्यापकों से पदोन्नति के फलस्वरूप रिक्त होने वाले पदों पर सेवायोजित किया जायेगा।
4. 06 प्रशिक्षुओं को आवेदन/साक्षात्कार में उपस्थित न होने के कारण सेवायोजित नहीं किया जा सका है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री प्रकाश पंत–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने अपने लिखित उत्तर में कहा है कि 278 प्रशिक्षु सेवायोजित नहीं हुए हैं। मान्यवर, मैं यह जानना चाहता हूं कि जिस तिथि को इन प्रशिक्षुओं के आवेदन–पत्र स्वीकृत हो गये थे उनको उसी तिथि से सेवायोजित किया जायेगा तथा 34 प्रशिक्षुओं के प्रकरण पर अवगत कराया गया है कि प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन हैं। बहुत से प्रशिक्षुओं की आयु तब तक अधिक हो जायेगी जिस कारण उन्हें पेंशन के लिए जो 15 वर्ष की सेवा आवश्यक होती है वह भी पूरी नहीं हो पायेगी। तो क्या आवेदन–पत्र प्राप्त होने की तिथि से उनकी आयु की गणना की जायेगी।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, जो न्यायालय में प्रकरण लम्बित हैं उसके लिए तो प्रतीक्षा करनी ही पड़ेगी। 06 प्रशिक्षु ऐसे थे जिन्हें अन्यत्र स्थानों में नौकरी मिल गयी होगी जिस कारण वे नहीं आये। माननीय सदस्य की जिज्ञासा है कि जो प्रशिक्षु किन्हीं कारणों से सेवायोजित

नहीं हो पाये। क्या उन पर उसी तिथि से विचार किया जायेगा, जिस तिथि से आवेदन स्वीकृत हुए हैं, तो मान्यवर, यह तो परीक्षण का विषय है।

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, जो 278 प्रशिक्षु हैं इनके आवेदन किस तिथि को प्राप्त हुए और इनका साक्षात्कार कब लिया गया ?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, तिथि की सूचना इस समय हमारे पास नहीं है।

श्री काशी सिंह ऐरी–

मान्यवर, इससे पहले यहां पर बहस हुई थी और उस वक्त विशिष्ट बी0टी0सी0 के 2600 पदों की बात कही गयी थी किन्तु अब जो माननीय मंत्री जी ने उत्तर दिया है उसमें इनकी संख्या लगभग 1900 के आस–पास है। तो जो 600–700 का अन्तर है यह कैसे आ रहा है ? दूसरा स्पेसिफिक प्रश्न मैं आपसे पूछ रहा हूं जैसा कि माननीय सदस्य उत्तरकाशी ने कहा था। मान्यवर, उनके जनपद में प्रशिक्षित विशिष्ट बी0टी0सी0 के अभ्यर्थी हैं और यहां पर रिक्त पदों की संख्या लगभग 66 है, जिसकी सूचना वहां के अपर जिलाधिकारी ने अपने उच्च अधिकारियों को दी है। मेरे पास उनके पत्रों की प्रतिलिपि है। वे कहते हैं हमारे यहां 66 पद रिक्त हैं और प्रशिक्षित अभ्यर्थी भी हैं हमें नियुक्ति की अनुमति दी जाय। मान्यवर यह पत्राचार जनवरी से चल रहा है। मान्यवर, प्रशिक्षित बेरोजगार पड़े हुए हैं और पद भी खाली हैं लेकिन उनकी नियुक्ति नहीं हुई है इसके क्या कारण हैं ?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, आपकी बात सही है कि 2600 विशिष्ट बी0टी0सी0 के पद हैं। मान्यवर, 1652 को सेवायोजित किया जा चुका है और 278 प्रशिक्षु सेवायोजित नहीं हुए हैं। मान्यवर, जिस समय हमने सत्ता संभाली थी उस समय अध्यापकों की भारी कमी थी। जैसा कि आप जानते हैं हमने हाईस्कूल, डिग्री कालेजों में भर्तियां की हैं और क्रमशः नियुक्तियां की जा रही हैं और आगे भी जो स्थान रिक्त हैं उनको भी भरा जायेगा। जैसा कि उत्तरकाशी का मामला आया है यदि पदोन्नतियां हुई हैं और पद खाली हैं तो रिक्त पदों को भर लिया जायेगा।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, जो विशिष्ट बी0टी0सी0 अभ्यर्थी हैं जिनकी ट्रेनिंग भी समाप्त हो चुकी है, लेकिन अब उनकी ऐज 40 वर्ष से ऊपर हो गयी है, क्या इनको नियुक्ति में छूट दी जायेगी ?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, जो विशिष्ट बी0टी0सी0 अभ्यर्थी हैं जिनका प्रशिक्षण पूरा हो चुका है और जिन्होंने आवेदन किया था, मान्यवर, इस बारे में सरकार का कोई चिंतन नहीं है, हमें पेंशन के आधार पर निर्णय लेना होगा। मान्यवर, पेंशन के लिए कम से कम 20 साल की सेवा होनी चाहिए। इसी के आधार पर पेंशन बनती है। हम उनको पेंशन विहीन नहीं रखना चाहते हैं।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, उनका प्रशिक्षण किस आधार पर हुआ है ? यदि जिन अभ्यर्थियों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया है उनकी उम्र प्रशिक्षण प्राप्त करने के समय तो थी, परन्तु अब ज्यादा हो गयी है, क्या सरकार उनके बारे में विचार कर रही है ?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, जिन लोगों ने वर्ष 2001 में अप्लाई कर दिया था, जिन्हें हमने प्रशिक्षण दिया उनको छूट दी जा रही है। मान्यवर, यदि किसी अभ्यर्थी की उम्र 2001 में 38 साल है और वर्ष 2004 में 41 वर्ष हो गयी है। मान्यवर, यह बात जब आयेगी, तब तय कर लिया जायेगा।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, कब तक तय कर लिया जायेगा ?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, जब बात आयेगी, तब तय कर लिया जायेगा।

कृषि विविधीकरण योजना के बन्द होने के कारण खरीदे गये सामान का उपयोग

*** 5–श्री अजय भट्ट–**

क्या कृषि मंत्री अवगत हैं कि कृषि विविधीकरण योजना सन् 2004 में बन्द हो गई है ?

यदि हां, तो इस योजना हेतु दो करोड़ रुपये की खरीदी गयी किताबें एवं अन्य सामान योजना बन्द के बाद कहां रखी गई हैं ? तथा उनका क्या उपयोग किया जा रहा है ?

कृषि मंत्री (श्री महेन्द्र सिंह माहरा "मद्दू भाई")–

जी हां।

अ–परियोजना द्वारा कृषि तथा कृषि आधारित/सम्बन्धित विषयों से संबंधित पुस्तकें परियोजना घटकों, बोर्डों एवं सम्बन्धित विभागों हेतु मुद्रित/क्रय की गयी। मुद्रित/क्रय की गयी किताबें विभिन्न विभागों/बोर्डों/संस्थानों को उपलब्ध करायी गयी हैं।

ब–परियोजना के अन्तर्गत खरीदे गये सामानों यथा–कम्प्यूटर सेट, फर्नीचर्स इत्यादि को परियोजना समाप्ति के अंतिम चरण में राज्य के विभिन्न बोर्डों/कार्यालयों तथा परियोजनाओं आदि को आवंटित/वितरित किया गया है :

अ–उत्तरांचल डास्प द्वारा मुद्रित तथा क्रय की गयी उपरोक्त सभी किताबों को सम्बन्धित विभागों तथा बोर्डों द्वारा पशुपालकों, किसानों, दुग्ध उत्पादकों एवं विभागों/बोर्डों के कर्मचारियों तथा अधिकारियों के प्रशिक्षण एवं अन्य विभागीय कार्यों हेतु उपयोग किया जा रहा है।

ब–इसी तरह विभिन्न परियोजनाओं तथा बोर्डों/कार्यालयों को उपलब्ध कराये गये उपरोक्त कम्प्यूटर सेट/फर्नीचर्स आदि का उपयोग सम्बन्धित कार्यालयों/बोर्डों/परियोजनाओं द्वारा अपनी परियोजनाओं/योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु किया जा रहा है।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, जैसा कि सभी को ज्ञात है कि प्रदेश में डास्प योजना लागू हुई थी और 1994 में बन्द हो गयी है। मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि यह योजना कितने वर्षों तक चली और इसमें आडिट धनराशि कितनी स्वीकृत हुई थी ? दूसरा प्रश्न यह है कि इसमें कितने कीमत की कापी–किताब, फर्नीचर, कम्प्यूटर खरीदे गये ?

श्री महेन्द्र सिंह माहरा (मद्दू भाई)–

श्रीमन्, माननीय सदस्य ने जो जिज्ञासा व्यक्त की है, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि डास्प की योजना 7 सौ करोड़ की है और यह 1998 में उत्तर प्रदेश में शुरू हुई थी और पहली मई, 2001 से 73.8 करोड़ की यह योजना उत्तरांचल में शुरू हुई। इसमें जो किताबें खरीदी गई हैं वह 113.67 लाख की हैं और जो सामान खरीदा गया वह 217.98 लाख का है।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, मैंने पूछा था कि कम्प्यूटर कितने के खरीदे गये, फर्नीचर कितने के खरीदे गये। मान्यवर, इतनी बड़ी योजना है, 73 करोड़ उत्तरांचल में लगा है। किताबों में आपने बताया 113.67 लाख लगा। सामान में बन्दरबाट लगी है।

श्री महेन्द्र सिंह माहरा (मद्दू भाई)–

मान्यवर, 32 विभागों को सामान दिया, किताबों के अलावा कम्प्यूटर और अन्य सामान दिया। मान्यवर, मैं सूची पढ़ देता हूं।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, मैंने पूछा कि कितने सेट कम्प्यूटर के खरीदे गये और फर्नीचर कितना खरीदा है।

श्री महेन्द्र सिंह माहरा (मद्दू भाई)–

मान्यवर, अलग–अलग विभागों को दिये हैं। कुल 217.98 लाख का सामान खरीदा है और किताबों के लिए 113.67 लाख हुआ।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, कितने नग कम्प्यूटर सेट खरीदे हैं और कितने नग फर्नीचर खरीदे हैं, उनकी संख्या बता दें।

श्री महेन्द्र सिंह माहरा (मद्दू भाई)–

मान्यवर, मैं विभागवार दे देता हूं, आप कहें तो मैं यहां पर बता दूं या अलग से बता दें।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इतनी बड़ी योजना है, इसमें किताबें कहां गई, किन–किन विभागों को गई, आप बतायेंगे। लेकिन मैं स्पष्ट बताऊंगा आपके माध्यम से कि आज तक उन विभागों के पास नहीं हैं, वह कहीं नहीं गई है और फर्जी तरीके से लोगों से, इन विभागों से दस्तखत करा लिए गये हैं। मान्यवर, यह 67 करोड़ की योजना है, जिसमें 4 करोड़ का सामान खरीदा गया है, मंत्री जी हिसाब दे रहे हैं कि किस–किस विभाग को गये हैं। मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि क्या इस पर उच्च स्तरीय जांच की कृपा करेंगे ?

श्री महेन्द्र सिंह माहरा (मद्दू भाई)–

मान्यवर, मैं पहले तो सूची प्रस्तुत कर रहा हूं। मान्यवर, कृषि विभाग उत्तरांचल द्वारा मै० जीत प्रिंटर्स, देहरादून से 4.85 लाख रुपये का, इसी तरह 19 विभाग उद्यान विभाग, पशुपालन विभाग, डेयरी विकास विभाग, रेशम विभाग यू०एल०डी०बी०, देहरादून, जैविक उत्पाद परिषद् आदि हैं।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, डास्प योजना का उद्देश्य क्या था ? इतना सामान खरीदने का औचित्य क्या था ? जिन–जिन विभागों को दिये गये थे सामान, उन विभागों के पास नहीं हैं। मैं चाहता हू कि आप इसकी उच्च स्तरीय विजिलेंस जांच करेंगे।

श्री महेन्द्र सिंह माहरा (मदू भाई)–

मान्यवर, इन्होंने रिसीव किया है। कोई भी अधिकारी बिना सामान के रसीद कैसे देगा ?

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, इसमें जो कुछ हुआ है वह आप भी जानते हैं। अगर कुछ नहीं हुआ है तो इसकी विजिलेंस जांच करायेंगे।

श्री महेन्द्र सिंह माहरा (मदू भाई)–

मान्यवर, इसका लास्ट रिकार्ड है। वर्ल्ड बैंक के लोगों की रिपोर्ट है दि ओवर आल रेटिंग इज सेटिसफैक्ट्री।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, जो परियोजना चली उसके दो–तीन पार्ट हैं। मान्यवर, मैं सामग्री के बारे में पूछ रहा हू योजना के बारे में नहीं।

श्री महेन्द्र सिंह माहरा (मदू भाई)–

मान्यवर, आपका प्रश्न था किताबों के बारे में, सामान के बारे में। कितना सामान किस विभाग ने रिसीट किया है। वह आपको दे देते हैं, इसकी डिटेल आपको दे देते हैं कि कितने कम्प्यूटर खरीदे, कितने चेयर, कितने टेबिल खरीदे गये।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, मेरा आरोप है कि ये सामान विभागों के पास नहीं गया है। माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि हमारे पास रिसीट है। क्या इसमें उच्च स्तरीय विजिलेंस जांच करेंगे ? यदि हां तो कितने दिन में ?

श्री महेन्द्र सिंह माहरा (मदू भाई)–

मान्यवर, ऐसी जानकारी है तो हम इसकी जांच करा लेंगे।

श्री हरभजन सिंह चीमा–

मान्यवर, पूछा यह गया है कि इस योजना के अन्तर्गत कितने कम्प्यूटर आदि खरीदे और किन विभागों को दिये गये हैं। विभागवार आपसे अलग से सूचना नहीं मांगी गई है।

श्री महेन्द्र सिंह माहरा (मदू भाई)–

मान्यवर, मैं वही बता रहा हू जिसको हमने हस्तगत किया है वह है–हिमालयी आजीविका विकास परियोजना देहरादून को 34.52 लाख का, हिमालयी आजीविका विकास परियोजना देहरादून को 1.29 लाख का, हिमालयी आजीविका विकास परियोजना, देहरादून 9.57 लाख का................। (व्यवधान)

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, ये जो 34.कुछ का सामान आपने उपलब्ध कराया इसमें क्या–क्या सामान लिया गया था ?

श्री महेन्द्र सिंह माहरा (मद्दू भाई)–

मान्यवर, यह आई–पेड को हमने दिया है। इसमें कम्प्यूटर 5 हैं 4 और दिये हैं, प्रिंटर हैं 3 और फिर 5 और दिये हैं, यू०पी०एस० 6 दिये हैं, 5 फिर दिये हैं, कम्प्यूटर टेबिल हैं 6, कम्प्यूटर चेयर है एक, एक्जीक्यूटिव टेबिल हैं 4, एक्जीक्यूटिव चेयर हैं दो।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, आपकी बात आ गयी है। अब मैं दूसरी बात पूछ रहा हूं। मान्यवर, अपने कम्प्यूटरों की संख्या बतायी है, ये कौन–सी कम्पनी के हैं। यह भी अभी ही बता दें ताकि फिर कहीं इसमें अदला–बदली न हो जाये।

श्री महेन्द्र सिंह माहरा (मद्दू भाई)–

मान्यवर, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि एक साल पूर्व यह परियोजना बन्द हो चुकी है और इस परियोजना में सारे जितने अधिकारी और कर्मचारी थे वे डेपुटेशन पर थे। जितनी भी सूचना मैंने..........।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, मुझे आपत्ति है। आपने कहा कि सारे लोग डेपुटेशन पर थे, क्या कोई डायरेक्टर नहीं था ? कोई इसका सचिव नहीं था ? क्या ये सारे अधिकारी प्रदेश से बाहर जा चुके हैं ?

श्री महेन्द्र सिंह माहरा (मद्दू भाई)–

मान्यवर, मैं बताना चाहता हूं कि यदि मैं आपके प्रश्न का उत्तर न दे पाता तब तो यह बात आती कि सेक्रेटरी बाहर चले गये हैं या नहीं। लेकिन मैं तो उत्तर दे रहा हूं। यह परियोजना एक वर्ष पूर्व बन्द हो चुकी है। आपने कम्प्यूटर की कम्पनी पूछी है। कम्प्यूटर कॉम्पैक और एच०पी० के थे। इनकी संख्या यदि आप चाहें तो मैं विभागवार दे सकता हूं।

श्रीमती विजय बड़थ्वाल–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से सिर्फ एक जानकारी चाहती हूं कि यह कृषि विविधीकरण परियोजना 2004 में बन्द हो गयी है। क्या परियोजना में खरीदे गये सामान परियोजना बन्द होने से पहले विभागों को दे दिये गये थे या परियोजना बन्द होने के बाद ?

श्री महेन्द्र सिंह माहरा (मद्दू भाई)–

मान्यवर, मार्च माह में यह परियोजना पूरी हो चुकी थी उसके पहले ही इसके बोर्ड की मीटिंग हुई थी जिसमें यह तय हुआ था कि यह सामान किस–किस विभाग को दिया जायेगा ?

श्रीमती विजय बड़थ्वाल–

मान्यवर, इसका विवरण कि कौन–कौन सा सामान कब–कब खरीदा गया और किस–किस विभाग को, किस–किस तिथि को दिया गया, इसका पूरा विवरण दिया जाये। माननीय मंत्री जी पूरे सदन को अवगत करायें कि किस तिथि को इसे किसको हैण्डओवर किया गया था।

श्री महेन्द्र सिंह माहरा (मद्दू भाई)–

मान्यवर, जब परियोजना प्रारम्भ हुई तो सामान खरीदा गया और विभागों को दिया गया और जब परियोजना समाप्त हो गयी तो नहीं दिया गया।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न काल समाप्त हुआ।

प्रदेश में गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों में बच्चों की निःशुल्क शिक्षा योजना

*** 6–श्री मदन कौशिक–**

* क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के बच्चों को सरकार निःशुल्क शिक्षा दिये जाने की कोई योजना बना रही है ?

यदि हां, तो क्या ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

सर्व शिक्षा अभियान एवं जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम योजना अन्तर्गत प्रदेश के सभी 6–14 आयु वर्ग के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा तथा निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण की व्यवस्था पूर्व से है। बालिकाओं हेतु कक्षा 1–12 तक निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था है।

उपरोक्तानुसार।

पूर्व से ही योजनायें संचालित हैं।

अतारांकित प्रश्न

जनपद उत्तरकाशी के वि0 खं0 क्षेत्र यमुनोत्री में भवनहीन विद्यालयों की संख्या

1–श्री प्रीतम सिंह पंवार–

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद उत्तरकाशी के विधान सभा क्षेत्र यमुनोत्री में कुल कितने प्राथमिक विद्यालय, उच्च प्राथमिक विद्यालय, राजकीय हाईस्कूल व इण्टरमीडियट कालेज भवनहीन हैं ?

इन भवनहीन विद्यालयों के भवनों का निर्माण कब तक करा लिया जायेगा ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

कोई विद्यालय भवनहीन नहीं हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

नोट :–तारांकित प्रश्न संख्या (6) के उपरान्त प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

संस्कृत महाविद्यालय के अध्यापकों को पंचम वेतन आयोग के समतुल्य वेतनमान

2—श्री महेन्द्र भट्ट—

क्या शिक्षा मंत्री बतलाने का कष्ट करेंगे कि संस्कृत महाविद्यालय के अध्यापकों को पंचम वेतन आयोग के समतुल्य वेतनमान दिये जाने पर सरकार विचार कर रही है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी—

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता

रा0 इ0 कालेज चौरपाल जिला पिथौरागढ़ में रिक्त प्रवक्ता व सहायक अध्यापक के पदों पर तैनाती

3—श्री नारायण राम आर्य—

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि विधान सभा के वर्ष, 2005 के प्रथम सत्र के प्रथम बुधवार हेतु पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या—1 के उत्तर के सन्दर्भ में रा0इ0 कालेज चौरपाल, जिला पिथौरागढ़ में प्रवक्ता के आठ एवं सहायक अध्यापक के सात पद कब से रिक्त चल रहे हैं ?

इन पदों के विरुद्ध तैनाती न होने से शिक्षण कार्य किस प्रकार चलाया जा रहा है ?

प्रधानाचार्य सहित रिक्त पदों पर तैनाती कब तक कर दी जायेगी ?

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी—

रा0इ0का0 चौरपाल में प्रवक्ता के 05 तथा सहायक अध्यापक के 07 पद निम्न तिथियों से रिक्त चल रहे हैं :—

पद का नाम	रिक्ति की तिथि
प्रवक्ता—	
1. अर्थशास्त्र	15—07—1992
2. अंग्रेजी	15—07—1992
3. संस्कृत	22—11—1997
4. हिन्दी	03—07—1998
5. जीव विज्ञान	13—11—1998
सहायक अध्यापक—	
1. गणित	07—07—2002
2. व्यायाम	20—07—2001
3. अंग्रेजी	10—07—2004
4. जीव विज्ञान	30—07—2004
5. सामान्य	03—07—2004
6. सामान्य	25—07—2004
7. सामान्य	08—07—2004

विद्यालय में 03 शिक्षा बन्धु कार्यरत हैं, जिनके द्वारा शिक्षण कार्य सम्पादित किया जा रहा है।

प्रवक्ता/सहायक अध्यापक पदों पर चयन की कार्यवाही गतिमान है। प्रधानाचार्य पद पर तैनाती यथाशीघ्र की जायेगी।

उत्तरकाशी के वि0ख0 डुण्डा के ग्राम कल्याणी में कन्या क्रमोत्तर जूनियर हाईस्कूल की स्थिति

4–श्री प्रीतम सिंह पंवार–

क्या शिक्षा मंत्री अवगत हैं कि जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड डुण्डा के ग्राम कल्याणी में वर्ष 1984 में कन्या क्रमोत्तर जूनियर हाईस्कूल खोला गया था ?

यदि हां, तो उक्त विद्यालय को कब तक पूर्ण विद्यालय माना जायेगा ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेन्द्र भण्डारी–

जी हां।

विद्यालय पूर्ण रूप से संचालित है।

प्रश्न नहीं उठता।

पिथौरागढ़ के गंगोलीहाट में रा0 हा0 सेराघाट एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालय छड़ौली का उच्चीकरण

4–श्री नारायण राम आर्य–

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र गंगोलीहाट के जिला प्लान 2004–05 में रा0हा0 स्कूल सेराघाट के इण्टर स्तर पर उच्चीकरण किये जाने का प्रस्ताव पारित हुआ था ?

क्या मंत्री जी के संज्ञान में है कि उक्त कालेज वर्ष 2003–2004 में उच्चीकृत हो चुका है। तथा उक्त स्थान पर रा0 उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, छड़ौली के उच्चीकरण का प्रस्ताव जिला प्लान में रखा गया था ?

यदि हां, तो क्या सरकार उक्त विद्यालय के उच्चीकरण किये जाने पर विचार करेगी ?

यदि हां, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

जी नहीं।

जी हां।

जी नहीं।

जी हां।

यथाशीघ्र।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद पिथौरागढ़ के प्रा0 विद्यालय अनतोड़ा के ध्वस्त भवन का निर्माण

6–श्री बिशन सिंह चुफाल–

क्या शिक्षा मंत्री अवगत हैं कि जनपद पिथौरागढ़ के प्रा0 विद्यालय अनतोड़ा का भवन ध्वस्त है ?

क्या यह सत्य है कि छात्र खुले मैदान में पठन–पाठन का कार्य करते हैं ?

यदि हां, तो क्या सरकार छात्र हित में अविलम्ब भवन का निर्माण करायेगी ?

यदि हां, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेन्द्र भण्डारी–

जी हां।

जी हां।

जी हां।

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत वर्ष 2005–06 की वार्षिक कार्य योजना में प्रस्तावित है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद उत्तरकाशी स्थित जोगथ व श्रीकोट के रा0 इ0 तथा उ0 मा0 वि0 मजगांव व घटवालधार में प्रधानाचार्यों के रिक्त पदों पर तैनाती

7–श्री प्रीतम सिंह पंवार–

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद उत्तरकाशी के राजकीय इण्टर कालेज जोगथ, रा0इ0का0 श्रीकोट, राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मजगांव व घटवालधार (मालना) में प्रधानाचार्यों के पद कब से रिक्त चल रहे हैं तथा कब तक उक्त विद्यालयों में प्रधानाचार्य तैनात कर दिये जायेंगे ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेन्द्र भण्डारी–

प्रधानाचार्य एवं प्रधानाध्यापक के रिक्त पदों का विवरण निम्नवत है :–

विद्यालय का नाम	रिक्ति की तिथि
1. रा0इ0का0, जोगथ	जुलाई, 2001
2. रा0इ0का0, श्रीकोट	वर्ष 1998
3. रा0उ0मा0वि0, मजगांव	पद भरा है।
4. रा0उ0मा0वि0, घटवालधार	वर्ष 1998

रिक्त पदों को भरे जाने हेतु सम्प्रति कार्यवाही गतिमान है।

प्रश्न नहीं उठता।

उत्तरकाशी के वि0खं0 चिन्यालीसौंड के दशगी पट्टी में हटनाली कपराडा आदि गांवों को विकेन्द्रीकृत जलागम परियोजना में सम्मिलित करने पर विचार

7–श्री प्रीतम सिंह पंवार–

क्या कृषि एवं जलागम प्रबन्धन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड चिन्यालीसौंड के दशगी पट्टी में हटनाली, कपराडा, मुरोगी, छैंजुला, टण्डोल, वणगांव, खदाड़ा, रिखाणगांव, कामदा, पुजारगांव, बडली आदि गांवों को विकेन्द्रीकृत जलागम परियोजना में सम्मिलित किया जायेगा ?

यदि हां, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री महेन्द्र सिंह माहरा (मदू भाई)–

जी हां। जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड चिन्यालीसौंड के दशगी पट्टी में कपराड़ा, मुरोगी, छैंजुला, टंडोल, वणगॉव, खदाड़ा, रिखणगांव, कामदा, पुजारगांव, बडली राजस्व ग्रामों को विकेन्द्रीकृत जलागम विकास परियोजना में सम्मिलित किया जायेगा। ग्राम हटनाली उक्त ग्राम पंचायतों का राजस्व ग्राम अथवा उसका मजरा होने पर परियोजना के अन्तर्गत लिया जायेगा।

चिन्यालीसौंड विकास खण्ड के अन्तर्गत परियोजना का क्रियान्वयन वित्तीय वर्ष 2005–06 से किया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

उत्तरकाशी के वि0खं0 चिन्यालीसौंड के द्वारीखोल में जवाहर नवोदय विद्यालय का निर्माण

9–श्री प्रीतम सिंह पंवार–

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड चिन्यालीसौंड के द्वारीखोल में जवाहर नवोदय विद्यालय का निर्माण प्रारम्भ किया जा चुका है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

जी नहीं।

जवाहर नवोदय विद्यालय पूर्व से ही धुनगिरी पुरोला उत्तरकाशी में निर्मित है।

जनपद उत्तरकाशी के वि0खं0 नौगांव के ग्राम सपेटा में भूस्खलन पर कार्यवाही

10–श्री प्रीतम सिंह पंवार–

क्या कृषि एवं जलागम प्रबन्धन मंत्री अवगत हैं कि जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड नौगांव के ग्राम सपेटा के नीचे खड्ड पर भू–स्खलन होने के कारण गांव को खतरा पैदा हो गया ? यदि हां, तो सरकार द्वारा सुरक्षात्मक क्या कार्यवाही की जा रही है। यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री महेन्द्र सिंह माहरा (मदू माई)–

विकास खण्ड नौगांव के ग्राम–सपेटा के खद्द में भू–स्खलन होने से खतरा उत्पन्न हो गया है, जिसमें लगभग 17.00 है0 कृषि भूमि प्रभावित हो रही है। विभाग द्वारा स्थलीय सर्वेक्षण कर परियोजना तैयार की जा रही है। प्रभावित स्थल हेतु धनराशि उपलब्ध होने पर कार्य निष्पादित किया जाना प्रस्तावित है।

जनपद पिथौरागढ़ के रा0उ0मा0वि0 होकरा में अध्यापकों की नियुक्ति

11–श्री बिशन सिंह चुफाल–

क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि जनपद पिथौरागढ़ के राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय होकरा में मात्र एक अध्यापक की नियुक्ति हुई है ?

यदि हां, तो क्या सरकार छात्रहित में शेष रिक्त पदों पर शिक्षकों की यथाशीघ्र नियुक्ति करेगी ?

यदि हां, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

जी हां।

जी हां।

सम्प्रति नियुक्ति प्रक्रिया गतिमान है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद नैनीताल स्थित राजकीय इंटर कालेज ज्योलीकोट में मुख्य भवन का निर्माण

12–श्री नारायण सिंह जंतवाल–

क्या शिक्षा मंत्री अवगत हैं कि जनपद नैनीताल स्थित राजकीय इण्टरमीडियट कालेज ज्योलीकोट में मुख्य भवन के निर्माण न होने से अध्ययन प्रभावित हो रहा है ?

यदि हां, तो क्या सरकार कालेज के मुख्य भवन निर्माण हेतु आवश्यक कार्यवाही करेगी ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

उत्तरांचल कृषि मण्डी परिषद् एक्ट बनाने की कार्यवाही एवं कृषि मण्डी विकास हेतु व्यय राशि का ब्यौरा

13–श्रीमती विजया बड़थ्वाल–

क्या कृषि मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तरांचल कृषि मण्डी परिषद् एक्ट कब तक बना दिया जायेगा ?

यदि हां, तो उत्तरांचल कृषि मण्डी परिषद् द्वारा 2003 व 2004 में कृषि मण्डी विकास के लिए कुल कितनी धनराशि किन–किन कार्यों हेतु खर्च की गयी ?

क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत कृषि मण्डी परिषद् में उक्त अवधि में किन–किन मण्डियों हेतु क्या–क्या कार्य कराये ?

श्री महेन्द्र सिंह माहरा (मदू भाई)–

उत्तरांचल कृषि उत्पादन मण्डी (विकास एवं विनियमन) अधिनियम तैयार किये जाने की कार्यवाही की जा रही है।

जी हां। उत्तरांचल कृषि उत्पादन मण्डी परिषद् द्वारा वर्ष 2002–03, 2003–04 व 2004–05 में मण्डी परिसर अन्तर्गत निर्माण में रू0 1356.89 लाख, फल संग्रह केन्द्रों के निर्माण में रू0 8.08 लाख, सम्पर्क मार्गों के निर्माण में रू0 3563.58 लाख, निदेशालय में रू0 232.35 लाख, मछली बाजार हेतु व्यय रू0 0.02 लाख, रोप–वे निर्माण में रू0 127.77 लाख, स्वपोषित दुकानों के निर्माण में व्यय रू0 137.95 लाख तथा आवासीय कालोनियों के निर्माण में व्यय रू0 11.83, लाख कुल रू0 5438.47 लाख व्यय किये गये। कराये गये कार्यों का विवरण संलग्नक–1 में दिया गया है।

जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत कोटद्वार में मण्डी परिषद् द्वारा उक्त अवधि में सम्पर्क मार्ग निर्माण/मरम्मत में रू0 113.21 लाख के कार्य कराये गये। (संलग्नक–1)

जनपद अल्मोड़ा अन्तर्गत झुपुलचौरा के प्राइमरी पाठशाला संलोज से सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य की पेंशन

14–श्री पुष्पेश त्रिपाठी–

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि बेसिक शिक्षा विभाग अल्मोड़ा के अन्तर्गत, प्राइमरी पाठशाला संलोज, पोस्ट झुपुलचौरा से प्रधानाध्यापक पद से 30 जून, 2003 को सेवानिवृत्त को पेंशन स्वीकृत कर दी गयी है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

जैविक उत्पाद परिषद् द्वारा खरीदा गया बासमती चावल एवं राजमा का ब्योरा

15–श्री अजय भट्ट–

क्या कृषि मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जैविक उत्पाद परिषद् द्वारा वर्ष 2003–2004 में कुल कितने कीमत की बासमती चावल एवं राजमा खरीदी गयी एवं इसमें से कुल कितने कीमत की बासमती विदेशों को भेजी गयी तथा शेष बासमती चावल को कहां रखा गया है ?

क्या सरकार शेष बासमती को आम लोगों हेतु विक्रय किये जाने की योजना बना रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री महेन्द्र सिंह माहरा (मदू भाई)–

वर्ष 2003–04 में जैविक उत्पाद परिषद द्वारा 2482.22 कु0 धान रू0 60,11,140.00 (रू0 साठ लाख ग्यारह हजार एक सौ चालीस) में क्रय किया गया एवं 90 कुन्तल जैविक राजमा रू0 2,88,000.00 (रू0 दो लाख अट्ठासी हजार मात्र) विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से क्रय किया गया। रू0 3,75,086.00 (रू0 तीन लाख पिछत्तर हजार छियासी मात्र) कीमत की बासमती मै0टी ग्रुप एक्सपोर्ट, नई दिल्ली द्वारा मै0 रपुन्जाल जर्मनी को भेजी गयी। जैविक बासमती धान को प्रसंस्करण हेतु गदरपुर जनपद ऊधमसिंह नगर में चयनित भण्डार गृह में रखा गया।

शेष 2350 कुन्तल धान का प्रसंस्करण के उपरान्त 825 कुन्तल चावल को रु0 23.40 लाख (रु0 तेईस लाख चालीस हजार मात्र) में स्थानीय बाजारों में विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से विक्रय किया गया।

जनपद अल्मोड़ा के तहसील रानीखेत के अन्तर्गत चौबटिया–नागपानी मार्ग का निर्माण

16–श्री अजय भट्ट–

क्या कृषि मंत्री बतायेंगे कि जनपद अल्मोड़ा के तहसील रानीखेत के अन्तर्गत, चौबटिया–नागपानी दो कि0मी0 सड़क मण्डी परिषद् द्वारा स्वीकृत, मार्ग का निर्माण कार्य प्रारम्भ न होने के क्या कारण हैं, एवं कब तक उक्त सड़क पर कार्य प्रारम्भ कर दिया जायेगा ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री महेन्द्र सिंह माहरा (मद्दू भाई)–

जनपद अल्मोड़ा की तहसील रानीखेत के अन्तर्गत चौबटिया–नागपानी 2.00 किमी0 स्वीकृत सड़क के रेखांकन में सड़क वन भूमि से आच्छादित होने के कारण वन विभाग द्वारा वन अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत कार्य न कराये जाने के निर्देशों के फलस्वरूप निर्माण कार्य बाधित है तथा वन भूमि हस्तान्तरण के पश्चात् ही उक्त सड़क का निर्माण कार्य कराया जाना सम्भव है।

प्रश्न नहीं उठता

उत्तरांचल में जैविक उत्पाद परिषद् का गठन

17–श्री अजय भट्ट–

क्या कृषि मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तरांचल में जैविक उत्पाद परिषद् का गठन कर लिया गया है ? यदि हाँ, तो इस हेतु कितनी धनराशि के बजट का प्राविधान किया गया है ? क्या सरकार उक्त परिषद् के सदस्यों का सम्पूर्ण विवरण सदन के पटल पर रखेगी ?

श्री महेन्द्र सिंह माहरा (मद्दू भाई)–

उत्तरांचल जैविक उत्पाद परिषद् का गठन मई, 2003 में सोसाईटी पंजीकरण एक्ट, 1860 के अन्तर्गत किया गया था।

उत्तरांचल जैविक उत्पाद परिषद् हेतु राज्य सरकार के वार्षिक बजट में किसी भी प्रकार का प्राविधान नहीं किया गया है।

उत्तरांचल जैविक उत्पाद परिषद् के प्रशासनिक खर्चों की पूर्ति के लिये प्रतिवर्ष रु0 8.00 लाख मात्र की वित्तीय सहायता उत्तरांचल राज्य बीज एवं जैविक उत्पाद प्रमाणीकरण संस्था द्वारा प्रदान की जाती है। यह वित्तीय सहायता परिषद् को सर रतन टाटा ट्रस्ट, मुम्बई से मिलने वाली धनराशि के सापेक्ष राज्य सरकार की वित्तीय प्रतिबद्धता के रूप में दी जाती है। परिषद् के अन्य खर्चे सर रतन टाटा ट्रस्ट, मुम्बई द्वारा स्वीकृत हिमोत्थान परियोजना के अन्तर्गत पूर्ण किये जाते हैं।

उत्तरांचल जैविक उत्पाद परिषद् की स्थापना के समय परिषद् की सदस्यता निम्नवत थी :–

1. प्रमुख सचिव एवं आयुक्त, वन एवं ग्राम्य विकास, उत्तरांचल शासन — अध्यक्ष
2. सचिव, कृषि उत्तरांचल शासन — उपाध्यक्ष
3. कुलपति, गोविन्द बल्लभ पंत, कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय — सदस्य

4. अपर परियोजना समन्वयक, डास्प — सदस्य
5. अपर निदेशक, पशुपालन, उत्तरांचल/निदेशक, जड़ी बूटी शोध संस्थान, गोपेश्वर — सदस्य
6. प्रतिनिधि कृषि मंत्रालय, भारत सरकार — सदस्य
7. प्रतिनिधि कृषि विभाग, उत्तरांचल — सदस्य
8. कृषक प्रतिनिधि/प्रतिनिधि निजी क्षेत्र — सदस्य
9. प्रबन्ध निदेशक — सदस्य

10 फरवरी, 2005 को आयोजित परिषद् की तृतीय बोर्ड बैठक में परिषद् की सदस्यता के पुनर्गठन का निर्णय लिया गया। इसके उपरान्त परिषद् की सदस्यता निम्नवत होगी :-

1. प्रमुख सचिव एवं आयुक्त, वन एवं ग्राम्य विकास उत्तरांचल शासन — अध्यक्ष
2. सचिव, कृषि उत्तरांचल शासन — उपाध्यक्ष
3. सचिव, उद्यान/सचिव, पशुपालन (छः माह के चक्र में एक) — सदस्य
4. प्रतिनिधि पंतनगर विश्वविद्यालय/प्रतिनिधि विवेकानन्द पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान (छः माह के चक्र मे एक) — सदस्य
5. प्रतिनिधि सर रतन टाटा ट्रस्ट/सेन्टर फॉर आर्गेनिक फार्मिंग (छः माह के चक्र में एक) — सदस्य
6. निदेशक, उत्तरांचल राज्य बीज एवं जैविक उत्पाद प्रमाणीकरण संस्था — सदस्य
7. निदेशक, कृषि, उत्तरांचल — सदस्य
8. प्रतिनिधि आई0एफ0ए0डी0 परियोजना, उत्तरांचल/प्रतिनिधि जलागम परियोजना उत्तरांचल — सदस्य
9. कृषक प्रतिनिधि गढ़वाल क्षेत्र (04) — सदस्य
10. कृषक प्रतिनिधि, कुमायूं क्षेत्र (03) — सदस्य

जनपद उत्तरकाशी के चिन्यालीसौड़ के रा0जू0हा0 चमियारी व कामदा एवं वि0खं0 नौगांव के रा0उ0मा0वि0 बर्नीगाड का उच्चीकरण

18—श्री प्रीतम सिंह पंवार—

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि मुख्यमंत्री द्वारा अपने आदेश कम्प्यूटर संख्या 56786/मु0म0का0—01/2004 दिनांक 24—2—2004 द्वारा जनपद उत्तरकाशी के विकासखण्ड चिन्यालीसौड के राजकीय जूनियर हाईस्कूल चमियारी व कामदा की हाईस्कूल स्तर पर, राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कोट्यार गमटी का इण्टर स्तर पर तथा विकासखण्ड नौगांव के रा0उ0मा0वि0 बर्नीगाड का इण्टर स्तर पर उच्चीकरण की स्वीकृति प्रदान की गयी थी ?

यदि हाँ, तो क्या उच्चीकृत किये गये इन विद्यालयों में शिक्षण कार्य प्रारम्भ हो चुका है ?

यदि नहीं, तो कब तक प्रारम्भ कर लिया जायेगा ?

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी—

जी हाँ।

जी नहीं।

सम्प्रति विद्यालयों का उच्चीकरण नहीं किया गया है।

प्रदेश में सवित्त मान्यता हेतु चयनित विद्यालयों का मानक

19—श्री महेन्द्र भट्ट—

क्या शिक्षा मंत्री बतलाने का कष्ट करेंगे कि उत्तरांचल में सवित्त मान्यता के लिए विद्यालयों का चयन कर लिया गया है ?

यदि हाँ, तो इस हेतु क्या मानक अपनाए गये तथा किन—किन विद्यालयों का चयन किया गया ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी—

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

जनपद चमोली में रा0उ0मा0 विद्यालय सलियाणी का शहीद देवेन्द्र सिंह नेगी के नाम से उच्चीकरण

20—श्री अनिल नौटियाल—

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद चमोली में रा0उ0मा0 विद्यालय सलियाणी का उच्चीकरण कारगिल शहीद देवेन्द्र सिंह नेगी के नाम से किये जाने का कोई प्रकरण शासन के विचाराधीन है ?

यदि हाँ, तो कब तक उच्चीकरण हो जायेगा ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी—

जी हाँ।

वित्तीय संसाधनों के दृष्टिगत तथा मानकानुसार गुणावगुण के आधार पर यथासमय।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद अल्मोड़ा में प्रस्तावित रा0इ0 कालेज व रा0उ0मा0 विद्यालयों की स्थापना हेतु शासन में लम्बित प्रस्ताव

21—श्री कैलाश शर्मा—

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद अल्मोड़ा के कितने रा0इ0 कालेजों एवं रा0उ0मा0 विद्यालयों की स्थापना के जिला विद्यालय निरीक्षक अल्मोड़ा के माध्यम से प्राप्त कितने प्रस्ताव शासन के निर्णयाधीन लम्बित हैं ?

प्राप्त प्रस्तावों की स्वीकृति पर कब तक निर्णय ले लिया जायेगा ?

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी—

जनपद अल्मोड़ा के 18 रा0उ0मा0वि0 तथा 25 इण्टर स्तर पर उच्चीकरण के प्रस्ताव विचाराधीन हैं।

वित्तीय संसाधनों के दृष्टिगत मानकानुसार गुणावगुण के आधार पर यथाशीघ्र।

पिथौरागढ़ में जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा प्रस्तावित रा0इ0 व रा0हा0 स्कूल की संख्या

22—श्री प्रकाश पंत—

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र पिथौरागढ़ से कितने राजकीय इण्टर व राजकीय हाई स्कूलों की स्थापना हेतु प्रस्ताव जिला विद्यालय निरीक्षक के माध्यम से शासन को प्राप्त हुये हैं ?

यदि हाँ, तो क्या इन विद्यालयों की स्थापना कब तक कर दी जायेगी ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी—

विधान सभा क्षेत्र पिथौरागढ़ के 06 रा0उ0मा0वि0 तथा 02 इण्टर स्तर पर उच्चीकरण के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं।

वित्तीय संसाधनों के दृष्टिगत मानकानुसार गुणावगुण के आधार पर यथोचित निर्णय यथासमय।

प्रश्न नहीं उठता।

राज्य में कक्षा एक से कक्षा बारह तक की शिक्षा व्यवस्था में परिवर्तन

23—श्री मदन कौशिक—

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि क्या सरकार राज्य में कक्षा एक से कक्षा बारह तक की शिक्षा व्यवस्था में परिवर्तन करने जा रही है ?

यदि हाँ, तो वर्तमान तक किन—किन व्यवस्थाओं में परिवर्तन कर दिया गया है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी—

जी हाँ।

(1) प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा के एकीकृत संगठनात्मक स्वरूप के निर्धारण हेतु शासनादेश संख्या 713/माध्यमिक/2003 दिनांक 5—9—2003 के अनुसार विकास खण्ड स्तर पर खण्ड शिक्षा अधिकारी एवं 90 विकास खण्डों में उप खण्ड शिक्षा अधिकारी पद स्थापित किये गये।

(2) अकादमिक क्षेत्र में आगामी शिक्षा सत्र से कक्षा 9 में एन0सी0ई0आर0टी0 द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम लागू किये जाने हेतु आदेश निर्गत किये जा चुके हैं।

(3) शैक्षिक सत्र 2005—06 में परिषदीय/राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में कक्षा 1 से अंग्रेजी भाषा शिक्षण प्रारम्भ किये जाने हेतु आदेश निर्गत किये जा चुके हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

*श्री प्रकाश पंत—

मान्यवर, हमने एक सूचना नियम 311 में दी है।

श्री अध्यक्ष—

उसे मैं नियम 56 में सुन रहा हूँ।

जनपद उत्तरकाशी के ग्राम नौगांव को पर्यटन ग्राम घोषित करने के सम्बन्ध में याचिका

श्री प्रीतम सिंह पंवार–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी आज्ञा से जनपद उत्तरकाशी के ग्राम नौगांव को पर्यटन ग्राम घोषित करने के सम्बन्ध में श्री अमीन सिंह एवं अन्य निवासीगण, जनपद उत्तरकाशी द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूँ।

श्री अनिल नौटियाल–

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है। मान्यवर, जहां से हम विधान सभा में और सदन में प्रवेश करते हैं वहां पर जो बेंचें रखी हैं उनमें इतनी लम्बी–लम्बी कीलें हैं कि उससे मेरे दो कुर्ते फट गये हैं।

(हँसी)

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, इसे दिखवा लिया जायेगा।

जनपद नैनीताल के अन्तर्गत विकास खण्ड भीमताल की ग्राम पंचायत भद्यूनी के तोक मोरा में दो बरसाती नालों पर पुल निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में याचिका

*श्री नारायण सिंह जंतवाल–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद नैनीताल के अन्तर्गत विकास खण्ड भीमताल के ग्राम पंचायत भद्यूनी के तोक मोरा में दो बरसाती नालों पर पुल निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में श्री चतुर सिंह जीना एवं अन्य निवासीगण, जनपद नैनीताल द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूँ।

जनपद नैनीताल के क्षेत्र पंचायत भीमताल में ज्योलीकोट व खुर्पाताल में प्लास्टिक हाउस प्रोजेक्ट के अन्तर्गत ग्रीन हाउस प्रणाली के सम्बन्ध में याचिका

श्री नारायण सिंह जंतवाल–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद नैनीताल के क्षेत्र पंचायत भीमताल में ज्योलीकोट व खुर्पाताल में प्लास्टिक हाउस प्रोजेक्ट के अन्तर्गत ग्रीन हाउस प्रणाली लागू किये जाने के सम्बन्ध में श्री किशन सिंह एवं अन्य निवासीगण, जनपद नैनीताल द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूँ।

जनपद पौढ़ी गढ़वाल के अन्तर्गत लोक निर्माण विभाग दुगड्डा द्वारा निर्माणाधीन माण्डलू–ग्वील मोटर मार्ग के सुधारीकरण, चौड़ीकरण एवं अवशेष निर्माण कार्य पूर्ण किये जाने के सम्बन्ध में याचिका

श्रीमती विजय बड़थ्वाल–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद पौढ़ी गढ़वाल के अन्तर्गत लोक निर्माण विभाग दुगड्डा द्वारा निर्माणाधीन माण्डलू–ग्वील मोटर मार्ग के सुधारीकरण, चौड़ीकरण

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

एवं अवशेष निर्माण कार्य पूर्ण किये जाने के सम्बन्ध में श्री मथुरा प्रसाद एवं अन्य निवासीगण, जनपद पौड़ी गढ़वाल द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करती हूँ।

जनपद टिहरी गढ़वाल के बूढ़ाकेदार में पर्यटक विश्राम गृह निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में याचिका

*श्री बलबीर सिंह नेगी–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी आज्ञा से जनपद टिहरी गढ़वाल के अन्तर्गत पर्यटक विभाग नरेन्द्रनगर के अधीन स्थान बूढ़ाकेदार में पर्यटक विश्राम गृह निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में श्री किशन सिंह तोमर एवं अन्य निवासीगण, जनपद टिहरी गढ़वाल द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूँ।

जनपद पौड़ी गढ़वाल के स्थान चुना महेड़ा और जुड़ारोडियाल के मध्य मालन नदी पर झूला पुल बनाने के सम्बन्ध में याचिका

श्रीमती विजय बड़थ्वाल–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद पौड़ी गढ़वाल के स्थान चुना महेड़ा और जुड़ारोडियाल के मध्य मालन नदी पर झूला पुल बनाने के सम्बन्ध में श्री घमण्ड सिंह एवं अन्य निवासीगण, जनपद पौड़ी गढ़वाल द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करती हूँ।

जनपद चमोली के विकास खण्ड घाट ग्राम पंचायत कनौल के राजकीय जूनियर हाईस्कूल के उच्चीकरण के सम्बन्ध में याचिका

श्री महेन्द्र भट्ट–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से जनपद चमोली के विकास खण्ड घाट ग्राम पंचायत कनौल के राजकीय जूनियर हाईस्कूल के उच्चीकरण के सम्बन्ध में श्री गौर सिंह नेगी एवं अन्य निवासीगण, जनपद चमोली द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूँ।

नियम 301 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री अध्यक्ष–

आज नियम 301 के अन्तर्गत कुल 10 सूचनायें प्राप्त हुई हैं, इनमें से मैं श्री प्रीतम सिंह पंवार, श्री पुष्पेश त्रिपाठी, डा0 नारायण सिंह जंतवाल, श्री हरभजन सिंह चीमा, श्रीमती विजय बड़थ्वाल, श्री महेन्द्र प्रसाद भट्ट और श्री अनिल नौटियाल की सूचनाओं को नियम 301 के अन्तर्गत स्वीकार कर रहा हूँ, शेष सूचनायें अस्वीकार हुई।

जनपद उत्तरकाशी में यमुनोत्री में हुए भूस्खलन से क्षतिग्रस्त परिसम्पत्तियों के पुनर्निर्माण तथा ट्रीटमेन्ट शीघ्र कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री प्रीतम सिंह पंवार–

मान्यवर, दिनांक 27–7–2004 की आधी रात को यमुनोत्री मंदिर के पीछे स्थित कालिन्दी पर्वत से हुए भूस्खलन से हनुमान मंदिर, पूजा स्थल, गरम कुण्ड, दिव्य शिला, मुखार बिन्दु व द्रौपदी कुण्ड मलबे से क्षतिग्रस्त हुए हैं। भूस्खलन के मलबे से दबने के कारण टिन शेड में सो रहे स्थानीय 6 लोगों की दर्दनाक मौत हुई है।

माननीय मुख्यमंत्री जी ने मेरे अनुरोध पर क्षतिग्रस्त परिसम्पत्तियों के पुनर्निर्माण व सौन्दर्यीकरण तथा भूस्खलन क्षेत्र के ट्रीटमेंट के लिए तुरन्त एक करोड़ रुपये स्वीकृत किए थे तथा और अधिक धनराशि का आश्वासन भी दिया गया था।

11 मई, 2005 को यमुनोत्री के कपाट तीर्थयात्रियों के दर्शनार्थ खोले जा रहे हैं, किन्तु जिला प्रशासन व कार्यदायी संस्थाओं की उदासीनता व उपेक्षा के कारण ट्रीटमेन्ट व पुनर्निर्माण/सौन्दर्यीकरण कार्य प्रारम्भ नहीं कराये गये हैं, जिसको लेकर श्री पंच यमुनोत्री मंदिर समिति, पण्डा समाज, स्थानीय जनता तथा श्रद्धालुओं में भारी रोष व्याप्त है और सांस्कृतिक, धार्मिक विरासत तथा करोड़ों भारतीयों के आस्था के केन्द्र यमुनोत्री धाम के अस्तित्व को लेकर चिन्तित हैं।

यह प्रकरण व्यापक जनहित तथा करोड़ों भारतीयों की श्रद्धा व आस्था से जुड़ा हुआ है, इसलिए क्षतिग्रस्त परिसम्पत्तियों के पुनर्निर्माण/सौन्दर्यीकरण तथा ट्रीटमेन्ट कार्य को शीघ्र प्रारम्भ करवाया जाय।

अतः इस लोकमहत्व के प्रश्न को माननीय सदन के संज्ञान में लाकर प्रभावी कार्यवाही की मांग करता हूँ।

राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय द्वाराहाट, जनपद अल्मोड़ा को अनुदान एवं रिक्त पदों को भरे जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री पुष्पेश त्रिपाठी–

मान्यवर, सन् 2001 में राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय द्वाराहाट जनपद अल्मोड़ा को बी0एस0सी0 कक्षायें संचालित करने की स्वीकृति मिल चुकी थी लेकिन प्राध्यापकों, पुस्तकों हेतु अनुदान नहीं देने एवम् प्रयोगशाला उपकरणों के अभाव में अभी तक बी0एस0सी0 कक्षायें प्रारम्भ नहीं हो पाने, साथ ही कला संकाय में मुख्य विषय के रूप में अंग्रेजी, समाज शास्त्र व राजनीति शास्त्र के पद भी रिक्त होने से पर्वतीय क्षेत्रीय जनता के गरीब व योग्य बच्चों का भविष्य अंधकारमय हो चुका है, जिससे वहां की जनता आन्दोलन करने को तैयार है।

दो दशक से आज तक महाविद्यालय का अपना क्रीड़ा मैदान नहीं है और परिसर में केवल तारबाड़ होने के कारण वृक्षारोपण करने पर पौधे जीवित नहीं रह पा रहे हैं। इतना ही नहीं पेयजल की विकट समस्या अप्रैल तथा मई माह में विश्वविद्यालय की परीक्षा के समय देखने को मिलती है, जिस समय किराये के टैंकरों से पानी मंगवाना पड़ता है।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए सरकार से प्रभावी कार्यवाही की मांग करता हूँ।

जनपद नैनीताल के न्याय पंचायत ओखलढूँगा के गांवों से होकर जाने वाले काठगोदाम–हैड़ाखान मोटर मार्ग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री नारायण सिंह जंतवाल–

मान्यवर, मैं आपके संज्ञान में अविलम्बनीय लोक महत्व का प्रश्न लाना चाहता हूँ।

जनपद नैनीताल में विकास खण्ड भीमताल क्षेत्र के अन्तर्गत न्याय पंचायत ओखलढूँगा के दर्जनों गांवों के लोगों का मुख्य व्यवसाय फल, सब्जियां व दुग्ध उत्पादन है। काठगोदाम–हैड़ाखान, मोटर रोड से जुड़े सभी काश्तकारों को मोटर रोड पर भू–स्खलन (मालपा) से बरसात में काफी हानि उठानी पड़ती है। इस मार्ग के बन्द होने से ग्रामीणों का शेष सभी क्षेत्रों से सम्पर्क टूट जाता है तथा आवश्यकीय कार्यों एवं जरूरी सामान की उपलब्धता नहीं हो पाती है। उक्त प्रभावित स्थल बरसात में निरन्तर खिसकता रहता है। क्षेत्रवासियों द्वारा कई बार स्थल की सुरक्षा हेतु मांग की जाती रही है। हैड़ाखान व उसके आस–पास धार्मिक स्थलों व पर्यटन स्थलों में आने जाने में पर्यटकों को भी काफी असुविधा का सामना करना पड़ता है। प्रभावित स्थल की सुरक्षा से पर्यटकों एवं स्थानीय काश्तकारों को सुविधा होगी। कृषकों की आर्थिक स्थिति में गुणात्मक सुधार होगा। लम्बे समय से प्रभावित सड़क की सुरक्षा न होने से ग्रामीणों में निराशा व आक्रोश भी है।

अतः मैं शासन से मांग करता हूँ कि इस समस्या के समाधान हेतु प्रभावशाली कार्यवाही सुनिश्चित कर दें।

जनपद ऊधमसिंह नगर के काशीपुर के अन्तर्गत राधेहरि राजकीय महाविद्यालय के कला एवं विज्ञान संकाय के भवन निर्माण न होने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री हरभजन सिंह चीमा–

मान्यवर, जनपद ऊधमसिंह नगर के विधान सभा क्षेत्र काशीपुर के अन्तर्गत राधेहरि राजकीय महाविद्यालय द्वारा पूर्व में भेजे गए प्रस्ताव पर वित्त समिति उत्तरांचल शासन ने दिनांक 14 अक्टूबर 2004 को बैठक की, जिसमें महाविद्यालय के कला एवं विज्ञान संकाय के भवन निर्माण हेतु 543.62 लाख रुपये के प्रस्ताव पर सहमति दी गई थी। लेकिन आज तक उक्त महाविद्यालय में भवन निर्माण कार्य नहीं हो पा रहा है। जिससे वहां के छात्र–छात्राओं का अध्ययन व भविष्य प्रभावित हो रहा है।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर सदन का ध्यान आकर्षित करते हुए चर्चा की मांग करता हूँ।

जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत हरिद्वार बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित गरुड़चट्टी में दो लेन मोटर पुल का निर्माण न होने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्रीमती विजय बड़थ्वाल–

मान्यवर, जनपद पौड़ी गढ़वाल के विकास खण्ड यमकेश्वर, विकास खण्ड द्वारीखाल एवं विकास खण्ड द्वारीखाल से जनपद देहरादून को जाने वाला एक मात्र मार्ग कांडी–लक्ष्मणझूला मार्ग ऋषिकेश में बैराज पुल से जाता है। बैराज पुल से जहां वाहनों को राष्ट्रीय पार्क से गुजरना पड़ता है वहीं लगभग 25 कि0मी0 की अधिक दूरी भी तय करनी पड़ती है। इन असुविधाओं को ध्यान में रखते हुए 12 फरवरी, 2004 को हरिद्वार–बद्रीनाथ राष्ट्रीय राज मार्ग पर स्थान गरुड़चट्टी में दो लेन मोटर पुल का शिलान्यास कर दिया गया था। उक्त पुल के लिए लगभग 9 करोड़ 38 लाख रुपया स्वीकृत है। लेकिन एक वर्ष से अधिक समय होने के बाद भी अभी तक मोटर पुल का

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

निर्माण प्रारम्भ नहीं हो पाया है। इसके लिए क्षेत्रीय जनता कई बार आन्दोलन कर चुकी है और निर्माण न होने पर उग्र आन्दोलन की चेतावनी भी सरकार को दे चुकी है। अतः लोक महत्व की अविलम्बनीय सूचना पर सदन का ध्यान आकर्षित करते हुए उचित कार्यवाही करने की प्रबल मांग करती हूँ।

जनपद चमोली के उडामाडा पाट्यू चोपड़ा मोटर मार्ग का प्रधानमंत्री सड़क योजना के अन्तर्गत निर्माण न होने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री महेन्द्र भट्ट–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान जनपद चमोली के उडामाडा पाट्यू चोपड़ा मोटर मार्ग के प्रधानमंत्री सड़क योजना के अन्तर्गत सर्वे होने के बाद भी सड़क निर्माण कार्य भी अग्रिम कार्यवाही न होने से क्षेत्र में व्याप्त जनाक्रोश की ओर दिलाना चाहता हूँ। महोदय, लगभग 5 हजार की आबादी का यह क्षेत्र जिसमें रौता, सिनाऊमल्ला, सिनाऊतल्ला, गोदिगिवाला, तमुण्डी, थोण्डी, काण्डेयखाला, इज्जर, सिमखेली, मालकोटीसेर बडेथ, डुकासेरा चोपड़ा, विक्रमखोली सहित लगभग 25 ग्राम आते हैं, में यातायात व्यवस्था आजादी के इतने वर्षों बाद भी न होने से लोगों में आक्रोश व्याप्त है। महोदय, वर्ष 2004–05 में ग्राम्य विकास विभाग द्वारा प्रधानमंत्री सड़क योजना के अन्तर्गत उक्त सड़क का सर्वे कराया परन्तु सड़क निर्माण के सम्बन्ध में अग्रिम कार्यवाही अभी तक नहीं की गई। वर्तमान समय में उक्त मार्ग निर्माण के लिए ब्लाक मुख्यालय पर धरना चल रहा है। महोदय, जनता आंदोलित है, यह एक अविलम्बनीय लोक महत्व का विषय है। अतः सदन का ध्यान आकृष्ट करते हुए कार्यवाही की मांग करता हूँ।

जनपद चमोली के कर्णप्रयाग वि0ख0 में नौली बाजार के बीच बने झूला पुल की स्थिति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अनिल नौटियाल–

मान्यवर, जनपद चमोली के कर्णप्रयाग विकास खण्ड में नौली बाजार के बीच में बने झूला पुल की स्थिति अत्यन्त दयनीय बनी हुई है जबकि इस झूला पुल से लगभग 8–10 गांवों के लोगों का प्रतिदिन आवागमन होता है। इससे पूर्व इस पुल पर लगभग 12 लोग घायल हो चुके हैं तथा हमेशा ही कोई बड़ी दुर्घटना होने की सम्भावना बनी रहती है। इसके निर्माण के लिये क्षेत्रवासी कई बार शासन एवं विभाग को लिख चुके हैं किन्तु अभी तक इस पर कोई कार्यवाही नहीं की गई है। जिससे क्षेत्रवासियों में भारी आक्रोश व्याप्त हो रहा है। अतः इस अविलम्बनीय लोकमहत्व के प्रश्न पर ध्यान आकर्षित करते हुए शीघ्र कार्यवाही की मांग करता हूँ।

कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिश

श्री अध्यक्ष–

कार्यमंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 29 मार्च, 2005 की बैठक में दिनांक 30 मार्च, 2005 से 12 अप्रैल, 2005 तक के उपवेशनों का कार्यक्रम निम्नलिखित रूप में रखे जाने की सिफारिश की है :–

मार्च, 2005

30 बुधवार	अनुदान संख्या–11 शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति विभाग की अनुदान पर मांग, चर्चा एवं मतदान।

	अनुदान संख्या–16 श्रम और रोजगार विभाग की अनुदान पर मांग, चर्चा एवं मतदान।
	अनुदान संख्या–12 चिकित्सा एवं परिवार कल्याण विभाग की अनुदान पर मांग, चर्चा एवं मतदान।
	अनुदान संख्या–08 आबकारी विभाग की अनुदान पर मांग, चर्चा एवं मतदान।
	अनुदान संख्या–24 परिवहन विभाग की अनुदान पर मांग, चर्चा एवं मतदान।
31 गुरूवार	(बैठक नहीं होगी)
अप्रैल, 2005	
1 शुक्रवार	अनुदान संख्या–15 कल्याण योजनाओं से सम्बद्ध विभाग की अनुदान पर मांग, चर्चा एवं मतदान। अनुदान संख्या–30 अनुसूचित जातियों का कल्याण से सम्बन्धी अनुदान पर मांग, चर्चा एवं मतदान। अनुदान संख्या–31 अनुसूचित जनजातियों का कल्याण से सम्बन्धी अनुदान पर मांग, चर्चा एवं मतदान। अनुदान संख्या–25 खाद्य विभाग की अनुदान पर मांग, चर्चा एवं मतदान। अनुदान संख्या–27 वन विभाग की अनुदान पर मांग, चर्चा एवं मतदान। अनुदान संख्या–06 राजस्व एवं सामान्य प्रशासन विभाग की अनुदान पर मांग, चर्चा एवं मतदान। अनुदान संख्या–17 कृषि कर्म एवं अनुसंधान विभाग की अनुदान पर मांग, चर्चा एवं मतदान।
2 शनिवार (नियमों को शिथिल करते हुए)	असरकारी दिवस (पूरा दिन) 1. विगत सत्रों के लम्बित संकल्पों पर चर्चा एवं मतदान। 2. वर्तमान सत्र के संकल्पों का प्रस्तुतीकरण, चर्चा एवं मतदान। 3. असरकारी विधेयक का पुरःस्थापन। 4. नियम–103 के लम्बित एवं वर्तमान सत्र में प्राप्त प्रस्तावों पर चर्चा एवं मतदान
3,4,5,6,7,8,9 एवं 10 अप्रैल, 2005	(बैठक नहीं होगी)
11 सोमवार	1. विधायी कार्यः– दून विश्वविद्यालय विधेयक, 2005 का विचार एवं पारण। (आधा घंटा) 2. अनुदान संख्या–18 सहकारिता विभाग की अनुदान पर मांग, चर्चा एवं मतदान। अनुदान संख्या–28 पशुपालन सम्बन्धी कार्य विभाग की अनुदान पर मांग, चर्चा एवं मतदान।

अनुदान संख्या–23 उद्योग विभाग की अनुदान पर मांग, चर्चा एवं मतदान।

अनुदान संख्या–29 उद्यान विभाग की अनुदान पर मांग, चर्चा एवं मतदान।

अनुदान संख्या–13 जलापूर्ति, आवास एवं नगर विकास विभाग की अनुदान पर मांग, चर्चा एवं मतदान।

अनुदान संख्या–19 ग्राम्य विकास विभाग की अनुदान पर मांग, चर्चा एवं मतदान।

अनुदान संख्या–20 सिंचाई तथा बाढ़ विभाग की अनुदान पर मांग, चर्चा एवं मतदान।

अनुदान संख्या–26 पर्यटन विभाग की अनुदान पर मांग, चर्चा एवं मतदान।

12 मंगलवार 1. अनुदान संख्या–01 विधान सभा की अनुदान पर मांग, चर्चा एवं मतदान। (विवाद नहीं होगा)

अनुदान संख्या–03 मंत्रि परिषद् की अनुदान पर मांग, चर्चा एवं मतदान। (विवाद नहीं होगा)

अनुदान संख्या–14 सूचना विभाग की अनुदान पर मांग, चर्चा एवं मतदान।

अनुदान संख्या–22 लोक निर्माण विभाग की अनुदान पर मांग, चर्चा एवं मतदान।

अनुदान संख्या–04 न्याय प्रशासन विभाग की अनुदान पर मांग, चर्चा एवं मतदान। (विवाद नहीं होगा)

अनुदान संख्या–05 निर्वाचन विभाग की अनुदान पर मांग, चर्चा एवं मतदान।

अनुदान संख्या–07 वित्त, कर नियोजन, सचिवालय तथा अन्य सेवाएं विभाग की अनुदान पर मांग, चर्चा एवं मतदान।

अनुदान संख्या–10 पुलिस एवं जेल विभाग की अनुदान पर मांग, चर्चा एवं मतदान।

अनुदान संख्या–21 ऊर्जा विभाग की अनुदान पर मांग, चर्चा एवं मतदान।

2. विनियोग विधेयक, 2005 का पुरःस्थापन विचार एवं पारण।

संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती इंदिरा हृदयेश)–

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करती हूँ कि कार्यमंत्रणा समिति की सिफारिश, जिसकी सूचना माननीय अध्यक्ष जी ने सदन को दी है, से यह सदन सहमत है।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी ने जो प्रस्ताव रखा है, से यह सदन सहमत है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

जनपद हरिद्वार के घिस्सूपुरा मामले में नेता प्रतिपक्ष द्वारा सदन में गलत बयानी के सम्बन्ध में विशेषाधिकार हनन की मौखिक सूचना

*श्री सुबोध उनियाल–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है। मैं एक नोटिस का जिक्र करना चाहता हूँ। आपने निश्चित रूप से इसमें निर्णय लिया होगा। मान्यवर, यह माननीय नेता प्रतिपक्ष से सम्बन्धित है। (घोर व्यवधान)

(भारतीय जनता पार्टी के श्री अजय भट्ट, श्री प्रकाश पन्त, श्री मदन कौशिक अपने–अपने स्थान पर खड़े होकर एक साथ अपनी–अपनी बात कहने लगे।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

मान्यवर, यह पत्र घिस्सूपुरा की घटना से सम्बन्धित है। जैसा कि यहां पर माननीय नेता प्रतिपक्ष द्वारा कहा गया कि मुझे होली के अवसर पर वहां के ग्राम प्रधान द्वारा आमंत्रित किया गया था। परन्तु मान्यवर, वहां के ग्राम प्रधान का पत्र हमें प्राप्त हुआ है, जिसमें उन्होंने शपथ पत्र के साथ कहा है कि माननीय नेता प्रतिपक्ष द्वारा सदन को गुमराह किया गया है। (घोर व्यवधान)

(भारतीय जनता पार्टी के सभी माननीय सदस्य केवल नेता प्रतिपक्ष को छोड़कर अपनी–अपनी सीट पर खड़े हो गये।)

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, जब यहां पर पेपर का संज्ञान नहीं लिया जाता है तो फोटो स्टेट पत्र का संज्ञान कैसे लिया जा सकता है।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, माननीय नेता प्रतिपक्ष ने जिस ग्राम प्रधान का नाम यहां पर लिया था कि "उनके निमंत्रण पर मैं वहां गया" मान्यवर, उन्हीं ग्राम प्रधान का पत्र प्राप्त हुआ है। यह विशेषाधिकार सदन की गरिमा और अवमानना का प्रश्न है यदि यह पत्र सत्य है कि उन्होंने माननीय नेता प्रतिपक्ष को आमंत्रित नहीं किया है, परन्तु माननीय नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि सम्बन्धित ग्राम प्रधान ने उन्हें आमंत्रित किया था। मान्यवर, जो पत्र ग्राम प्रधान ने भेजा है संभवतः माननीय सदस्य ने उसी का संज्ञान लिया है। मान्यवर, यदि सदन में कोई भी सूचना गलत है और वह किसी माननीय सदस्य, शासन द्वारा या माननीय नेता प्रतिपक्ष द्वारा दी गयी हो तो विशेषाधिकार हनन का प्रश्न बनता है। मान्यवर, इसको सदन की अवमानना के रूप में स्वीकार करने की कृपा करें।

(घोर व्यवधान)

श्री सुबोध उनियाल–

मान्यवर, यदि आज्ञा हो तो मैं उस पत्र को यहां पर पढ़कर सुनाता हूँ।

(भारतीय जनता पार्टी के सभी माननीय सदस्य केवल नेता प्रतिपक्ष को छोड़कर अपने–अपने स्थानों पर खड़े हो गये।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

मान्यवर, यह पत्र माननीय अध्यक्ष महोदय, विधान सभा देहरादून को सम्बोधित है। जिसमें ग्राम प्रधान डा0 अब्दुल समद ने लिखा है कि जिसमें उन्होंने दिनांक 29–3–2005 को प्रकाशित दैनिक अखबारों में कि श्री मातबर सिंह कण्डारी नेता प्रतिपक्ष द्वारा दिये गये बयान कि मैंने उन्हें धिस्सूपुरा में बुलाया था का खण्डन करते हुए घोर आपत्ति की है।

(माननीय नेता प्रतिपक्ष को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी के सभी माननीय सदस्यों के अपने स्थान पर खड़े होकर एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

*श्री भगत सिंह कोश्यारी–

मान्यवर, आप इस पत्र को स्वीकार....... मान्यवर, मैं तो चर्चा के लिए तैयार हूँ। मान्यवर, प्रेसीडेंस न बनायें, नहीं तो मैं समझता हूँ कि अच्छा नहीं होगा।

(घोर व्यवधान)

*श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, हरिद्वार की स्थिति खराब करना चाहते हैं, वहां साम्प्रदायिक दंगा कराना चाहते हैं।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, एक मिनट मुझे दे दें। मान्यवर, उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम–63 में है कि किसी सदस्य के, अथवा सदन के, अथवा उसकी किसी समिति के विशेषाधिकार भंग या अवमानना के प्रश्न को अध्यक्ष की सम्मति से.......

श्री भगत सिंह कोश्यारी–

मान्यवर, यह हमारे अधिकार का हनन है। आपने व्यवस्था का प्रश्न उठा रखा है और विशेषाधिकार की बात कर रहे हैं। मान्यवर, जानबूझकर अव्यवस्था करना चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष–

विशेषाधिकार हनन की नोटिस लिखित में दें, मैं देख लूंगा।

विभिन्न विभागों के आय–व्ययक के अनुदान सम्बन्धी साहित्य के समय पर न मिलने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री हरबंस कपूर–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है। मान्यवर, आज आय–व्ययक के अनुदानों की चर्चा होने की बात है। जबकि परिपाटी यह है कि 48 घण्टे पूर्व सामग्री उपलब्ध कराई जाती है, लेकिन अभी तक किसी भी अनुदानों के ऊपर सामग्री उपलब्ध नहीं कराई गई है।

श्री अध्यक्ष–

इसको गम्भीरता से लें, पहले उपलब्ध होना चाहिए था।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, आज जितने भी मद आये हैं, उन्हें दो दिन खिसका दें।

---

*वक्ताओं ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष–

इसको गम्भीरता से लिया जायेगा।

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, यह विषय हर समय उठता है इससे हमको असुविधा होती है।

श्री अध्यक्ष–

इसको गम्भीरता से लिया जाये।

कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचनायें

श्री अध्यक्ष–

आज नियम 56 के अन्तर्गत 13 सूचनायें प्राप्त हुई हैं जिनमें से श्रीमती विजय बड़थ्वाल और श्री महेन्द्र प्रसाद भट्ट जी की सूचना को मैं ग्राह्यता पर सुन रहा हूँ। शेष सूचनाओं को अस्वीकृत करता हूँ। इनके अतिरिक्त भारतीय जनता पार्टी के मा0 विधायकों ने वैट के सम्बन्ध में तथा श्री प्रेमानन्द महाजन जी ने ईस्टर फैक्ट्री, खटीमा में श्रमिकों द्वारा किये जा रहे आन्दोलन के सम्बन्ध में 311 में जो सूचनायें दी हैं, मैं इनको नियम 56 में ग्राह्यता पर सुन रहा हूँ।

श्रीमती विजय बड़थ्वाल–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से एक अहम विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहती हूँ, सरकार को आज की कार्यवाही को रोककर इस विषय पर चर्चा कराये जाने की मांग करती हूँ। मान्यवर, विधान सभा क्षेत्र यमकेश्वर जनपद पौड़ी गढ़वाल के मल्ला गंगा भोगपुर, तल्ला–गंगा भोगपुर, कुनाव लक्ष्मण झूला लगभग 50 गाँव राजा जी नेशनल पार्क के सीमावर्ती गाँव हैं। मान्यवर, यहाँ की जनता ने वनों के संरक्षण के लिए, वनों को बचाने के लिए पूरी तरह प्रयास किया और आज हम इस स्थिति में हैं कि उत्तरांचल में एक बड़ा भूभाग जंगल का है। मान्यवर, जब पर्यावरण की बात आती है तो हिमालयी राज्य उत्तरांचल भी इसके अन्तर्गत आता है। मान्यवर, इन वनों के कारण जो यहाँ पर रह रहे हैं उनकी मूलभूत आवश्यकतायें बिजली, पानी, सड़क जो अवस्थापना की सुविधा होती हैं वह बाधित हो रही हैं। मान्यवर, राज्य सरकार इन गांवों के लिए, जो गांव इसके आस पास आते हैं उनकी सुख सुविधा के लिए, उनकी मूलभूत आवश्यकताओं के लिए कोई प्रयास नहीं कर रही है। मान्यवर, उनके जंगलों को पार्क में परिवर्तित कर दिया गया है। पर्वतीय क्षेत्र के लोगों का जंगल से और जल से गहरा नाता है इनके जो हक हकूक, खनन सम्बन्धी रेता बजरी आदि जो जंगलों से प्राप्त होती है वह बंद है। जंगल में कहीं पर पानी के स्रोत हैं तो वह उसे नहीं ले सकते हैं पार्क के कर्मचारी और सरकार भी इसकी इजाजत नहीं देती है। ये लोग इन पार्कों से प्रभावित हैं। मान्यवर, मैं जानना चाहती हूँ कि इनको ये सुविधायें किस तरह उपलब्ध होंगी। कई सालों से ये लोग वहां पर रह रहे हैं। अगर ये लोग घर से बाहर कदम रखते हैं तो वह राजा जी पार्क में आते हैं। इनको कोई हाथी मारता है या इनकी खेती को नष्ट करता है तो इनको मुआवजा नहीं दिया जाता है।

मान्यवर, वहां के लोग चाहते हैं कि सरकार इस पर पहल करे। इन क्षेत्रों को इस तरह मानव विहीन न बनाया जाये। पूरे सदन की कार्यवाही को रोक कर इस पर

चर्चा कराई जाये क्योंकि हमारे क्षेत्र में ही नहीं पूरे उत्तरांचल में जितने भी हमारे राष्ट्रीय पार्क हैं उससे सभी लोग प्रभावित हो रहे हैं। सदन में आज की कार्यवाही को रोककर इस पर चर्चा करायी जाये। प्रदेश सरकार को सुप्रीम कोर्ट में भी पहल करनी चाहिए। जो गाँव पूरी तरह से प्रभावित हैं उनको पार्क से हटा दिया जाये और खासकर मेरे क्षेत्र में यहां 55–60 गांव प्रभावित हो रहे हैं। इस सदन के माध्यम से प्रस्ताव जाना चाहिए। एक जनहित याचिका भी सुप्रीम कोर्ट में सरकार की ओर से दायर की जानी चाहिए। ताकि यहां के लोगों की मूलभूत आवश्यकताएं पूरी हो सकें, मैं आपके माध्यम से इस पर चर्चा कराने की मांग करती हूँ।

वन एवं पर्यावरण मंत्री (श्री नव प्रभात)–

मान्यवर, माननीय सदस्या ने जो नोटिस दिया है वह राजाजी नेशनल पार्क से सम्बन्धित है। 12 अगस्त, 1983 को इसकी अधिसूचना जारी हुई थी। 5 फरवरी, 1986 को जिलाधिकारी पौड़ी गढ़वाल के द्वारा इस विषय में सुनवाई करके अपना अन्तिम निर्णय दिया गया। माननीय सदस्या की जानकारी को मैं थोड़ा सा स्पष्ट करना चाहूँगा। आपने जिक्र किया है कि गंगा भोगपुर तल्ला और गंगा भोगपुर मल्ला ये दो गांव पार्क का भाग नहीं हैं। इनको पार्क से बाहर रखा गया है। इनकी भौगोलिक परिस्थितियां ऐसी हैं कि ये चारों तरफ पार्क से घिरे हुए हैं। कुनाव गोठ वास्तव में लैंसडाउन वन प्रभाग द्वारा आरक्षित वन भूमि पर दी गयी लीज थी जो 36 परिवारों को कुल 7.34 हेक्टेयर करीब 7.5 हेक्टेयर से कम भूमि लीज पर दी गयी थी। बाद में जिलाधिकारी ने इसे रद्द कर दिया था और उसका प्रतिकर भी उनको प्रदान कर दिया गया था। जो गांव पार्क के समीप स्थित हैं वह हैं–वणांस मल्ला, वणांस तल्ला, रामजी वाला, धारकोट, किपसार, अमोला, तछला, कचुण्डा, देवराणा, काण्डेई, सेला, काटल, गुडगाव, धुन, निसूणी, इरोली, बूखंडी, खुबरगड्डी, आमकाटल, तोलसारी, संझपुरी, तिलयारी, बादनी, सजदा, खरोडा, नियोगी, मरोड़ा, कंतरा, तिमली, कांडाखाल, कसांड जुगयांणा, भुमियासार, कड़कोट, खालातन, हल्दून, जेरासी, बबरों, नितलीखाल, केष्ता, मिलौणी, कंडार, पीपल डांडी, बनेर गांव, हरसोली सिलडी, लमखेता, जेरसरी, माला, चोपड़ा। मान्यवर, ये गांव इस पार्क की सीमा पर स्थित हैं। ये भी पार्क का भाग नहीं हैं वे इससे बाहर हैं। सिर्फ इस क्षेत्र में जो वन क्षेत्र हैं वह लैंसडाउन के अन्तर्गत आता है। यह राजाजी नेशनल पार्क के प्रशासनिक नियंत्रण में हैं। इस कारण उनके ऊपर भी वही नियम लागू होते हैं जो आरक्षित वन क्षेत्र में लागू होते हैं। इनके हक–हकूक का प्रतिकर दिया भी जा चुका है और जमा भी किया जा चुका है।

जहां तक मूलभूत सुविधाओं का प्रश्न है इन गांवों के सम्बन्ध में अभी लगभग 6 नई योजनाओं को स्वीकृति दी गयी है। जो माननीय सदस्या की जानकारी में हैं। आप चाहें तो मैं संक्षेप में बता सकता हूँ। स्वर्गाश्रम लक्ष्मण झूला पेयजल योजना भी इसके अन्तर्गत आती है, मराल पुनर्गठन योजना भी इसके अन्तर्गत आती है, घट्टूगाड़ पेयजल योजना तथा पुन्डरासू पेयजल योजना भी इसके अन्दर हैं नोटखाल से मालाकोट मोटर मार्ग भी इस पार्क के एरिया के अन्दर या उससे लगा हुआ है। इन सबको पूर्ण करने का प्रयास हमारा है। चूंकि इन वन क्षेत्र में कार्य करने की अनुमति हमें केन्द्र सरकार से लेनी पड़ती है इसके अतिरिक्त कोई भी विकास योजना जो इससे प्रभावित हो वह हमारे पास

नहीं है। माननीय सदस्या ने एक बात और कही और मैं भी उससे सहमत हूँ कि पार्क को मानव विहीन बनाया जाना चाहिए। वहां पर दो गांव हैं तल्ला भोगपुर और मल्ला भोगपुर वहां पर करीब 180 परिवार रहते हैं और 486 हेक्टेयर भूमि उनकी है। यदि इन गांवों के लोग सहमत हो जाते हैं तो मैं माननीय सदस्या के जरिये सुझाव देना चाहूंगा उन लोगों को। मान्यवर, इसी तरह की स्थिति जिम कार्बेट पार्क में भी आई थी वहां पर 3 गांव थे, जो आपके भी संज्ञान में होगा, उन्हें वहां से विस्थापित किया गया वह भी पार्क के बाहरी इलाकों में ही थे। इसी तरह यदि भोगपुर तल्ला और भोगपुर मल्ला के लोग भी ऐसा करें तो उनकी जमीन चेंज की जा सकती है, और वे यदि इस क्षेत्र से बाहर जाना चाहते हैं तो हम निश्चित ही उनकी मदद करेंगे। चूंकि विषय अविलम्बनीय भी नहीं है इसलिए मैं अनुरोध करूंगा कि इसे अग्राह्य किया जाय।

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्या श्रीमती विजया बड़थ्वाल एवं माननीय वन मंत्री जी को सुनने के बाद मैं इस सूचना को अग्राह्य करता हूँ।

(व्यवधान)

श्री प्रकाश पंत–

श्रीमन्, आपने एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर कार्य स्थगन की सूचना को स्वीकार किया और ग्राह्यता पर सुनने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ।

श्रीमन्, आज पूरे उत्तरांचल में सभी व्यवसायिक प्रतिष्ठान 72 घंटे के लिए बन्द कर दिये गये हैं और इन व्यापारिक प्रतिष्ठानों को अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मण्डल, फैडरेशन ऑफ ऑल इण्डिया ट्रेडर्स ने इस बन्द का आह्वान किया है। इन संगठनों द्वारा आह्वान किया गया कि उत्तरांचल के सभी व्यापारिक प्रतिष्ठान को बन्द कर देंगे और आज वह बन्द होने से दैनिक उपभोग की जो वस्तुयें हैं वह आम आदमी को नहीं मिल पा रही हैं। मान्यवर, इससे दुग्ध उत्पादों के मूल्य बढ़ गये हैं और फल तथा सब्जियों के दाम दोगुने से तीन गुने तक बढ़ गये हैं और आज कहीं पर डीजल और पेट्रोल नहीं मिल पा रहा है। विचारणीय विषय यह है कि आह्वान करने वाले संगठनों ने एक माह पहले ही इसकी सूचना उत्तरांचल सरकार को दे दी थी लेकिन उत्तरांचल सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया। उन संगठनों ने सरकार से यह कहा था यदि सरकार अपनी नीति स्पष्ट नहीं करेगी तो एक अप्रैल से सरकार वैट को लागू करेगी तो हम उसके विरोध स्वरूप 1 अप्रैल से 72 घंटे पहले अपने व्यापारिक प्रतिष्ठानों को बन्द कर देंगे। लेकिन सरकार ने इस सम्बन्ध में गम्भीरता से कोई विचार नहीं किया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने नैनीताल में बयान दिया कि वैट लागू नहीं होगा और यह सब अखबारों के माध्यम से सबके सामने आया लेकिन सदन के अन्दर माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि उन्होंने यह बात एक साधारण चर्चा के दौरान कही और इस बात को स्पष्ट नहीं किया कि सरकार की वैट के बारे में स्पष्ट नीति क्या है।

मान्यवर, यह जो वैट वैल्यू एडडअवस जिसका विरोध सभी व्यापारी भाई कर रहे हैं, इस पर सदन में भी विचार करना चाहिए। मान्यवर, इसका सीधा सम्बन्ध उपभोक्ता

से है। यह व्यापारियों से सम्बन्धित तो है ही लेकिन उपभोक्ताओं से भी जुड़ा है। क्योंकि इसके लागू हो जाने के बाद जो परिणाम सामने आयेंगे, उनमें पहला है, अल्पकाल में वस्तुओं के बाजार मूल्य पर क्या घटित होगा, यह विचार करने का विषय है। दूसरा, जो वैट श्रृंखला के प्रतिभागी हैं, उनके आचार–व्यवहार में क्या परिवर्तन होगा। इस वैट श्रृंखला में निर्माता अन्तर्राज्यीय डीलर, प्रथम स्थानीय डीलर, द्वितीय स्थानीय डीलर तथा अन्त में उपभोक्ता आता है। इस सम्बन्ध में विस्तृत विचार–विमर्श किये जाने की आवश्यकता है। क्योंकि दिल्ली में इसके दुष्परिणाम देखने को मिल रहे हैं। इसके लागू होने के बाद अल्पकाल में जो अन्तिम स्टाक उपलब्ध होगा, उसके मूल्य में वृद्धि होगी, इस बारे में जानकारी देनी चाहिए। क्योंकि इसमें कम से कम एक अन्तर्राज्यीय लेन–देन होगा। यदि इस एक अन्तर्राज्यीय लेन–देन को लेकर चलें तो यदि किसी वस्तु की 100 रुपये निर्माण लागत है तो उस पर 20 रुपया मार्जिन मनी और 4 प्रतिशत सी0एस0टी0 और एल0एस0टी0 लगाकर यह 124.80 रुपये में निर्माता बाजार में देगा। इसके बाद 20 प्रतिशत मार्जिन मनी और 12 प्रतिशत सी0एस0टी0 और एल0एस0टी0 लगने के बाद यह 162.18 रुपये में अन्तर्राज्यीय डीलर द्वारा दी जाएगी। प्रथम स्थानीय डीलर पर वैट नहीं लगता, तो 20 प्रतिशत मार्जिन मनी के बाद यह 182.18 रुपये में उसको मिलेगी। द्वितीय स्थानीय डीलर पर भी वैट नहीं लगेगा, तो 20 प्रतिशत मार्जिन मनी के बाद यह 202.18 रुपये में उसके द्वारा उपभोक्ता को बेची जाएगी। यदि वैट लागू हो जाता है तो वही वस्तु 207.90 रुपये में आम उपभोक्ता तक पहुँचेगी।

मान्यवर, वैट के कारण जो 2.83 प्रतिशत की वृद्धि उस वस्तु की कीमत पर होगी, उसका सीधा परिणाम आम उपभोक्ता को भुगतना होगा। वैट लागू हो जाने के पश्चात् अन्तर्राज्यीय डीलर अपने माल पर लगभग 0.45 प्रतिशत टैक्स लगा कर बेचेगा, जिसका अन्तर 0.72 रुपये आता है। प्रथम स्थानीय डीलर पर वैट लगने के बाद 1.77 प्रतिशत का टैक्स लगेगा, जिसका अन्तर 5.22 रुपये प्रति 100 रुपये में आता है। द्वितीय स्थानीय डीलर वैट लगने के बाद 2.83 प्रतिशत अतिरिक्त टैक्स देगा, इस प्रकार 100 रुपये की वस्तु आज 202.18 रुपये में बेची जाती है, के स्थान पर 207.90 रुपये में उपभोक्ता को मिल पायेगी। अर्थात् इसमें लगभग 2.83 प्रतिशत की वृद्धि होगी। मान्यवर, वैट के कारण जो 2.83 प्रतिशत की वृद्धि उस वस्तु की कीमत में होगी, यह कीमत आम उपभोक्ता से वसूल की जाएगी। आज व्यापारी यहां पर बन्द कर रहे हैं, तो उसके पीछे उनका तो दर्द है ही साथ ही आम उपभोक्ता का भी दर्द है। आम उपभोक्ता के लिए जरूरी चीजें महंगी हो जाएगी। आज जनता यह चाहती है कि सरकार जनता के पक्ष में खड़ी हो और कहे कि हम अपने यहां वैट को लागू नहीं करेंगे। मान्यवर, सरकार यह कह सकती है कि यह हमने लागू नहीं किया है किन्तु उस करार पर हस्ताक्षर किसने किये हैं ? जब सदन में विस्तृत रूप से चर्चा होगी तो तब सामने आयेगी यह किसके हित में, और किसके इशारों पर यह हो रहा है। मान्यवर, इससे महत्वपूर्ण विषय आज और कोई हो नहीं सकता। आज जनता इससे प्रभावित है, त्राहि–त्राहि कर रही है इसलिए मैं चाहूँगा कि आज सदन की सारी कार्यवाही रोककर इस पर विस्तृत चर्चा कराई जाए।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, आपने मुझे एक महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का अवसर प्रदान किया इसके लिए आपको बहुत–बहुत धन्यवाद। सारी बातें माननीय सदस्य श्री प्रकाश पंत जी द्वारा बताई जा चुकी हैं फिर भी मैं कुछ एक बातों की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना

चाहूँगा। आज जहां पूरा देश तो वैट के कारण उद्वेलित था ही, वहीं हमारा प्रदेश भी इससे उद्वेलित है। हम इस विषय को सदन में न लाते यदि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो घोषणा हल्द्वानी में की, यदि वह घोषणा सदन में कर देते और उस पर सदन की मुहर लग जाती।

मान्यवर, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो बातें बाहर कहीं और साधारण चर्चा के दौरान जो बातें कहीं, उससे आज पूरा व्यापारी चिन्तित है और उनका चिन्तित होना लाजिमी भी है क्योंकि यह एक ऐसा महत्वपूर्ण बिन्दु है जिससे न केवल व्यापारी बल्कि अन्तत्वोगत्वा इसका असर आम उपभोक्ताओं पर भी पडेगा। कोई चीज दिल्ली से 100 रुपये में यहां पर आती है तो वह यहां पर आते–आते उसका दाम 150 रुपये हो जायेगा। मान्यवर, हमारे देश में यूरोपीय कंट्रियों की दादागिरी चल रही है। डब्लू0टी0ओ0 द्वारा जो योजना बनाई गई और उस योजना पर हस्ताक्षर तत्कालीन प्रधानमंत्री स्व0 नरसिम्हा राव जी द्वारा किये गये उसी का परिणाम आज सभी भुगत रहे हैं, बाद की सरकारों ने इसको रिफार्म किया। जिस रूप में डब्लू0टी0ओ0 द्वारा योजना बनाई गई है यदि उसे उसी रूप में स्वीकार किया जाता तो हमारे देश के व्यापारियों को बहुत अधिक नुकसान होगा। लेकिन आज वर्तमान केन्द्र सरकार इसे उसी परफार्म में पुनः लागू करने की बात कह रही है। किन्तु भारतीय जनता पार्टी द्वारा, भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में इसे लागू न करने की बात कही गई है। अब आप यह कह सकते हैं कि उस वक्त जब वैट पर हस्ताक्षर किये गये थे तो केन्द्र में उस वक्त भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तो फिर आज इसे लागू करने में वही सरकार क्यों विरोध कर रही है। इस सम्बन्ध में अवगत कराना चाहता हूँ कि डब्लू0टी0ओ0 की जो प्रथम बार बैठक हुई और बैठक के बाद जो योजना का परफार्मा बना उस पर हस्ताक्षर तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री नरसिंह राव के थे। तो मान्यवर, ऐसा नहीं है। कई बार सरकार का यह पक्ष आयेगा कि आपके जमाने की बात है उस वक्त केन्द्र में आपकी सरकार थी।

मान्यवर, डब्लू0टी0ओ0 जिस रूप में इसे लागू करना चाहता है उसे भारतीय जनता पार्टी कभी स्वीकार नहीं करेगी क्योंकि भारतीय बाजार की परिस्थिति विदेशी बाजार की परिस्थिति से भिन्न है। मान्यवर, जब खुले बाजार में वहां की निर्मित चीजें आयेंगी, उनका टैक्स बहुत कम होगा क्योंकि यूरोपीय देशों के द्वारा जो उत्पादित माल है उसकी लागत हमारे यहां की लागत से बहुत कम है। जिस कारण वह हमारे बाजार को पीछे धकेल देगी। जिस प्रकार से माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी कल कह रही थी कि "आज बाजारों में जितनी पिचकारियाँ हैं वह सभी चीन निर्मित हैं।" इस प्रकार से हमारी उत्पादित चीजें बाजारों में बिकेंगी नहीं, जिससे हमारे व्यापारियों को बहुत परेशानी होगी। जो छोटे व्यापारी हैं, जिनकी रोज की आमदनी 100–50 रुपये है उनको भी हिसाब रखना पड़ेगा और जो बड़े व्यापारी हैं वह भी इससे प्रभावित होंगे।

मान्यवर, कुटीर उद्योग तो इससे समाप्त हो जायेंगे, इसलिए यह बहुत आवश्यक हो गया है कि आज इस मामले पर सरकार का पक्ष साफ आ जाय कि वह आखिर क्या चाहती है। मान्यवर, यह बहुत महत्वपूर्ण मसला है। इस पर सारे नियमों को शिथिल करते हुए चर्चा करने की आवश्यकता है। मान्यवर, इस पर पक्ष और विपक्ष के सभी माननीय सदस्य चर्चा करना चाहते हैं। मान्यवर, इस पर पक्ष और विपक्ष का सवाल नहीं है ऐसी मेरी अपेक्षा है, इसी के साथ आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिए धन्यवाद।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, माननीय श्री प्रकाश पन्त जी और श्री अजय भट्ट जी द्वारा जो प्रस्ताव कार्यस्थगन के रूप में रखा है, उसी पर बल देने के लिए खड़ा हुआ हूँ। यहां पर वैट का विस्तृत रूप से वर्णन किया गया निश्चित रूप से यह एक ऐसा विषय है जिसके लागू होने के बाद आम जनता को परेशानी होगी। उत्तरांचल राज्य में जो परिस्थितियां वर्तमान में बनी हैं, जो आज 72 घंटे का बन्द हुआ है, यदि सरकार समय रहते चेत जाती तो उत्तरांचल में इसको टाला जा सकता था। मान्यवर, मैं जानता हूँ जब सरकार का उत्तर आयेगा तो सरकार कहेगी कि उत्तर प्रदेश के साथ हम इसे लागू करेंगे। मान्यवर, व्यापार मण्डल के प्रतिनिधियों से लगातार सरकार ने वार्ता करने की कोशिश नहीं की। सरकार स्पष्ट रूप से यदि कहती कि एक वर्ष तक हम इसे लागू नहीं करेंगे तो व्यापार मण्डल के प्रतिनिधि इस बन्द को वापस लेने को तैयार थे। मान्यवर, यह सरकार हाउस के अन्दर और बाहर कहती है कि हम वैट को उत्तर प्रदेश के साथ लागू करेंगे। मान्यवर, यदि यह सही था तो व्यापारिक प्रतिनिधि मण्डल के साथ मिलकर इसका समाधान निकल गया होता। मान्यवर, आज यहां पर राजधानी की भी यह स्थिति है कि जो व्यक्ति अकेले रहता है, उसको खाने के लिए बाहर नाश्ता भी नहीं मिलेगा। आज एक भी दुकान खुली नहीं है, इसमें यह सरकार गम्भीर नहीं है। मान्यवर, यदि यह मान भी लिया जाय कि यह राज्य स्तरीय मसला नहीं है, लेकिन फिर भी अपने राज्य के अन्दर इसको टाला जा सकता था। मान्यवर, मैं कार्यस्थगन के रूप में इस पर चर्चा की मांग करता हूँ।

श्री नव प्रभात–

मान्यवर, जब देश में कर प्रणाली के रूप में एक महत्वपूर्ण सुधार हो रहा हो तो निश्चित रूप से वह केवल उत्तरांचल के लिए ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए महत्वपूर्ण है। जिस कर प्रणाली में सुधार की चर्चा कर रहे हैं इसकी शुरूआत हुई 16 नवम्बर, 1999 को और एक राज्यों के मुख्यमंत्रियों की एक इम्पावर्ड कमेटी का गठन किया गया और तब से लेकर 2005 के बीच केन्द्र सरकार और विभिन्न राज्यों के स्तर पर बहुत सारे राजनीतिक परिवर्तन हुए। मैं उसकी ओर ध्यान आकर्षण न करके मान्यवर, मैं संविधान की इस ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। मान्यवर, जिसमें निरन्तरता की व्यवस्था है। मान्यवर, एक सरकार आई उसने एक व्यवस्था शुरू की और दूसरी सरकार ने भी उस निरन्तरता को लागू रखा, तो यह 3–4 सरकारों के परिवर्तन इस बीच हुए और वह हमें निरन्तरता के रूप में हमें विरासत में प्राप्त हुई। मैं उसके इतिहास में नहीं जा रहा हूँ। इसके पूर्व लगभग 70 के आस–पास बैठक हुई। जिसमें राज्यों के वित्त मंत्री और केन्द्रीय वित्त मंत्री भी बैठक में सम्मिलित है। मान्यवर, जो प्रश्न उठा वह उत्तरांचल से सम्बन्धित है। जहां तक हमारी जानकारी है, उत्तरांचल के व्यापार संगठन बन्द की, तो यह केवल उत्तरांचल में किया गया हो ऐसा नहीं। अभी माननीय प्रकाश पन्त जी ने कम्प्रेटिव स्टेटमेंट दिया तो सारी भ्रान्तियां ऐसे विषय में हैं, मैंने आंकलन किया, मैं बाद में बता दूँगा। जो आपका कम्प्रेटिव चार्ट है, उसमें मैं अचानक प्रतिक्रिया नहीं कर सकता, आप उसमें दो–तीन चीजें भूल गये हैं। मान्यवर, एक बार कर लगता है कि दुबारा कर लगता है कि तिबारा कर लगता है, मैं बाद में बता दूँगा।

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, मैंने दो चीजें बतायी हैं।

श्री नव प्रभात–

जो वैट प्रणाली है, इसकी सबसे महत्वपूर्ण चीज सैट ऑफ है। जो कर एक देता है, मैं व्यापार कर के रूप में कहूँ तो भुगतान कर दिया जाएगा, दूसरी स्थि जब दूसरा व्यापारी खरीदेगा तो पहले का कर वापस कर दिया जाएगा। इसलिए इ कैस्केटिव एफैक्ट नहीं होगा। जब इसको कैस्केटिव एफैक्ट नहीं होगा तो 10 प्रति में 3 प्रतिशत, 10 प्रतिशत में 4 प्रतिशत कर नहीं होगा सिर्फ एक बार का कर जुड़ेगा, तो उपभोक्ता के लिए मूल्य बढ़ेगा यह तार्किक रूप में समझ में नहीं आता इस तरीके से सी0एस0टी0 के बारे में स्थिति थोड़ी अस्पष्ट सी थी। सी0एस0टी0 स कर दिया जाएगा अभी तक के इम्पावर कमेटी का जो निर्णय है, वह यह है कि उ 3 वर्ष में समाप्त कर दिया जाय और जब एक राज्य में सी0एस0टी0 लग जाएगा तो लोकल टैक्स नहीं लगेगा। मान्यवर, आदरणीय श्री अजय भट्ट जी ने कहा डब्लू0टी0ओ0 ने जो बनाया है वह हमारी सरकार को लागू करना चाहिए। मान्यवर, में सामने आया और 70 बार अवसर मिला और जिसमें मान्यवर, मुझे जानकारी का 4–5 बार हमें भी मौका मिला।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, मैंने कहा कि भारत की ओर से पहला सिग्नेचर किया।

श्री नव प्रभात–

मान्यवर, मैं सिर्फ ध्यान आकर्षित कर रहा हूँ। राष्ट्रीय हित का प्रश्न आया एम्पॉवर कमेटी में निर्णय लिया होगा, तो निश्चित रूप से ध्यान रखा होगा, इसलि उस बहस में नहीं जाना चाहता हूँ। मान्यवर, भ्रांतियां हैं कि 50 रुपये की बिक्री तो उसके ऊपर टैक्स लगेगा, कुछ छोटे–छोटे व्यापारी के पक्ष में भी है। माननीय कौ जी ने कहा कि व्यापार संघ से वार्ता करनी चाहिए थी। मैं जानकारी दूँगा कि हमने तरीके से इसको प्रचारित किया, क्योंकि किसी भी अधिनियम को लागू करने में महत्वपूर्ण होता है सर्कुलेशन। मान्यवर, अक्टूबर, 2004 में अपनी वेबसाइट पर किया। मान्यवर, 20–11–2004 तक हमने उनकी प्रतिक्रिया इस पर मांगी थी उसके माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक समिति का गठन किया। इसी सदन के आदरणीय स इसके अध्यक्ष भी हैं। इस समिति की तीन बैठकें भी हो गई हैं। हमने हर कस्बे में करके लोगों से जानकारी प्राप्त की, और अधिकारिक स्तर पर भी हमने इस विषय लोगों से चर्चा की। जब यह विषय माननीय मंत्रिपरिषद के समक्ष आया तो उसने एक समिति का गठन किया। मान्यवर, हमने 4 फरवरी, 2005 को एक बैठक की। हम महत परिवर्तन पर चर्चा कर रहे हैं, यह राजनीतिक दल की नीति के ऊपर आधारित परि नहीं है। मान्यवर, इस बीच इम्पावर्ड कमेटी ने इस विषय पर एक व्हाइट पेपर किया।

उत्तरांचल में ही नहीं पूरे देश में इसे प्रचारित किया गया, जो इस विषय सुझाव देना चाहते हैं वह आ जायें। हमने कर प्रणाली पर विचार किया कि राज्य की पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। इम्पावर्ड कमेटी का जो राज्य पालन नहीं करेगा उनक

जाने वाली सहायता बन्द कर दी जायेगी। मान्यवर, हमारे राज्य को विशिष्ट श्रेणी का दर्जा प्राप्त है, हमारी पूरी अर्थव्यवस्था केन्द्र सरकार से मिलने वाली सहायताओं पर आधारित है। इससे हमारे उद्योगों पर कितना प्रभाव पड़ेगा। उद्योगों के प्रतिनिधि मण्डल ने, इस प्रणाली के जो पक्ष में हैं, उन्होंने महत्वपूर्ण सुझाव हमें दिये। जहां तक व्यापारी संगठनों का सवाल है उन्होंने कहा वैट लागू नहीं होना चाहिए, उन्होंने एक मांग के अलावा और कोई सुझाव नहीं दिया। मान्यवर, उपभोक्ताओं पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा यह बात इम्पावर्ड कमेटी में रखी गई। मान्यवर, इस देश के कुछ राज्य इसे लागू कर दें और कुछ राज्य न करें। वास्तविकता यह है कि हम उत्तर प्रदेश से तीन तरफ से घिरे हैं अगर उत्तर प्रदेश में वैट प्रणाली लागू नहीं होती है तो उसका यहां पर क्या प्रभाव पड़ेगा, हमने इसका अध्ययन कर 11 मार्च, 2005 को इम्पावर्ड कमेटी के चेयरमैन को भेजा है जिसे मैं पढ़ रहा हूँ—"फरदर टू अवर डिसकशन्स ड्यूरिंग मीटिंग आफ इम्पावर्ड कमेटी ऑन वैट हेल्ड ऑन 07 मार्च, 2005 ऐट दिल्ली। आई वुड लाइक टू यूअर काइन्ड नोटिस ए फ्यू इम्पोर्टेन्ट इशूज रिलेटिंग वैट। आई एम हियरविथ इनक्लोजिंग ए कम्प्रेटिव चार्ट आफ सेल्स टैक्स, रेट्स एज एप्लीकेबिल आन डेट एण्ड प्रपोज्ड वैट रेट्स एज एडवाइज्ड बाई इम्पावर्ड कमेटी। सिन्स बिगनिंग वी हैव बीन रिटरेटिंग दैट इट विल नाट बी सुटेबिल फार अस टू इम्पोज वैट, इफ उत्तर प्रदेश रिफरेंस फ्राम डूइंग सो, इन सपोर्ट ऑफ आवर स्टैण्ड, आई वुड लाइक टु ड्रा योर एटेंशन ऑन दि फालोइंग। दि इफेक्टिव रेट ऑफ वैट कैन नॉट बि कैल्कुलेटेड ऑफ हैण्ड, बिकॉज इम्पैक्ट ऑफ सेट ऑफ एण्ड ऑदर रिलीफ्स विल हैव टु बि वर्कड आउट इट विल बि पॉसिबिल ओनली ऑफ्टर वैट इज इम्प्लीमेन्टेड फॉर एवाइल, डिपेंडिंग अपॉन पीपुल ऑप्टिंग फॉर कम्पोजीशन स्कीम ऑर वैट। दैट एज ऑन टुडे इट इज ए प्रिजम्सान दैट द बेनीफिट ऑफ वैट विल बी पास्ड ऑन टू कन्ज्यूमर्स। इन केस ऑफ इण्डस्ट्री इट इज लाइकली टू हैपन मोर इफीसियेन्टली बट इन केस ऑफ ट्रेड दिस टिल डिपेंड ऑन इफेक्टिव इम्पलीमेंटेशन ऑफ सिस्टम। इट विल डिपेंड ऑन सिस्टम एक्यूरेसी दैट एवरी ट्रेड इज कम्पेल्ड टू पास ऑन वैट बेनीफिट्स टू द कस्टमर। एक्सपीरियन्स ऑफ एम0आर0पी0 सिस्टम इज नॉट वेरी इनकरेजिंग एण्ड ए लेसन मे बी टेकन फ्राम द ग्राउण्ड रियेलिटीज। द आरग्यूमेन्ट दैट ए स्टेट विच ऑप्ट्स आउट ऑफ वैट सिस्टम विल बी कम्पेल्ड टू ज्वाइन आफ्टर ए फ्यू मन्थ्स इज क्वाईट वैलिड बट आई वुड लाइक टू ड्रा योर अटेन्शन टू दिस पीरियड वेयर देयर विल बी ए स्टेट आउट साइड वैट सिस्टम फॉर ए फ्यू मन्थ्स। ड्यूरिंग दिस पीरियड द मार्केट सिचुवेशन विल बी हाईली कन्फ्यूज्ड। एज यू मे ऑब्जर्व फ्राम द कम्परेटिव लिस्ट दैट प्रेज्योरिटी ऑफ कन्ज्यूमेबिल आईटम विल बी टैक्सड ऑन ए हायर टैक्स स्लैब इन वैट इम्पलीमेंटिंग स्टेटस। फॉर ए कॉमन कन्ज्यूमर दीज डिक्लेयर्ड रेट्स विल बी दि गाइडिंग फैक्टर एण्ड इन दीज सरकमटेन्सेज ही विल टेक वैट रेट्स एज इफैक्टिव सेल्स टैक्स रेट्स। एज ए रिजल्ट ही विल टर्न टूवर्ड्स द मार्केट वेयर डिक्लेयर्ड रेट्स आर ऑन लोवर लीडिंग टू ट्रेड डायवर्जन।

इट विल इनकरेज स्मगलिंग ऑफ गुड्स फ्राम दीज मार्केट्स टू वैट मार्केट। उत्तरांचल इज नॉट ओनली सराउन्डेड बाई उत्तर प्रदेश, इट आलसो हैड ट्रेडिशनल होल सेल मार्केट इन उत्तर प्रदेश (सच एज सहारनपुर, बरेली एण्ड मेनी स्मॉल टाउन्स ऑफ यू0पी0) एण्ड विल बी एडवरसली एफेक्टेड ड्यूरिंग दिस पीरियड एण्ड आवर ट्रेड विल

सफर बैडली। एपार्ट फ्राम उत्तरांचल स्टेट लाइक दिल्ली, हरियाणा, हिमांचल, बिहार, मध्यप्रदेश एण्ड राजस्थान आर आलसो लाइकली टू बी एफेक्टेड। इन केस द टैक्स रेट इन स्टेट विच इज नॉट इम्प्लीमेंटिंग वैट इज हायर, दैन वैट इम्पलीमेंटिंग स्टेट, दे विल बी एट लिबर्टी टू रिड्यूज देयर रेट्स। आई वुड आलसो लाइक टु ब्रिंग टू योर नोटिस द फैक्ट दैट उत्तर प्रदेश ड्यूरिंग लास्ट फ्यू मन्थ्स हैज डिक्लेयर्ड मेनी कन्सेन्स, अगेन्स्ट डैसीजन्स ऑफ इम्पावर्ड कमेटी, फॉर इग्जाम्पिल ऑरग्नाईजिंग टैक्स फ्री एक्जीबिशन/मेलाज, कम्पोजीशन स्कीम्स एक्सेक्ट्रा विच इज एडवरसली एफेक्टिंग अदर नेबरिंग स्टेट्स। आई वन्स अगेन रिक्वेस्ट यू टू काइन्डली टेक ए केयरफुल नोट ऑफ द एबव एण्ड एड्रेस दीज इश्यूज। इन द लाईट ऑफ दि एबव, आई रिपीट दैट आवर रिक्वेस्ट इज टू सेफगार्ड द इन्ट्रेस्ट ऑफ द स्टेट लाईक अस, हू आर विलिंग टू फॉल इन लाईन विद इम्पावर्ड कमेटी डेसीजन्स। फाईनल डिसीजन ऑफ उत्तर प्रदेश इज द की प्वाइंट फॉर इम्प्लीमेन्टेशन ऑफ वैट एण्ड वी शुड नो एबाउट इट वैल बिफोर डेट ऑफ इम्प्लीमेन्टेशन। आई ट्रस्ट दैट यू विल कन्सीडर आवर रिक्वेस्ट एण्ड ट्राई टू वर्कआउट स्यूटेबिल साल्यूशन्स। मान्यवर, यदि कहें तो मैं इसे हिन्दी में भी पढ़ दूँ।"

श्री भगत सिंह कोश्यारी–

मान्यवर, ठीक है। हिन्दी में पढ़ने की जरूरत नहीं है।

श्री नव प्रभात–

मान्यवर, चूँकि यह पत्र इम्पावर्ड कमेटी को भेजा गया था इसलिए इसे अंग्रेजी में लिखा गया था। (व्यवधान)

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, ठीक है अच्छी परम्परायें पड़ रही हैं।

श्री नव प्रभात–

मान्यवर, इसके बाद एक बैठक हुई, उस बैठक में मैं तो नहीं गया था क्योंकि सदन चल रहा था, हमारे अधिकारी वहां पर गये और उनको हमारा पत्र प्राप्त हो गया है और इस पत्र के तथ्यों पर वे स्पष्टीकरण करेंगे। उन्होंने कहा है कि वे इस सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों से भी बात करेंगे। अगर पूरे देश में एक नई व्यवस्था लागू हो रही हो तो निश्चित रूप से उन प्रदेशों को भी उसमें शामिल किया जायेगा जिन्होंने अपने यहां पर वैट को पारित कर दिया है और उस पर राष्ट्रपति के साइन भी ले लिये हैं, अब उनका कहना है कि हम इसे अब लागू नहीं कर रहे हैं। एक अन्य प्रश्न, मूल प्रश्न यहां पर आया और हमारे प्रदेश के व्यापारियों को भी इसकी जानकारी है। माननीय मुख्यमंत्री जी के जिस बयान की जानकारी यहां पर दी गई वह भी इसी पत्र पर आधारित है। हमारी एक स्पष्ट नीति है कि कोई भी कन्फ्यूजन न हो। हम यह चाहते हैं कि इसमें व्यापारियों का हित हो हमारे उपभोक्ताओं का हित हो, उद्योगों का हित हो।..... (व्यवधान)

नेता प्रतिपक्ष (श्री मातबर सिंह)–

मान्यवर, हम यह जानना चाहते हैं कि आप इसे लागू करेंगे या नहीं ?

श्री नव प्रभात–

मान्यवर, आप मेरी बात तो सुन लें।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री मातबर सिंह–

मान्यवर, हमें इस पर भाषण नहीं सुनना है हम यह जानना चाहते हैं कि आप वैट लागू कर रहे हैं या नहीं। (व्यवधान) मान्यवर, माननीय मंत्री जी सदन को गुमराह कर रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री भगत सिंह कोश्यारी–

माननीय मंत्री जी, आपने अच्छा भाषण दिया और अंग्रेजी में दिया इसके लिए आपको बधाई है। लेकिन हम भाषण नहीं सुनना चाहते, हम हाँ या नहीं में जवाब चाहते हैं। जो प्रश्न हमने पूछा कि आप वैट लागू कर रहे हैं या नहीं उसका जवाब हाँ या ना में दे दें।

श्री नव प्रभात–

मान्यवर, इस पत्र को सुनकर आपको क्या लगा ?

(व्यवधान)

संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा हृदयेश)–

मान्यवर, शासन का उत्तर तो आने दें।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

श्री मातबर सिंह–

मान्यवर, सरकार स्पष्ट उत्तर नहीं दे रही है और सदन को गुमराह कर रही है इसलिए हम सदन से बहिर्गमन करते हैं।

(माननीय नेता प्रतिपक्ष एवं भारतीय जनता पार्टी के सभी सदस्यों ने सदन से बहिर्गमन किया)

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य श्री प्रकाश पंत, श्री अजय भट्ट एवं श्री मदन कौशिक तथा माननीय मंत्री जी को सुनने के बाद मैं इस सूचना को अग्राह्य करता हूँ।

*श्री प्रेमानन्द महाजन–

माननीय अध्यक्ष जी, जिला ऊधमसिंह नगर के ईस्टर फैक्ट्री खटीमा के श्रमिकों द्वारा विभिन्न मांगों को लेकर किये जा रहे आंदोलन के सम्बन्ध में हमारी सूचना को नियम 56 में स्वीकार किया इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ।

(माननीय नेता प्रतिपक्ष एवं भारतीय जनता पार्टी के सभी माननीय सदस्य सदन में वापस आ गये)

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मान्यवर, ईस्टर फैक्ट्री खटीमा के श्रमिकों द्वारा विभिन्न मांगों को लेकर फैक्ट्री के प्रबन्धन तंत्र के खिलाफ आंदोलन किया जा रहा है और यह आंदोलन कई माह से चल रहा है। मान्यवर, 2 ढाई महीने पहले वहां के प्रबन्धनतंत्र ने दो टेक्निकल हैण्ड लोगों को वहां से नोयडा के गोडाउन में ट्रान्सफर कर दिया, जब उन श्रमिकों को पता चला कि उनके जो टेक्निकल हैण्ड हैं जो पालीटेक्निक वाले लोग हैं उनका ट्रान्सफर कर दिया। मान्यवर, इनको नौकरी से हटाना चाह रहे थे लेकिन सीधे न हटा कर इनकी ड्यूटी गोडाउन में लगा दी गयी, जिससे ये अपने आप नौकरी छोड़ कर भाग जाएं। जब मजदूरों को इसके बारे में पता चला तो उन्होंने आन्दोलन कर दिया। आज दो–ढाई महीने से इनका आन्दोलन चल रहा है। उनके छोटे–छोटे बच्चे और पत्नियां आन्दोलन कर रहे हैं, उन्हें कई संगठनों का समर्थन भी मिला हुआ है। लेकिन प्रबन्धनतंत्र की ओर से आज तक उनकी समस्याओं का कोई समाधान नहीं निकाला गया है, उलटा 43 कर्मियों को निलम्बित कर दिया गया है। जिला प्रशासन की तरफ से इन लोगों की कोई मदद नहीं की जा रही है। मान्यवर, यह बहुत ही गम्भीर मामला है, यह गरीब श्रमिक वर्ग की रोजी–रोटी से जुड़ा हुआ मामला है। इसलिए इनकी समस्या के समाधान के लिए मैं मांग करता हूं कि आज की समस्त कार्यवाही रोक कर इस विषय पर चर्चा करायी जाय।

परिवहन मंत्री (श्री हीरा सिंह बिष्ट)–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने ईस्टर फैक्ट्री, खटीमा के श्रमिकों द्वारा किए जा रहे आन्दोलन की बात कही। मान्यवर, यह सही है कि वहां पर श्रमिक आन्दोलन कर रहे हैं। श्रमिकों ने त्रिवर्षीय वेतन वृद्धि और अन्य मांगों को लेकर फैक्ट्री के मैनेजर से बात की लेकिन उन्होंने इनकी कोई बात नहीं मानी। प्रबन्धतंत्र ने इन श्रमिकों की एक यूनियन से वार्ता की जिसमें 10–12 लोग ही शामिल थे लेकिन 90 प्रतिशत श्रमिक इस यूनियन में शामिल नहीं थे। जब मेरे संज्ञान में यह मामला आया तो मैंने इसके बारे में जानकारी प्राप्त की। मुझे पता चला कि इसका मैनेजर एक रिटायर्ड मेजर है, जो श्रमिकों के स्वाभिमान को किनारे रख कर कहता है कि जो मैं कह रहा हूँ, वही कानून है। श्रमिकों के न मानने पर उन्होंने 33 श्रमिकों को निलम्बित कर दिया और 5 के खिलाफ क्रिमिनल केस दर्ज कर दिया। जब जिलाधिकारी ने जाकर उनसे बात की तो उन्होंने जिलाधिकारी से कहा कि हम इन लोगों से कोई बात नहीं करेंगे। जिलाधिकारी ने आन्दोलन कर रहे श्रमिकों से शान्ति व्यवस्था कायम रखने की अपील की तो इन लोगों ने जो सड़क अवरुद्ध कर रखी थी, वहां से हट गए और फैक्ट्री के गेट के पास चले गए। इन लोगों का कहना है कि हम फैक्ट्री के गेट को बन्द नहीं करेंगे, बल्कि गेट के बाहर ही आन्दोलन करेंगे। मैनेजमेंट के जिद्दी रुख के कारण दोनों पक्षों में बात नहीं हो पा रही है। उपश्रमायुक्त हल्द्वानी द्वारा इस सम्बन्ध में 13 त्रिपक्षीय वार्तायें की गई हैं, वहां पर लोग आक्रोशित हैं और विभिन्न संगठनों के लोग और राजनीतिक लोग श्रमिकों के समर्थन में आगे आ गये हैं। मैंने प्रमुख सचिव श्रम से कहा है कि दोनों पक्षों को वार्ता के लिए तैयार करें। जिलाधिकारी और एस0पी0 ऊधमसिंह नगर से भी हमने कहा है कि इनकी वार्ता कराएं। प्रमुख सचिव को इस समस्या का समाधान करने का दायित्व सौंपा गया है, वे बैठक करके जल्दी ही इस समस्या को सुलझा लेंगे। यह श्रमिकों के हित से जुड़ा मामला है, इस विषय पर सरकार गम्भीर है। निश्चित रूप से जल्दी ही इसका समाधान निकल आएगा।

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य श्री प्रेमानन्द महाजन तथा माननीय मंत्री जी को सुनने के पश्चात् मैं इस सूचना को अग्राह्य करता हूँ।

अब हम उठते हैं, अपराह्न 3:00 बजे तक के लिए।

(भोजनावकाश)

(सदन की कार्यवाही श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में अपराह्न 3:00 बजे पुनः आरम्भ हुई)

वित्तीय वर्ष 2005–2006 के आय–व्ययक में अनुदानों की मांगों पर चर्चा एवं मतदान, अनुदान संख्या 11 शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति विभाग

संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती इंदिरा हृदयेश)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करती हैं कि 31 मार्च, 2006 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 11, शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए तथा लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त रुपये 12789130 हजार (बारह सौ अठहत्तर करोड़, इक्यानवे लाख तीस हजार मात्र) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

मान्यवर, शिक्षा के क्षेत्र में विगत तीन वर्षों की उपलब्धि सर्वविदित है। शैक्षिक दृष्टि से उत्तरांचल में क्रांतिकारी कार्य हुए हैं। मान्यवर, हमारी सरकार ने शिक्षा को सर्वाधिक महत्व दिया है। मान्यवर, जैसा कि भारत सरकार की नीति है कि कोई भी बच्चा पढ़ने से वंचित न रह जाए, कोई भी बच्चा विद्यालय जाने से वंचित न रह जाए इस दृष्टि से भी हम काफी आगे बढ़े हैं। मान्यवर, माध्यमिक शिक्षा की दृष्टि से भी देखें तो हमने प्रारम्भ में चिन्तन किया कि हमारे यहां सी0बी0एस0ई0 का पाठ्यक्रम होना चाहिए ताकि बच्चों में शिक्षा की दृष्टि से गुणात्मक सुधार हो। ताकि जो ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चे हैं वे उच्च शिक्षा में प्रवेश से वंचित न रह जाएं और प्रतियोगात्मक परीक्षाओं में अन्य बच्चों से पिछड़ न जाएं। और यह बहुत लोगों की मंशा भी थी, मांग भी थी कि सी0बी0एस0ई0 पाठ्यक्रम हिन्दी भाषी राज्यों में भी लागू होना चाहिए।

मान्यवर, हमने 16 असेवित विकास खण्ड में नवीन राजकीय कन्या हाईस्कूल की स्थापना की, इसी प्रकार 109 जूनियर हाईस्कूलों का राजकीय हाईस्कूलों में उच्चीकरण किया गया। इसी प्रकार 125 हाईस्कूलों की स्थापना की गई है। 84 राजकीय हाईस्कूलों का इण्टर स्तर तक उच्चीकरण किया गया है और 8 अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों का प्रान्तीयकरण किया गया है। ग्रामीण क्षेत्र के प्रतिभावान छात्रों के लिए जनपद पौड़ी, देहरादून, हरिद्वार, चम्पावत एवं पिथौरागढ़ में राजीव गाँधी नवोदय विद्यालयों की स्थापना की गई है। अन्य शेष जनपदों में जो रह गये हैं उनमें नवोदय विद्यालयों की स्थापना का लक्ष्य रखा गया है। मान्यवर, सुदूर क्षेत्रों में अध्यापकों के अभाव की बात सदन में उठती रही है इसके लिए 122 अतिरिक्त पदों पर सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में नियुक्ति की स्वीकृति दी गयी है। 2000 एल0टी0 वेतनक्रम में सहायक अध्यापकों की नियुक्ति की प्रक्रिया गतिमान है। 1219 प्रवक्ता पद हेतु लोक सेवा आयोग

में प्रक्रिया गतिमान है। और 866 पी0टी0ए0 शिक्षकों की मानदेय की व्यवस्था की गई है। 1261 शिक्षा बंधुओं की नियुक्ति की गई है। मान्यवर, अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों में विधेयक के माध्यम से नियुक्ति करने हेतु कार्यवाही प्रारम्भ की गई है। 04 जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी/लेखाधिकारी कार्यालयों की स्थापना एवं पद सृजित किये गये हैं। मान्यवर, कम्प्यूटर शिक्षा हेतु 1141 राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में न्यूनतम 04 कम्प्यूटर से अधिकतम 8 कम्प्यूटर स्थापित करने हेतु इस वर्ष रु0 4.16 करोड़ सहित कुल रु0 42.27 करोड़ रु0 रखा गया है। मान्यवर, 1421 विद्यालयों में 7641 कम्प्यूटर उपलब्ध कराये गये हैं। मान्यवर, 119 नवीन राजकीय हाईस्कूलों में कम्प्यूटर हेतु रु0 416.77 लाख की स्वीकृति हुई है। मान्यवर, अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में रु0 772.72 लाख के कम्प्यूटर स्थापित किये जायेंगे। मान्यवर, 1950 ही शिक्षकों को कम्प्यूटर शिक्षा के अन्तर्गत इंटेल, माइक्रो सॉफ्ट के सहयोग से मास्टर ट्रेनर प्रशिक्षण तथा लगभग 7000 अन्य ही प्रशिक्षकों (एम0टी0पी0टी0) को प्रशिक्षित करने हेतु है। मान्यवर, राज्य में माइक्रो सॉफ्ट आई0टी0 एकेडमी स्थापित की गयी है।

मान्यवर, आई0टी0 एकेडमी द्वारा 150 मास्टर ट्रेनर शिक्षकों को कम्प्यूटर एडवांस कोर्स का प्रशिक्षण दिया गया। मान्यवर, हमने जनपदीय स्तर पर भी और मण्डलीय कार्यालयों के कम्प्यूटरीकरण की व्यवस्था की है। मान्यवर, वर्ष 2004–2005 में बेसिक एवं माध्यमिक शिक्षा के लिए 11 अरब 52 करोड़ 98 लाख 66 हजार का प्राविधान किया गया। मान्यवर, वित्तीय वर्ष 2005–2006 हेतु 12 अरब 09 करोड़ 98 लाख 47 हजार का बजट का प्रस्ताव है। मान्यवर, राजीव गांधी नवोदय विद्यालयों के भवन निर्माण हेतु वर्ष 2004–2005 में रु0 6.89 करोड़ की धनराशि स्वीकृत की गई है और आगामी वर्ष 2005–2006 के लिए रु0 6 करोड़ की व्यवस्था की गई है। मान्यवर, वित्तीय वर्ष 2004–2005 में अद्यतन राजीव गांधी नवोदय विद्यालय सन्तूधार, पौड़ी हेतु वित्तीय स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है तथा जनपद अल्मोड़ा, टिहरी, उत्तरकाशी के प्रस्ताव का परीक्षण किया जा रहा है। इनकी स्वीकृति के उपरान्त वर्ष 2005–2006 में 04 जनपदों बागेश्वर, ऊधमसिंह नगर, चमोली एवं रुद्रप्रयाग के प्रस्तावों पर विचार किया जाता है। मान्यवर, वर्ष 2003 में उत्तरांचल विद्यालयी शिक्षा एवं परीक्षा परिषद द्वारा स्वतंत्र रूप से हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट बोर्ड परीक्षा का सफल आयोजन किया गया। मान्यवर, परीक्षा परिषद् द्वारा हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट का परीक्षाफल एक साथ घोषित किया गया। मान्यवर, परीक्षा परिषद् द्वारा परीक्षार्थियों का फोटो स्केनिंग युक्त प्रवेश पत्र उपलब्ध कराया गया।

मान्यवर, माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में यह महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ इस शासन द्वारा की गई हैं। बेसिक शिक्षा के क्षेत्र में सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत मिड डे मील के अतिरिक्त उनके रख–रखाव भी हैं। बेसिक विद्यालयों की दशा को सुधारने के लिए एक लम्बे समय से विद्यालयों की स्थिति जीर्णशीर्ण थी, अब भी है, लेकिन जो विद्यालय स्वीकृत हो रहे हैं उनमें एक अच्छी छत मिले इस दिशा में प्रयास किये जा रहे हैं। सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत सबको शिक्षा मिले, 99 प्रतिशत बच्चे पहुंच गये हैं विद्यालयों में, एक प्रतिशत बचे हैं। वर्ष 2004–05 के प्रारम्भ में 27782 बच्चे विद्यालयी शिक्षा से वंचित थे, जिनमें से 19054 बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ा गया। मान्यवर, कक्षा 1 से अंग्रेजी विषय सभी प्राथमिक विद्यालयों में संचालित किया जायेगा। गत वर्ष जनपद के

प्रत्येक विकास खण्ड में पाइलट आधार पर संचालित किया गया था। इससे उनके प्राउन्शेसन में आगे सुधार होगा। इससे अंग्रेजी स्कूलों की ओर आकर्षण कम होगा। मान्यवर, इसके अतिरिक्त उत्तरांचल में सर्व शिक्षा अभियान एवं जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2004–05 में सर्व शिक्षा अभियान के लिए रु0 123.49 करोड़ का प्राविधान था, जिसमें केन्द्रांश के अन्तर्गत रु0 86.74 करोड़ एवं राज्यांश के रूप में रु0 23.90 करोड़ अवमुक्त किये गये। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम 3 के अन्तर्गत रु0 22.76 करोड़ के प्राविधान के अन्तर्गत रु0 13.11 करोड़ केन्द्रांश एवं रु0 2.05 करोड़ राज्यांश के रूप में अवमुक्त किये गये। वर्ष 2004–05 में 64 नवीन प्राथमिक विद्यालय, 67 नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालय, 411 शिक्षा गारण्टी केन्द्र, 35 वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र, 128 नवीन प्राथमिक शिशु देखभाल एवं शिक्षा केन्द्र खोले गये। नवीन प्राथमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापक के 25, सहायक अध्यापक के 39, शिक्षा मित्रों के 89 तथा नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालयों हेतु सहायक अध्यापक के 368 नवीन पदों का सृजन किया गया। मान्यवर, राज्य सरकार द्वारा राजकीय, परिषदीय एवं सहायता प्राप्त विद्यालयों में कक्षा 1 से 8 तक अध्ययनरत् बच्चों को सभी विषयों की निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें वितरित की गयी।

मान्यवर, प्रारम्भिक शिक्षा में समुदाय की सहभागिता सुनिश्चित करने हेतु 7148 ग्राम शिक्षा समितियों एवं 12857 विद्यालय प्रबन्ध समितियों का गठन एवं 4817 ग्राम समितियों तथा 6926 विद्यालय प्रबन्ध समितियों, 25914 ग्राम शिक्षा समिति सदस्यों तथा 35848 विद्यालय प्रबन्ध समिति सदस्यों को प्रशिक्षित किया जा चुका है। मान्यवर, तकनीकी शिक्षा के रूप में इंजीनियरिंग कालेज, फार्मेसी कालेज, एम0बी0ए0 कालेज, एम0सी0ए0 कालेज, होटल मैनेजमेंट कालेज की शिक्षा प्रदान की जा रही है और इनके स्तर में सुधार हो रहा है। मान्यवर, प्राविधिक शिक्षा के अन्तर्गत अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के अनुरूप इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नोलॉजी, फार्मेसी, आर्किटेक्चर एवं टाउन प्लानिंग होटल मैनेजमेंट एण्ड कैटरिंग टेक्नोलॉजी, एम0बी0ए0, एम0सी0ए0 तथा एप्लाईड आर्ट्स एण्ड क्राफ्ट्स विषयों में डिप्लोमा/डिग्री स्तर की शिक्षा प्रदान की जाती है। मान्यवर, एम0बी0ए0 एवं एम0सी0ए0 पाठ्यक्रम गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार, हे0नं0ब0 विश्वविद्यालय श्रीनगर, कुमाऊँ इंजीनियरिंग कालेज द्वाराहाट तथा निजी क्षेत्र की 12 संस्थाओं में संचालित है। होटल मैनेजमेंट एण्ड कैटरिंग टैक्नोलॉजी पाठ्यक्रम हे0नं0ब0 विश्वविद्यालय श्रीनगर तथा निजी क्षेत्र की 03 संस्थाओं में संचालित है। फार्मेसी पाठ्यक्रम हे0नं0ब0 विश्वविद्यालय श्रीनगर, कुमाऊँ विश्वविद्यालय नैनीताल तथा निजी क्षेत्र की 04 संस्थाओं में संचालित है। मान्यवर, पॉलीटेक्निक संस्थाओं हेतु वर्ष 2004–05 में स्वीकृत रु0 85.00 लाख की धनराशि के सापेक्ष विभिन्न प्रकार की नवीनतम मशीनें, साज–सज्जा उपकरण, कम्प्यूटर, फर्नीचर एवं पुस्तकों आदि का क्रय किया गया। पॉलीटेक्निक के भवन निर्माण हेतु उपलब्ध रु0 232.00 लाख की धनराशि से राजकीय पॉलीटेक्निक देहरादून के अनावासीय भवन, श्रीनगर के आई0टी0 कम्प्यूटर साइंस, बहुउद्देशीय हॉल एवं आवास, द्वाराहाट के आई0टी0 एवं छात्रावास नैनीताल के आई0टी0 एवं चित्रकूट बंगले का सुदृढ़ीकरण, गोचर के बहुउद्देशीय हॉल का निर्माण कार्य कराया जा रहा है।

पॉलीटैक्निक संस्थाओं में कार्यरत 87 तदर्थ शिक्षक विनियमित किये गये तथा 96 शिक्षकों की नियुक्ति लोक सेवा आयोग के माध्यम से की गयी। 100 गेस्ट फैकल्टी की संविदा के आधार पर व्यवस्था की गई। इनमें चतुर्थ श्रेणी के समस्त रिक्त पदों पर नियुक्तियां की गयी है। इनमें कार्यरत समस्त श्रेणी के कार्मिकों की वरिष्ठता सूची तैयार कर ली है। आई०टी० एवं कम्प्यूटर साइंस एण्ड इंजी० पाठ्यक्रम के 39 शैक्षिक पदों का सृजन कराया गया। उत्तरांचल में स्थित शिक्षण संस्थाओं से उत्तीर्ण छात्रों को उत्तरांचल कोटे में प्रवेश दिया गया। समस्त डिप्लोमा पाठ्यक्रम उद्योगों के अनुरूप पुनरीक्षित किये गये तथा सैमेस्टर प्रणाली लागू की गई। इन पॉलीटेक्निक संस्थाओं से उत्तीर्ण 1500 छात्रों में से लगभग 200 छात्रों का सेवायोजन कैम्पस साक्षात्कार के माध्यम से कराया गया तथा अधिक से अधिक रोजगार उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से देहरादून में प्लेसमेंट सेल स्थापित किया गया है। प्रदेश में जो नये उद्योग स्थापित किये जा रहे हैं, छात्र सेवायोजन के सम्बन्ध में उनसे सम्पर्क किया जा रहा है। राजकीय महिला पॉलीटेक्निक कोटाबाग (रामनगर) जी०आई०सी० कोटाबाग के परिसर में कम्प्यूटर साइंस एण्ड इंजीनियरिंग तथा इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों के साथ प्रारम्भ की गई तथा निजी क्षेत्र में 04 नई संस्थायें प्रारम्भ की गई। मान्यवर, टी०ई०क्यू०आई०पी० के तहत उत्तरांचल राज्य में स्थित पाँच इंजीनियरिंग कॉलेज/पॉलीटेक्निक विश्व बैंक सहायतित परियोजना में चयनित किये जा चुके हैं इनमें कॉलेज ऑफ टैक्नोलॉजी पंतनगर, जी०बी० पंत इंजीनियरिंग कॉलेज पौड़ी, कुमायूं इंजीनियरिंग कॉलेज द्वाराहाट, डी०आई०टी० देहरादून, राजकीय पॉलीटेक्निक देहरादून, एस०पी०एफ०यू० कार्यालय है। परियोजना के अन्तर्गत समस्त चयनित संस्थायें वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से जोड़ी जा रही हैं ताकि संस्थाओं में उपलब्ध संस्थाओं फैकल्टी द्वारा व्याख्यान आदि का पारस्परिक लाभ उठाया जा सके। मान्यवर, हमने 160 लैक्चररों की नियुक्ति की और लोक सेवा आयोग को 239 लैक्चररों की नियुक्ति हेतु अध्याचन भेजा है। मान्यवर, संस्कृत विश्वविद्यालय स्थापित है और दून विश्वविद्यालय आपके समक्ष प्रस्तुत है।

मान्यवर, खेल विभाग के सम्बन्ध में कहना चाहती हूँ। मान्यवर, खेल विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2004–05 में खेलों के विकास एवं खेल अवस्थापना के सुदृढीकरण हेतु प्रदेश में विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन कराया गया। इसके अन्तर्गत भूतपूर्व खिलाड़ियों को वित्तीय सहायता, क्रीड़ा छात्रावासों का संचालन, खिलाड़ियों को प्रदेश स्तरीय पुरस्कार, राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक प्राप्त खिलाड़ियों को पुरस्कार एवं खिलाड़ियों को किट आदि की व्यवस्था, प्रदेश के विभिन्न क्रीड़ा संघों को आर्थिक सहायता, अन्तर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को आर्थिक सहायता, खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन, विशिष्ट खेल प्रशिक्षण का आयोजन, स्पोर्ट्स कालेज देहरादून को अनुदान एवं नेहरू पर्वतारोहण संस्थान को अनुदान सम्मिलित है। खेल अवस्थापना सुविधा के विकास हेतु भी महत्वपूर्ण प्रगति की गयी है जिसके अधीन गोपेश्वर में निर्मित स्टेडियम का विस्तारीकरण, पौड़ी में इन्डोर स्टेडियम का जीर्णोद्धार देहरादून में पवेलियन ग्राउण्ड का जीर्णोद्धार हेतु धनराशि स्वीकृत की गयी है।

अगस्त्यमुनि रुद्रप्रयाग में केन्द्र पोषित योजना के अन्तर्गत जनपद स्तरीय स्पोर्ट्स काम्पलेक्स का निर्माण कार्य प्रगति पर है। वर्ष 2005–06 में हल्द्वानी में अन्तर्राष्ट्रीय सुविधाओं से युक्त खेल परिसर का निर्माण एवं जनपद बागेश्वर में इन्डोर

हाल के निर्माण हेतु धनराशि का प्रस्ताव किया गया है। राज्य के अनुसूचित जाति एवं जनजाति के खिलाड़ियों को प्रोत्साहित किये जाने हेतु प्रथम बार अलग से धनराशि का प्राविधान भी प्रस्तावित किया गया है। मान्यवर, इन सब कार्यों के लिए खेल विभाग द्वारा आयोजनागत मद में रुपये 486.50 लाख एवं आयोजनेत्तर मद में 500.47 लाख की बजट मांग प्रस्तावित की गयी है। मान्यवर, संस्कृति जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती है। वित्तीय वर्ष 2004–05 में राज्य सरकार द्वारा उत्तराखण्ड साहित्य, कला एवं संस्कृति परिषद् उत्तरांचल का गठन किया गया जो संस्कृति के क्षेत्र में शीर्ष मार्ग निर्देशक संस्था होगी। इसके अतिरिक्त देहरादून व रामपुर तिराहा मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश में उत्तराखण्ड राज्य आंदोलन के शहीदों की स्मृति में भव्य शहीद स्मारकों का लोकार्पण किया जा चुका है। राज्य आंदोलन के प्रणेता पुरुष स्व0 श्री इन्द्रमणी बडोनी की प्रतिमा सहित स्व0 श्री सोबन सिंह जीना, स्व0 श्री विक्टर मोहन जोशी एवं स्व0 श्री श्रीदेव सुमन आदि की प्रतिमाओं की स्थापना की स्वीकृति दी जा चुकी है।

मान्यवर, राज्य में राज्य स्तरीय अभिलेखागार भवन निर्माण, कोटद्वार में प्रेक्षागृह का निर्माण, अल्मोड़ा में मातखण्डे संस्कृति परिसर का निर्माण एवं पिथौरागढ़ में राजकीय संग्रहालय तथा प्रेक्षागृह का निर्माण किया जा रहा है। मातखण्डे संगीत महाविद्यालय देहरादून व अल्मोड़ा में लोक नृत्य तथा लोक गीत की कक्षाएं प्रारम्भ करने हेतु कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गयी है। मान्यवर, उपरोक्त निर्माण कार्यों व अन्य योजनाओं को अनवरत रखने व उन्हें समयबद्ध पूर्ण करने हेतु वित्तीय वर्ष 2005–2006 के लिए संस्कृति विभाग हेतु आयोजनागत मद में रु0 495.37 लाख तथा आयोजनेत्तर मद में रु0 214.02 लाख अर्थात् कुल रु0 709.39 लाख की बजट मांग का प्रस्ताव किया गया है। तो मान्यवर, इस प्रकार शिक्षा से सम्बन्धित सभी प्रकार के कार्य हुए हैं। यह जो बजट प्रस्तुत है इसके बारे में मैंने यह जानकारी माननीय सदन को दी है।

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या 11 शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना है।

मान्यवर, अभी माननीय मंत्री जी जो काफी विद्वान हैं, उन्होंने शिक्षा विभाग का बजट यहां पर प्रस्तुत किया है और बताया कि उत्तरांचल शिक्षा के क्षेत्र में किस प्रकार प्रगति कर रहा है इसका यहां पर बड़े विस्तार से उल्लेख किया है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि मानव संसाधन का विकास शिक्षा से होता है और शिक्षा के बगैर किसी सभ्य समाज की संकल्पना नहीं की जा सकती है। इंजीनियर, डॉक्टर इनके बगैर हम सभ्य समाज की कल्पना कर सकते हैं। यदि हमारा समाज संस्कारित हो तो हम निश्चित रूप से विकास की ऊँचाई को छू सकते हैं। एक और बात बहुत जोर–शोर से कही गयी है एक्सीलेन्सी की। माननीय मंत्री जी ने कहा कि बड़ी संख्या में महाविद्यालय, आई0टी0आई0, इंजीनियरिंग कालेज खोले गये हैं, भले ही वे पब्लिक सेक्टर में खोले गये हों। इसको बड़े ही विस्तार से माननीय मंत्री जी ने यहां पर बताया है।

मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि उत्तरांचल तो माध्यमिक स्तर पर तो, विशेष रूप से देहरादून, नैनीताल, पौड़ी और अल्मोड़ा प्रारम्भ से ही और राज्य निर्माण क्या, कहना चाहिए कि इंग्लिश पीरियड से ही शिक्षा के बड़े केन्द्र रहे हैं इसके अतिरिक्त हमारी देवभूमि गुरूकुलों के माध्यम से एक संस्कारित शिक्षा पूरे देश को देती रही है। यह हमारी समझ में नहीं आया कि विद्यालय खोलने से क्या हो जायेगा ? अभी नई टिहरी में महाविद्यालय खोला गया और वहां पर 27 विषय एक साथ खोल दिये गये यह गिनीज बुक का रिकार्ड हो सकता है। आर्ट, कामर्स, साइंस बी0ए0 टू पी0जी0 एक साथ खोल दिये गये लेकिन वहां पर टीचर नहीं हैं तो उसकी परिणति यह हुई कि वहां के विद्यार्थियों को प्रैक्टिकल के लिए ऋषिकेश आना पड़ा तो उन्होंने क्या प्रैक्टिकल दिया होगा। जब वहां पर विद्यालय में टीचर ही नहीं हैं तो विद्यार्थी क्या प्रैक्टिकल करेगा। विद्यालय खोल दिये लेकिन स्टाफ नहीं दिया। तो उन विद्यालयों में कितने भवन बनाये गये इन तीन सालों में, कितने विद्यालय भवनों का निर्माण इस सरकार द्वारा किया गया है ? इन महाविद्यालयों में कितनी नियुक्तियां हैं ? विजिटिंग फैकल्टी की नियुक्ति की गई, यह नियुक्तियां दूर दराज के विद्यालयों के लिए थीं लेकिन आज उनका स्थानान्तरण हल्द्वानी, देहरादून और हरिद्वार में कर दिया गया है। एक्सीलेंसी की बात सरकार करती है, यह ठीक है, एक्सीलेंसी आनी चाहिए, तो क्या बिना अध्यापकों के एक्सीलेंसी आ जायेगी ? अभी मंत्री जी ने बताया कि 122 प्रवक्ताओं की नियुक्ति लोक सेवा आयोग के माध्यम से कर दी गई है तो क्या इन 122 नियुक्तियों के माध्यम से ही पूरे प्रदेश में एक्सीलेंसी आ जायेगी ? एक्सीलेंसी तो माध्यमिक स्तर पर उत्तरांचल में पहले से ही रही है। लेकिन सरकार ने इन तीन सालों में क्या किया ? मंत्री जी ने अपने भाषण में अपने मुंह मियां मिट्ठू बनने वाली बात को ही चरितार्थ किया है।

मान्यवर, मैं समझता हूं कि सरकार आज तक कोई भी सुव्यवस्थित व्यवस्था यहां पर नहीं बना पाई है। आज महाविद्यालयों की स्थिति को देखा जाय तो वह आज राजनीति के अखाड़े बन गये हैं। इनकी स्थिति सुधारने के लिए सरकार क्या कर पाई ? क्या सरकार ने अपने महाविद्यालयों में संस्कारित शिक्षा देने का प्रावधान किया ? ऐसी कोई उपलब्धि सरकार के पास है कि यहां का विद्यार्थी स्टेट में, देश में क्या कर पा रहा है ? मान्यवर, शोध की बात आती है, कई जगहों पर शोध हो रहे हैं तो क्या कोई हमारे प्रदेश का विद्यार्थी ऐसा है जो स्टेट में या देश के किसी क्षेत्र को लाभ पहुंचा पाया हो ? तो आखिर किस एक्सीलेंसी की बात सरकार कर रही है, यह सरकार को स्पष्ट करना चाहिए। कालेजों में आये दिन लड़ाई झगड़े मार पीट और तरह-तरह के अनैतिक कार्य होते रहते हैं तो समाचार पत्रों के माध्यम से समय-समय पर हमारे सामने आते रहते हैं। मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि सरकार ने अपने प्रदेश के छात्रों को संस्कारित शिक्षा देने के लिए क्या किया है ? मान्यवर, कानपुर के डी0ए0वी0 महाविद्यालय का उदाहरण देना चाहता हूं। अभी वहां पर प्रिंसिपल ने विद्यालय के कैम्पस में स्कर्ट, मोबाइल और तन दिखने वाले कपड़ों पर रोक लगा दी है, और इसके अलावा वहां पर 75 प्रतिशत अटेंडेंस आवश्यक कर दी है, यह दूरदर्शन में एक बार आया था, हमने देखा था तो क्या सरकार संस्कारित शिक्षा की दिशा में उत्तरांचल में प्रयास करेगी ? क्या यहां पर भी इस तरह के प्रावधान होंगे ? मान्यवर, इस तरह का कोई उदाहरण इन 3 सालों में सरकार ने प्रस्तुत किया हो, तो बताएं। तब आप एक्सीलेंसी की बात कर सकते थे। मान्यवर, प्राथमिक

शिक्षा के बारे में कहना है, मैं समझता हूँ कि प्राथमिक शिक्षा नींव है, इसमें सुधार लाए बिना माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार नहीं लाया जा सकता है। मान्यवर, प्राथमिक शिक्षा का जितना ह्रास इन 3 वर्षों में हुआ है, इतना पहले कभी नहीं हुआ। आज प्राथमिक विद्यालयों में बलात्कार और कुकृत्य की घटनाएं सामने आ रही हैं।

जिस उत्तराखण्ड की बात कांग्रेस करती है, उसके दूरस्थ क्षेत्रों के विद्यालयों को खाली करके आप शिक्षकों को तराई में ले आए हैं, क्या इस प्रकार उत्तरांचल राज्य के विकास का जो सपना है, वह पूरा हो जाएगा ? मैं समझता हूँ कि इससे शिक्षा का भला होने वाला नहीं है। जब तक शिक्षा में सृजनशीलता नहीं होगी, तब तक शिक्षा का भला हो ही नहीं सकता। आपने जून 2005 में देहरादून, हरिद्वार और ऊधमसिंह नगर में खाली होने वाले पदों पर अन्तर्जनपदीय कैडर को शिथिल करते हुए अन्तर्जनपदीय स्थानान्तरण से नियुक्ति कर दी है। ये नियुक्तियां पात्र लोगों को नहीं मिली हैं। इससे यहां पर रोजगार के अवसर कम हो रहे हैं। जब तक प्राथमिक शिक्षा ठीक नहीं होगी, तब तक कुछ नहीं हो सकता। मान्यवर, आज पब्लिक स्कूल अभिभावकों को लूट रहे हैं। पब्लिक स्कूलों पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है। आज मध्यम वर्गीय परिवारों में भी बच्चों को पब्लिक स्कूलों में पढ़ाने की ललक बढ़ी है। इससे भ्रष्टाचार पनप रहा है। जो कर्मचारी इन पब्लिक स्कूलों मे कार्यरत हैं, उनको पूरा वेतन नहीं मिलता, इस प्रकार उनका शोषण किया जा रहा है। यदि सरकार इसमें कोई सृजनशील व्यवस्था कर दे तो मैं समझता हूँ कि यह एक अच्छी पहल होगी। मान्यवर, पी०टी०ए० शिक्षकों की बात माननीय मंत्री जी ने कही। ये पी०टी०ए० शिक्षक पिछले 25 सालों से माध्यमिक स्कूलों में पढ़ा रहे हैं और पूरी योग्यता रखते हैं और लगातार अच्छे परिणाम दे रहे हैं। ठीक है, सरकार ने उनके लिए मानदेय की बात कही है लेकिन यह पर्याप्त नहीं है। पी०टी०ए० शिक्षकों को स्थाई नियुक्ति की आवश्यकता है। 500 रुपये से अधिकतम 1200 रुपये तक उनको पेरेन्ट्स एसोसिएशन द्वारा दिया जाता है, सरकार ने उनके बारे में कोई चिन्ता व्यक्त नहीं की है।

मान्यवर, तबादला नीति के बारे में कहना चाहूँगा, जिस प्रकार मेडिकल में कहा गया है कि दूरस्थ क्षेत्रों में सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर भेजे जायेंगे, उसी प्रकार की आवश्यकता आज शिक्षा में भी है। मान्यवर, हमारे यहां का बहुसंख्यक कर्मचारी शिक्षा से जुड़ा हुआ है। जब तक उत्तरांचल राज्य के दूरस्थ क्षेत्रों में शिक्षक नहीं होंगे, तब तक उत्तरांचल राज्य का सपना सही अर्थों में साकार नहीं हो सकता। अब तो अच्छा हो गया है, 5वीं तक कोई बच्चा फेल हो ही नहीं सकता, सब पास हो जायेंगे। मान्यवर, तबादला नीति स्पष्ट होनी चाहिए। सरकार को ऐसी नीति बनानी चाहिए कि जब तक कोई शिक्षक 3 साल या 5 साल, जो भी सरकार नियत करे, तक दूरस्थ स्थानों पर नहीं जाएगा, तब तक उसको पदोन्नति और चयन वेतनमान नहीं मिलेगा। यदि इस तरह की पहल सरकार करेगी तो शिक्षा में अच्छे परिणाम सामने आ सकते हैं। मान्यवर, इससे कर्मचारियों में असन्तोष बढ़ता है। सिफारिशी लोगों का जोर अधिक होगा तो लोग दूसरे रास्ते अन्दर आने का प्रयास करेंगे और हमें योग्य लोग नहीं मिल पायेंगे। अतः हमें किसी सुपर स्पेशलिस्ट की जरूरत नहीं है। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने साहसिक खेलों की बात कही, कला संस्कृति की बात की और कहा कि हम अपने विद्यालयों में साहसिक खेलों को बढ़ावा देना चाहते हैं। इस सम्बन्ध में 11 नवम्बर 2004 ई० को नियुक्ति की

विज्ञप्ति निकाली गई। विशेष कार्य अधिकारी साहसिक खेल के लिए और उसकी लास्ट डेट 20 नवम्बर रखी गई। उस पद का नाम था जिला विशेष कार्याधिकारी साहसिक खेल। मान्यवर, दिनांक 11 नवम्बर से 16 नवम्बर तक छुट्टी थी। मात्र 17, 18, 19, 20 अर्थात् 4 दिन तक ही लोग आवेदन–पत्र भर सकते थे। इन विज्ञप्तियों को निकालने में आखिर किस शातिर का दिमाग काम कर रहा था आप समझ सकते हैं, माननीय अध्यक्ष जी किस तरीके से नियुक्तियाँ की गई। मान्यवर, साहसिक खेल भी पाँच प्रकार के होते हैं। अतः नियुक्तियों में सिफारिशों का जोर अधिक चल रहा है जिस कारण से हमें योग्य अध्यापक नहीं मिल पायेंगे।

इसी तरह से साहित्य और संस्कृति की बात कही गई। मान्यवर, पूर्व वित्त मंत्री जी रमेश पोखरियाल जी द्वारा विधान सभा के ठीक पीछे एक प्रेक्षाग्रह का शिलान्यास किया गया था। मान्यवर, पूर्व में देहरादून जब उत्तर प्रदेश का हिस्सा था तो सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए जाना जाता था। क्या सरकार ने सांस्कृतिक वातावरण तैयार करने के लिए कोई प्रयास किया है ? पूर्व वित्त मंत्री जी ने जिस प्रेक्षागृह का शिलान्यास किया था क्या उस पर आज तक सरकार ने कोई विचार किया ? उसको बनाने के लिए मैं सरकार से अनुरोध करूँगा कि वह इस पर विचार करे और दून में एक सांस्कृतिक वातावरण का उदय हो। मान्यवर, देहरादून सांस्कृतिक गतिविधियों का केन्द्र रहा है। मान्यवर, कोटद्वार में आज तक कोई स्थान चयनित नहीं हुआ है। माननीय नेगी जी यहाँ पर बैठे हैं शायद वे मेरी बातों को सुनकर इस पर विचार करेंगे। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने समान शिक्षा की बात कही। हम सी0बी0एस0ई0 का पाठ्यक्रम कक्षा 1 से शुरू करेंगे और पहले से सभी बच्चों को अंग्रेजी की पढ़ाई करवाई जायेगी और कक्षा 3 से संस्कृत की पढ़ाई करवाई जायेगी। लेकिन सरकार ने इस ओर ध्यान नहीं दिया है कि हमारे पास योग्य शिक्षकों की कमी है। जब हमारे पास योग्य शिक्षक होंगे तभी पढ़ाई का अच्छा वातावरण बनेगा। विद्यालयों में अच्छा वातावरण कैसे बने, इसके लिए सरकार द्वारा क्या प्रयास किया जा रहा है इस बारे में सरकार को बताना चाहिए।

मान्यवर, निःशुल्क पाठ्यपुस्तकों की बात आती है तो यह देखने में आया है कि वे पुस्तकें बच्चों तक नहीं पहुँच पाती हैं इससे उनकी पढ़ाई प्रभावित होती है। जब शहरी क्षेत्रों में पढ़ने वाले बच्चों को वे पुस्तकें समय पर नहीं मिलती हैं तो दूरस्थ क्षेत्रों में क्या हाल होगा ? इसके बारे में सरकार को नीति बनानी चाहिए कि सत्र प्रारम्भ होते ही बच्चों को पाठ्य पुस्तकें मिल जाएं। मान्यवर, अगला सत्र प्रारम्भ होने वाला है सरकार को इस बारे में त्वरित कार्यवाही करनी चाहिए। मान्यवर, शिक्षा मंत्री जी के यहां पर बार–बार बयान आते थे कि उन्होंने 20 हजार नियुक्तियां कर दी हैं। इसके बारे में जानना चाहता हूँ कि ये नियुक्तियां किस–किस जनपद में हुई हैं और किस–किस जनपद में कितनी–कितनी नियुक्तियां हुई हैं। मान्यवर, सरकार के बजट में मात्र आंकड़ों का खेल है, यह बजट दिशाहीन है, इसमें कोई दिशा नहीं है, इसलिए मैं इस बजट की आलोचना करता हूँ।

(सदन में मोबाइल की घंटी बजने पर)

श्री अध्यक्ष–

मोबाइल को मेरे पास दीजिए।

श्री महेन्द्र भट्ट–

मान्यवर, मैं माननीय त्रिवेन्द्र सिंह रावत जी द्वारा रखे गये कटौती के प्रस्ताव पर बल देने के लिए खड़ा हुआ हूँ। अभी माननीय मंत्री जी का बजट भाषण चल रहा था, शिक्षा जैसे विषय पर बहुत सी बातें कही गयी, उनको मैं दोहराना नहीं चाहता हूँ। मान्यवर, मैं कुछ बातों को देख रहा था, तो इसमें मुझे आशंका हुई। मान्यवर, अभी पिछले दिनों सत्र के दौरान शिक्षा मंत्री जी ने एक बात कही थी कि हम कुछ प्राथमिक विद्यालयों को बन्द करने जा रहे हैं, जहां पर 10 से कम बच्चे हों। मान्यवर, आज केन्द्र में माननीय मुरली मनोहर जोशी जी मंत्री नहीं हैं जिन्होंने सर्वशिक्षा अभियान का श्रीगणेश किया। मान्यवर, सर्व शिक्षा अभियान के तहत प्राथमिक और माध्यमिक स्कूल खुल रहे हैं सर्व शिक्षा का सर्वे हो रहा है। मान्यवर, जो विद्यालय जीर्ण–शीर्ण अवस्था में थे, इनके लिए एक चार्ट बना था। इसी चार्ट के आधार पर उनको सुधारना था। परन्तु मान्यवर, आज इस आधार पर विद्यालयों का सुदृढीकरण नहीं हो रहा है। जो मानक पहले बनाये गये थे, उसके आधार पर विद्यालय नहीं खोले जा रहे हैं। मान्यवर, आज राजनीतिक कारणों से एक ग्राम सभा में दो–तीन विद्यालय खोल दिये जाते हैं। आज भी दूरस्थ के क्षेत्रों में जहां पर विद्यालय की आवश्यकता है, वहां पर विद्यालय नहीं खुले हैं जबकि विद्यालय खोलने की इनकी मांग थी। इनको नजरअंदाज किया गया है। मान्यवर, जिन विद्यालयों की रिपेयरिंग होनी चाहिए थी, उनकी रिपेयरिंग नहीं हुई है। मान्यवर, संस्कृत विश्वविद्यालय की बात कल भी मैंने यहां पर कही थी और आज भी कह रहा हूँ। मान्यवर, कितना अच्छा होता कि इस विश्वविद्यालय का नाम भी बदरी–केदार संस्कृत विश्वविद्यालय हो। मान्यवर, रामनगर में संस्कृत के माध्यमिक विद्यालय सम्बद्ध हुए हैं। हरिद्वार में संस्कृत अकादमी खोल दी गयी है जबकि गढ़वाल में सर्वाधिक संस्कृत महाविद्यालय हैं वहां पर संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना होनी चाहिए थी। विद्यापीठ रुद्रप्रयाग जनपद में है जो इसके लिए उपयुक्त है।

मान्यवर, जनपदों की बात करना चाहता हूँ इसमें रानीखेत, बागेश्वर, खटीमा, ऊधमसिंह नगर के लिए राजकीय विद्यालय में पद सृजन की घोषणा की गयी है। मान्यवर, जबकि मेरे विधान सभा क्षेत्र कर्ण प्रयाग में महाविद्यालय में विज्ञान संकाय तो खुला है परन्तु वहा पर अध्यापक नहीं है। मान्यवर, यहीं राजकीय महाविद्यालय पोखरी में एक प्रधानाध्यापक द्वारा यहां पर महाविद्यालय चलाया जा रहा है। वहां पर पदों के सृजन की मांग चल रही है। महोदय, उत्तरांचल में नये महाविद्यालय खोले गये थे उनकी दयनीय स्थिति में सुधार के लिए कोई प्राविधान नहीं किया गया है। मान्यवर, मैं सरकार से अपेक्षा करता हूँ कि जब तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में राजकीय पॉलीटेक्निक साल्ट, कोटाबाग तथा बागेश्वर जनपद में तो खोले गये, परन्तु जनपद टिहरी, उत्तरकाशी, चमोली, पौड़ी एवं रुद्रप्रयाग में विगत कई वर्षों से पॉलीटेक्निक की मांग हो रही है। मान्यवर, हमारे विकास खण्डों में इसकी मांग चल रही है।

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, यह कटौती का प्रस्ताव है।

*श्री दिनेश अग्रवाल–

मान्यवर, आपने चर्चा में भाग लेने के लिए जो मौका दिया, उसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। मान्यवर, उत्तरांचल की वर्तमान सरकार ने तीन वर्षों में शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छा कार्य किया है, उसके लिए मैं सरकार को बधाई देना चाहता हूँ। मान्यवर, हमारी सरकार ने सर्व शिक्षा अभियान और दूरस्थ क्षेत्रों में जिस प्रकार से शिक्षा का फैलाव करने का कार्य किया है वह बहुत बड़ी उपलब्धि है। मान्यवर, केरल के बाद उत्तरांचल एक ऐसा राज्य है जिसमें हम गर्व से कह सकते हैं कि आज केरल के बाद देश का दूसरा राज्य है जहाँ पर शिक्षा का प्रतिशत बहुत अच्छी स्थिति में है। मान्यवर, प्राथमिक, माध्यमिक, विश्वविद्यालय लेवल की शिक्षा में हम आगे बढ़ रहे हैं और आज बड़ा सराहनीय कार्य सरकार करने जा रही है, वह दून विश्वविद्यालय का काम है। उसकी मांग पहले से थी और वह कार्य पूरा होने जा रहा है, उसके लिए बधाई देना चाहता हूँ।

*श्री काशी सिंह ऐरी–

मान्यवर, एक तथ्य कहना चाहूँगा कि आपने कहा कि केरल के बाद साक्षरता में हमारा प्रदेश दूसरे स्थान पर है। मान्यवर, जबकि सरकार ने प्रकाशित करके आंकड़े दिये हैं और उसमें है कि महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर है और उत्तरांचल तीसरे स्थान पर है। मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूँ कि आप सही हैं या सरकार सही है।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, संख्या की दृष्टि से नम्बर 2 पर हैं।

श्री काशी सिंह ऐरी–

मान्यवर, शिक्षा का आकलन प्रतिशत में ही होता है, जनसंख्या में नहीं होता है।

श्री दिनेश अग्रवाल–

मान्यवर, मैं बधाई देना चाहूँगा कि आज उत्तरांचल में सी0बी0एस0ई0 बोर्ड को अपनाया है, वह महत्वपूर्ण कदम है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश बोर्ड के तहत होता था, और जो दिल्ली जाना चाहते थे उनको कितनी परेशानी होती थी। आज सी0बी0एस0ई0 बोर्ड लाये यह अच्छा कदम उठाया। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूँ कि छोटे पब्लिक स्कूल मशरूम की तरह खुल रहे हैं, उन पर नियंत्रण होना चाहिए। मान्यवर, हमारे यहाँ नैनीताल, देहरादून, मसूरी ऐसी जगह हैं जहाँ पब्लिक स्कूल की शिक्षा देश में प्रसिद्ध है। कुछ पब्लिक स्कूल बेलगाम हो जाते हैं उस पर भी नियंत्रण होना चाहिए। मान्यवर, उन पर अंकुश लगाना चाहिए मैं सरकार को बधाई देना चाहूँगा। आज पूरा प्रदेश लगातार प्रगति की ओर जा रहा है, उस पर हमारा ध्यान केन्द्रित है उसके लिए मैं पुनः सरकार को बधाई देना चाहूँगा।

श्री प्रकाश पंत–

माननीय अध्यक्ष जी, सरकार ने अपना शिक्षा का बजट रखा और उस शिक्षा के बजट में मैं सरकार को बधायी देना चाहूँगा, आज उसने पहली बार स्वीकार किया है कि उत्तरांचल राज्य की इस सरकार को तीन वर्ष हो गये हैं और वह आज तक की तिथि

---

*वक्ताओं ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

तक शिक्षा की नीति नहीं बना पायी। जो हमारे यहाँ वर्तमान में शिक्षा नीति चल रही है वह अविभाजित उत्तर प्रदेश के अनुरूप चल रही है। मान्यवर, पलायन पहले भी होता था और आज भी हो रहा है। नेता सदन ने अपने बजट भाषण में इस बारे में कहा है मगर इस बजट में धन की व्यवस्था नहीं की है। मान्यवर, बजट भाषण में लिखा है कि कक्षा एक से अंग्रेजी पाठ्यक्रम लागू किया जायेगा। इसकी व्यवस्था कहाँ से होगी, यह उल्लेख नहीं है। मान्यवर, विकलांगों को उपकरणों की सहायता दिये जाने की बात कही गई है, मगर बजट में इसका भी उल्लेख नहीं है। मान्यवर, कक्षा तीन से संस्कृत की शिक्षा दी जायेगी, वह किस माध्यम से दी जायेगी उसका भी उल्लेख नहीं किया गया। मान्यवर, उर्दू अध्यापकों के 267 पदों का उल्लेख नेता सदन ने किया है मगर बजट में इसका उल्लेख भी नहीं है। दूसरा राजकीय कन्या विद्यालय असेवित विकास खण्डों में खोले जाने की बात कही गई है, मेरा क्षेत्र असेवित क्षेत्र है जो नेपाल की सीमा से लगा हुआ है। वहाँ पर राजकीय कन्या इण्टर कालेज विकास खण्ड विण में खोले जाने की बात लगातार उठ रही है। मान्यवर, मैं आंकड़ों की तरफ शिक्षा मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ। हमारे यहाँ एक हजार ग्यारह प्राथमिक विद्यालय ऐसे हैं जिनमें अध्यापक नहीं हैं, जिनमें पाँच हजार पचपन पद भी सृजित हैं। जो आज भी रिक्त पड़े हैं।

मान्यवर, दूसरी बात यह है कि जो कक्षा एक से पाँच तक के प्राथमिक विद्यालय हैं उनमें मात्र एक अध्यापक या दो अध्यापक हैं वह पाँच कक्षाओं को कैसे संचालित करता होगा और जो यहाँ से पढ़कर बाहर आता होगा उनका बौद्धिक स्तर क्या होगा ? मान्यवर, इसके साथ ही यहाँ पर खेल का भी बजट रखा गया है। मान्यवर, आप बार-बार घड़ी देख रहे हैं। (व्यवधान) इसमें खेल के बारे में भी आपने उल्लेख किया है लेकिन इस बजट में खेल के लिए कोई विशेष प्रावधान नहीं किया गया है। जबकि इसके लिए विशेष ध्यान दिये जाने की आवश्यकता थी। मान्यवर, हमारे पड़ोसी देश चीन ने प्रयत्न किया और 12 हजार फीट की ऊँचाई पर उसने अपने खिलाड़ियों को प्रशिक्षण दिया और तभी उन्होंने ओलम्पिक में अपना स्थान बनाया था। यदि हम भी अपने खिलाड़ियों को ऊँचाई पर प्रशिक्षण दें तो हम भी ओलम्पिक में स्थान बना सकते हैं। महिला पॉलीटेक्निक की आपने बात कही है। पिथौरागढ़ में महिला पॉलीटेक्निक खोला जाये जिससे यहाँ की बालिकाओं को तकनीकी शिक्षा ग्रहण करने में सुविधा होगी। मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूँगा कि इस राज्य के लिए ठोस शिक्षा नीति अगले सत्र में लेकर आएं तभी शिक्षा के मूलभूत विरोधों का निराकरण हो सकेगा।

नेता प्रतिपक्ष (श्री मातबर सिंह)–

मान्यवर, माननीय त्रिवेन्द्र सिंह रावत जी ने जो कटौती का प्रस्ताव रखा है, मैं उसका समर्थन करता हूँ और आशा करता हूँ कि चन्द शब्दों में मैं कुछ सुझाव दे रहा हूँ, सरकार इस पर अमल करे। जो शिक्षा का ढांचा बनाया गया है वह इतना विस्तारित ढांचा बनाया गया है कि हमारा सबसे ज्यादा राजस्व नॉन प्लान में चला जाता है। मैं कहना चाहता हूँ कि इसकी समीक्षा होनी चाहिए। हमारा अधिकांश पैसा ढांचे में ही खर्च हो जाता है। लम्बे समय से हमारे उत्तरांचल में अशासकीय विद्यालय हैं जो अनुदान की मांग कर रहे हैं और उनको अनुदान नहीं दिया जा रहा है। वहाँ पर फैक्ट्री नहीं है, उद्योग नहीं हैं अच्छा होगा यदि आप इन विद्यालयों को अनुदान दे दें तो इनमें पठन-पाठन

सही ढंग से हो पायेगा। माध्यमिक शिक्षा में आपने कहा कि हमने बहुत से स्कूल खोले हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि महाविद्यालयों और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में पूरा स्टाफ नहीं है तो इसका उद्‌देश्य कैसे पूरा होगा ? अधिकांश महाविद्यालयों में एक ही अध्यापक है। वही अध्यापक है और वही प्रधानाचार्य है। तो ऐसे स्कूल खोलने से क्या फायदा होगा ?

बेसिक शिक्षा की बहुत ही दुर्गति है। जो हमारे शिक्षा की बुनियाद है उसमें सही ढंग से शिक्षा नहीं दी जा रही है, उसमें पठन-पाठन सही नहीं हो पा रहा है। बेसिक विद्यालयों में अधिकांश में एक ही अध्यापक है। वही वेतन लेने जाता है, वही जनगणना में जाता है। मैं कहना चाहता हूँ कि मानक के अनुसार अगर आप अध्यापकों की नियुक्ति करेंगे तो अच्छा होगा। सभी माननीय विधायकगण जानते हैं सुविधाजनक स्थानों पर अध्यापकों की भरमार है। कहीं पर 4-4 अध्यापक हैं तो कहीं पर मात्र 1-1 अध्यापक हैं। मानक के अनुसार आप अध्यापकों की नियुक्ति करें। एक बेसिक विद्यालय में कम से कम 2 अध्यापकों की नियुक्ति होनी चाहिए। शिक्षा के स्तर को ऊँचा करने के लिए यदि सरकार प्रयत्न करेगी तो हमारी शिक्षा के स्तर में सुधार आयेगा लेकिन हमारी सरकार ने यह निर्णय लिया है कि यहाँ पर दून विश्वविद्यालय की हम स्थापना करेंगे। मैं कहना चाह रहा था कि दून विश्वविद्यालय की स्थापना करने से पहले प्राइमरी शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा को अच्छा करें तो बेहतर होता। यही दो तीन सुझाव थे मान्यवर, यदि सरकार इन्हें सम्मिलित करे तो अच्छा होता।

श्री मदन कौशिक-

मान्यवर, दो-तीन बिन्दु हैं

(व्यवधान)

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश-

मान्यवर, थोड़ा तो परम्पराओं का पालन इन्हें करना चाहिए जब नेता प्रतिपक्ष बोल चुके हैं तो, अब उत्तर आना चाहिए।

(व्यवधान)

श्री मदन कौशिक-

मान्यवर, दो-तीन बिन्दु हैं।

श्री अध्यक्ष-

माननीय कौशिक जी आप बैठ जांय।

श्री प्रकाश पंत-

मान्यवर, चूंकि कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत हो चुका है। माननीय सदस्यों ने जो सुझाव रखे हैं उनको क्या सरकार द्वारा सम्मिलित किया जायेगा ?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश-

मान्यवर, त्रिवेन्द्र सिंह रावत जी ने जो शिक्षा के बारे में अपने सुझाव रखे हैं और अन्य माननीय सदस्यों ने भी रखे तो मैं बताना चाहती हूँ कि जैसा त्रिवेन्द्र जी ने कहा कि देहरादून, अल्मोड़ा, पौड़ी और नैनीताल पहले से ही अच्छी शिक्षा के केन्द्र रहे हैं यह

ठीक है तो इसी शिक्षा को और आगे बढ़ाने को दून विश्वविद्यालय बन रहा है। यह ठीक है कि देहरादून और मसूरी में कई ऐसे विद्यालय तब से चल रहे हैं जब यहाँ पर गुलामी थी जो अच्छी शिक्षा के लिए देश ही नहीं विदेशों में भी जाने जाते थे और उनमें हिन्दुस्तान के राजे महाराजों के बच्चे सुरक्षा की दृष्टि से भी यहाँ पर पढ़ने आते थे, तो उसी का आधार बनाकर, आपने एक बात और कही कि गुरुकुलों के माध्यम से हमारे हरिद्वार में शिक्षा दी जाती रही है, आज भी वहाँ पर कई गुरुकुल चल रहे हैं अन्तर यह है कि जो पहले विद्यालय थे वह पब्लिक स्कूल थे, लेकिन आज हमने वही शिक्षा सरकारी स्कूलों में दी है, और उसी शिक्षा को और आगे बढ़ाने के लिए कदम बढ़ाये हैं। जो देहरादून की शिक्षा के क्षेत्र में ख्याति थी, उसे दून विश्वविद्यालय भी आगे बढ़ायेगा। 21वीं सदी में देश आज जा रहा है और उसी ओर यह हमारा बहुत छोटा कदम है। जवाहर लाल नेहरू जी कहा करते थे 'माइल्स टू गो, माइल्स टू गो, बिफोर आइ स्लीप', अभी तो यह हमारा छोटा कदम है अभी यह प्रदेश शैशवावस्था में है, 4 वर्ष ही इसे हुये हैं जिसमें से 3 वर्ष का समय आपने कृपा कर हम लोगों को दिया है। तीन वर्षों में, शैशवावस्था में जितनी तेजी के साथ शिक्षा के क्षेत्र में कार्य हुये वह स्वागत योग्य हैं। जितनी स्वीकार्यता हुई, उतना कार्य हुआ। इन्टैल के माध्यम से डिजिटल लाइब्रेरी और कम्प्यूटर की शिक्षा हमारे यहाँ के छात्र ले रहे हैं। शिक्षकों की कमी है और हम इसे पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। दावा तो नहीं कर रहे हैं लेकिन हर वर्ष नई नियुक्तियाँ हो रही हैं और इसे पूरा करने का प्रयास है और आगामी वर्षों में जहाँ पर अध्यापक नहीं हैं नियुक्तियाँ हो जायेंगी।

त्रिवेन्द्र जी ने एक और बात की ओर ध्यान आकृष्ट किया कि महाविद्यालय राजनैतिक अखाड़े बनते जा रहे हैं। यह बहुत पहले से चिन्तन का विषय है कि महाविद्यालयों में राजनीति का समावेश होना चाहिए या नहीं। आज राजनीति के अखाड़े अगर वे बन गये हैं ऐसा यदि महसूस करते हैं तो इसके लिए राजनीति ही दोषी है, जिम्मेदार है। मान्यवर, चाहे आप हों, चाहे हम हों, चाहे कोई और हो, हमें इस पर चिन्तन करना पड़ेगा कि क्या राजनीतिज्ञों का विद्यालयों में दखल प्रतिबन्धित कर दिया जाय, इस पर सबकी राय आनी चाहिए। विद्यालय बिना राजनीतिज्ञों के प्रवेश के राजनीति का अखाड़ा नहीं बन सकते हैं, इसको रोकने के लिए हमको सार्थक पहल करनी होगी और दलगत राजनीति से ऊपर उठकर इस पर सोचना चाहिए। मान्यवर, शोध के बारे में आपने कहा। आज कम्प्यूटर शिक्षा है, सेटेलाईट शिक्षा है, इन्टरनेट शिक्षा है, डिजिटल लाइब्रेरी है, हम यह नहीं कहते कि सारे बच्चे इसका लाभ नहीं ले रहे हैं। आज सेटेलाईट और डिजिटल लाइब्रेरी सबका ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। आज टी०वी० में हिस्ट्री चैनल, ज्योग्रेफिक चैनल और डिस्कवरी चैनल आ रहे हैं, इन चैनलों को बच्चे तो ध्यान से देखते ही हैं, उनके अभिभावक भी इनमें रुचि लेते हैं और इनसे शिक्षा ग्रहण करते हैं। इस प्रकार सार्थक परिणाम निकल रहे हैं, यह परिणाम 100 फीसदी हैं या नहीं यह तो शोध का विषय है। आज भारत के टैलेन्ट को दुनिया ने स्वीकार किया है, हमारे देश के बच्चे अमेरिका और ब्रिटेन में भी अपना टैलेन्ट दिखा रहे हैं। इसका उदाहरण सिलिकॉन वैली है, इसमें भारत के उद्योगपति भी हैं और भारत के विद्यार्थी भी। हम कमजोर विद्यार्थियों के मनोबल को बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे यहाँ के प्रतिभाशाली लोग आज विदेशों में तथा देश में अपनी प्रतिभा का उपयोग कर रहे हैं।

वहाँ पर रिसर्च और डेवलपमेंट की शोध शालाएं हैं या नहीं यह तो चिन्तन की बात है। दुनिया के देशों में आज आर०एन०डी० पर जोर है। इस दृष्टि से आवश्यक है कि हम अपने यहाँ के बच्चों का मनोबल बढ़ायें।

मान्यवर, आपने कहा कि संस्कारगत शिक्षा होनी चाहिए। हमने तो सुना है कि माँ की गोद में सबसे पहले बच्चा संस्कार सीखता है, विनम्र विद्यार्थी के रूप में मैंने भी सीखा है। शिक्षा का प्रारम्भ मां की गोद से होता है। इसके बाद बच्चा कुछ घर से, कुछ वातावरण से, कुछ परिवेश से और कुछ विद्यालय से सीखता है। हमने प्रयास किया है कि हम बच्चों को अच्छा वातावरण उपलब्ध कराएं आपने कहा कि आज सैल फोन तथा तरह–तरह की विधाएं निकल कर आयी हैं, इनसे बहुत परेशानी हो रही है। हमें बच्चों को अच्छे संस्कार देने होंगे, इसके लिए हम सब जिम्मेदार हैं। समाज में रहने वाले हर व्यक्ति का दायित्व है कि हम बच्चों को संस्कारवान बनाएं। बलात्कार जैसी घटनाओं की निन्दा की जानी चाहिए लेकिन इनका राजनीतिकरण नहीं करना चाहिए। इसकी घोर भर्त्सना की जानी चाहिए। मान्यवर, जो आप आलोचना कर रहे हैं वह ठीक है इसमें तो कठोर दण्ड की व्यवस्था होनी चाहिए। बड़े शर्म की बात है। ऐसी घटनाओं से हमारी गर्दन शर्म से झुक जाती है। यदि विद्या देने वाला इस तरह की कुत्सित हरकत करेगा तो इसका मतलब है कि वह व्यक्ति संस्कारहीन है। इसमें किसी दल या सत्ता की बात नहीं है। ऐसी घटनाओं पर तो सख्त से सख्त सजा मिलनी ही चाहिए और ऐसी घटनाओं की निंदा करने तथा इन्हें रोकने के लिए पूरे समाज को आगे आना होगा। यह हमारा नैतिक दायित्व भी है। मान्यवर, पब्लिक स्कूलों की बात कही कि इन पर सरकार का कोई अंकुश नहीं है। मान्यवर, वास्तव में इन पर सरकार कोई अंकुश लगा भी नहीं सकती है। जब हम लोग उत्तर प्रदेश में थे यहाँ पर बैठे हुए कुछ माननीय सदस्य वहाँ के सदन के भी सदस्य रहे हैं और वहाँ भी हम लोगों ने भी इन पर अंकुश लगाने का काफी प्रयास किया। इन पर अंकुश लगाने के लिए पूरे देश में भ्रमण भी किया गया किन्तु सफलता नहीं मिल पाई। यह सही है कि उन पर सरकार का मात्र एक ही अधिकार है जब वह एन०ओ०सी० देती है कि हम आपको सी०बी०एस०ई० के लिए एन०ओ०सी० देते हैं। तमाम तरह के दबाव रहते हैं। इसके लिए कोई नियंत्रण नहीं है सरकार का। इन स्कूलों में पढ़ाने वाले अध्यापकों को रेग्यूलराइज कराने के लिए तथा बहुत अधिक मेहनत के बाद भी इन्हें कम वेतन मिलता है इसके लिए, हम सबको प्रयास करने होंगे। इसके लिए वास्तव में नियम बनाने की आवश्यकता है। यह चिन्ता हम सब की है।

मान्यवर, वहाँ पर नियुक्तियों में भी आरक्षण कोटे का ध्यान नहीं रखा जाता है और आरक्षित कोटे में बच्चों के प्रवेश के लिए भी कोई कठोर व्यवस्था नहीं है। हाँ, उनके विद्यालयों की जब कभी चैकिंग की जाती है तो उस वक्त वह थोड़ा बहुत नियमों का पालन कर लेते हैं। मान्यवर, इन विद्यालयों पर अंकुश लगाने के लिए हमें सबके सहयोग की आवश्यकता है। केवल मात्र सत्ता पक्ष द्वारा ही इन विद्यालयों पर अंकुश नहीं लगाया जा सकता है। इसके लिए सभी दलों को आगे आना होगा। मान्यवर, असेवित क्षेत्रों में विद्यालयों के निर्माण की बात कही गई। मान्यवर, इसके लिए कटिबद्ध हैं कि असेवित क्षेत्रों में विद्यालय बनेंगे। आप यदि कोई असेवित क्षेत्र हमें बतायेंगे तो हम वहाँ पर अवश्य ही एक विद्यालय खोलेंगे। मान्यवर, जो अध्यापक पढ़ाते हैं उनको ए०सी०पी०

तो आती है। मान्यवर, प्राइमरी स्कूलों में अध्यापक पहाड़ी क्षेत्रों में एक या दो रहते हैं ज्यादा से ज्यादा शहरी क्षेत्र में तीन अध्यापक रहते हैं। मान्यवर, यह व्यवस्था आज से नहीं जब हम पढ़ते थे तब भी यही व्यवस्था थी। मान्यवर, मैं संस्कृत विषय के बारे में कहना चाहती हूँ कि यदि कोई हिन्दी का अध्यापक है तो उसके लिए यह आवश्यक है कि संस्कृत भी उसका विषय हो। मान्यवर, मैं स्पष्ट कर दूं कि यदि कोई अध्यापक इतिहास में एम0ए0 न हो फिर भी वह कक्षा 8 तक इतिहास पढ़ा सकता है। इसी तरह कोई अध्यापक अंग्रेजी साहित्य का न हो, फिर भी वह कक्षा 8 तक अंग्रेजी पढ़ा सकता है। मान्यवर, खेलों के प्रोत्साहन की बात है तो इस ओर हम ध्यान दे रहे हैं। पर्वतीय क्षेत्रों के लोग खेलों में मजबूत होते हैं। पहले जब प्रतियोगिता होती थी तो उसे पिथौरागढ़ और पौड़ी के लोग अक्सर जीत लेते थे।

मान्यवर, माननीय पंत जी ने चाइना का जिक्र किया। यह ठीक है चाइना इस क्षेत्र में बहुत आगे हैं। हमें देश और प्रदेश स्तर पर इसको प्रोत्साहन के लिए आधुनिक प्रशिक्षण देना होगा। मान्यवर, हमें कुछ खेलों में एक्सीलेंस का प्रयास करना होगा। इस दिशा में हम प्रयास कर रहे हैं। मान्यवर, जहां तक तबादले का प्रश्न है तो इस दिशा में माननीय शिक्षा मंत्री जी ने स्पष्ट नीति बनायी है। पर्वतीय क्षेत्रों में कठिनाई तो होती है। यदि कोई अध्यापक 15–16 साल से वहां पर कार्य कर रहा हो तो वह अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए अपना तबादला कराना चाहता है। मान्यवर, पर्वतीय क्षेत्र और मैदानी क्षेत्र की स्थिति में हम संतुलन बैठाये हुए हैं। मान्यवर, फिर भी कहीं न कहीं कमी रह गयी हो तो उसको दूर किया जायेगा। मान्यवर, जहां तक स्कूलों के ढांचे की बात है तो इसमें हमें सुधार करना ही होगा क्योंकि सभी कहते हैं कि स्थिति जीर्ण–शीर्ण हो गयी है। मान्यवर, कोई नहीं चाहता है कि उसके बच्चे जाड़े में कंपकंपायें और बरसात में भीगें। इसलिए हमें इन भवनों को ठीक करना ही होगा।

मान्यवर, जो बजट है उसमें वित्तीय कठिनाई को देखते हुए हमने विकास का कार्य रोका नहीं, लेकिन वह सब रेग्यूलराइज है, इसके लिए कोशिश है। आपने कहा कि अतिरिक्त कार्य लिए जाते हैं जनगणना में, तो माननीय शिक्षा मंत्री जी ने घोषणा की थी कि कोई भी प्राइमरी शिक्षक से नहीं होगा। मान्यवर, यह विकासशील प्रदेश है, अपनी गरीबी, कमजोरी के बीच में प्रयास कर रहे हैं।

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है, एक त्रुटि हुई है। हमारा यह सदन उत्तर प्रदेश की परम्पराओं पर निर्भर है। जब माननीय सदस्य कटौती का प्रस्ताव रखते हैं और उसके समर्थन में और विरोध में माननीय सदस्य चर्चा में भाग लेते हैं। कटौती का प्रस्ताव रखना पड़ता है यह उत्तर प्रदेश की परम्परा है, उसके पश्चात् उत्तर आता है, मा0 सदस्य फिर बोल देते हैं।

श्री अध्यक्ष–

त्रुटि नहीं हुई है।

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, माननीय सदस्य को मौका नहीं मिला। यह आगे से परम्परा न हो।

श्री अध्यक्ष–

हमारी तरफ से कोई त्रुटि नहीं हुई है। मैंने माननीय मंत्री जी को पुकारने से पहले आपको पुकारा था।

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

मान्यवर, यह ठीक है कि आपने पुकारा था, लेकिन माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी खड़ी हो गई तो शिष्टाचार के नाते मैं बैठ गया।

श्री पुष्पेश त्रिपाठी–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी से एक स्पष्टीकरण चाहता हूँ कि प्राविधिक शिक्षा विभाग की प्रगति आख्या में आपने राज्य के एक इंजीनियरिंग कॉलेज को एन0आई0टी0 व आर0ई0सी0 विकसित करने हेतु मानव संसाधन विकास मंत्रालय के निर्णय की उपेक्षा की है। क्या माननीय मंत्री जी बता सकते हैं कि किस इंजीनियरिंग कॉलेज को एन0आई0टी0 दर्जा देने की सिफारिश राज्य सरकार ने की है और किस आधार पर की है। जहाँ तक मैं समझता हूँ कि कुमाऊँ इंजीनियरिंग कॉलेज द्वाराहाट एन0आई0टी0 दिये जाने हेतु सारे मानक पूर्ण करता है और पूर्व में भी इसकी संस्तुति उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आज से पूर्व की गई थी।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, इसमें कोई दो राय नहीं कि द्वाराहाट इंजीनियरिंग कॉलेज बहुत श्रेष्ठ भवन में बना है और श्रेष्ठता से युक्त है पर यहाँ से दोनों ही इंजीनियरिंग कॉलेज का प्रस्ताव गया है, चयन का कार्य उन पर छोड़ दिया है।

श्री पुष्पेश त्रिपाठी–

किस आधार पर ?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

आधार वही, क्वालिटी मार्क्स पर।

श्री काशी सिंह ऐरी–

मान्यवर, माननीय प्रकाश पंत जी ने कटौती का प्रस्ताव रखा, एक सुझाव देना चाहूँगा। मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने स्वीकार किया है कि चीन के खिलाड़ी आगे रहते हैं। सरकार देहरादून में अन्तर्राष्ट्रीय स्टेडियम बनाने जा रही है। ऊँचाई वाले क्षेत्र पिथौरागढ़ के रिकार्ड को देखते हुए खेल मंत्री जी सहमत होंगे कि वहाँ के स्टेडियम को जैसा कि यहाँ देहरादून में अन्तर्राष्ट्रीय स्टेडियम बन रहा है, पिथौरागढ़ में भी राष्ट्रीय स्तर का स्टेडियम बनाने पर विचार करेंगे।

*पंचायतीराज मंत्री (श्री प्रीतम सिंह)–

मान्यवर, स्थान चयन के बारे में सरकार विचार करेगी।

श्री काशी सिंह ऐरी–

मान्यवर, उसमें पिथौरागढ़ को वरीयता देंगे।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, क्या पिथौरागढ़ पर विचार करेंगे ?

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, स्थान चयन के बारे में सरकार विचार करेगी।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 11 शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2006 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 11, शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, तथा लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त रुपये 12789130 हजार (बारह सौ अट्ठहत्तर करोड़ इक्यानवे लाख तीस हजार मात्र) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री काशी सिंह ऐरी–

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है। बजट का लिटरेचर मिला हमने पढ़ने की कोशिश की। आबकारी और स्वास्थ्य विभाग की बजट सामग्री एक साथ है। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने भोजन कराया हम सोचते थे कि कुछ न कुछ आबकारी मंत्री जी भी करें। (हंसी)

श्री अध्यक्ष–

ऐरी जी का विशेष ख्याल कीजिए।

अनुदान संख्या 16, श्रम और रोजगार

परिवहन मंत्री (श्री हीरा सिंह बिष्ट)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च, 2006 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 16, श्रम और रोजगार विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, तथा लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त रुपये 315459 हजार (इकतीस करोड़ चौवन लाख उनसठ हजार मात्र) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से इस परम् सम्मानित सदन के सम्मुख वित्तीय वर्ष, 2005–2006 के लिए श्रम एवं सेवायोजन विभाग का बजट प्रस्तुत कर रहा हूँ। मान्यवर, वित्तीय वर्ष 2004–2005 के बजट में जिन भौतिक लक्ष्यों को प्राप्त किया गया है उसका विवरण श्रम विभाग के वार्षिक प्रतिवेदन एवं कार्यपूर्ति दिग्दर्शिका के माध्यम से सभी माननीय सदस्यों को उपलब्ध करा दिया गया है। मान्यवर, श्रम विभाग बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग है। समाज के विकास में इसे रीढ़ की हड्डी माना जाता है। यह इतना महत्वपूर्ण

विभाग है। मान्यवर, श्रम विभाग द्वारा वर्तमान वित्तीय वर्ष में 1–5–2004 से 31–1–2005 तक की अवधि में 636 दावों, औद्योगिक विवादों एवं एवार्डों का निस्तारण, परिपालन करते हुए रु0 3 करोड़ 80 लाख 35 हजार की धनराशि 915 श्रमिकों, मृत श्रमिकों के आश्रितों को भुगतान कराई गयी है। इसी प्रकार दिनांक 1–4–2004 से 31–5–2005 तक की अवधि में रु0 2 करोड़ 38 लाख 53 हजार की धनराशि विभिन्न औद्योगिक प्रतिष्ठानों में बोनस के रूप में 7321 श्रमिकों को भुगतान कराई गयी।

विभिन्न औद्योगिक विवादों में 16 समझौते सम्पन्न कराकर औद्योगिक सौहार्द बनाया गया तथा श्रमिकों को ओवर टाइम, वेतन वृद्धि, चिकित्सा लाभ आदि के रूप में सुविधाएं उपलब्ध करायी गयी। इसमें से अकेले थापर कम्पनी, टिहरी के लगभग 650 श्रमिकों को रु0 80 लाख का एकमुश्त लाभ एवं चिकित्सा भत्ता आदि के रूप में आवर्ती लाभ दिया गया। शासन के पक्ष में लगभग रु0 61 लाख पंजीयन एवं नवीनीकरण शुल्क आदि के रूप में राजस्व प्राप्त किया गया। कारखाना अधिनियम के अन्तर्गत प्राप्त 57 नये लाइसेन्स जारी किये गये, 445 लाइसेन्सों का नवीनीकरण किया गया एवं 178 निरीक्षण कर गम्भीर उल्लंघनकर्ताओं के विरुद्ध 6 अभियोजन दायर किये गये। ब्वायलर अधिनियम के अन्तर्गत 144 निरीक्षण किये गये। गत वर्ष 5 बंधुवा श्रमिक चिन्हित किये गये थे जिन्हें अवमुक्त कर रु0 1 लाख राज्यांश व केन्द्रांश के रूप में पुनर्वास सहायता दी गयी थी। बंधुवा श्रम प्रथा के सम्बन्ध में जनजागरण कार्य किया गया और इस दिशा में एक लघु फिल्म भी शीघ्र तैयार कराई जा रही है। राज्य के समस्त जनपदों एवं परगनों में परगनाधिकारी की अध्यक्षता में गठित सतर्कता समितियों की समय–समय पर बैठक आयोजित कर बंधुवा श्रम प्रथा के प्रति सजग दृष्टि रखी जा रही है। कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923 के अन्तर्गत इन मृत श्रमिकों के आश्रितों को देय क्षतिपूर्ति के भुगतान हेतु विभागीय अधिकारियों द्वारा मात्र चार दिन के भीतर ही दिनांक 6–8–2004 को सेवायोजकों से रु0 78 लाख 20 हजार 156 श्रम विभाग में जमा कराकर अन्य राज्यों के समक्ष मृत श्रमिकों के आश्रितों को सूचनायें भेजकर माह नवम्बर, 2004 तक सभी का भुगतान कर मृतक आश्रितों को त्वरित राहत दी गयी।

भारत सरकार द्वारा गरीबी रेखा के इर्द–गिर्द जीवन–यापन करने वाले व्यक्तियों एवं मजदूरों के लिए राज्य में समाज कल्याण विभाग एवं श्रम विभाग आदि द्वारा चलाई जा रही जनश्री बीमा योजना के अन्तर्गत गत वर्ष उत्तरांचल द्वारा 3.98 लाख व्यक्तियों को बीमित कर देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। चालू वित्तीय वर्ष में भी राज्य में 3 लाख 82 हजार 862 बीमित व्यक्ति हैं। इस योजना के अन्तर्गत दिनांक 1–4–2004 से दिनांक 31–1–2005 तक 647 बीमित व्यक्तियों को रु0 1 करोड़ 29 लाख 70 हजार का भुगतान उनके दावों के निस्तारण के रूप में किया गया है। शिक्षा सहयोग के रूप में 94 हजार 5 सौ का भुगतान किया गया। अभी तक राज्य में कुल 1024 दावों में रु0 204.80 लाख का क्लेम तथा एक लाख 83 हजार शिक्षा सहयोग के रूप में इस योजना के अन्तर्गत बीमे का लाभ दिया गया। श्रीमन्, कृषि श्रमिकों की 73 रुपया दैनिक न्यूनतम मजदूरी निर्धारित करते हुए उन्हें वेतन वृद्धि का लाभ दिया गया। चाय बागान श्रमिकों के वेतन में भी वृद्धि की गई। अन्य नियोजनों के श्रमिकों के न्यूनतम वेतन पुनरीक्षण का कार्य भी प्रगति पर है। राज्य में चीनी उद्योग के श्रमिकों को माह जुलाई 2004 से 400 रुपये प्रतिमाह अन्तरिम राहत (भत्ते) में वृद्धि का लाभ दिया गया और भारत सरकार को तदर्थ चीनी वेतन आयोग

की संस्तुति दी गई। चीनी श्रमिकों की सेवा शर्तों को विनियमित करने से सम्बन्धित स्थाई आदेशों की अवधि दिनांक 23-09-2001 से चार वर्षों के लिए बढ़ाते हुए श्रमिकों को लाभान्वित किया गया। चीनी उद्योग में श्रमिकों की समस्याओं के निराकरण हेतु त्रिदलीय समिति गठित कर उसकी अधिसूचना भी जारी कर दी गई है।

मान्यवर, दिनांक 02-08-2004 को टी0एच0डी0सी0 के अन्तर्गत कार्यरत जयप्रकाश इण्डस्ट्रीज कम्पनी में घटित दुखद घटना में 29 श्रमिक मारे गये थे। कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923 के अन्तर्गत इन मृत श्रमिकों के आश्रितों को देय क्षतिपूर्ति के भुगतान हेतु विभागीय अधिकारियों द्वारा मात्र 4 दिन के भीतर ही दिनांक 6-8-04 को सेवायोजकों से 78 लाख 20 हजार 156 रुपया श्रम विभाग में जमा कराकर इन समस्त मृत कर्मकारों के आश्रितों को सूचनाएं भेजकर माह नवम्बर, 2004 तक सभी का भुगतान कर दिया गया। इन मृत श्रमिकों के आश्रित बिहार, उड़ीसा, नेपाल, आंध्र प्रदेश, पंजाब आदि राज्यों के थे। माह जून, 2004 में राज्य सलाहकार संविदा श्रम बोर्ड का पुनर्गठन किया गया है, श्रम न्यायालय, देहरादून में रिक्त चल रहे पीठासीन अधिकारी के पद पर माह अक्टूबर, 2004 में नियुक्ति कर दी गई है, माह नवम्बर, 2004 में 2 सहायक श्रमायुक्तों की उप श्रमायुक्त के पद पर प्रोन्नति की गई है एवं उत्तरांचल राज्य आंदोलन से सम्बन्धित आंदोलनकारियों में से जिलाधिकारी देहरादून की संस्तुति पर दो व्यक्तियों को नियुक्ति प्रदान की गई। विभागीय कार्मिकों को हिल्ट्रान में कम्प्यूटर का प्रशिक्षण प्राप्त कराकर उनकी कार्य क्षमता और कौशल विकास में वृद्धि की प्रक्रिया निरन्तर जारी है। वर्तमान वैश्वीकरण तथा आर्थिक सुधारों के युग में औद्योगिक प्रतिष्ठानों एवं उनमें नियोजित श्रमिकों के हितों को संरक्षित करने के प्रति विभाग का दायित्व और भी अधिक बढ़ जाता है। अतः ऐसी स्थिति के प्रति भी विभाग की सजगता आवश्यक है। उत्तरांचल एक नवसृजित राज्य होने के कारण यहां छोटे-बड़े नये उद्योग स्थापित हो रहे हैं। भवन, सड़क, नहर, जल, विद्युत गृह आदि विभिन्न प्रकार के निर्माण कार्य निजी एवं सरकारी क्षेत्र में बड़े पैमाने पर हो रहे हैं।

मान्यवर, माननीय कांग्रेस अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गाँधी एवं प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से उत्तरांचल राज्य में शीघ्र ही भवन एवं अन्य निर्माण कर्मकार अधिनियम, 1996 को लागू करना शासन की प्राथमिकता में है, जिसके लिए मेरे विभाग की तत्परता से राज्य नियमावली के निर्माण का कार्य अंतिम चरण में है। उत्तरांचल में चल रहे विभिन्न औद्योगिक क्रिया-कलाप जैसे भवन, सड़क आदि मुख्य रूप से असंगठित क्षेत्र के अन्तर्गत आते हैं। असंगठित क्षेत्र की मुख्य पहचान यह है कि असंगठित क्षेत्र का श्रमिक आज भी श्रम कानूनों के अन्तर्गत देय लाभों से पूर्ण रूप से लाभान्वित नहीं है। अतः राष्ट्रीय एवं प्रदेश स्तर पर सामान्य रूप से समस्त श्रम बल को उनके हितलाभ सुनिश्चित कराना श्रम विभाग का दायित्व है। वित्तीय वर्ष, 2005-06 के लिए विभाग द्वारा 2 करोड़ 78 लाख 25 हजार रुपये की योजनाएं आयोजनागत मद में प्रस्तावित की गई हैं। और 3 करोड़ 10 लाख 28 हजार रुपया आयोजनेत्तर मद में प्रस्तावित की गई है। विभाग द्वारा संगठित और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के सर्वेक्षण, श्रम कल्याण श्रम प्रवर्तन तंत्र के सुदृढ़ीकरण, बाल एवं बंधुवा मजदूरों के सर्वेक्षण एवं पुनर्वास के लिए 49 लाख 50 हजार की योजनाएं इस वित्तीय वर्ष में प्रस्तावित की गयी हैं। श्रम न्यायालय और

औद्योगिक न्यायाधिकरण सहित विभिन्न स्थानों पर कार्यालय एवं आवासीय भवनों के निर्माण एवं भूमि क्रय हेतु भी आगामी वित्तीय वर्ष के लिए 215 लाख रुपये की योजनाएं प्रस्तावित की गई हैं। विभागीय कार्यों को गतिशील बनाये जाने तथा कार्यक्षमता बढ़ाये जाने की दृष्टि से 13 लाख 75 हजार वाहनों के क्रय हेतु प्रस्तावित किया गया है। मान्यवर, मुझे हर्ष है कि मेरे विभाग के द्वारा औद्योगिक क्षेत्र में सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाने में दिये जा रहे सक्रिय योगदान एवं सेवायोजकों तथा श्रमिकों के मध्य मैत्रीपूर्ण समन्वय बनाने में मार्गदर्शक भूमिका निभाये जाने के कारण उत्तरांचल में नित नये उद्योग आकर्षित हो रहे हैं और पूर्व से चल रहे उद्योगों में आशातीत मधुर सम्बन्ध स्थापित हैं।

मान्यवर, राज्य में अधिकांश उद्योगों में औद्योगिक शान्ति बनी रहने से उत्पादन की मात्रा एवं गुणवत्ता प्रोत्साहित हो रही है, जिसके फलस्वरूप राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार की विभिन्न प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष करों के रूप में राजस्व वृद्धि का लाभ प्राप्त हो रहा है एवं आर्थिक ढांचा सुदृढ़ हो रहा है। उत्तरांचल में कार्यरत बी0ई0एल0, कोटद्वार तथा बी0एच0ई0एल0, हरिद्वार जैसे सार्वजनिक प्रतिष्ठानों में औद्योगिक सौहार्द के फलस्वरूप उत्पादन की गुणवत्ता आदि से सम्बन्धित उल्लेखनीय उपलब्धियों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कारों से प्रतिष्ठानों/श्रमिकों को सम्मानित किया गया। मान्यवर, उत्तरांचल के 73 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में 27 इन्जीनियरिंग व 6 नॉन इन्जीनियरिंग व्यवसायों में प्रशिक्षण सुविधा उपलब्ध है एवं 8460 प्रशिक्षार्थियों के स्वीकृत स्थान उपलब्ध हैं। मान्यवर, भारत सरकार शिशिक्षु अधिनियम, 1961 के अधीन शिशिक्षु प्रशिक्षण योजना का कार्यान्वयन भी राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के माध्यम से सार्वजनिक, निजी क्षेत्र के उद्योगों, प्रतिष्ठानों में संचालित किया जा रहा है। इस योजना के अधीन भारत सरकार के मानक के अनुरूप शिशिक्षु प्रशिक्षण सुविधाओं के आंकलन हेतु प्रतिष्ठानों का सर्वेक्षण कराया जाता है एवं प्रशिक्षण सुविधा पाये जाने पर नियोजक को निर्धारित संख्या में शिशिक्षु नियोजित कराने एवं भारत सरकार के पाठ्यक्रमानुसार प्रशिक्षण देने हेतु अनुरोध किया जाता है। इस योजना के अन्तर्गत उत्तरांचल के 221 नियोजकों के यहाँ 2153 शिशिक्षु स्थान उपलब्ध हैं। जिनमें 37 विभिन्न शिशिक्षु व्यवसायों में एक वर्ष तथा दो वर्ष का शिशिक्षु प्रशिक्षण सम्पन्न कराया जाता है। मान्यवर, वित्तीय वर्ष, 2005-06 हेतु केन्द्रीय सहायता योजनान्तर्गत भारत सरकार द्वारा प्रदेश के तीन राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान देहरादून, काशीपुर व हल्द्वानी को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया जाना प्रस्तावित है। इस योजनान्तर्गत केन्द्र सरकार से 75 प्रतिशत धनराशि राज्य सरकार को प्राप्त होगी तथा मात्र 25 प्रतिशत ही धनराशि राज्य सरकार को वहन करनी होगी। मान्यवर, अभी आप सवाल करेंगे कि रोजगार के क्षेत्र में हमने क्या किया है, तो मान्यवर, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में रोजगार नीति का गठन करने का प्रयास शुरू कर दिया है।

मान्यवर, इस वर्ष से विभाग द्वारा स्थापित शिक्षण एवं मार्ग दर्शन केन्द्र कालसी, देहरादून एवं धारचूला, पिथौरागढ़ ने कार्य करना प्रारम्भ कर दिया है तथा शिक्षण एवं मार्ग दर्शन केन्द्र खटीमा की भी स्थापना कर दी गयी है। कैरियर काउंसिलिंग के अन्तर्गत प्रत्येक जनपद में सभी ब्लाकों के अन्तर्गत स्थित विद्यालयों में कैरियर कॉर्नर स्थानीय करने की दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं। वित्तीय वर्ष, 2004-05 में तीन नए सेवायोजन

कार्यालय एवं तीन शिक्षण एवं मार्ग दर्शन केन्द्र कम्प्यूटरीकृत किये गए। आज हमारे राज्य के सभी जनपदों में सेवायोजन कार्यालय खुल गए हैं। मान्यवर, इस वर्ष सेवायोजन प्रखण्ड के तहत दो सीमान्त जनपदों चमोली व पिथौरागढ़ में सचल रोजगार केन्द्रों की स्थापना, विकलांग अभ्यर्थियों हेतु प्रदेश के समस्त रोजगार केन्द्रों में विशेष इकाई की व्यवस्था तथा प्रदेश के समस्त सेवायोजन कार्यालयों की नेटवर्किंग किए जाने का भी प्रस्ताव है। मान्यवर, कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अन्तर्गत समस्त कार्य कर्मचारी राज्य बीमा निगम भारत सरकार की गाइड लाइन्स पर किए जाते हैं। इस वर्ष जनपद देहरादून स्थित सेलाकुई, जनपद नैनीताल तथा जनपद ऊधमसिंह नगर में एक–एक कर्मचारी राज्य बीमा औषधालय की स्थापना की स्वीकृति प्रदान की गयी है। इनमें संविदा पर 7 डॉक्टर रखे जायेंगे। इसके अलावा हम एक बड़ा अस्पताल बनाने जा रहे हैं, जिसमें 88 प्रतिशत अनुदान भारत सरकार से प्राप्त होगा तथा शेष राज्य सरकार लगाएगी। हम हल्द्वानी में ई0एस0आई0 भी खोल रहे हैं।

मान्यवर, मैं माननीय सदस्यों का आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने इसका विस्तृत अध्ययन किया और यह बजट उनकी अपेक्षाओं के अनुरूप बना है, इसको पढ़ने के बाद इन्हें इसका आभास हुआ होगा। और वे इस बजट से सहमत भी होंगे। मैं चाहूँगा कि वे परम्परा का निर्वहन न करते हुए इसमें कटौती का प्रस्ताव नहीं लायेंगे।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या 16 श्रम और रोजगार विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना है। मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने अभी अपने विभागीय बजट भाषण में यह कहा कि श्रम विभाग समाज के विकास के लिए रीढ़ की हड्डी होता है। निश्चित रूप से यह बात बिल्कुल ठीक है। यदि श्रम विभाग ठीक प्रकार से अपने दायित्व को निभाये, ठीक प्रकार से वह समाज में काम करके श्रमिकों के प्रति कार्य करे तो निश्चित रूप से यह सबसे महत्वपूर्ण कार्य है, विभाग है। लेकिन जिस प्रकार से माननीय मंत्री जी ने कहा कि विभिन्न उद्योगों में वहाँ पर लोगों को रखा जा रहा है। मान्यवर, जब भी कोई इण्डस्ट्री खुलती है तो मुश्किल से 10–12 कर्मचारी ऐसे होते हैं जिनको पूर्ण वेतन पर रखा जाता है बाकी कई कर्मचारी इस प्रकार से रखे जाते हैं कि उन कर्मचारियों के बीच में एक मिडिएटर रखा जाता है जिसको हम ठेकेदार की संज्ञा दे सकते हैं। उस ठेकेदार द्वारा उन लोगों से 10–12 घण्टे तक काम लिया जाता है किन्तु जो न्यूनतम मजदूरी होती है वह भी नहीं दी जाती है। जिस प्रकार से कृषि में न्यूनतम मजदूरी 73 रुपये है उससे भी कम उन्हें 50–60 रुपये दी जाती है।

मान्यवर, कर्मचारियों के लिए ई0एस0आई0 की बात कही है। मान्यवर, सारे कर्मचारी ऐसे नहीं होते हैं जो इसका लाभ उठा सकें। यदि वह कर्मचारी दुर्घटनाग्रस्त होगा तो जो कर्मचारी दुर्घटनाग्रस्त होगा वह पहले उत्तरांचल की विधान सभा में आयेगा। माननीय मंत्री जी से सम्पर्क करेगा तब जाकर उसके इलाज की कार्यवाही शुरू होगी। यह तो जो कर्मचारी दुर्घटनाग्रस्त होगा उसके लिए बहुत ही मुश्किल कार्य है। मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने कहा कि पाँच बंधुआ मजदूरों को चिन्हित किया उन्हें अवमुक्त कर

रु0 1 लाख राज्यांश/केन्द्रांश के रूप में पुनर्वास सहायता दी गई है। मान्यवर, 85 लाख की जनसंख्या वाले इस प्रदेश में विभाग द्वारा मात्र पाँच बंधुवा मजदूरों को ही चिन्हित किया गया है। मान्यवर, देहरादून विधान सभा के आधे कि0मी0 के दायरे में ही 100 बंधुवा मजदूर मिल जायेंगे। मान्यवर, बंधुवा मजदूर हमारे समाज के लिए एक अभिशाप है इसे रोकने के लिए सरकार को कड़े कदम उठाने चाहिए, इसमें बहुत अधिक काम करने की आवश्यकता है। अगर माननीय मंत्री जी यह कहते हैं कि एक जनपद में या एक मण्डल में हमने बंधुवा मजदूरों को मुक्त कर दिया है तो यह एक सराहनीय कदम होता। यदि अब वहाँ कोई बंधुवा श्रमिक मिलता है तो उस पर कार्यवाही करेंगे। मान्यवर, पाँच मजदूरों को आपने चिन्हित किया यह बहुत बड़ा काम नहीं है।

मान्यवर, आपने गतवर्ष कहा था कि 73 रु0 दैनिक मजदूरी रखी हुई है। परन्तु आज अनेक ऐसे विभाग हैं, जहाँ बिना किसी लिखा पढ़ी के मजदूरों को रखा जाता है और उनके चारों इतवार काटकर महीने में 1300/– रुपया दिया जाता है। मान्यवर, मैं जानना चाहता हूँ कि क्या आपने इन लोगों के खिलाफ कोई व्यवस्था की। मान्यवर, यदि समाज को विकास की दिशा में आगे बढ़ाना है तो सर्वप्रथम इस पर रोक लगनी चाहिए। मान्यवर, ऐसे कई और विभाग भी हैं जहाँ पर लोगों का शोषण हो रहा है, इस पर रोक लगनी चाहिए। मान्यवर, असंगठित क्षेत्र के बारे में माननीय मंत्री जी ने कहा। मान्यवर, यदि इस क्षेत्र को देखें तो इसमें भवन निर्माण, सड़क निर्माण, जल विद्युत गृह, ईंट–भट्ठे, खनन आदि को देखें तो वहाँ पर भी लोगों का शोषण हो रहा है। मान्यवर, माननीय मंत्री जी इस क्षेत्र से जुड़े हुए रहे हैं। मान्यवर, इस असंगठित क्षेत्रों में भी मजदूर सुरक्षित नहीं रहते हैं। मान्यवर, यदि रेत–बजरी को ले लें तो, यह इस समय गढ़वाल मण्डल विकास निगम कर रहा है, वहाँ पर कार्य करने वाले मजदूरों की जाँच कर ली जाय तो कम से कम 60 प्रतिशत मजदूर ऐसे मिलेंगे जिनकी उम्र 15 से 16 साल के बीच की होगी। मान्यवर, इसी तरह से ईंट–भट्ठे को देखें तो वहाँ पर मजदूरी करने वाले मजदूर वहीं पर परिवार के साथ सोते हैं, उनके बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं। जबकि माननीय शिक्षा मंत्री जी कहते हैं कि हमारे यहाँ शिक्षा का प्रतिशत 100 है। मान्यवर, इन मजदूरों के बच्चों की उम्र छः–सात साल की रहती है।

मान्यवर, इसी तरह से सड़क निर्माण और भवन निर्माण जो असंगठित क्षेत्र हैं इस क्षेत्र में वास्तव में बहुत अधिक कार्य करने की आवश्यकता है। मान्यवर, अभी माननीय मंत्री जी ने औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के बारे में वर्णन किया। मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से व्यक्तिगत रूप से मिला और अपनी व्यथा बतायी थी कि इस विभाग के अन्तर्गत क्या हो रहा है। मान्यवर, आप आई0टी0आई0 खोल रहे हैं यह अच्छी बात है, लेकिन इनमें प्रवेश की दशा अच्छी नहीं है। मान्यवर, खास तौर से जो प्राइवेट आई0टी0आई0 स्कूल हैं इन पर सरकार का किसी प्रकार से कन्ट्रोल नहीं है। यहाँ पर 10 हजार से 20 हजार रु0 तक प्रवेश में लिया जाता है। मान्यवर, मा0 मंत्री जी ने हमारे सामने फोन भी किया लेकिन अभी तक उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हुई। पहले इन स्कूलों में 10 से 20 हजार तक लिया जाता था, परन्तु अब आई0टी0आई0 के बच्चों की मांग ज्यादा होने के कारण इन्होंने फीस से अलग 25 से 30 हजार रु0 तक बढ़ा दी है। यह फीस ये खुले आम ले रहे हैं यह विभाग की जानकारी में हो रहा है, इसलिए इसमें

कोई कमी नहीं आयी है। मान्यवर, आप जो उपकरण खरीद रहे हैं, यह अच्छी बात है, लेकिन इससे हो रहे भ्रष्टाचार पर ध्यान देने की आवश्यकता है। मान्यवर, अभी आपने सेवायोजन कार्यालय के बारे में विस्तार से वर्णन किया। इस सम्बन्ध में मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि हमने एक बड़ा लक्ष्य सेवायोजन का रखा।

मान्यवर,यह अपेक्षा भी की जाती है कि सेवायोजन के माध्यम से हमारे विद्यार्थी रोजगार से जुड़ें। मान्यवर, गत वर्ष 73,389 अभ्यर्थियों का पंजीयन किया गया, विभिन्न सेवायोजकों से 1683 रिक्तियाँ विभाग को प्राप्त हुईं। प्रदेश में 29 हजार नौकरी दी गई, तो सेवायोजन कार्यालय था तो उसके माध्यम से क्यों नहीं दी गयी हैं ? मान्यवर, 15 दिवसीय 'अपना व्यवसाय चुनिए पखवाड़ा' की योजना होती है। वहाँ पर विभिन्न व्यवसायियों को बुलाया जाता है। पहले दिन उसका उद्‌घाटन मा0 मंत्री जी द्वारा होता है और फिर समापन की तारीख घोषित की जाती है, बीच में 13 दिन में क्या होता है यह बताने की जरूरत नहीं है।

श्री अध्यक्ष–

कृपया संक्षिप्त करें।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, इस प्रशिक्षण पखवाड़े पर अधिकतम 10 लाख रुपया खर्च होता है। क्या वह 15 दिन का प्रशिक्षण है, इससे हित होने वाला नहीं है। मान्यवर, वास्तव में इस विभाग द्वारा कुछ हमें ठोस काम करने पड़ेंगे, लेकिन वर्तमान में ठोस काम की बात छोड़ दें केवल जानकारी देने के लिए कहा कि शिक्षा और मार्गदर्शन केन्द्र खोले जायेंगे, आखिर इस विभाग के पास काम क्या है ? मान्यवर, इन पर 10–20 लाख खर्च करने से अच्छा होगा कि विभाग के अन्दर नौकरी दें और जो पंजीकरण किया था उनके द्वारा नौकरी दें। मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने जो श्रम विभाग के बारे में बताया तो निश्चित रूप से यह बजट जिस प्रकार से होना चाहिए था वह नहीं है, इसलिए मैं कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूँ।

श्री हरबंस कपूर–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी अपने आप एक श्रमिक नेता हैं और यह आशा की जाती थी कि कम से कम श्रम विभाग का जो बजट होगा और जो उपलब्धियां होंगी वह अपने आप में उदाहरण होंगी। मान्यवर, इस विभाग की जो कार्यशैली रही है वह अत्यन्त निराशाजनक रही है, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। मान्यवर, हमारे प्रदेश को केन्द्र सरकार द्वारा करोड़ों रुपया उपलब्ध कराया गया, औद्योगिक विकास के लिए नये–नये इण्डस्ट्रीयल स्टेट भी बनाये गये और उनको विकसित किया जा रहा है। मान्यवर, निराशा की बात यह है कि औद्योगिक इकाइयाँ स्थापित हो रही हैं उसमें जो कर्मचारी काम करेंगे या कर रहे हैं उनके हितों की रक्षा के लिए कोई नीति निर्धारित नहीं की गई है। आज भी उद्योगपतियों पर श्रमिकों के हक दिलाने के लिए सरकार द्वारा कोई अंकुश नहीं लगाया गया है और विचित्र बात यह है कि जैसा कि माननीय कौशिक जी ने बताया वह वास्तविक बात है। मान्यवर, एक बिचौलिये ठेकेदार को लगा दिया जाता है वह मनमाने ढंग से श्रमिकों का शोषण करता है। दुर्भाग्यवश कहीं उस श्रमिक की दुर्घटना में कहीं

क्षति होती है उसको न तो बचाने वाली सरकार है न उद्योगपति है। मान्यवर, दूसरी बात है बाल श्रमिकों को चिन्हित करना। उन्हें निरुत्साहित करने के लिए कोई योजना सरकार द्वारा नहीं बनायी गई है। केन्द्र सरकार द्वारा एक नीति पारित की कि महिलायें रात की पारी में भी काम करेंगी। जब तक निश्चित रूप से कानून व्यवस्था ठीक नहीं होगी तो तब तक महिलाओं को सुरक्षित नहीं माना जा सकता है कि महिलायें रात की पाली में काम करेंगी। कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाया जाये।

मान्यवर, अनेक योजनाओं का यहाँ पर उल्लेख किया गया। कृषि के क्षेत्र में मजदूरों के लिए न्यूनतम मजदूरी तय की गई है। वर्तमान सरकार को तीन वर्ष बीत जाने के बाद भी उद्योगों में जो श्रमिक काम करते हैं उनके लिए न्यूनतम मजदूरी निर्धारित नहीं कर सकी। मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान सेवायोजन विभाग की ओर आकृष्ट करना चाहता हूँ। सेवायोजन विभाग की स्थिति अपने आप में बहुत दयनीय है। जहाँ एक ओर विभिन्न योजनाओं के माध्यम से हम यह आशा करते हैं कि विभाग इस बात को सुनिश्चित करेगा कि जितने अभ्यर्थियों ने सेवा योजन कार्यालय में पंजीकरण किया है उन्हें वरीयता दी जायेगी, परन्तु देखने में यह आ रहा है न सरकार उसकी परवाह कर रही है, न जो निजी संस्थान हैं उनको इसकी चिन्ता है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि आने वाले समय में क्या ऐसी योजना बन सकती है जिसके माध्यम से इन श्रमिकों को सेवायोजन में लिया जाये जिनका नाम पंजीकृत है ?

श्री अध्यक्ष–

कृपया समाप्त करें।

श्री हरबंस कपूर–

मान्यवर, जो विभाग का ढांचा है वह इस प्रकार है निदेशालय स्तर पर समूह–क में 01 पद स्वीकृत है कार्यरत 01 है और समूह–ख में स्वीकृत पद 03, कार्यरत 02, रिक्त 01, समूह–ग स्वीकृत पद 15, कार्यरत 06, रिक्त 9, समूह–घ स्वीकृत पद 4, कार्यरत 02, रिक्त 02 हैं। कुल स्वीकृत पद 23 और कार्यरत हैं 11, रिक्त हैं 12। इसी प्रकार से जनपद स्तरीय स्वीकृत पद हैं 286 उनके विरुद्ध कार्यरत हैं 160, रिक्त पद 126 हैं।

श्री अध्यक्ष–

कृपया समाप्त करें।

श्री हरबंस कपूर–

मान्यवर, और जहाँ तक इस वर्ष के बजट की बात है, आवंटित धनराशि 36933 हजार रुपये है जिसमें 15720 हजार व्यय किया गया है दिसम्बर तक। यह स्थिति है। जब विभाग पैसा खर्च ही नहीं करता है, काम ही नहीं विभाग करना चाहता है तो अगले वर्ष के लिए बजट क्यों दिया जाये यह सोचने का विषय है।

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, मैं माननीय मदन कौशिक जी, द्वारा रखे गये कटौती के प्रस्ताव में दिये गये सुझावों से अपने को सम्बद्ध करता हूँ और 1–2 मुख्य बिन्दुओं की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। इसमें जो नयी मांग आयी ही है। 10 लाख रुपये की

इसके लिए मांग की गयी है। इसे आपने नयी मांग की श्रेणी में रखा है। जो मूलतः आपके लेखा शीर्षक 2230 के अधीन क्रम संख्या 14 पर अंकित है। पिछले वर्ष भी आपको सदन ने इस मांग के लिए धनराशि उपलब्ध कराई थी और उसमें प्रतीकात्मक धनराशि एक हजार रुपये दिया गया था और वही धनराशि यहाँ प्रदर्शित की गयी है, लेकिन आपने नयी मांग की श्रेणी में लेखा शीर्षक 2230 के अधीन कार्यालय प्रयोगार्थ सम्बन्धी कार्यों में इसका उल्लेख किया है। इसी प्रकार से कई अन्य मांगों को भी दर्शाया गया है। अगर यह वास्तव में त्रुटि हुई है तो इसे दिखवा लें और फिर उसके अनुरूप एक संकट यहां पर पैदा होगा उसके सम्बन्ध में हम दुबारा विचार करेंगे। दूसरा मान्यवर, आपने सचल रोजगार परामर्श केन्द्र की बात कही है। इसमें आपने केवल 2 चालकों का इसमें उल्लेख किया है। जो यह योजना है क्या यह केवल 2 चालकों के द्वारा संचालित हो जायेगी या इसके बारे में भी कोई योजना है इसका उल्लेख माननीय मंत्री जी अपने बजट भाषण में अवश्य करें।

मान्यवर, एक विषय उठा था इस राज्य के बेरोजगारों के सम्बन्ध में। इस समय वर्तमान में जैसा कि आपने प्रदर्शित किया है 3 लाख 14 हजार 472 बेरोजगार पंजीकृत हैं। जैसा कि सदन में माननीय नेता सदन ने अवगत कराया कि 850 औद्योगिक इकाइयां स्थापित की जा रही हैं तो मान्यवर, इनके माध्यम से जो रोजगार सृजित किये जा रहे हैं तो क्या इनके द्वारा सृजित रोजगार हेतु रोजगार कार्यालयों में आवेदन किया गया है क्योंकि यह प्रावधान है उन रोजगार दफ्तरों में कोई भी स्थापित उद्योग रोजगार सृजन करेगा तो उसे जानकारी देगा। मान्यवर, इस प्रदेश में रोजगार के लिए कोई स्पष्ट नीति नहीं है। यह सरकार की विफलता है। अगर सरकार द्वारा कोई रोजगार की नीति बनायी गयी है तो माननीय मंत्री जी अपने बजट भाषण में उसका भी उल्लेख करें। कृषि श्रम की बात आपने कही है। इसके अतिरिक्त जो अन्य जगहों पर श्रमिक हैं, इनके लिए कोई व्यवस्था इसमें नहीं है और इसका जिक्र, जो साहित्य उपलब्ध कराया गया, उसमें भी नहीं है। जब मंत्री जी अपना उत्तर भाषण दें तो उसमें इसका उत्तर अवश्य दें। अन्त में मैं कटौती के प्रस्ताव पर पुनः बल देता हूँ, धन्यवाद।

श्रीमती विजय बड़थ्वाल–

मान्यवर, माननीय मदन कौशिक जी द्वारा जो कटौती का प्रस्ताव रखा गया है उस पर बल देते हुए अपनी बात को रखना चाहती हूँ। मान्यवर, 2–3 सुझाव अपनी तरफ से देना चाहती हूँ। मान्यवर, जो श्रम एवं रोजगार विभाग है, यह प्रदेश का महत्वपूर्ण विभाग है, क्योंकि पूरे प्रदेश में बेरोजगारी की भरमार है। प्रदेश के नवयुवक बेरोजगार हैं। बेरोजगारों के सम्यक् निदान की कोई कार्ययोजना इसमें नहीं दिख रही है। मान्यवर, कैरियर काउंसिलिंग केन्द्र खोलने की बात इसमें कही गई है लेकिन क्या यह हर जनपदों में खोले जायेंगे ऐसा स्पष्ट उल्लेख नहीं है। मान्यवर, यह केन्द्र खोले जाने चाहिए और विशेषकर पर्वतीय क्षेत्रों में जरूर खोले जाने चाहिए क्योंकि जो हमारा पढ़ा लिखा बेरोजगार नवयुवक है, वह इस कैरियर काउंसिलिंग केन्द्र के माध्यम से सहायता पा सके। इससे उनको रोजगार की जानकारी होगी। इसके लिए इस बजट में कोई प्रावधान नहीं रखा गया है। मान्यवर, इसके अतिरिक्त राजकीय औद्योगिक संस्थान में देहरादून, काशीपुर, हरिद्वार में पृथक महिला शाखा खोलने की बात कही गई तो मान्यवर, यह संस्थान

पर्वतीय क्षेत्रों में भी खुलने चाहिए। पौड़ी, लैंसडोन, चमोली, रुद्रप्रयाग में भी इन्हें खुलना चाहिए। श्रमिक निधि बहुत आवश्यक है लेकिन यह बहुत कम है।

मान्यवर, श्रमिकों को मुआवजा देने की बात की है तो जैसे हमारे विद्युत श्रमिक होते हैं जो विद्युत तारों का कार्य करते हैं और कई बार उनकी आकस्मिक मृत्यु हो जाती है। इस तरह ने दुर्घटनाग्रस्त होने वाले श्रमिकों के परिवार के लिए रोजगार आदि की व्यवस्था होनी चाहिए। ऐसे श्रमिकों के परिवार को तत्काल आर्थिक सहायता दी जानी चाहिए। ऐसी निधि का लाभ सभी क्षेत्रों के श्रमिकों को मिलना चाहिए। मान्यवर, चूँकि श्रमिक बहुत गरीब होता है। उसके पास इतना पैसा नहीं होता कि वह अपने परिवार का अच्छी तरह से भरण–पोषण करा सके या बच्चों को शिक्षा उपलब्ध करा सके। इन सब के लिए उन्हें इस निधि का लाभ दिया जाना चाहिए। मान्यवर, इस श्रम एवं रोजगार विभाग ने नान प्लान में बजट बहुत अधिक रखा है। अधिकतर मदें वाहन क्रय और अन्य मदों में ही दिखाई गई हैं इसको कम करना नितान्त आवश्यक है। और जो प्लान का बजट है उसको बढ़ाना चाहिए। रोजगार के नये–नये अवसर युवाओं को प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा तात्कालिक और गम्भीर प्रयास करने चाहिए इसी के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव पर बल देती हूँ और मांग करती हूँ कि इस इक्तीस करोड़ चौवन लाख उनसठ हजार रुपये की मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। धन्यवाद।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, जो मैंने कटौती का प्रस्ताव पेश किया और माननीय प्रकाश पंत एवं माननीया विजय बड़थ्वाल जी ने जो सुझाव उसमें दिये उन सुझावों को माननीय मंत्री जी द्वारा सम्मिलित कर लिया जाय। इन्हीं शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव पर पुनः बल देता हूँ।

श्री हीरा सिंह बिष्ट–

मान्यवर, मैं प्रकाश पंत जी, माननीय मदन कौशिक जी, माननीय हरबंस कपूर जी तथा माननीया विजय बड़थ्वाल जी का आभारी हूँ, आपने श्रम विभाग जिसे अरुचिकर विभाग के बारे में रुचि दिखाई और काफी अच्छे सुझाव दिए। आपने कहा कि हमने टैक्निकल एजूकेशन में पर्वतीय क्षेत्रों को छोड़ दिया है। इससे ऐसा लग रहा है कि आपने सिर्फ आलोचना करने के लिए ही ऐसा कहा है। मान्यवर, मैं इस माननीय सदन के माध्यम से आपको अवगत कराना चाहता हूँ कि हमने एक भी पॉलीटेक्निक यहाँ के मैदानी क्षेत्रों हल्द्वानी, देहरादून, ऊधमसिंह नगर और हरिद्वार में नहीं खोले हैं। आपको इस मानसिकता को दूर करना होगा क्योंकि हमने सारे पॉलीटैक्निक पर्वतीय क्षेत्रों पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, गोपेश्वर, बागेश्वर, बीरोंखाल आदि में खोले हैं। इस प्रकार से हम विकास को गति देना चाहते हैं। आपने कहा कि आई0टी0आई0 होना चाहिए। हम प्राइवेट आई0टी0आई0 खोलने के लिए नियम बना रहे हैं। हमारे जो भी आई0टी0आई0 अभी चल रहे हैं, उनमें हमने अपने प्रतिनिधि भेजे हैं, जो यह देखते हैं कि इन आई0टी0आई0 में एडमीशन केवल मैरिट के आधार पर हो। हम जो प्राइवेट आई0टी0आई0 खोलेंगे, उसमें भी यह नियम लागू होगा कि मैरिट के आधार पर एडमीशन हो। यदि उनमें डोनेशन देकर कोई एडमीशन होगा तो हम उसकी मान्यता समाप्त कर देंगे।

मान्यवर, जहाँ तक सेवायोजन कार्यालयों से नाम लेने की बात है, माननीय उच्चतम न्यायालय ने निर्देश जारी किया है कि जहाँ कहीं भी विभागीय कोई वैकेन्सी निकलेगी, उसके लिए इम्प्लायर को राष्ट्रीय अखबार में विज्ञापन देना होगा। हो सकता है कि अखबार में निकालने के बाद सेवायोजन कार्यालय से नाम न ले रहे हों। हम यह प्रतिबन्ध कर रहे हैं कि यदि अखबार के विज्ञापन के द्वारा नियुक्ति होती है, तब भी नियुक्ति के समय उसको इम्प्लॉयमेंट कार्ड दिखाना आवश्यक होगा। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि अखबारों के विज्ञापनों के आधार पर जो नियुक्तियाँ होती हैं, उनकी जानकारी इम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज को नहीं दी जा रही है। इम्प्लॉयमेंट कार्ड बनने के लिए आवश्यक है कि यहाँ का डोमिसाइल होना चाहिए, इसलिए बाहर के लोगों की नियुक्ति की संभावना बहुत कम है। यहाँ पर उद्योगों को लगाने के लिए हम प्रोत्साहन दे रहे हैं। इसके लिए हमने प्रमुख सचिव और सिडकुल के महासचिव से भी कहा है कि इण्डस्ट्री लगाने के लिए उद्योगपतियों को हम यहाँ पर जमीन उपलब्ध करायेंगे और उसमें सब्सिडी देंगे। इसके साथ ही सेल टैक्स में भी राहत देंगे। हम बेरोजगारों के हितों के खिलाफ कोई समझौता नहीं करेंगे। इन उद्योगपतियों से हम कहेंगे कि इन उद्योगों में हमारे यहाँ के बेरोजगारों को रोजगार दें। साथ ही उनको न्यूनतम मजदूरी भी दी जाय। अभी सेलाकुई से शिकायत प्राप्त हुई थी। वहाँ पर कर्मचारियों को न्यूनतम मजदूरी नहीं दी जा रही थी। हमने उनके खिलाफ कार्यवाही की। हमने कृषि में 73 रुपये मिनिमम मजदूरी तय कर दी है। टैक्निकल लोगों को इससे ज्यादा मिलेगा हमें शिकायत मिली थी कि द्वाराहाट इंजीनियरिंग कॉलेज में 40–45 रुपये मजदूरी दी जा रही थी। हमने कारखानों में कुशल, अकुशल के आधार पर न्यूनतम मजदूरी निर्धारित कर दी है।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, हम यह जानना चाहते हैं कि कारखानों में काम करने वाले श्रमिकों के लिए कितनी न्यूनतम मजदूरी तय की है ?

श्री हीरा सिंह बिष्ट–

मान्यवर, अकुशल के लिए 2200 रुपये तथा कुशल के लिए सम्भवतः 2500–3000 रुपया है। मान्यवर, आप रोजगार नीति की चिन्ता कर रहे हैं। मान्यवर, सबसे कठिन काम है तो वह रोजगार नीति बनाना। किसी भी राज्य में रोजगार नीति नहीं है। लेकिन अपने राज्य में हम रोजगार नीति बना रहे हैं इसके लिए मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में एक और कमेटी बनाई गई है। उस कमेटी का मैं स्वयं उपाध्यक्ष हूँ। उस कमेटी में और विभागों के सचिव भी हैं। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक कमेटी पहले से काम कर रही है। मान्यवर, मैं एक ऐतिहासिक बात यहाँ पर बताना चाहता हूँ पहले जे०पी० और थापर कम्पनी में यूनियन नहीं थी, मैं पहला व्यक्ति हूँ जिसने वहाँ पर यूनियन बनाई। यूनियन बनाने में काफी विरोध भी किया, पहले जब वहाँ कोई श्रमिक काम छोड़कर जाता था तो उसे कुछ नहीं मिलता था किन्तु आज जब वहाँ का कोई कर्मचारी काम छोड़कर जा रहा है तो वह तीन–चार लाख रुपये लेकर जा रहा है।

श्री काशी सिंह ऐरी–

मान्यवर, वहाँ पर जो आपने यूनियन बनाई वह मंत्री होने की हैसियत से बनाई या जो आप इंटक से जुड़े हुए हैं इसलिए बनाई ?

(हँसी)

श्री हीरा सिंह बिष्ट–

मान्यवर, इन कम्पनियों में पहले जो श्रमिक काम करते थे जब वह बीमार हो जाते थे या बीमारी के कारण मर जाते थे तो उन्हें गंगा जी में फेंक दिया जाता था। आज वह स्थिति नहीं है।

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने बताया कि जब कोई श्रमिक बीमारी या दुर्घटना से मर जाता था तो उन्हें गंगा जी में फेंक दिया जाता था तो ऐसे कितने लोग हैं जिन्हें मारकर गंगा जी में फेंका गया।

श्री हीरा सिंह बिष्ट–

मान्यवर, यह मैं बहुत पुरानी बात बता रहा हूँ। हमारा श्रमिकों के प्रति पूरा समर्थन है। उनके हित के लिए हम कोई कोर–कसर नहीं छोड़ेंगे। न ही हम कोई दबाव स्वीकार करेंगे। हमारी बहन माननीया विजय बड़थ्वाल जी ने कैरियर काउंसिलिंग की बात कही। मान्यवर, इसका हैडक्वार्टर देहरादून में है। हम केवल इम्प्लायमेंट ऑफिस तक ही समिति नहीं हैं। हम कैरियर काउंसिलिंग को डिग्री कालेजों और ब्लाकों तक पहुँचायेंगे। हम इण्टरनेट का भी सहारा लेंगे ताकि आम बेरोजगार को रोजगार की सूचना मिलेगी। माननीय कपूर साहब कह रहे थे कि कोई काम नहीं हुआ है। मुझे यह जानकारी देने में खुशी हो रही है कि 73 रुपये कृषि श्रमिक मजदूरी हिन्दुस्तान में और कहीं नहीं है। हमने चाय बगानों से सम्बन्धित मसले को सुलझाने में सफलता प्राप्त की। हमने उन्हें न्यूनतम मजदूरी 1800 रुपये तक दी। मान्यवर, श्रमिक हितों के लिए हम कभी भी पीछे नहीं हटेंगे। मान्यवर, फैक्ट्रियों के प्रति चिन्ता व्यक्त की गई। निश्चित रूप से हम भी चिन्तित हैं। इस बारे में हमने लेबर कमीशन से बात की। हमने उनको बोनस देने के बारे में कहा। मान्यवर, समाजिक सुरक्षा के लिए उनका प्रोविडेंट फण्ड कटना बहुत आवश्यक है। धर्मशाला कर्मचारी भी हमारे पास आये।

मान्यवर, जब इनका प्रोविडेंट फण्ड कटेगा तो इससे इन्हीं को फायदा मिलेगा। मान्यवर, यदि श्रमिकों के हितों में भविष्यनिधि कटेगी तो इनको पेंशन आदि की सुविधा मिलेगी। मान्यवर, यदि कोई मजदूर पंजाब, उड़ीसा का हो तो उसे भी यह सुविधा मिलेगी और उसका काम आगे चलता रहेगा। मान्यवर, इसमें मुझे आपका सहयोग चाहिए। यह एक जनकल्याण का कार्य है। मान्यवर, जहाँ तक आई0टी0आई0 की बात है हमारा हर ब्लाक में एक आई0टी0आई0 स्कूल बनाने का संकल्प है। परन्तु मान्यवर, हमने इसके लिए यह व्यवस्था रखी है कि जहाँ पर सर्व प्रथम हमें मुफ्त में जमीन उपलब्ध होगी वहाँ पर सबसे पहले यह आई0टी0आई0 खोलेंगे क्योंकि इसके लिए इतना धन भी सरकार के पास नहीं है। हमें कुछ मितव्ययिता भी जनहित में करनी है। इसमें हम जनसहयोग चाहते हैं। मान्यवर, एन0सी0वी0टी0 के जो मानक हैं इसके लिए भारत सरकार ने 75 प्रतिशत का अनुदान दिया है। मान्यवर, हम इस शिक्षा को एक मजबूत शिक्षा के रूप में देखना चाहते हैं। मान्यवर, श्रम कल्याण से स्कालरशिप के माध्यम से भी हम बच्चों को इस तरह की तकनीकी शिक्षा दे रहे हैं। मान्यवर, निश्चित रूप से इस शिक्षा से बच्चों का फायदा होगा। मान्यवर, बंधुआ मजदूर के हिसाब से इनकी संख्या वर्तमान में शून्य है, जो एक रिकार्ड है। मान्यवर, जैसे ही हमें इसकी सूचना मिलती है हम तुरन्त कार्यवाही करते हैं।

जैसे ही हरिद्वार का मामला संज्ञान में आया कि वहाँ पर ईंट–भट्ठे पर बंधुआ मजदूर हैं तो हमने इस पर कार्यवाही की। मान्यवर, जैसे कि आप जानते हैं 20 हजार रुपये इसके लिए मानक था, इसमें से पूरा पैसा मालिक देता है। इसमें किसी से कोई समझौता नहीं है, जैसा कि आपकी भावनाएं भी हैं।

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, जो मैंने वैधानिक आपत्ति दर्ज की थी, उस बारे में कोई निर्णय लेंगे ?

श्री हीरा सिंह बिष्ट–

मान्यवर, मैं इसको देख लूंगा।

***श्री किशोर उपाध्याय–**

मान्यवर, माननीय मुख्यमंत्री जी जब पूर्व में टिहरी गये थे तो उस समय आपने वहाँ पर पॉलीटेक्निक स्कूल देने की बात कही थी। परन्तु यह अभी तक नहीं बन रहा है, जबकि इसके लिए भूमि भी उपलब्ध करा दी गयी है।

श्री हीरा सिंह बिष्ट–

मान्यवर, आप निराश न हों जो बात मैंने कह दी तो इस पर काम होगा। वहाँ पर पॉलीटेक्निक स्कूल खुलेगा।

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, मैं चाहता हूँ एक महिला पॉलीटेक्निक स्कूल पिथौरागढ़ को भी दे दीजिए।

श्री काशी सिंह ऐरी–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी के जवाब से ही एक स्पष्टीकरण पैदा हुआ है कि पर्वतीय क्षेत्रों में हमने बहुत काम किया है। मान्यवर, निश्चित तौर पर स्टीमेट को और ज्यादा सही साबित करने के लिए क्या आप पिथौरागढ़ के कनालीछीना में एक महिला पॉलीटेक्निक खोलने की घोषणा करेंगे।

श्री हीरा सिंह बिष्ट–

मान्यवर, आपको बड़ा अनुभव है। मान्यवर, पिथौरागढ़ में एक पॉलीटेक्निक दिया है और बाद में वह भी देख लेंगे।

श्री काशी सिंह ऐरी–

मान्यवर, एक स्पष्टीकरण है, मेरी निश्चित जानकारी है और आपके दल के विधायक श्री नारायण राम आर्य जी से भी आप पूछ सकते हैं कि दाई लोगों को मात्र 25 रुपया मिलता है, क्या उसके लिए कुछ करेंगे ? और जल संस्थान में जो पी०टी०सी० रखे जाते हैं, उनको 5–9 सौ रुपया देते हैं, इससे ज्यादा प्रति माह नहीं मिलता है, उन पर भी कुछ कृपा करें।

श्री हीरा सिंह बिष्ट–

मान्यवर, मैंने इसके लिए एम०डी० को पत्र लिखा था कि इनके साथ अन्याय हो रहा है। मान्यवर, उनका स्पष्टीकरण आया कि उनका पूरा टाइम काम नहीं है। तो मैंने कहा उनकी जिम्मेदारी तो है, इसको आप देख लें।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री हरबंस कपूर–

मान्यवर, सफाई समिति में कार्यरत सफाई कर्मचारियों को एक हजार रुपया मासिक मिल रहा है, तो क्या इसमें कुछ आप करेंगे ?

श्री हीरा सिंह बिष्ट–

मान्यवर, कोई कॉन्ट्रैक्ट के साथ काम करे तो उसमें सरकार कुछ नहीं कर सकती है, अगर शिकायत करेंगे तो निश्चित रूप से देखेंगे।

श्री हरभजन सिंह चीमा–

मान्यवर, माननीय मंत्री को सुझाव देना चाहता हूँ कि जहाँ–जहाँ महिला आई0टी0आई0 हैं वहाँ कुकिंग सब्जेक्ट खोला जाना चाहिए।

श्री पुष्पेश त्रिपाठी–

मान्यवर, मा0 मुख्यमंत्री जी ने बागेश्वर में एक आई0टी0आई0 की घोषणा की थी, इसमें उसका उल्लेख नहीं है।

श्री हीरा सिंह बिष्ट–

मान्यवर, माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा की स्वीकृति होती है, लेकिन वहाँ से प्रकरण नहीं आया, उसको दिखा लेंगे।

श्री पुष्पेश त्रिपाठी–

मान्यवर, चौखुटिया में साथ ही मुख्यमंत्री जी ने बागेश्वर में महिला पॉलिटेक्निक की घोषणा की थी, उसका भी कोई उल्लेख बजट में नहीं है।

श्री हीरा सिंह बिष्ट–

मान्यवर, हम माननीय मुख्यमंत्री जी से जानकारी ले लेंगे।

श्रीमती आशा देवी–

मान्यवर, ऊखीमठ में आई0टी0आई0 में नये ट्रेडों को खोलने की बात बजट में नहीं रखी गयी है, क्या ऊखीमठ में आई0टी0आई0 में नये ट्रेड खोले जायेंगे ?

श्री हीरा सिंह बिष्ट–

मान्यवर, आवश्यक होगा तो खोल दिया जायेगा।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, कटौती के प्रस्ताव पर जितने सुझाव आये हैं माननीय मंत्री जी इन्कार कर रहे हैं, इसलिए मैं कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूँ।

श्री हीरा सिंह बिष्ट–

मान्यवर, आप दिल से तो सहमत हैं बाहरी दबाव से आप पीड़ित हैं। आप अपना कटौती का प्रस्ताव वापस ले लें।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 16–श्रम और रोजगार विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन माँग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2006 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 16–श्रम और रोजगार विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, तथा लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त रुपये 315459 हजार (इकतीस करोड़ चौवन लाख उन्सठ हजार मात्र) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 12, चिकित्सा एवं परिवार कल्याण

***स्वास्थ्य मंत्री (श्री तिलक राज बेहड़)**–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च, 2006 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 12, चिकित्सा एवं परिवार कल्याण विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, तथा लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त रुपये 3432962 हजार (तीन सौ तैंतालीस करोड़ उन्तीस लाख बासठ हजार मात्र) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

मान्यवर, इस सम्मानित सदन में चिकित्सा शिक्षा, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण जैसे लोक महत्व के विभाग का चौथी बार बजट प्रस्तुत किये जाने पर मैं गर्व का अनुभव कर रहा हूँ। मान्यवर, वर्ष 2005–06 में राज्य के कुल प्रस्तावित व्यय 4.30 प्रतिशत है जबकि 2004–2005 में 3.99 प्रतिशत तथा वर्ष 2003–04 में 3.15 प्रतिशत था। वर्ष 2004–05 की तुलना में वर्ष 2005–06 में 14.16 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। जिससे स्पष्ट है कि हमारी सरकार द्वारा चिकित्सा एवं परिवार कल्याण जैसे विभाग को अत्यन्त महत्व दिया जा रहा है। हमारी सरकार कटिबद्ध है कि प्रदेश की जनता को स्वास्थ्य सेवायें अधिक से अधिक प्रदान की जायें। वर्ष 2005–06 में आधारभूत संरचना हेतु विशेष व्यवस्था की जा रही है जिससे पूँजी लेखा में 2.09 प्रतिशत की वृद्धि प्रस्तावित की गई है जो कि विगत वर्ष के आय–व्ययक के अनुमान से एक करोड़ 48 लाख 69 हजार अधिक है। वर्ष 2005–06 में संगठनात्मक संरचना हेतु ग्रामीण (ग्रामीण क्षेत्रों में महिला चिकित्सकों की व्यवस्था, असेवित क्षेत्रों में फार्मासिस्ट की व्यवस्था, बड़े चिकित्सालयों में अतिविशिष्ट विशेषज्ञ चिकित्सकों की व्यवस्था तथा होम्योपैथी में एम0सी0एच0 की स्थापना) विशेष व्यवस्था की जा रही है। जिससे राजस्व लेखा में 17.40 प्रतिशत की वृद्धि प्रस्तावित की गयी है जो कि विगत वर्ष के आय–व्ययक के अनुमान से 44 करोड़ 95 लाख 69 हजार अधिक है।

हमारी सरकार उत्तरांचल की समन्वित स्वास्थ्य एवं जनसंख्या नीति 2002 के अनुसार "सबके लिए स्वास्थ्य" के उद्देश्य एवं जनसंख्या के स्थिरीकरण के लक्ष्यों को समयबद्ध रूप से प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील है। वर्ष, 2005 तक पोलियो को समूल समाप्त करना। वर्ष, 2002 में प्रदेश में 14 पोलियो से ग्रसित रोगी थे और 2004 में यह संख्या घट कर 01 हो गई है। इस प्रकार लक्ष्य की प्राप्ति करने में सरकार सफलतापूर्वक कार्य कर रही है। वर्ष, 2005 के अन्त तक कुष्ठ रोग की व्यापकता दर को एक व्यक्ति

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

प्रति 10 हजार से नीचे लाना है। इस लक्ष्य की प्राप्ति की दिशा में सरकार के प्रयासों से 10 जनपदों में कुष्ठ रोग को समाप्त कर दिया गया है। शेष के लक्ष्य प्राप्ति की ओर शासकीय प्रयास किये जा रहे हैं। वर्ष, 2007 तक पुरूषों एवं महिलाओं में होने वाले प्रजनन तंत्र संक्रमण के प्रकरणों को कम कर 10 प्रतिशत से नीचे लाना। वर्ष, 2005 तक एच0आई0वी0/एड्स के बारे में जनचेतना के वर्तमान स्तर 36 प्रतिशत को बढ़ाकर 70 प्रतिशत तक बढ़ाना। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए स्कूलों में एड्स सम्बन्धी प्रचार-प्रसार कर जागरुक करके इस लक्ष्य को प्राप्त करने में सरकार प्रयासरत है। वर्ष, 2005 तक स्वास्थ्य के लिए समन्वित प्रणाली की स्थापना। वर्ष, 2005-06 के बजट में इस हेतु धनराशि की व्यवस्था की गई है ताकि इस प्रणाली से जनमानस को निदान दिलाया जा सके। मान्यवर, सफल प्रजनन दर को वर्ष, 2010 तक 2.1 तक लाना। आधुनिक गर्भनिरोधकों की उपयोगिता दर को वर्ष, 2010 तक 55 प्रतिशत के स्तर पर लाना। शिशु मृत्यु दर को इसके वर्तमान स्तर से कम कर वर्ष, 2010 तक 28 प्रति हजार के स्तर पर लाना, मातृ मृत्यु दर को इसके वर्तमान स्तर से कम कर वर्ष, 2010 तक 100 प्रति लाख से भी नीचे लाना।

भारत सरकार के न्यूनतम साझा कार्यक्रम के अन्तर्गत रूरल हेल्थ मिशन के लक्ष्यों को एवं मिलेनियम डेवलेपमेंट गोल (मातृ एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, एड्स एवं अन्य संचारी रोगों पर नियंत्रण) निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति हेतु स्वास्थ्य प्रणाली की विभिन्न श्रेणियों में निरन्तर सुधारात्मक कार्यवाही हमारी सरकार द्वारा की जाती रही है। मान्यवर, ग्रामीण स्वास्थ्य कार्यक्रम के अन्तर्गत हमारी सरकार द्वारा प्राथमिक स्वास्थ्य रक्षा प्रणाली में जो सुदृढ़ीकरण के कार्य किये गये हैं उससे मैं माननीय सदन को अवगत कराना चाहूँगा। ग्रामीण स्वास्थ्य कार्यक्रम में सामुदायिक भागीदारी हेतु संविधान के 73वें संशोधन के अन्तर्गत पंचायतों को उत्तरदायित्व सौंपा गया है एवं रूरल हेल्थ मिशन के अन्तर्गत हमारी सरकार का यह प्रस्ताव है कि प्रत्येक ग्राम से एक ऐसी महिला, जो सामाजिक कार्य करती हो, का चयन कर प्रमाणित सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता योजना, भारत सरकार के सहयोग से प्रारम्भ की जायेगी। इनका मुख्य कार्य समुदाय में स्वास्थ्य के प्रति जागरुकता तथा समुदाय को स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने में सहयोग किया जाना है। मान्यवर, हमारी सरकार की प्राथमिकता ग्रामीण क्षेत्रों में दूरस्थ असेवित क्षेत्रों तक चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना है। जिसके लिए मेरी सरकार द्वारा विगत वर्षों में किये गये प्रयासों के फलस्वरूप वर्तमान वर्ष में 48 नये उपकेन्द्र उत्तरांचल गठन के बाद स्थापित किये गये हैं। वर्तमान में कुल 1573 उपकेन्द्र स्थापित हैं जिनमें से उत्तरांचल गठन से पूर्व कुल 283 उपकेन्द्र सरकारी भवन में स्थापित थे। वर्तमान सरकार के गठन के पश्चात् अब तक 302 उपकेन्द्रों का निर्माण किया गया है। वर्ष, 2005-06 में 50 नये उपकेन्द्रों के भवन निर्माण का लक्ष्य रखा गया है जिस हेतु रु0 300 लाख का प्राविधान रखा गया है।

उत्तरांचल के गठन के पूर्व राज्य में 257 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित थे जिनमें से 170 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सरकारी भवन में थे। हमारी सरकार द्वारा 5 नये प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित किये गये हैं। वर्ष, 2005-06 में नये अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना हेतु रु0 11 लाख 19 हजार की व्यवस्था की गयी है। वर्तमान

सरकार ने अब तक 31 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के निर्माण की स्वीकृति प्रदान की है। वर्ष, 2005–06 में 10 नये प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के भवनों के निर्माण हेतु रु0 2 सौ 50 लाख का प्राविधान किया गया है। राज्य गठन के पूर्व 322 राजकीय एलोपैथिक चिकित्सालय स्थापित थे जिनमें से 54 सरकारी भवन में स्थित थे। वर्तमान सरकार द्वारा अब तक 32 राजकीय एलोपैथिक चिकित्सालयों के भवन निर्माण की स्वीकृति दी गयी है। वर्ष, 2005–06 में 10 राजकीय एलोपैथिक चिकित्सालयों के भवन निर्माण हेतु रुपये सौ लाख की व्यवस्था की गयी है। भवाली चेस्ट संस्थान तथा रैमजे चिकित्सालय, नैनीताल तथा कोरोनेशन चिकित्सालय, देहरादून के सुदृढ़ीकरण हेतु रु0 5 करोड़ वित्तीय वर्ष, 2005–06 में बजट में प्राविधानित किया गया है। भवाली क्षयरोगाश्रम को चेस्ट संस्थान के रूप में विकसित करने हेतु जापान सरकार के द्वारा उपकरण क्रय हेतु रुपये चार करोड़ की सहायता प्राप्त की गयी है। उत्तरांचल के गठन के पूर्व 23 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित थे। हमारी सरकार द्वारा अब तक 17 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना की जा चुकी है। वर्ष, 2005–06 में 4 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना हेतु रुपये 98 लाख 60 हजार की व्यवस्था की गयी है।

मान्यवर, उत्तरांचल में प्रत्येक ब्लाक में एक सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के निर्माण करने का संकल्प भी हमारी सरकार द्वारा लिया गया है। इस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु प्रदेश के 95 ब्लाकों में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना करने की दिशा में प्रयास किया जा रहा है। जिसमें वर्ष, 2005–06 में 15 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों का निर्माण कार्य पूर्ण कराया जायेगा। वर्तमान में एक सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र अनुसूचित जन जाति बाहुल्य क्षेत्र में है। वर्ष, 2005–06 में 2 नये सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के भवनों के निर्माण हेतु रुपये 120 लाख की व्यवस्था की गयी है। मान्यवर, यहाँ पर मैं उल्लेख करना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश के समय से 11 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, 10 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं 18 एलोपैथिक चिकित्सालयों के अधूरे निर्माण कार्य लम्बित थे। सरकार द्वारा इन अधूरे निर्माण कार्यों को पूर्ण कराने हेतु विशेष प्रयास किये गये एवं 9 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, 9 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र व 12 राजकीय एलोपैथिक चिकित्सालयों के भवनों का निर्माण कार्य पूर्ण कराया जा रहा है। मान्यवर, हमारी सरकार का प्रयास है कि कठिन पहुँच वाले ऐसे उपकेन्द्रों पर जहाँ से निकटवर्ती स्थान पर कोई स्वास्थ्य केन्द्र उपलब्ध न हो एक फार्मासिस्ट की नियुक्ति कर प्राथमिक चिकित्सा सेवा प्रदान की जाय। विगत वर्ष में सीमान्त 3 जनपदों के लिए पायलट प्रोजेक्ट के रूप में 50 फार्मासिस्टों के पदों के सृजन की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

इसी क्रम में वर्तमान वित्तीय वर्ष में 50 और नये पदों के सृजन हेतु 53 लाख 57 हजार की व्यवस्था की गई है। इसके अतिरिक्त प्रदेश में 350 फार्मासिस्टों के पदों का सृजन कर बेरोजगार फार्मासिस्टों को रोजगार के साथ–साथ दुर्गम/अतिदुर्गम में अवस्थापित उपकेन्द्रों में प्राथमिक उपचार प्रदान करने की दिशा में कटिबद्ध हैं। सुदूर क्षेत्रों में मातृ शिशु कल्याण सेवाओं की उपलब्धता बढ़ाने हेतु हमारी सरकार ने निर्णय लिया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों व अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर महिला चिकित्साधिकारी की नियुक्ति की जाय जिसके मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवायें सुगमता से उपलब्ध करायी जा सकें। इस हेतु हमारी सरकार ने 103 महिला

चिकित्साधिकारियों के पदों का सृजन किया है। दुर्गम और अति दुर्गम क्षेत्र में स्थापित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर 43 महिला चिकित्साधिकारियों को 18 हजार पाँच सौ रुपये प्रतिमाह के वेतन से संविदा पर रखा जायेगा।

मान्यवर, हमारी सरकार द्वारा तहसील स्तरीय चिकित्सालयों के उच्चीकरण का निर्णय लिया गया था इसके अन्तर्गत अब तक कुल 7 तहसील स्तरीय चिकित्सालयों का उच्चीकरण किया गया है। वर्ष, 2005-06 में 2 तहसील स्तरीय चिकित्सालयों के उच्चीकरण का लक्ष्य रखा गया है। बड़े चिकित्सालयों के सुदृढ़ीकरण के लिए भी हमारी सरकार निरन्तर प्रयासरत है। इसके लिए चिकित्सा संस्थाओं का निर्माण, नवीनीकरण, उच्चीकरण कर विशेषज्ञ चिकित्सकों एवं पैरामेडिकल स्टाफ व अन्य पदों के सृजन तथा इनकी नियमित अथवा संविदा पर नियुक्ति कर राजकीय चिकित्सालयों में विशिष्ट चिकित्सा सुविधाएं जन-जन तक पहुँचाने का प्रयास किया जा रहा है। चिकित्सा विभाग में सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जा रही विशिष्ट चिकित्सा सुविधायें, और अन्य सुविधाओं के कारण उपचारित मरीजों की संख्या में वृद्धि हुई है और शैय्या उपयोगिता दर में भी वृद्धि हुई है। वर्ष, 2001 में राज्य के चिकित्सालयों की औसत शैय्या उपयोगिता दर मात्र 48.5 प्रतिशत थी जबकि यह 2004 में 58.43 प्रतिशत हो गई है, इस प्रकार औसत शैय्या दर में 9.93 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। श्रीमन्, वर्ष, 2004-05 में ग्रामीण क्षेत्रों में मातृ शिशु सेवाएं प्रदान करने हेतु 48 ए0एन0एम0 तथा 48 पार्ट टाइम सहायिका के पद सृजित किये गये। हमारी सरकार द्वारा अब तक 289 चिकित्साधिकारियों के पद तथा 480 पैरामेडिकल एवं अन्य स्टाफ के पद सृजित किये जा चुके हैं। वर्ष 2005-06 चिकित्सालयों और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में चिकित्सा सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए 36 चिकित्साधिकारी जिसमें 28 विशेषज्ञ पद हैं तथा 31 पैरामेडिकल एवं अन्य स्टाफ के पदों का सृजन प्रस्तावित है। वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारियों की कमियों को देखते हुए अब तक 161 साधारण ग्रेड चिकित्साधिकारियों को सीनियर स्केल में, 59 सीनियर स्केल से संयुक्त निदेशक ग्रेड में व 12 संयुक्त निदेशक ग्रेड से अपर निदेशक ग्रेड में प्रोन्नत किया गया है। 2 अपर निदेशक से निदेशक के पद पर पदोन्नत किए गए। विगत वर्षों में लोक सेवा आयोग की संस्तुति के आधार पर 546 चिकित्सकों को नियुक्ति के आदेश जारी किये गये जिनमें से 355 चिकित्सकों द्वारा अपना योगदान दिया गया है जिनमें से 38 विशेषज्ञ चिकित्सक हैं। चिकित्सा अधिकारियों की कमी को पूर्ण करने के लिए चिकित्साधिकारियों को संविदा पर नियुक्त किया गया।

प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक सुदृढ़ करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में अवस्थित चिकित्सा इकाइयों में वर्षों से रिक्त पड़े पैरामेडिकल पदों के विरुद्ध 31 एक्स-रे टैक्नीशियन एवं 120 उपचारिकाओं तथा 108 महिला स्वास्थ्य कर्ताओं की नियुक्ति पर्वतीय क्षेत्र एवं दूर दराज के क्षेत्रों में की गई। मान्यवर, सरकार द्वारा प्रदेश की जनता को सुपर स्पेशलिस्ट सेवायें देने का भी निर्णय किया गया जिसमें न्यूरो सर्जन, कार्डियोलॉजिस्ट, नैफ्रोलॉजिस्ट आदि अति विशिष्ट चिकित्सा विशेषज्ञ उपचार सेवाओं के लिए सुपर स्पेशलिस्ट चिकित्सकों की नियुक्ति करने का निर्णय भी लिया गया है। राज्य

के कई चिकित्सालयों में समुचित आवासों की व्यवस्था न होने के कारण डाक्टर्स को वहाँ पर रहने में कठिनाई होती थी। सुदूर दुर्गम क्षेत्रों में किराये के आवास मिलना कठिन होता है। इसको दृष्टिगत रखते हुए चिकित्सालय परिसरों में आवास और जनपद मुख्यालयों में ट्रांजिट हास्टल बनाने हेतु इस वित्तीय वर्ष में 1000 लाख रुपये की व्यवस्था की गई है। विभिन्न चिकित्सा पद्धतियों के बीच समन्वय स्थापित कर जनता को एक ही स्थान पर एलोपैथिक, होम्योपैथी तथा आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धतियों का लाभ पहुँचाने का प्रयास किया जा रहा है। राज्य के सभी जिला चिकित्सालयों में यह सुविधा प्रारम्भ की जा चुकी है। हमारी सरकार द्वारा राज्य व्याधि निधि गठित की गई है जिसमें गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले रोगियों को चिन्हित चिकित्सालयों में असाध्य रोगों के उपचार हेतु अधिकतम डेढ़ लाख की आर्थिक सहायता दी जायेगी इसके लिए 75 लाख रुपये की व्यवस्था की गई है।

उत्तरांचल गठन के समय राजकीय क्षेत्र में तृतीय चरण की चिकित्सा सुविधा उपलब्ध नहीं थी। प्रथम चरण में श्रीनगर मेडिकल कॉलेज की स्थापना हेतु शैय्याओं का विस्तारीकरण कार्य पूर्ण किया जा चुका है और द्वितीय चरण का कार्य प्रारम्भ किया जा रहा है। इसके लिए वर्ष 2005–06 के आय–व्ययक में 350 लाख रुपये का प्राविधान किया जा रहा है। रुद्रपुर, जनपद ऊधमसिंह नगर में एक और राजकीय मेडिकल कॉलेज की स्थापना हेतु प्रथम चरण में शैय्याओं के विस्तारीकरण का कार्य प्रारम्भ किया जा रहा है। इस हेतु वर्ष 2005–06 में 650 लाख रुपये की व्यवस्था की गई है। भारत सरकार द्वारा अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, एम्स की ऋषिकेश में प्रस्तावित शाखा के निर्माण हेतु वित्त व्यय समिति द्वारा लगभग 350 करोड़ का प्राविधान किया गया है तथा 3 वर्ष में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान का निर्माण कार्य ऋषिकेश में पूर्ण कराने की बात कही गई है। मान्यवर, उत्तरांचल हेल्थ सिस्टम डेवलपमेंट परियोजना द्वारा राज्य के 37 चिकित्सालयों को चिन्हित कर सिविल कार्य, उपकरणों की उपलब्धता, चिकित्सकों का प्रशिक्षण, बायो वेस्ट मैनेजमेंट की व्यवस्था के द्वारा सुदृढ़ीकरण किया जा रहा है। 6 जिला पुरुष चिकित्सालय पिथौरागढ़, पौड़ी, देहरादून, हरिद्वार, अल्मोड़ा व बागेश्वर, 3 बेस चिकित्सालय श्रीनगर, हल्द्वानी तथा ओ0पी0डी0, हल्द्वानी, 1 संयुक्त चिकित्सालय, रामनगर, 7 महिला चिकित्सालय, पिथौरागढ़, पौड़ी, देहरादून, हरिद्वार, गोपेश्वर एवं हल्द्वानी, 7 सामुदायिक केन्द्र, खटीमा, कर्णप्रयाग, चकराता, धारचूला, नारसन, घड़ियाल एवं बागेश्वर में निर्माण कार्य कराया जा रहा है। 13 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र घाट, सल्ट, ताड़ीखेत, स्यालदे, स्यालकोट, केलाखेड़ा, धौलादेवी, मैसियाछीना, बहादराबाद, दुगड्डा, थैलुसैण, कालसी, चाकीसैण, चिकित्सा इकाईयों का नवीनीकरण, परिवर्तन, परिवर्द्धन एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य विश्व बैंक के माध्यम से रु0 38 करोड़ की धनराशि व्यय कर कराया जा रहा है। इनमें से 22 इकाईयों का कार्य पूर्ण कर विभाग को हस्तांतरित कर दिये गये हैं, 7 इकाईयों का कार्य पूर्ण कर विभाग को हस्तांतरित करने की कार्यवाही की जा रही है। 8 इकाईयों के सिविल कार्य प्रगति पर हैं।

मान्यवर, इसके अतिरिक्त श्रीनगर गढ़वाल में ट्रोमा केयर यूनिट की स्थापना हेतु रु0 50 लाख के उपकरण क्रय करने की व्यवस्था की गयी है। प्रदेश के चिन्हित इकाईयों में रु0 372.21 लाख के उपकरण भी स्थापित किए जा रहे हैं। जिनमें से रु0 185.51 लाख अप्रैल, 2005 तक क्रय कर लिए जायेंगे। मान्यवर, 4 क्रिटिकल केयर एम्बुलेंस एवं 2 मोबाइल हॉस्पिटल वैन रु0 185 लाख की लागत से क्रय की जायेंगी। मान्यवर, परियोजना द्वारा विभिन्न श्रेणी के चिकित्साधिकारियों, पैरामेडिकल स्टाफ को तकनीकी एवं प्रबन्धकीय प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। इस हेतु 74 विशेषज्ञ चिकित्सकों को छः प्रकार की विशेषताओं का प्रशिक्षण दिया जा चुका है। इसी प्रकार 86 सामान्य चिकित्साधिकारी तथा 46 उपचारिकाओं को दक्षता का प्रशिक्षण दिया गया है। 47 चिकित्सकों को कम्प्यूटर प्रशिक्षण भी उपलब्ध कराया गया है। स्वास्थ्य सेवाओं में निजी क्षेत्र की भागीदारी हेतु 3 एन0जी0ओ0 को 3 असेवित विकास खण्डों में कार्य हेतु अनुबंधित किया गया है। उत्तरांचल में चिकित्सा स्वास्थ्य व्यवस्था को सुदृढ़ करने हेतु राजकीय बड़े चिकित्सालयों में संविदा पर भोजन, सफाई, धुलाई की व्यवस्था तथा इन अस्पतालों को स्वायत्तता प्रदान की गयी, जिससे कि इन चिकित्सालयों की कार्यप्रणाली एवं रोगियों को उपलब्ध कराये जाने वाली सुविधाओं में गुणात्मक सुधार आया। संविदा पर चिकित्सकों व पैरामेडिकल की तैनाती का निर्णय लिया गया। राष्ट्रीय कार्यक्रमों के सफल संचालन हेतु भारतीय चिकित्सा पद्धति होम्योपैथी व एलोपैथी के मध्य समन्वय स्थापित कर मुख्य धारा में लाने का निर्णय लिया गया। राज्य में केन्द्र के सहयोग से खाद्य एवं औषधि विश्लेषणशाला की स्थापना की दिशा में कार्य कराये जाने का भी निर्णय लिया गया। इसके साथ ही उत्तरांचल नर्सिंग काउन्सिल के गठन व कार्यान्वयन का निर्णय लिया गया। उत्तरांचल डेन्टल काउन्सिल के गठन व कार्यान्वयन का निर्णय लिया गया तथा 73वें संविधान संशोधन के अन्तर्गत त्रिस्तरीय पंचायतों को अधिकार, दायित्व के प्रतिनिधायन का भी निर्णय लिया गया।

मान्यवर, होम्योपैथी एक लोकप्रिय चिकित्सा पद्धति है व जनसाधारण को होम्योपैथी की सरल, सुगम एवं सस्ती चिकित्सा पद्धति की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु सरकार प्रयासरत है। होम्योपैथी विभाग में उत्तरांचल गठन से पूर्व 60 होम्योपैथी चिकित्सालय थे। हमारी सरकार द्वारा 18 नये होम्योपैथिक चिकित्सालयों की स्थापना की गयी। इनमें से 64 होम्योपैथी चिकित्सालय ग्रामीण क्षेत्रों में तथा शेष 14 में से 13 चिकित्सालय जिला मुख्यालय पर एवं एक चिकित्सालय माननीय उच्च न्यायालय, नैनीताल में स्थापित हैं। मान्यवर, उत्तरांचल गठन से पूर्व राज्य में 59 होम्योपैथिक चिकित्साधिकारियों एवं 59 होम्योपैथिक फार्मासिस्टों के पद सृजित थे। राज्य गठन के पश्चात् हमारी सरकार ने 18 होम्योपैथिक चिकित्साधिकारियों एवं 18 फार्मासिस्टों के नये पद सृजित किए गए। मान्यवर, होम्योपैथी निदेशालय की स्थापना की है व उपनिदेशक होम्योपैथी के रिक्त पद पर नियुक्ति कर दी गई। मान्यवर, 2005–06 में छः नये होम्योपैथिक चिकित्सालयों की स्थापना की जायेगी। ये स्थान क्रमशः प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पिलखी, विकास खण्ड भिलंगना जनपद टिहरी बेताल घाट जनपद नैनीताल बैजनाथ जनपद बागेश्वर,

लोहाघाट जनपद चम्पावत, ग्राम कटूड विकास खण्ड चम्बा जनपद टिहरी एवं भिकियासैंण जनपद अल्मोड़ा है। इस हेतु 32.68 लाख रुपये का प्राविधान नई माँग के माध्यम से किया गया है। राज्य के ग्रामीण एवं पिछड़े क्षेत्रों में होम्योपैथिक दवाइयों की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु वर्ष 2004–05 में रु0 17.75 का प्राविधान किया गया है। वर्ष 2005–06 केन्द्रीय सहायता से मानसिक आघात केन्द्र की स्थापना हेतु रु0 27 करोड़ का प्राविधान नई माँग के माध्यम से किया गया है। होम्योपैथिक पद्धति से मातृ एवं शिशु रोगों के निदान हेतु होम्योपैथिक चिकित्सालयों में एम0सी0एच0 की स्थापना की जा रही है। इस हेतु रु0 608.16 का प्राविधान नई माँग के माध्यम से किया गया है। जनपद ऊधमसिंह नगर तथा हरिद्वार में जिला होम्योपैथिक चिकित्सा अधिकारी के कार्यालय की स्थापना की गई है।

मान्यवर, आयुर्वेद जो भारत की प्राचीन चिकित्सा पद्धति है। उत्तरांचल में जड़ी–बूटी की प्रचुरता को ध्यान में रखते हुए राज्य में एक आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय की स्थापना जनपद हरिद्वार में की जायेगी। साथ ही भारतीय चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद और यूनानी जो कि वर्तमान में देश और विदेश में काफी लोकप्रिय हैं, को बढ़ावा देने हेतु प्रदेश के 08 लोकप्रिय आयुर्वेदिक चिकित्सालयों में योग प्रकृति चिकित्सा, विशिष्ट चिकित्सा एवं पंचकर्म सुविधा उपलब्ध करा दी जायेगी। मान्यवर, गुरुकुल राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय के सुदृढ़ीकरण हेतु 80.00 लाख जारी किया गया है। मान्यवर, 40 चिकित्सकों को पंचकर्म चिकित्सा का प्रशिक्षण प्रदान किया गया। मान्यवर, 175 चिकित्सा अधिकारियों की भर्ती की कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गई है। 165 आयुर्वेदिक फार्मासिस्टों की नियुक्ति की कार्यवाही प्रारम्भ की जायेगी। मान्यवर, चिकित्सा के क्षेत्र में सरकार ने एक अभूतपूर्व सफलता प्राप्त की है। भारत सरकार ने भी उत्तरांचल के अन्दर चिकित्सा विभाग द्वारा जो कार्य किये गये हैं उसकी प्रशंसा की है। अन्त में सदन को विश्वास दिलाता हूँ कि आने वाले समय में चिकित्सा के क्षेत्र में जो कार्य किये जायेंगे वह ऐतिहासिक होंगे, अभूतपूर्व होंगे। उसके परिणाम आपको आगामी दो वर्षों में दिखेंगे। मुझे विश्वास है कि सदन के सभी माननीय सदस्य इस कार्य में हमें पूरा सहयोग देंगे। वह समय दूर नहीं जब अन्य राज्यों से लोग इलाज कराने के लिए उत्तरांचल में आयेंगे और उत्तरांचल एक मॉडल स्टेट के रूप में देखा जायेगा।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या 12, चिकित्सा एवं परिवार कल्याण विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन माँग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाए। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना और सुझाव देना है। मान्यवर, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने बताया कि हमने चिकित्सा के क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य किये हैं और वर्तमान बजट, कुल बजट का 14 प्रतिशत है, किन्तु मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। शायद मंत्री जी ने बजट के आकार को ही वास्तविक बजट मान लिया है, जबकि वास्तविक बजट का कुल 4 प्रतिशत ही स्वास्थ्य विभाग का बजट रखा गया है।

मान्यवर, आज पूरा व्यय 8706.52 करोड़ है। इस हिसाब से पौने 4 से चार प्रतिशत तक की वृद्धि होती है। मान्यवर, जब पहली बार यहाँ पर काम चलाऊ सरकार आयी थी तो उस समय ऐतिहासिक तरीके से बजट पेश किया गया था। उस समय 3.43 प्रतिशत की वृद्धि की गयी थी और उत्तर प्रदेश के बजट की तुलना में 2.67 प्रतिशत का अधिक प्राविधान किया गया था। मान्यवर, यदि तीन–चार सालों में आप पौने 4 प्रतिशत की वृद्धि करेंगे तो यह एक उपलब्धि नहीं है। मान्यवर, नया राज्य बना है तो काम होगा और जब काम होगा तो पैसा भी ज्यादा खर्च होगा। मान्यवर, उत्तरांचल में हैल्थ सिस्टम के अधीन जब पैसा आयेगा तो काम भी करना ही पड़ेगा। मान्यवर, इतना जरूर है कि माननीय मंत्री जी दौड़–भाग बहुत कर रहे हैं। इसकी तारीफ तो करनी ही पड़ेगी। मान्यवर, पिथौरागढ़ में हास्पिटल की घोषणा हमने की थी। मान्यवर, इस नये राज्य में किस तरह से विकास हो रहा है इसका उदाहरण देना चाहता हूँ। मान्यवर, बड़ी–बड़ी बातें हो रही हैं परन्तु यदि किसी को कुत्ते ने काट लिया तो उसकी दवाई नहीं है।

मान्यवर, हिमाचल का कसौली और उत्तरांचल का पटुवाडांगर रैबीज की वैक्सीन निर्माण के लिए जाना जाता था। दोनों ही जगहों पर रैबीज का वैक्सीन बनता था। पटुवाडांगर में भेड़ के भेजे से इसे बनाया जाता था और वह उत्तरांचल के सारे अस्पतालों में मुफ्त में दिया जाता था। यानि कि तत्कालीन उत्तर प्रदेश को भी मुफ्त में ही यह दवा मिलती थी। मान्यवर, उसके बाद जब हमारा उत्तरांचल राज्य बना तो हमने उत्तरांचल में मुफ्त में यह दवा वितरण की योजना बनायी। लेकिन उत्तरांचल से उत्तर प्रदेश को भेजते समय कुछ धनराशि लेते थे। मान्यवर, अंग्रेजों के जमाने से इतना बड़ा इंस्टीट्यूट पटुवाडांगर का जो सेंटर है, इसको हमने आधुनिक बनाने की योजना बनायी थी, इसका आगणन भी तैयार करवाया था, लेकिन वह बन नहीं पाया। मान्यवर, मैं इसको सुझाव की दृष्टि से कह रहा हूँ आलोचना की दृष्टि से नहीं कह रहा हूँ। मान्यवर, आज यहां पर रैबीज वैक्सीन उपलब्ध नहीं है। हमने व्यवस्था की थी कि पी0एच0सी0 तक यह दवा आसानी से आये लोगों को मिल जाय। पूर्व में उत्तरांचल में मात्र 26 स्थानों पर ही रैबीज के इन्जेक्शन मिलते थे।

मान्यवर, कुत्ता काट रहा है और अल्मोड़ा, नैनीताल और उत्तरकाशी के सी0एम0ओ0 के पास दवाई लेने जाना पड़ता था। सी0एम0ओ0 के लिखने के बाद ही दवा मिलती थी। तब ही इलाज होता था। मान्यवर, हमने यह व्यवस्था की थी कि हर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर रैबीज का वैक्सीन उपलब्ध हो। हमने इसके लिए 53 सेंटर खोले। मान्यवर, इसके रिकार्ड आपके पास हैं, और अधिकारी भी पुराने ही हैं। आप अपने अधिकारियों से पूछ सकते हैं। मान्यवर, 53 जगह पर रैबीज के स्टेशन खोले थे। आज कहीं पर रैबीज के इन्जेक्शन प्राप्त नहीं हैं। यह ठीक है बदना चाहिए आगे को, नई–नई चीजें होनी चाहिए, लेकिन नीति कैसी बन रही है ? मान्यवर, बहुत से चिकित्सक रख रहे हैं लेकिन अब भी 60 हजार चिकित्सकों की कमी पड़ेगी पूरे भारत वर्ष में। एक दम से पूरा नहीं हो सकता है, लेकिन कोई दृष्टि तो हो सरकार की। मान्यवर, रानीखेत में सर्जन दे दिया और सर्जन के जाने के बाद वहाँ पर आदमी मर रहे हैं। वह कह देते हैं

कि निश्चेतक नहीं हैं। कहीं एनस्थीसिया वाला दे दिया तो सर्जन नहीं है। मान्यवर, मेरे पास हर अस्पताल का रिकार्ड है। मान्यवर, ऊधमसिंह नगर, देहरादून, बाजपुर और तराई क्षेत्रों में हरिद्वार, रुड़की में होंगे। मान्यवर, एक व्यक्ति बोघन सिंह थे। बिल्कुल मर गये थे। डॉक्टर ने कह दिया आंतें काटनी पड़ेगी। आंतों में छेद हो गया है। तो मैं इत्तिफाक से वहाँ पहुँचा तो मैंने डॉक्टर से कहा किसी तरह से ऑपरेशन करिये तो उन्होंने कहा कि आप निश्चेतक ले आयें, कोई बात हो जायेगी तो हमको कहेंगे। मान्यवर, मैं समझता हूँ कि सत्ता पक्ष के लोग भी इससे नाइत्तिफाक नहीं करेंगे। ऊपरी जिलों में ऐसा हो रहा है। अगर हम तराई की बात करते हैं तो कहते हैं कि हम पहाड़ की बात करते हैं। हम मैदान की बात करते हैं तो कहते हैं कि मैदानी हो गये। वोट बैंक को देख रहे हैं।

मान्यवर, जिस दृष्टि से उत्तरांचल की स्थापना हुई थी उस दृष्टि से उत्तरांचल का उद्देश्य पूरा हो रहा है या उद्देश्य इन्फेक्लर्स हो गया या हम विचलित हो गये या हम पथ से भटक गये हैं। मान्यवर, अभी सुबह आया था कि बिना शिक्षकों के विद्यालय चल रहे हैं, हमारे सम्मानित सदस्य ने बताया कि इतने–इतने विद्यालय खाली पड़े हैं। मान्यवर, एक अस्पताल में एक ही सब्जेक्ट के 4–4 डॉक्टर होते हैं। अब 50 हजार रुपये में स्पेशलिस्ट रख रहे हैं, तो क्या गारण्टी है कि वह उत्तरकाशी में रह जायेंगे। मेरा बार–बार आग्रह रहा है कि जब तक भावनात्मक भाव नहीं उठेगा तो कभी यहाँ पर ठीक होने वाला नहीं है। मान्यवर, रानीखेत के छोटे अस्पताल हैं, रुड़की से आपने स्टीमेट बनवाया, सब कुछ ठीक किया। मैं पिछले चार वर्षों से बार–बार कह रहा हूँ चिल्ला रहा हूँ। मान्यवर, मैं कह रहा हूँ कि यह अस्तबल था। नीचे का पूर्ण कर दिया ऊपर का आपको दो मंजिला बनाना आवश्यक है। क्योंकि वह गवर्नमेंट के स्टीमेट में है तो वह क्यों नहीं बना रहे हैं ? मान्यवर, डॉक्टर दड़बों में बैठ रहे हैं।

मान्यवर, यह तो मैंने एक उदाहरण दिया। मैं यह नहीं कहता हूँ कि हर जिले में मेडिकल कॉलेज होना चाहिए। हल्द्वानी में है तो ऊधमसिंह नगर में क्यों हुआ ? मैं यह कह रहा हूँ कि हल्द्वानी और रुद्रपुर में कितनी दूरी है, काशीपुर में खुले, गदरपुर में खुले, सितारगंज में खुले टिहरी में खुले और मंसूरी में खुल जाय। परन्तु हर क्षेत्र में विकास बराबर होना चाहिए।

श्री मातबर सिंह–

मान्यवर, मैं व्यवस्था चाहता हूँ कि जब माननीय भट्ट जी बोल रहे हैं तो माननीय सदस्यों को बीच में नहीं बोलना चाहिए।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, आप लोग बोलिये, इससे हमारे सुझाव नहीं आ पायेंगे। मान्यवर, मेरा कहना है कि लम्बित सूचना आ रही है एक अप्रैल एक दिन के बाद चालू हो जायेगा। मान्यवर, मई में बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री के किवाड़ खुल जायेंगे। इसमें स्वास्थ्य विभाग का दायित्व है कि जो शौचालय बनते हैं हास्पिटल चलते हैं, ये तमाम चीजों को पहले देख लेना चाहिए। यात्रा सीजन की पूर्ण तैयारी कर लेनी चाहिए। नया

राज्य है हमारी माता, बहिनें बाहर से आती हैं, उन्हें शौच के लिए परेशानी होती है, वह क्या संदेश लेकर जायेंगी। हम लोगों का एक "विजन" होना चाहिए। मान्यवर, खाद्य अपमिश्रण की बात कहना चाहता हूँ। आज बाजार में खाद्य पदार्थों में दवाइयों में अपमिश्रण हो रहा है। यह क्या हो रहा है ? (हँसी) दवाइयों के बारे में बताना चाहता हूँ कि 13 प्रकार की दवाइयाँ, सब स्टैन्डर्ड की पकड़ी गई, वह मानक रहित पायी गई। हल्द्वानी जैसी जगह में कैप्सूल का खोका मिला। यह 2003 की बात है। जिसमें टेट्रासाइकिलिन, पैरासिटामोल जैसी दवा भी नकली पायी गई। यहाँ से देखना है। मान्यवर, टेट्रासाइक्लीन और पैरासिटामोल जैसी दवाएं नकली पायी गयी हैं। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूँ कि कैडिला, हैक्स, ल्यूपिन, साराभाई जैसे स्टैण्डर्ड कम्पनियों की दवाएं सरकारी अस्पतालों में क्यों नहीं मंगायी जा रही हैं ? आज डॉक्टर अपने बच्चों को अस्पताल के बजाय बाजार की दवाएं देना पसन्द करते हैं, आखिर ऐसा क्यों ? मान्यवर, यूजर चार्ज की लिस्ट भी अस्पतालों में नहीं लगायी जा रही हैं। किस–किस की टेस्टिंग उपलब्ध हैं एवं किसकी टैस्टिंग की क्या फीस है वह जनता को पता होना चाहिए। तथा हर रोज अस्पताल के सूचना पट पर दवाइयों की सूची का अंकन करना चाहिए।

मान्यवर, अस्पतालों में यदि आज 1580 कोई दवा की गोली है और आज ही 300 गोलियाँ उसमें से खर्च हो गयी है तो कल के सूचना पट पर लिख जाना चाहिए कि अमुक दवा की उपलब्धता 1200 गोली है। मान्यवर, राष्ट्रीय कार्यक्रम जो केन्द्रीय योजनाएं हैं, जैसे राष्ट्रीय दृष्टिहीनता कार्यक्रम है, क्या आपने इसका लक्ष्य प्राप्त कर लिया है ? राष्ट्रीय कुष्ठ नियंत्रण कार्यक्रम में कितने रोगियों को आपने ठीक किया है ? राष्ट्रीय मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम हैं, राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम है, इनकी क्या व्यवस्था है मंत्री जी को बताना चाहिए। कैंसर रोगियों की टेस्टिंग की व्यवस्था हमारे यहाँ नहीं है। हमने अपने समय में इसके लिए बजट की व्यवस्था भी की थी। आज कितनी लैब कहाँ–कहाँ स्थापित की गयी हैं मंत्री जी अपने उत्तर भाषण में जवाब दें। मान्यवर, बायोप्सी के लिए आज भी लोगों को बरेली, लखनऊ, दिल्ली जाना पड़ता है। हमने अपने समय में पैप स्मेयर तथा हिस्टोपैथोलॉजी की व्यवस्था की थी। क्या ये खोल दिये गये हैं, या अभी तक लम्बित हैं इसे भी मंत्री जी बतायें। यदि यहाँ लैब खोली गयी है तो वे कहाँ–कहाँ हैं, लोगों को इसका पता होना चाहिए। यदि लोगों को पता होगा तो वे दिल्ली क्यों भागेंगे। एड्स के लिए हमने क्या काम किया है ? यह बहुत ही शर्मनाक स्थिति है कि जनवरी, 2005 में 28 केस एड्स के आ चुके हैं। मान्यवर, 28 का तो पता चला है। ये केस 100 से भी अधिक होंगे। ऊधमसिंह नगर में कुछ रोगियों की पहचान हुई है जिसमें एक महिला सहित चार लोगों की मौत हो गयी है। मान्यवर, हम तो बारूद के ढेर पर बैठे हुए हैं, लेकिन इस ओर सरकार ध्यान नहीं दे रही है। मैं सदन में कहना चाहता हूँ कि आपकी रिपोर्ट नाको में नहीं गयी है। जो रिपोर्ट यहाँ आपके पास है वह नाको में नहीं पहुँची है। आखिर इतनी बड़ी चूक कैसे हो गयी ? जब एड्स के केस पाये जा रहे हैं तो नाकों में इसे क्यों पब्लिश नहीं किया जा रहा है ? अभी मान्यवर, कैबिनेट

ने 350 फार्मासिस्टों की भर्ती की बात कही है। क्या नयी मद में आपने बजट में यह मांग भी की है ? मान्यवर, इससे पॉलिटिकल मैसेज तो चला गया लेकिन बजट में इसके लिए व्यवस्था नहीं की गयी है जो सरासर अन्याय है, बेईमानी है।

श्री अध्यक्ष–

कृपया समाप्त करें।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, जिला प्लान के अन्तर्गत मेरी विधान सभा में ढोल की धार तथा खिरखेत के लिए जिला प्लान में 6–6 बेड के अस्पताल खोलने हेतु प्राविधान कर शासन को, जिले से भेजा गया था, परन्तु शासन स्तर से काट दिया गया। जबकि अन्य जो भी कार्य जिले से भेजे थे, अन्य विधायकों के, उनको स्वीकृत कर लिया गया है। जब हमने पूछा तो उन्होंने कहा कि आप वहाँ पर भाग दौड़ नहीं कर पाये होंगे, तो मैंने कहा कि जो जिला योजना से स्वीकृत होकर आ गये उनके अस्वीकृत होने का क्या अर्थ है ? मान्यवर, इसमें विद्वेष की भावना भी नहीं होनी चाहिए। अब राजनीति में तो हल्का फुल्का होता ही है परन्तु जिला प्लान की स्वीकृत योजनाओं को काटने का क्या औचित्य है ? हमें तो हाथ पकड़ने की आदत है यह आदत हमारी उत्तर प्रदेश की है। हम तो पक्ष और विपक्ष दोनों का हाथ पकड़ लेते हैं। यदि हमें पता होता कि हमारी स्वीकृत योजनायें काटी जायेंगी तो हम हाथ पकड़ लेते। (व्यवधान)

रुद्रपुर के चिकित्सालय का उद्‌घाटन करने भी मैं ही आया था। मान्यवर, आई0सी0डी0एस0 की योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। यहाँ पर वह आंकड़े, वास्तविक आंकड़े नहीं आ रहे हैं। इस योजना में देहरादून, हरिद्वार और ऊधमसिंह नगर में यदि सर्वे कराया जाय तो वहाँ पर काफी हमारी मातायें और बहनें एनीमिक निकलेंगी। यदि नहीं निकलें तो जो कहिएगा, वह मंजूर होगा। आई0सी0डी0एस0 की योजना का लाभ पूर्ण रूप से लोगों को मिलना चाहिए।

श्री अध्यक्ष–

माननीय भट्ट जी समाप्त करें।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, 2–3 बातों को रख रहा हूँ। श्रीमन्, यह कितनी गम्भीर बात है कि आज देहरादून जैसे शहर में डायलिसिस की सुविधा नहीं है। हल्द्वानी की बात तो छोड़ दीजिए, यदि सुशीला तिवारी हॉस्पिटल को छोड़ दिया जाय, एवं वह भी अपवाद के रूप में, तो जितने भी हमारे हॉस्पिटल हैं वहाँ पर यह सुविधा नहीं है। टी0एम0टी0 की सुविधा नहीं है। मेरा कहना यह है कि जो इनीशियल चीजें हैं उनका भी प्रावधान इस प्रदेश में नहीं हो रहा है। मान्यवर, इसके अतिरिक्त ऊपर के क्षेत्रों में डॉक्टर, अस्पताल आदि न होने से आज स्थिति यह आ रही है कि हमारे यहाँ पर झोला छाप डॉक्टरों की संख्या बढ़ती जा रही है। वे लोग खुलेआम हमारे यहाँ पर काम कर रहे हैं। बुखार की दवा न

देकर वह सीधे हार्ट की दवा दे देते हैं और किसी को महीने से बुखार हो तो उसे ट्यूबरक्लोसिस की दवा खिला देते हैं। मान्यवर, ऐसे लोग हमारी कमी की वजह से पैदा हो रहे हैं, इनको रोका जाना चाहिए और अपने प्रदेश के लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ को रोकना चाहिए।

श्री अध्यक्ष–

भट्ट जी, कृपया समाप्त करें और भी लोगों को बोलना है।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, कुछ बातें और संज्ञान में लाना चाहता हूँ और अनुरोध करता हूँ कि गाँव के स्तर तक सुदूर गाँव तक स्वास्थ्य योजना का लाभ पहुँचाया जाना चाहिए। ऐसी योजना हमारे पास होनी चाहिए कि स्वास्थ्य सुविधा का लाभ आम आदमी और हर आदमी को मिले। मान्यवर, यदि 5–10 गाँवों के बीच में स्वास्थ्य की सुविधा नहीं होगी तो हम कितने ही स्वास्थ्य केन्द्र बना दें, कितनी बिल्डिगें बना दें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा।

श्री अध्यक्ष–

कृपया समाप्त करें।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, मेरा निवेदन है कि हर गाँव को स्वास्थ्य सुविधाओं से जोड़ा जाना चाहिए। यह आसान भी नहीं है। हर जगह यह नहीं हो सकता। अभी ऐरी जी ने जो दाई वाली बात कही थी, आज दाईयां पहाड़ों में दूर–दराज के गाँवों में बहुत बड़ी डॉक्टर हैं। तो जो उनको 50 रुपया प्रतिमाह दिया जाता है उसे बढ़ाया जाना चाहिए। यह तो छोटा सा काम है किसी भी दिन कैबिनेट में ले आइये और जय श्री राम कह कर पास करा दीजिए। मान्यवर, इन गाँवों की दाइयों के हितों की रक्षा करने का प्रयास सरकार को करना चाहिए। सुझाव देने की दृष्टि से मैंने यह सब आपके सामने रखा है।

श्री अध्यक्ष–

भट्ट जी, कृपया समाप्त करें।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, इस पर तो एक डेढ़ घंटे और बोलना चाहता था, कई बातें और थी, लेकिन इन चीजों को ही मंत्री जी सम्मिलित कर दें और इन्हीं शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूँ। धन्यवाद।

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूँ कि कटौती के प्रस्ताव पर बोलने का अवसर प्रदान किया।

श्री अध्यक्ष–

रावत जी, पाँच मिनट में अपनी बात को रखें।

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

मान्यवर, मैं कटौती के प्रस्ताव पर बल देने के लिए खड़ा हुआ हूँ। मान्यवर, उत्तरांचल में स्वास्थ्य की क्या स्थिति है उसे यहीं पर देखा जा सकता है। श्रीमन्, जैसे भात पका या नहीं इसे देखने के लिए एक दाना निकाल कर देखा जाता है और उसी से पता चल जाता है कि भात पका है या नहीं। मान्यवर, माननीय मंत्री जब अपना भाषण पढ़ रहे थे तो पसीने से उनके 2 रुमाल भीग गये और जब पूर्व स्वास्थ्य मंत्री बोल रहे थे तो उनको खांसी आ रही थी। मान्यवर, जब इनकी यह स्थिति होगी तो समझ सकते हैं कि उत्तरांचल के लोगों के स्वास्थ्य की स्थिति क्या होगी। मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने बहुत विस्तार से यहाँ पर बताया कि तीन सौ लाख रुपये निर्माण कार्य के लिए खर्च किया है। बेड बढ़ाने की बात भी आपने कही। आपका ध्यान नॉन प्लान की ओर ज्यादा है। भवन निर्माण के बारे में आपकी चिन्ता अधिक है। उचित तो यह होता कि आप यह बताते कि जब आपने कार्य भार ग्रहण किया उस समय हमारे यहाँ एड्स के रोगियों की संख्या कितनी थी और आपने उसको कितना कम किया। यहाँ पर पहले कुष्ठ रोगियों की संख्या कितनी थी और आपने कितनी कम कर दी। इसी प्रकार जो अन्य संक्रामक रोग हैं, उनके रोगियों की संख्या इन तीन सालों में कितनी कम हुई है। यदि इस बारे में माननीय मंत्री जी बताते तो मैं समझता हूँ कि ज्यादा अच्छा होता। आपने बताया कि 300 लाख रुपया भवन निर्माण में लगा दिया। इस निर्माण कार्य के लिए लेबर बिहार, उड़ीसा तथा नेपाल से आए होंगे। इस प्रकार यह पैसा वहाँ के बैंकों में चला गया, यहाँ कोई काम नहीं आया। मान्यवर, अस्पतालों के बारे में अभी माननीय अजय भट्ट जी ने बताया। मैं देहरादून के अस्पताल के बारे में बताना चाहता हूँ, यहाँ पर सफाई अवश्य हुई है। लेकिन मान्यवर, देहरादून का हॉस्पिटल, जो उत्तरांचल का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, उसमें अभी तक डायलिसिस और कार्डियोलॉजी की व्यवस्था नहीं है। यहाँ पर कूड़ा निस्तारण की कोई व्यवस्था नहीं है। इस तरह की व्यवस्था आपने की होती तो हम यह मानते कि आपने आन्तरिक व्यवस्था भी सुधारी है।

मान्यवर, गाँवों के चिकित्सालयों की बात आयी मान्यवर, मेरे गाँव में भी अस्पताल है, जब मैं वहाँ पर गया तो वहाँ के डॉक्टर ने मुझसे कहा कि साहब मैं बहुत परेशान हूँ, गाँव के लोग मुझे डॉक्टर साहब, नमस्ते, न कह कर वार्ड ब्वॉय को नमस्ते करते हैं। मैंने कहा, जो दवाई देगा, गाँव वाले उसी को डॉक्टर मानेंगे। मान्यवर, उत्तरांचल राज्य के दूरस्थ स्थानों पर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाना चाहिए, क्योंकि देहरादून में तो पहले से ही अस्पताल हैं। जब तक दूरस्थ स्थानों पर डॉक्टर नहीं होंगे, चिकित्सा सुविधा नहीं होगी, तब तक हर बात बेमानी है। माननीय मंत्री जी ने सेवा भावी चिकित्सक की बात कही। लेकिन इससे पहले इस बात पर विचार करना चाहिए कि जिन दूरस्थ क्षेत्रों में इन सेवा भावी डॉक्टरों की आवश्यकता है, वहाँ के कितने छात्र मेडिकल की पढ़ाई के लिए चयनित होकर आते हैं। मान्यवर, आज पिथौरागढ़, चमोली और उत्तरकाशी से कितने छात्र चयनित हो पा रहे हैं ? इससे ज्यादा छात्र तो उत्तर प्रदेश के समय में यहाँ से चयनित हो रहे थे। आपको ऐसी पॉलिसी बनानी

चाहिए कि यहाँ के जो छात्र मेडिकल की पढ़ाई के लिए चयनित किए जाएं, उनके लिए एजुकेशन फ्री की जाय। मान्यवर, मैं चाहूँगा कि दूरस्थ क्षेत्रों में मेडिकल की पढ़ाई पूरी करने के बाद वे लोग दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वालों की चिकित्सा सेवा करें। इसके लिए उन्हें स्वयंसेवी संस्थाओं, जो दूरस्थ क्षेत्रों में चिकित्सा शिविर लगाते हैं उनके पास भेजा जाय तो उन्हें यह अहसास होगा कि वे संस्थाएं किस तरह से दूरस्थ क्षेत्रों में लोगों को चिकित्सा सुविधा दे रही हैं। इससे उनके मन में भी सेवा भाव के संस्कार उत्पन्न होंगे। उन्हें कम से कम साल में दो बार अवश्य भेजा जाए।

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, हमारे साथी माननीय श्री अजय भट्ट जी द्वारा जो कटौती का प्रस्ताव रखा है उसके समर्थन के लिए मैं खड़ा हुआ हूँ। मान्यवर, स्वास्थ्य मंत्री जी ने जब अपना पहला बजट भाषण प्रस्तुत किया था तब मैंने उनको, सरकार को कुछ सुझाव दिये थे और मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी का आभारी हूँ कि उस दिशा में माननीय मंत्री जी ने कुछ प्रयास किये। किन्तु फिर भी जो अपेक्षा थी लोगों की, स्वास्थ्य नीति के बारे में, उसके अनुरूप उत्तरांचल की स्वास्थ्य नीति नहीं बन पाई। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने त्रि–स्तरीय स्वास्थ्य व्यवस्था सुनिश्चित करने में जो प्रतिबद्धता जतायी उसके सम्बन्ध में संक्षेप में कहना चाहूँगा। मान्यवर, प्रथम स्तर तो यह है कि राज्य के अन्तिम व्यक्ति को स्वास्थ्य की सुविधा प्राप्त हो यह पीड़ा पूरे उत्तरांचल की है। अधिकांश दूरस्थ ग्रामीण अंचलों में लोगों को चिकित्सा सुविधा नहीं मिल पाती है इसलिए प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर एक उपकेन्द्र खोलने की आवश्यकता है। जिस प्रकार से इस समय एक हजार पाँच सौ तिहत्तर उपकेन्द्र संचालित हैं। इन उपकेन्द्रों की संख्या सात हजार दो सौ सत्ताईस की जाए।

इन स्वास्थ्य केन्द्रों को बहुउद्देशीय स्वास्थ्य केन्द्र के रूप में खोला जाए। एक ए0एन0एम0 की वहाँ पर व्यवस्था हो ताकि अन्तिम व्यक्ति को स्वास्थ्य सुविधा पहुँच सके। दूसरे स्तर की व्यवस्था के अन्तर्गत प्रत्येक विकास खण्ड में एक हैल्थ रिफर सेन्टर खुलना चाहिए। तृतीय स्तर पर प्रत्येक जिला मुख्यालय में एक बेस अस्पताल खोलने की आवश्यकता है। जिसमें सभी प्रकार के विशेषज्ञ उपलब्ध रहें। जैसा कि यहाँ पर सरकार द्वारा बताया गया कि 40 हजार रुपये में विशेषज्ञ चिकित्सकों को नियुक्त किया जायेगा संविदा के आधार पर। मान्यवर, पिछले बजट में माननीय मंत्री जी ने हर जिले में बेस अस्पताल खोले जाने की बात कही थी वह भी हमारे जनपद पिथौरागढ़ में नहीं खुला है। मेरी माँग है कि एक बेस अस्पताल पिथौरागढ़ में अवश्य बने। पिथौरागढ़ सीमान्त जनपद है। मान्यवर, सरकार आयुर्वेद की बहुत बात करती है किन्तु पिथौरागढ़ में जो आयुर्वेदिक अस्पताल है, उसका अपना भवन नहीं है।

मान्यवर, बैठने का कोई उचित प्रबन्ध नहीं है। मान्यवर, भवन को खाली करने में उन्हें अत्यन्त परेशानी हुई। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर एक भवन बना लिया जाय। इसके साथ ही मान्यवर, मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि संविदा के आधार पर जो दूरस्थ स्थलों पर कार्य कर रहे हैं, लेकिन जिनका सलेक्शन आयोग के माध्यम से नहीं हुआ है, जो

न जाने विगत तीन–चार वर्षों से कार्य कर रहे हैं ऐसे चिकित्सकों को नियमित करने के लिए माननीय मंत्री जी मंत्रिपरिषद से प्रस्ताव पास करायेंगे और उन्हें नियमित करायेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूँ।

श्री हरभजन सिंह चीमा–

मान्यवर, मेरा एक अहम सवाल है कि कितनी योजनाएं आने वाले समय के लिए इस बजट में दी गयी हैं परन्तु जो सबसे महत्वपूर्ण और खतरनाक चीज है "लिंग अनुपात में गड़बड़ी" इसके लिए इस बजट में कोई व्यवस्था नहीं की गयी है। यह एक शुभ संकेत नहीं है। मान्यवर, पोलियो से हम बच जायेंगे परन्तु एक समय ऐसा आयेगा जब हम इस समस्या से जूझेंगे। इसी के साथ मैं इस बात पर बल देता हूँ।

श्री पुष्पेश त्रिपाठी–

मान्यवर, मैं माननीय सदस्य से अपने को सम्बद्ध करते हुए कहना चाहता हूँ कि माननीय मंत्री जी ने कहा कि 50–50 फार्मासिस्टों की भर्ती हर साल की जायेगी। और जो कि आवश्यक थी और कुल पद 450 स्वीकृत हैं। मान्यवर, इस हिसाब से देखा जाय तो लगभग दो साल का कार्यकाल अब बचा है, लेकिन मैं समझता हूँ यह लक्ष्य पूरा नहीं हो पायेगा। इस पर मैं माननीय मंत्री जी से स्पष्टीकरण चाहूँगा कि कुल 450 पद कब तक भरे जायेंगे। मान्यवर, जैसे कि माननीय अजय भट्ट जी ने एण्टी रैबीज के विकास की बात की थी क्योंकि वह आउट डेटेड हो गयी है। मान्यवर, वर्तमान में बहुत लेटेस्ट दवाइयां बन गयी हैं। नये रिसर्च सेंटर खोलने की आवश्यकता है। मान्यवर, मीडिया के माध्यम से एक खबर आयी थी जिसमें कुछ यूरोपीयन देशों ने भारतीय कम्पनियों की दवाओं पर प्रतिबन्ध लगा दिया, ये 11 कम्पनियां हैं। निश्चित ही इन कम्पनियों की दवाएं यहाँ पर भी आती हैं। इनकी जाँच के लिए हमारे यहाँ पर लैब नहीं है। इसलिए मैं चाहता हूँ यहाँ पर एक लैब खोली जाय और इन दवाईयों की जाँच भी की जाय। मान्यवर, एक वर्ल्ड हैल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट है कि उत्तरांचल में काफी मात्रा में नारकोटिक्स का सेवन किया जाता है। मान्यवर, यह बहुत हानिकारक है, इसका इस्तेमाल टीन एज के बच्चे करते हैं। इसके सम्बन्ध में माननीय मंत्री जी को मेरा सुझाव है कि जितनी फार्मासिस्ट मेडिकल की दुकाने हैं, दुकानों पर कुछ नोटिस जारी करायें। मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने यहाँ पर एक बात का जिक्र किया था। इस सम्बन्ध में कहना चाहता हूँ कि मेरे क्षेत्र महाकालेश्वर में एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना की जाय। यहाँ की आबादी लगभग 15 हजार है। यदि आप यहाँ पर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना की घोषणा करेंगे तो मैं आपका आभारी रहूँगा।

*डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल–

मान्यवर, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिए धन्यवाद। मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने जो बजट पेश किया उसमें विभिन्न मदों में जो हमारे उपकेन्द्र, बेस अस्पताल, मेडिकल कॉलेज की बात करी तो उसमें जो 3 साल में प्रगति की उससे पूरा

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

उत्तरांचल गौरवान्वित है और हम सब गौरवान्वित महसूस करते हैं, लेकिन इस क्षेत्र में बहुत कुछ करना है। मान्यवर, मैं कुछ सुझाव सदन के समक्ष अपने द्वारा रखना चाहूँगा। मान्यवर, पहली बात बार-बार आती है कि दूर स्थानों पर डॉक्टर नहीं जाते हैं। अगर हम सही मायने में डॉक्टर उपलब्ध कराना चाहते हैं तो सबसे पहले डॉक्टर की मानसिकता समझनी होगी। मान्यवर, डॉक्टर ऐसी लॉट है जिसे इम्प्लायमेंट की समस्या नहीं है, वे सेल्फ इम्प्लायमेंट ढूंढ सकते हैं, तो इस मानसिकता को समझेंगे तभी कुछ कार्य कर पायेंगे। इसके लिए मेरा सुझाव है कि जहाँ भी डॉक्टर रखना चाहते हैं उन स्थानों पर जो मकान हैं वे सुदृढ़ किये जायें। जहाँ डॉक्टर पोस्ट करना चाहते हैं उसको इण्टरनेट से जोड़ा जाए। मान्यवर, ऐसा वातावरण बन गया है कोई एकान्त का जीवन नहीं जीना चाहता है, इण्टरनेट से लोग अपना समय यूटीलाइज कर सकते हैं, तो इण्टरनेट की सुविधा होनी चाहिए। मान्यवर, जो हमारे चिन्हित स्थान हैं ऐसे स्थानों पर शॉर्ट पोस्टिंग हो।

मान्यवर, होता क्या है एक बार डॉक्टर पोस्ट होता है और उसका तबादला नहीं होता है तो वह छोड़कर चला आता है। अगर छः महीने उनको रखेंगे तो ज्यादा व्यवहारिक होगा, तो वह छः महीने अपने मन से करेगा और बिना फैमिली के रह पायेगा। मान्यवर, ग्लोबल वार्मिंग से संक्रमण रोग, मलेरिया आदि रोग फैलते चले जायेंगे। मान्यवर, राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम जो चल रहा है उसमें किसी भी तरह से दवा का छिड़काव नहीं हो रहा है। मान्यवर, स्वास्थ्य केन्द्र वाले कहते हैं कि दवा नहीं है और नगर निकाय भी नहीं कर रहे हैं, तो जब तक स्वास्थ्य केन्द्र और नगर निकाय को एक नहीं करेंगे तब तक नहीं होगा, अगर ऐसे ही होगा तो वह रोग फैलेगा। मान्यवर, अब मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ।

श्री बिशन सिंह चुफाल--

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे माननीय अजय भट्ट जी के कटौती के प्रस्ताव पर बोलने के लिए अवसर दिया मैं आपका आभारी हूँ। मान्यवर, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने जो अपने बजट भाषण में कहा कि संविदा के आधार पर हर जनपदों में डॉक्टरों की नियुक्ति कर 18 हजार रुपया देने की बात की। मान्यवर, जनपद पिथौरागढ़ में सी0एम0ओ0 द्वारा विज्ञप्ति निकली जिसमें 25 पद बताये, पर एक भी डॉक्टर नहीं रखे। मान्यवर, इसका मतलब यह है कि जो दूर दराज के गाँव हैं उन्हें स्वास्थ्य सुविधा नहीं मिल पा रही है। मेरा सुझाव है कि आपने 50 उपकेन्द्र खोलने की बात कही है। पहले विषम भौगोलिक परिस्थितियों को लीजिए, वहाँ पर 15-20 कि0मी0 क्षेत्र में कोई अस्पताल नहीं है। अगर वहाँ पर उपकेन्द्र खोलते हैं तो जो दूर दराज के गाँव हैं उससे उनको उपचार मिलेगा। मान्यवर, मुनस्यारी धारचूला क्षेत्र में झोला छाप डॉक्टर से काम चल रहा है। अगर वहाँ पर कोई ऐसी बात हो जाती है तो वह वहाँ से भाग जाते हैं, उनका पता नहीं चलता है। वहाँ पर भी उपकेन्द्र खोले जांय जिससे कि इन लोगों को स्वास्थ्य सुविधा मिल जाये। पर्वतीय क्षेत्र में एलोपैथिक, आयुर्वेदिक चिकित्सालय किराये के भवन में चल रहे हैं। 2-3 साल से उनका किराया नहीं मिल पा रहा है। जो कर्मचारी

हैं, उनको भी वहाँ पर काम करने में असुविधा होती है। आपने अपने बजट अभिभाषण में डेन्टल हाइजिनिस्ट के पद के बारे में बात नहीं की है। मान्यवर, ग्रामीण क्षेत्रों में ये नहीं हैं। मेरा कहना है कि डेन्टल हाइजिनिस्ट के पद स्वीकृत किये जायें।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के उच्चीकरण की बात की। पाँगू क्षेत्र में कोई हॉस्पिटल नहीं है। इस प्रकार बाजबगड़ में न कोई एलोपैथिक अस्पताल है, न आयुर्वेदिक अस्पताल है। मान्यवर, भारत सरकार के मानक के अनुसार आपने उन स्थानों को चिन्हित करके आयुर्वेदिक एवं ए0एन0एम0 केन्द्र खोले हैं, जो आपने ए0एन0एम0 भवन बनाये हैं वह गाँव से दूर हैं। आज वह भवन खण्डहर हो चुके हैं, इसमें उन भवनों के रखरखाव के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई है। मैं चाहता हूँ कि उन भवनों के रखरखाव के लिए उचित प्रबन्ध करें। मान्यवर, मैं इसी के साथ श्री अजय भट्ट जी द्वारा रखे कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूँ।

श्री महेन्द्र भट्ट–

मान्यवर, मेरा अनुरोध है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र नन्दप्रयाग नगर पंचायत होते हुए भी वहाँ पर एलोपैथिक हॉस्पिटल नहीं है, वहाँ की जनता इसके लिए बराबर माँग करती रही है। मैं कहना चाहता हूँ कि वहाँ पर एलोपैथिक हॉस्पिटल खोला जाये।

श्री अनिल नौटियाल–

मान्यवर, मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ। मैं कहना चाहता हूँ कि माननीय मंत्री जी के अभिभाषण में कहीं पर मेन्टल हॉस्पिटल की बात नहीं कही गई है। जब मैं क्षेत्र में जाता हूँ तो जो लोग बहुत ही गरीब हैं और मेन्टली डिस्टर्ब हैं वह आग्रह करते हैं कि डी0एम0 से कहकर इन्हें आगरा में भेज दिया जाये। मान्यवर, उत्तरांचल में मेन्टल हॉस्पिटल का प्राविधान होना चाहिए। इसी के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूँ।

मान्यवर, चूँकि अब यात्रा सीजन शुरू होने वाला है। इस यात्रा सीजन के दौरान कई बार मार्ग दुर्घटनाएं हो जाती हैं और उस समय फिर ब्लड की आवश्यकता पड़ती है। कई ब्लड बैंक आपने खोले हैं। श्रीनगर में भी एक ब्लड बैंक है। लेकिन कई बार वहाँ पर ब्लड उपलब्ध नहीं रहता है। मान्यवर, इस ओर ध्यान दिया जाये और वहाँ पर यात्रा सीजन के समय अवश्य ही ब्लड की व्यवस्था की जाये। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से एक आग्रह करना चाहता हूँ कि गोचर में हवाई पट्टी निर्मित हो चुकी है और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर गोचर का नाम जुड़ गया है। तो वहाँ पर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का उच्चीकरण कर दिया जाये। मान्यवर, चौखुटिया, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग और श्रीनगर तक के मरीज यहाँ इलाज के लिए आते हैं लेकिन वहाँ पर सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं। वहाँ की एक्स–रे मशीन खराब पड़ी हुई है। वहाँ एक सर्जन है जो कि अच्छा काम कर रहे हैं। तो वहाँ पर भी मान्यवर, सारी सुविधाएं उपलब्ध करवा दी जाये।

श्री अध्यक्ष–

माननीय अजय भट्ट जी, क्या आप अपना कटौती का प्रस्ताव वापस ले रहे हैं ?

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, मैंने सोचा था कि मैंने जो बातें यहाँ पर उठाई हैं माननीय मंत्री जी उसके सम्बन्ध में तत्काल कोई घोषणा करेंगे लेकिन मुझे लगता है कि माननीय मंत्री जी इसके लिए अपने को सक्षम नहीं पा रहे हैं। अतः मैं अपने कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूँ।

श्री तिलकराज बेहड़–

मान्यवर, माननीय अजय भट्ट जी ने, माननीय चीमा जी ने, माननीय प्रकाश पंत जी ने और अन्य सम्मानित साथियों द्वारा काफी महत्वपूर्ण सुझाव यहाँ पर रखे गये हैं। माननीय सदस्य इस बात के स्वयं भी ज्ञाता हैं कि भारत सरकार के नियमों के अनुसार 3 हजार की आबादी पर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्वीकृति दी जाती है और 20 हजार की आबादी पर उच्चीकृत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना की जाती है और ग्रामीण क्षेत्रों में विकास खण्ड में चिकित्सालय की सुविधा दी जाती है। अभी जब एम्स का शिलान्यास हुआ था तब माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा तत्कालीन केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज जी के सामने उत्तरांचल की विषम भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए इसमें शिथिलता बरतने की बात कही गयी थी और कहा गया था कि 3 हजार के बजाये 1 हजार की आबादी पर इसकी स्वीकृति दी जाये और 20 हजार के बजाये इसे 10 हजार का मानक कर दिया जाये। मान्यवर, हम लगातार इसके लिए प्रयास कर रहे हैं और जहाँ तक विकास खण्ड स्तर पर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने की बात है 23 ऐसे ब्लॉक हैं जहाँ पर सी0एस0सी0 को उच्चीकृत किया गया है। 15 में निर्माण चल रहा है। 32 अस्पताल 3 साल के अन्दर बनाये जाने हैं। मान्यवर, इसके अलावा और भी बहुत सारे सुझाव आये हैं, लेकिन समय की कमी है। यहाँ पर कूड़े की बात कही गयी है। बायोमेटिक वेस्ट मैनेजमेन्ट द्वारा कूड़े का निस्तारण किया जा रहा है। इसे प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से मान्यता प्राप्त है। इसके द्वारा दून अस्पताल, कोरोनेशन अस्पताल आदि में कूड़े का निस्तारण किया जायेगा।

श्री हरबंस कपूर–

मान्यवर, क्या प्राइवेट नर्सिंग होम को भी इसमें शामिल किया जायेगा ?

श्री तिलकराज बेहड़–

मान्यवर, जहाँ तक प्राइवेट नर्सिंग होम की बात है इसके लिए मानक बनाये जाने हैं। माननीय अजय भट्ट जी ने पट्वाडांगर के वैक्सीन की बात कही तो जो वैक्सीन वहाँ पर बनाती थी वह भेड़ से बनाती थी। अब भेड़ से वैक्सीन बनाने में प्रतिबन्ध लगा दिया गया है। अब हमने कसौली से वैक्सीन मंगाई है और उसकी 10 हजार डोज आज भी

हमारे पास उपलब्ध है। भारत सरकार से अन्य किसी से वैक्सीन बनाने की डिमांड हमने की है और यदि अनुमति मिल जाती है तो वहाँ पर मानकों के आधार पर वैक्सीन बनाने का कार्य करेंगे। माननीय सदस्य ने बार–बार रानीखेत का जिक्र किया है। वे कह रहे थे कि 4 साल से कह रहा हूँ तो मान्यवर, हमें तो 3 ही साल हुए हैं। आपको याद होगा कि रानीखेत का अस्पताल हमने ही बनवाया है। वहाँ पर तो कुछ नहीं था साईट डेवलपमेंट भी नहीं हुआ था, वह भी हमने करवाया था। हमारा तो यह मानना है कि सब जगह कार्य होना चाहिए। अभी भी हमने वहाँ के लिए 10 लाख रुपये दिये हैं।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, यह तो निचली मंजिल के लिए है मैं तो दूसरी मंजिल के लिए कह रहा था यदि उसके लिए भी मंत्री जी कह दें तो अच्छा है।

श्री तिलक राज बेहड़–

मान्यवर, हम देख रहे हैं पहले नीचे वाली तो बन जाये।

वन एवं पर्यावरण मंत्री (श्री नवप्रभात)–

मान्यवर, एक स्पष्टीकरण है कि क्या माननीय सदस्य बिना निचली मंजिल बनवाये सीधे ऊपरी मंजिल बनवाना चाहते हैं।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, सरकार ने वह बिल्डिंग ऐसे बनायी है कि उसमें कोई बैठ ही नहीं सकता। रुड़की से यह नक्शा बनवाया है। वह ऊपर से खुला हुआ है।

श्री तिलक राज बेहड़–

मान्यवर, हम तो रानीखेत का ध्यान रखते हैं। हमने वहाँ पर ब्लड बैंक भी दिया है, अस्पताल भी बनवाया है। वैसे पूर्व मंत्री जी का कर्तव्य भी है, विपक्ष में बैठे हैं तो आलोचना करना और कटौती प्रस्ताव लाना उनकी मजबूरी है।

श्री अजय भट्ट–

माननीय मंत्री जी, एक एनेस्थीसिया वाले की नियुक्ति की घोषणा आप कर दें।

श्री तिलक राज बेहड़–

मान्यवर, हमने एक एनेस्थेसिस्ट वहाँ भेजा था, उसने ज्वाइन किया फिर चला गया।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, कहीं से व्यवस्था कर दें, 4–4 दिन की शिफ्ट में किसी और अस्पताल से वहाँ पर आ जाय। ऐसी व्यवस्था कर दें।

श्री तिलक राज बेहड़–

मान्यवर, जैसे ही हमें कोई मिलेगा हम उसकी व्यवस्था कर देंगे।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, मेरी तो छोटी सी मांग है कि एक एनेस्थेसिस्ट की नियुक्ति की बात मैं कर रहा हूँ और जब मंत्री जी सदन में यह भी नहीं कर सकते हैं तो फिर यह क्या कर सकते हैं ?

श्री तिलक राज बेहड़–

मान्यवर, मैं कहना नहीं चाहता था पर अब कहना पड़ रहा है। मान्यवर, ऊधमसिंह नगर का अस्पताल जो कि उत्तर प्रदेश से ही स्वीकृत था डेढ़ साल तक उसकी फाइल लम्बित रही। हमने तो तीन साल में बहुत कर दिया है। और .... (व्यवधान)

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि यदि विद्वेष के साथ कार्य हो रहा है तो गलत है। मान्यवर, उस समय नया राज्य था, पैसा नहीं था, आपने तो 3 साल से फाइल लम्बित रखी है, लेकिन इस तरह से विद्वेष से काम होगा तो यह तो अच्छी परम्परा नहीं होगी और आज सदन के अन्दर मंत्री जी एक डॉक्टर की बात नहीं कर पा रहे हैं।

श्री तिलक राज बेहड़–

मान्यवर, जैसे ही कोई मिलेगा हम वहाँ भेज देंगे।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, तब तक के लिए कोई व्यवस्था तो 4–4 दिन की कर दें। मान्यवर, हमने तो सिर्फ रानीखेत के लिए ही नहीं किया हमने तो सब जगह के लिए समान कार्य किये थे, और ऐसी व्यवस्था, जिस एक डॉक्टर की व्यवस्था मंत्री जी नहीं कर पा रहे हैं, ऐसी स्थिति में हमने नैनीताल में भी 4–6 दिन के हिसाब से फिजीशियन भेजे थे।

श्री तिलक राज बेहड़–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जैसे ही हमें निश्चेतक मिल जायेंगे, हम इनकी तैनाती कर देंगे।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, आप 4 दिन के लिए 30 किलोमीटर से एक निश्चेतक की व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं, आखिर आप अपने विभाग से इतना क्यों डर रहे हैं ?

श्री तिलक राज बेहड़–

मान्यवर, मैं किसी से डर नहीं रहा हूँ।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री हरभजन सिंह चीमा–

मान्यवर, मैं यह जानना चाहता हूँ कि आप विशेषज्ञों को कहाँ से ढूंढ रहे हैं ?

श्री तिलक राज बेहड़–

मान्यवर, यहाँ पर कोई भी विशेषज्ञ नियमित वेतन पर आने को तैयार नहीं है। हम 40 हजार रुपया प्रतिमाह पर इन्हें तैनात कर रहे हैं। मान्यवर, आज पूरे देश में कोई भी ऐसा प्रदेश नहीं है जहाँ पर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में महिला चिकित्सक का पद सृजित हो। हमने महिला चिकित्सकों को 18500 रुपया प्रतिमाह पर दूरस्थ क्षेत्रों में रखने का निर्णय लिया है। मान्यवर, आपने दवा के दामों की लिस्ट लगाने के बारे में कहा, तो मैं बता दूँ कि यह सब जगह लगी हुई है। माननीय प्रकाश पंत जी कई बार पिथौरागढ़ में बेस अस्पताल की मांग कर चुके हैं। मैंने इनसे व्यक्तिगत रूप से भी कहा है और आज भी कह रहा हूँ कि इस बारे में हम बैठकर विचार कर लेंगे। मान्यवर, चिकित्सा के क्षेत्र में जितनी सफलता इस सरकार को प्राप्त हुई है, उतनी शायद ही किसी और सरकार को प्राप्त हुई हो और सभी माननीय सदस्यों ने उसकी सराहना भी की है। चाहे मुन्स्यारी का अस्पताल हो, चाहे धारचूला का अस्पताल हो, जिसके लिए हमने 1 करोड़ रुपये पुनरुद्धार में खर्च किए हैं। हमने पोखरी, जोशीमठ और गैरसैण में भी अस्पताल बनाए हैं।

श्री हरभजन सिंह चीमा–

मान्यवर, यह हम और आप की बात क्यों की जा रही है।

श्री तिलक राज बेहड़–

मान्यवर, सरकार बना रही है। मान्यवर, ज्यादा न कहते हुए मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि माननीय सदस्यों ने बहुत अच्छे सुझाव दिए हैं, हमारी यह कोशिश होगी कि हम इनको अपने बजट में शामिल करें। मेरा अनुरोध है कि आप अपना कटौती का प्रस्ताव वापस ले लें।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से एक छोटा सा स्पष्टीकरण चाहता हूँ। माननीय मंत्री जी ने कहा कि हम निर्माण कार्य करा रहे हैं लेकिन मान्यवर, आप राष्ट्रीय निर्माण निगम, सी0एन0डी0एस0, उत्तर प्रदेश से काम करा रहे हैं। इस प्रकार आपने सैन्टेज चार्ज के रूप में लाखों रुपया उत्तर प्रदेश को दे दिया है। क्या आप उत्तर प्रदेश के बजाय उत्तरांचल की किसी एजेन्सी को निर्माण कार्य करने के लिए देने का प्रयास करेंगे ?

श्री तिलक राज बेहड़–

मान्यवर, उत्तरांचल अभी नया राज्य है। हमारे यहाँ विभिन्न विभागों में जो निर्माण कार्य कराए जा रहे हैं, वह उत्तरांचल की एजेन्सियों से कराए जाने चाहिए, यह बात कैबिनेट की बैठक में भी आयी थी। लेकिन मान्यवर, हमारे यहाँ अभी कामों की संख्या बहुत अधिक है इसलिए हमें उत्तर प्रदेश की एजेन्सियों से काम कराना पड़ रहा है। जहाँ तक गुणवत्ता की बात है, तो जो काम कराये जा रहे हैं, उनकी गुणवत्ता अच्छी है। चूँकि हमारे यहाँ अभी एजेन्सियों की संख्या बहुत कम है इसलिए वे पूरा काम नहीं कर सकतीं।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, आपके पास इंजीनियरिंग सेल है, आप उनसे काम क्यों नहीं करा रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 12 चिकित्सा एवं परिवार कल्याण विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन माँग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2006 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 12, चिकित्सा एवं परिवार कल्याण विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए तथा लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 3432962 हजार (तीन सौ तैंतालिस करोड़ उन्तीस लाख बासठ हजार मात्र) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 8, आबकारी विभाग

आबकारी एवं पर्यटन मंत्री (श्री तेजपाल सिंह रावत)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च, 2006 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 8, आबकारी विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, तथा लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त रुपये 44353 हजार (चार करोड़ तैंतालिस लाख तिरपन हजार मात्र) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(सदन में उपस्थित सदस्यों द्वारा अध्यक्ष जी से आग्रह किया गया कि माननीय मंत्री जी का शेष भाषण पढ़ा हुआ मान लिया जाय)*

श्री अध्यक्ष–

ठीक है।

श्री अनिल नौटियाल–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या 8, आबकारी विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन माँग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाए। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना और सुझाव देना है। मान्यवर, आबकारी विभाग जो मैं देख रहा हूँ बहुत ही छोटी मद है। किन्तु इस विभाग में है तो बहुत कुछ (हँसी) मान्यवर, इसमें रोजगार की बहुत सम्भावनायें हैं। इससे हमारे राज्य के बहुत से नौजवानों को रोजगार मिल सकता है। लगता है सरकार के अन्दर इच्छा शक्ति का अभाव है। मान्यवर, गढ़वाल मण्डल विकास निगम, कुमाऊँ मण्डल विकास

*उपलब्ध न होने के कारण छापा नहीं गया।

निगम, यह निगम यहाँ के विकास के लिए बने थे उनको आबकारी विभाग ने शराब सप्लाई करने का ठेका दे दिया। जिस कारण यहाँ जो अधिकारी और कर्मचारी कार्य कर रहे हैं वे मन से कार्य नहीं कर रहे हैं। जबकि कुमाऊँ और गढ़वाल मण्डल विकास निगम को यहाँ के विकास की दृष्टि से गठित किया गया था। उनका ध्यान बस एक ही दिशा में है शराब सप्लाई पर। मान्यवर, सरकार प्रत्येक नगर, कस्बे, छोटे–छोटे होटलों और रेस्टोरेन्टों में शराब बिकवा रही है, सरकार की मंशा ठीक नहीं है। इस स्थिति से सरकार को ज्यादा लाभ भी नहीं हो रहा है। कई बार नकली शराब की सप्लाई की बात भी हमें सुनने को मिलती है और हम अखबारों में भी पढ़ते हैं। इसको रोकने की कोई ठोस नीति सरकार की नहीं है। जो नकली शराब पकड़ी जाती है उसका क्या किया जाता है इस बारे में कोई जानकारी पता नहीं लगती। मान्यवर, इस वर्ष तीन हजार तीन सौ पचास लीटर अवैध शराब पकड़ी गई किन्तु इस शराब का क्या हुआ इसकी जानकारी किसी को नहीं मिल पाई। इससे प्राप्त धनराशि कहाँ व्यय की गयी इसकी किसी को जानकारी नहीं है। इसी तरह 19 वाहन भी पकड़े गये, इसका भी कोई पता नहीं है। जो लोग अवैध शराब की सप्लाई में शामिल होते हैं उन पर क्या कार्यवाही की जाती है ? मान्यवर, गैर कानूनी तरीके से कार्य हो रहा है। प्रदेश का राजस्व बढ़े इसके लिए सरकार कोई ठोस नीति बना रही है या नहीं इसका भी उल्लेख नहीं है।

मान्यवर, दूरदराज के क्षेत्रों में हमारी माताएं एवं बहिनें शराब के विरोध में आंदोलन करती हैं कि शराब की दुकानें न खोली जांय, सरकार को उन स्थानों पर जाना चाहिए, परन्तु ऐसा अभी तक देखने को नहीं मिला है। सरकार द्वारा प्रत्येक कस्बों, होटलों, शहरों में शराब बेचने की योजना बनायी जा रही है, इसके लिए ठेके दिये जा रहे हैं। मान्यवर, शराब का उपभोग दिसम्बर, 2004 से फरवरी, 2005 तक एक करोड़ 29 लाख 96 हजार 522 लीटर देशी शराब एवं 9447828 बोतल विदेशी मदिरा एवं 3053791 बोतल बियर का उपभोग मदिरा की फुटकर दुकानों के माध्यम से हुआ। बारों के माध्यम से 408343 बोतल विदेशी मदिरा एवं 492164 बोतल बियर का उपभोग हुआ। माह फरवरी, 2005 तक ही सैन्य कैन्टीनों के माध्यम से 10071885 बोतल विदेशी मदिरा एवं 728462 बोतल बियर का उपभोग हुआ। मान्यवर, एक तरफ हम स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं दूसरी तरफ हम इतना अधिक शराब बिक्री का एक लक्ष्य निर्धारित कर रहे हैं तो लगता नहीं है कि माननीय अध्यक्ष जी, सरकार की कोई स्पष्ट नीति है। (व्यवधान)

मान्यवर, सरकार को यह नहीं भूलना चाहिए कि यह एक धार्मिक एवं तीर्थाटन प्रदेश है। मान्यवर, सरकार कहती है कि धार्मिक स्थानों पर शराब की बिक्री नहीं की जायेगी, परन्तु दूसरी तरफ इन स्थानों पर शराब की बिक्री खुली हुई है। मान्यवर, यहाँ पर लोग बाहर से आते हैं इससे अन्य राज्यों में क्या संदेश जायेगा। सरकार को इसमें पूरी ईमानदारी एवं इच्छाशक्ति का परिचय देना होगा। मैं सरकार से जानना चाहता हूँ कि इस दिशा में क्या कदम उठाये जा रहे हैं ? माननीय अध्यक्ष जी, करोड़ों लीटर शराब पी जा रही है, स्वास्थ्य विभाग पर चर्चा हुई, तो मेरा आग्रह है कि ऐसे स्थान जहाँ पर शराब की दुकानें खुली हैं वहाँ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोला जाना चाहिए।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, मैं एक बात की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। मान्यवर, हर साल 15 प्रतिशत अधिभार लगाते जा रहे हैं, इसको कहाँ तक लगायेंगे, क्योंकि जो दुकानें आज 10 हजार की हैं वह अगले वर्ष साढ़े ग्यारह हजार की हो जा रही हैं, तो जो टैक्स लग रहा है उसकी कोई सीमा तो होनी चाहिए। मान्यवर, दुकानों की जो एक्चुअल बिक्री है उसके हिसाब से अधिभार लगाया जाना चाहिए। कभी–कभी यह लगता है कि व्यवहारिक नहीं है, फिर अधिभार का पैसा निकालने के लिए गलत किस्म की शराब बेचता है। मान्यवर, जो बार्डर पर चौकियां हैं वहाँ पर आबकारी विभाग के लोगों को रखना चाहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा लॉस हो रहा है। मान्यवर, हरियाणा की शराब बागेश्वर, पिथौरागढ़, चमोली में पाई गई है, तो इसका मतलब है कि जो राजस्व सरकार को मिलना चाहिए था वह कहीं न कहीं घट रहा है, इसलिए इसको भी गम्भीरता से लेना चाहिए। मान्यवर, दैनिक डायरी का रख–रखाव ढंग से होना चाहिए। इससे विभाग में क्या काम हो रहा है इसका पता चलता है।

श्री सुबोध उनियाल–

मान्यवर, आबकारी पर चर्चा 8 पी0एम0 से पहले निबटा लें।

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, मैं कटौती के प्रस्ताव पर बल देने के लिए खड़ा हुआ हूँ। मान्यवर, सरकार ने मद्य निषेध क्षेत्र घोषित किये हैं और इन क्षेत्रों में बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री एवं यमुनोत्री धामों, पूर्णागिरी, रीठा साहब, हेम कुण्ड साहब तथा नानकमत्ता तीर्थ स्थल, पीरान कलियर क्षेत्र सम्मिलित हैं। मान्यवर, मेरा सुझाव है कि कैलाश मानसरोवर यात्रा के मध्य भी मद्य निषेध क्षेत्र घोषित किया जाय, क्योंकि वहाँ की जनता का सवाल है।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, वास्तव में यह जो नीति बनाई गई थी वह आबकारी विभाग में भ्रष्टाचार एवं माफिया वाद की कमी को कम करने के लिए बनायी गयी थी। मान्यवर, जनपद की 10–15 दुकानें ऐसी हैं जिसमें 10–10 लोगों द्वारा पहले ही ड्राफ्ट बनाकर दे दिया, तो निश्चित रूप से वो दुकानें उन्हीं की निकलेंगी। क्योंकि ये दुकानें जिले की महत्वपूर्ण आमदनी वाली दुकानें होती हैं। मान्यवर, हरिद्वार, देहरादून, ऊधमसिंह नगर से शिकायत प्राप्त हो रही है। मान्यवर, दूसरा जो आपने बियर बार की फीस घटाकर 25 से 15 हजार कर दी है और होटल की 50 से 30 हजार की है। मैं समझता हूँ इसकी आवश्यकता नहीं है। उनको तो लाइसेन्स लेना ही है। मेरा कहना है कि ऐसा करके आपने राजस्व की हानि की है।

श्री महेन्द्र भट्ट–

मान्यवर, मैं कटौती के प्रस्ताव पर बल देते हुए कहना चाहता हूँ कि मद्य निषेध उत्तरांचल की दृष्टि से कितना व्यवहारिक है। मैं इतना जरूर चाहूँगा कि आपने जिन क्षेत्रों

को प्रतिबंधित किया है। उनके प्रतिबन्ध का कोई औचित्य दिखाई नहीं देता क्योंकि इन क्षेत्रों में सबसे ज्यादा शराब बिकती है, ऋषिकेश, हरिद्वार में सबसे ज्यादा शराब बिकती है। वहाँ पर पुलिस वाले भी अपना ट्रान्सफर कराते हैं। सरकार शराब तस्करी को रोकने में नाकाम रही है। मान्यवर, इससे सबसे ज्यादा नुकसान राजस्व का हो रहा है। मान्यवर, बार्डर से शराब आ रही है। हमारे यहाँ शराब सस्ती क्यों नहीं हो रही है ? यहाँ माल्टा खराब हो रहा है। हम चाहते हैं कि उत्तरांचल की अपनी शराब हो। उत्तरांचल की शराब बाकी राज्यों को जाये। मान्यवर, जिनको शराब पीनी होगी वह तो पीयेंगे, जिनको नहीं पीनी होगी वह नहीं पीयेंगे। मेरा कहना है कि आबकारी नीति के बारे में गहराई से सोचें।

श्री पुष्पेश त्रिपाठी–

मान्यवर, मेरा कहना है कि 59 करोड़ रुपये की शराब सरकार जनता को और अधिक पिलायेगी। इतनी पिलाइये कि जनता की सोचने की क्षमता खत्म हो जाये। जनता की कार्य करने की क्षमता खत्म हो जाये ताकि इस सरकार को चुनाव जीतने में आसानी हो। मान्यवर, ऐसा लगता है कि अन्य स्रोतों के माध्यम से राजस्व प्राप्त करने के लिए इच्छाशक्ति का नितान्त अभाव है। शराब की दुकानों को धीरे–धीरे कम करके शराबखोरी को कम किया जा सकता था। नये विकल्प तलाश कर आबकारी पर निर्भरता कम की जा सकती थी। मान्यवर, सरकार शराबखोरी को कम करने के बजाय इसे बढ़ावा, प्रोत्साहन दे रही है। अच्छा होता सरकार राजस्व प्राप्ति के लिए अन्य विकल्प तलाशती। सरकार इस पर पुनर्विचार करे। यही स्थिति रही तो निषिध क्षेत्र जैसे बद्रीनाथ, केदारनाथ में भी अगले साल से शराब की दुकानें खुल जायेंगी।

श्री हर भजन सिंह चीमा–

माननीय अध्यक्ष जी, देशी मदिरा, विदेशी मदिरा कहते हैं, वह विदेशी मदिरा है नहीं, झूठ बोलते हैं। मेरा सुझाव है कि इस पर विचार किया जाय और विदेशी मदिरा शब्द में तब्दीली लायी जाय। जो मदिरा यहाँ उत्पादित या बोटलिंग होती है उसका नाम उत्तरांचल मदिरा रखा जाये।

श्री अनिल नौटियाल–

मान्यवर, इस नीति में परिवर्तन होना चाहिए। इसी के साथ मैं अपने कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूँ।

श्री तेजपाल सिंह रावत–

मान्यवर, माननीय नौटियाल जी ने अजय भट्ट, श्री चीमा जी, प्रकाश पंत जी व अन्य तमाम सदस्यों ने अच्छे सुझाव दिये हैं। मैं आप सबको बतला देना चाहता हूँ कि शराब नीति एक ट्रान्सपैरेन्ट नीति बनायी गई है। हर वर्ष इसमें तब्दीली होती है कि जनता को अच्छी शराब कम दामों में मिले। मान्यवर, जो शराब पकड़ी जाती है उसको डिस्ट्रॉय किया जाता है। पिछले वर्ष, 2002–03 में 4 हजार 422 केस पकड़े गये थे। जो वाहन इसमें पकड़े जाते हैं जिलाधिकारी के माध्यम से उनकी नीलामी होती है। सरकार

के द्वारा अवैध लाइसेन्स के माध्यम से जो शराब की तस्करी होती है उस पर रोक लगायी गई है। अभी माननीय महेन्द्र भट्ट जी ने बताया कि ऋषिकेश और हरिद्वार में शराब की तस्करी होती है। मान्यवर, इसमें कोई शक नहीं है और इसकी रोकथाम के लिए हमें आप सभी की मदद चाहिए। यह हमारा अनुभव रहा है कि जहाँ–जहाँ हमारी दुकानें नहीं होती हैं वहाँ पर ज्यादा तस्करी होती है। जनता की भावनाओं का हमें ध्यान रखना पड़ता है। जनता की भावनाओं को हम ठेस नहीं पहुँचाते हैं। आपके तमाम सुझावों को ध्यान में रखकर हम अपनी आबकारी नीति में इम्प्रूवमेंट करेंगे। मेरा आपसे अनुरोध है कि कृपया अपना कटौती का प्रस्ताव वापस ले लें।

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, यात्रा मार्ग के बारे में भी बता दें।

श्री तेजपाल सिंह रावत–

मान्यवर, यह बहुत लम्बा यात्रा मार्ग है। तमाम इलाकों से होकर यह जाती है।

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, मुख्य–मुख्य स्थानों पर तो मद्यनिषेध किया जा सकता है।

श्री तेजपाल सिंह रावत–

मान्यवर, यह बहुत लम्बा यात्रा मार्ग है। हर जगह पर मद्यनिषेध लागू करना सम्भव नहीं है।

श्री पुष्पेश त्रिपाठी–

मान्यवर, यदि सरकार अपने आप दुकानें न खोले बल्कि जनता की माँग पर दुकानें खोले। इस पर भी सरकार विचार करे। (व्यवधान)

श्री तेजपाल सिंह रावत–

मान्यवर, हमने हमेशा जनता की भावनाओं का ध्यान रखा है। जहाँ–जहाँ जनता ने दुकानों के प्रति आक्रोश व्यक्त किया, वहाँ से इन्हें हटाया भी गया है। यदि आप समझते हैं कि किसी दुकान से जनता को नुकसान हो रहा है तो बता दें उसे वहाँ से हटा दिया जायेगा।

श्री पुष्पेश त्रिपाठी–

मान्यवर, मैं पूरे उत्तराखण्ड के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहा हूं। इन दुकानों से हमारी महिलाओं को सबसे ज्यादा दिक्कत होती है। पूरे राज्य में यदि पब्लिक प्लेस से 1–2 किलोमीटर दूर शराब की दुकानें खोली जायें तो इसमें काफी सुधार हो जायेगा।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 8, आबकारी विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2006 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 8, आबकारी विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, तथा लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त रुपये 44353 हजार (चार करोड़ तैंतालिस लाख तिरपन हजार मात्र) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 24, परिवहन विभाग

परिवहन मंत्री (श्री हीरा सिंह बिष्ट)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च, 2006 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 24, परिवहन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, तथा लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त रुपये 441926 हजार (चौवालिस करोड़ उन्नीस लाख छब्बीस हजार मात्र) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्रीमन्, किसी भी प्रदेश के विकास के लिए उस प्रदेश का सड़क परिवहन बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग होता है। मान्यवर, हमने एक संकल्प लिया था और अपनी पार्टी के घोषणा पत्र में भी कहा था कि हम अपना परिवहन निगम बनायेंगे। और हमने दृढ़ संकल्प के साथ इसका गठन किया तथा इस दिशा में हमने बहुत ही कम समय में कार्य पूरा किया। उत्तर प्रदेश से भी निगम का बंटवारा जल्दी कराने में हम सफल रहे। वहीं से हमें 957 बसों का बेड़ा मिला था। राज्य की जनता को सस्ती, सुलभ एवं बेहतर परिवहन सुविधायें उपलब्ध कराने की दृष्टि से हमने उत्तरांचल परिवहन निगम का गठन किया और निगम में नियमिति चरणबद्ध रूप से नई बसें क्रय किये जाने की कार्यवाही की जा रही हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करूँगा कि उनके प्रयासों से निगम को 28 करोड़ रुपये अंशपूंजी निवेश तथा ऋण हमें मिला है। जिससे हमने 40 हाईटैक बसों और 2 वाल्वों बसों को क्रय किया है। मान्यवर, इसके अतिरिक्त जो प्रमुख बिन्दु है वह है चालकों के प्रशिक्षण एवं लाइसेंस दिये जाने की व्यवस्था विभाग द्वारा की जा रही है। इसके अतिरिक्त अन्य राज्य सरकारों से परिवहन सम्बन्धी समझौता करना। मोटर वाहन अधिनियम और नियमावली के अनुपालनों को भी सुनिश्चित कराया जा रहा है। श्रीमन् जो उत्तर प्रदेश से हमें बसें मिली थीं उनमें से कई बसें खटारा स्थिति में थी जिसमें से हम 172 बसों की नीलामी कर चुके हैं और 154 की नीलामी प्रस्तावित है।

मान्यवर, इसमें 200 नई बसें खरीदने का भी प्राविधान किया गया है। आज हमारा परिवहन निगम बहुत कम समय में ही लाभ की ओर बढ़ रहा है और जो हमारा घाटा था इसको भी कम करने में हम सफल हुए हैं। हमने 5 करोड़ का घाटा कम कर लिया है और इसे और कम करने का प्रयास किया जा रहा है। मान्यवर, यह घाटा और कम हो जाता लेकिन हमने इसमें से 40 लाख रुपया, जो हमारे निगम के कर्मचारियों को राजकीय कर्मचारियों से कम भत्ते मिलते थे, उसको दिया गया और इस बीच डीजल के

भी दाम बढ़े हैं। इस बीच कुछ दुर्घटनायें भी हुईं, उसमें भी मुआवजा राशि देनी पड़ी। फिर भी हम लाभ की ओर बढ़ रहे हैं। मान्यवर, यदि इसी तरह से हमारा कार्य चलता रहा तो हम देश के वह पहले राज्य बन जायेंगे जहाँ का परिवहन निगम लाभ में चल रहा हो। इस दिशा में निरन्तर प्रयास हो रहा है। मान्यवर, 2004–05 में आलोच्य अवधि में कुल सकल आय में 586.75 लाख की वृद्धि हुई। इस बीच बस उपयोगिता में 6 किमी0 बस प्रतिदिन की वृद्धि हुई है और लोड फैक्टर में 5 प्रतिशत की वृद्धि आय प्रति कि0मी0 में 1 रुपया प्रति कि0मी0 की वृद्धि हुई डीजल के औसत में 18 कि0मी0 प्रति लीटर अधिक प्राप्त हुआ है।

मान्यवर, परिवहन निगम को लाभ की स्थिति में लाने के लिए मैं अपने विभाग के कर्मचारियों और अधिकारियों को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। यात्रियों को बेहतर और आरामदायक सुविधायें देने का हम प्रयास कर रहे हैं। इस दिशा में हमारी दो वाल्वो बसें देहरादून और दिल्ली के बीच में संचालित हो रही हैं और ऐसी दो बसें हम ऋषिकेश और हल्द्वानी के बीच में चलाने जा रहे हैं जिससे पर्यटकों को सुविधा मिल सके। मान्यवर, एक और बड़ी उपलब्धि हमारी रही। आई0एस0बी0टी0 का निर्माण कराया गया जहाँ पर राष्ट्रीय स्तर पर बसों का संचालन हो रहा है। इसके अतिरिक्त दिल्ली तथा आनन्द बिहार बस अड्डों पर हमने अपने कार्यालय इतने कम समय में खोल लिये हैं। मान्यवर, डिपो से नई बसों की मांग थी तो रामनगर डिपो को 20 नई बसें जो मुख्यमंत्री जी का निर्वाचन क्षेत्र भी है तथा 10 नई बसें श्रीनगर डिपो को दी जा रही हैं और यह पौड़ी से संचालित हो रही हैं।

मान्यवर, यदि इस विभाग के राजस्व प्राप्ति को देखा जाय तो वर्ष, 2001–02 में 66.48 करोड़ और 2002–03 में 75.65 करोड़ थी और वित्तीय वर्ष, 2003–04 में 85.83 करोड़ रही थी। मान्यवर, वित्तीय वर्ष, 2004–05 में प्राप्तियाँ 88.72 करोड़ रुपये थी, जबकि हमने 100 करोड़ रुपये का टारगेट रखा था। यह आंकड़े फरवरी माह तक के हैं, मैं समझता हूँ कि मार्च माह में हम 100 करोड़ के लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। परिवहन विभाग इकलौता ऐसा विभाग होगा जो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकेगा। मान्यवर, हमने नये चैक पोस्ट भी खोले हैं, हम इनको कम्प्यूटरीकृत भी कर रहे हैं। आर0टी0ओ0 देहरादून को कम्प्यूटरीकृत कर दिया गया है, अगला नम्बर हल्द्वानी आर0टी0ओ0 का है। हम पौड़ी के आर0टी0ओ0 को भी कम्प्यूटरीकृत कर रहे हैं। मान्यवर, हम इसका सेन्ट्रलाइजेशन नहीं करना चाहते हैं। हमने अल्मोड़ा में आर0टी0ओ0 व सभी जनपदों में ए0आर0टी0ओ0 ऑफिस भी खोले हैं। जिससे वहाँ के लोगों को सुविधा मिल सके। मान्यवर, हमारे राज्य में करीब 5.20 लाख गाड़ियां संचालित हो रही हैं। हमने डीजल गाड़ियों में रजिस्ट्रेशन कर घटाया है। 2003–04 में हमारे यहाँ 58538 गाड़ियों का पंजीकरण हुआ, जबकि 2004–05 में 63985 वाहनों का पंजीकरण हुआ। यह कराधान सुधार नीति के कारण सम्भव हो सका है। मान्यवर, वर्तमान में राज्य में देहरादून, हरिद्वार, ऋषिकेश, पौड़ी, हल्द्वानी, पिथौरागढ़ एवं ऊधमसिंह नगर में नियमित प्रवर्तन दल कार्यरत हैं, जो चैकिंग का काम करते हैं। तथा वाहनों में ओवर लोडिंग और अधिक

स्पीड होने के कारण जो सड़क दुर्घटनाएं होती हैं, उनकी मानीटरिंग इनके द्वारा की जाती है। हमने भारत सरकार से निवेदन करके 5 इंटरसेप्टर गाड़ियां प्राप्त की हैं। ये गाड़ियां देहरादून, हरिद्वार, हल्द्वानी आदि जिलों में तैनात हैं। यह दूर से ही किसी गाड़ी की स्पीड तथा एल्कोहल की जांच कर सकते हैं।

केन्द्र सरकार से दुर्घटना राहत योजना के अन्तर्गत चार क्रेन एवं चार एम्बुलेंस प्राप्त की गयी हैं तथा उन्हें मण्डलायुक्तों के नियन्त्रण में विभिन्न जिलाधिकारियों को उपलब्ध कराया गया है। मान्यवर, हमने दुपहिया वाहनों के लिए हैल्मेट अनिवार्य कर दिया है। इस दिशा में हमको प्रारम्भ में काफी दिक्कत हुई। लेकिन पुलिस विभाग और आर0टी0ओ0 बड़ी चुस्ती के साथ इस काम काम को अंजाम दे रहे हैं। प्रदूषण नियंत्रण की दिशा में भी हमने महत्वपूर्ण काम किए हैं। मान्यवर, अन्तर्राज्यीय मार्गों पर परमिट जारी करने का काम राज्य परिवहन प्राधिकरण द्वारा एवं सम्भागीय स्तर पर परमिट जारी करने का कार्य सम्भागीय परिवहन प्राधिकरणों द्वारा किया जाता है। वर्तमान में देहरादून, पौड़ी तथा हल्द्वानी में परिवहन प्राधिकरण गठित हैं। वित्तीय वर्ष 2003–04 में परिवहन आयुक्त कार्यालय के अन्तर्गत कार्यरत राज्य परिवहन प्राधिकरण द्वारा 2421 परमिट जारी और नवीनीकृत किए गए तथा वित्तीय वर्ष 2004–05 में 3011 परमिट जारी और नवीनीकृत किए गए। वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली स्वरोजगार योजना के तहत हम गाड़ियों के परमिट देकर लोगों को स्वरोजगार प्राप्त करने का अवसर सुलभ करा रहे हैं। यह बहुत बड़ी उपलब्धि है। मान्यवर, चैक पोस्ट के लिए 10 लाख रुपये की धनराशि प्राप्त हो गई है। मान्यवर, हमने मोटर ड्राइविंग इंस्टीट्यूट की मांग भारत सरकार से की और हमें इसके लिए स्वीकृति प्राप्त हो गई और इसके लिए 4 करोड़ की स्वीकृति मिली है जिसमें से सवा करोड़ मिल भी गया है। इसके लिए हमने जमीन भी देख ली है जहाँ हम एक आधुनिकतम इन्स्टीट्यूट का निर्माण करेंगे, जिसमें यहाँ के नौजवानों को ड्राईविंग की ट्रेनिंग देंगे। हमने कराधान सुधार अधिनियम के अन्तर्गत सड़क दुर्घटना राहत नीति की व्यवस्था की है। दुर्घटना के समय मृतक आश्रित को जिलाधिकारी के माध्यम से 20–20 हजार और घायलों को उपचार की व्यवस्था की गई है। इसी के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष, 2002–03 में 48.19 लाख, 2003–04 में 53.70 लाख और वित्तीय वर्ष, 2004–05 में 50.90 लाख रुपये जिलाधिकारी के माध्यम से आवंटित किये गये हैं।

मान्यवर, सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम हेतु हमने अतिरिक्त टास्क फोर्स का गठन किया है। वाहन चालन में जो चालक लापरवाही बरतेंगे उनका परमिट निरस्त कर दिया जायेगा। उनकी लापरवाही के कारण कई लोगों की जान चली जाती है। पड़ोसी राज्य पंजाब से लोग ट्रकों में आते थे इसके लिए हमने तथा माननीय मुख्यमंत्री जी ने वहाँ की सरकार से बात की। वहाँ के लोग उत्तरांचल में ट्रकों में न आयें। उस पर नियंत्रण हो गया है। वैसे भी पहाड़ों में ट्रक पर सवारी एलाउ नहीं है। दुर्घटना रोकने के लिए हम पोस्टरों के माध्यम से भी लोगों को सचेत करते हैं। रात्रि में पहाड़ी क्षेत्रों में गाड़ी चलाने में प्रतिबन्ध लगाया गया है। हमने गाड़ियों में टी0वी0, टेपरिकार्डर लगाने पर भी प्रतिबन्ध लगा दिया है। मान्यवर, भविष्य की योजनाओं में हम 2005–06 में 200 नई

बसों को क्रय कर रहे हैं इसके लिए हमें 20 करोड़ रुपया की अंश पूँजी ऋण में निगम को उपलब्ध कराये जाने का प्रस्ताव प्रस्तावित है। मान्यवर, परिवहन आयुक्त कार्यालय हेतु भूमि क्रय/भवन निर्माण कराया जाना भी प्रस्तावित है। वार्षिक योजना 2005–06 में नवीन योजना के तहत रुपये दो करोड़ का परिव्यय प्रस्तावित है। मान्यवर, सम्भागीय परिवहन कार्यालय पौढ़ी एवं उपसम्भागीय कार्यालय, ऊधमसिंह नगर के कार्यालयों हेतु भूमि क्रय कराया जाना प्रस्तावित है। इस हेतु रुपया दो करोड़ का परिवहन प्रस्तावित है।

मान्यवर, चालक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना भी हम करने जा रहे हैं। मान्यवर, इस हेतु परिवहन विभाग के संस्थान की स्थापना किये जाने हेतु केन्द्र सरकार को प्रस्ताव प्रेषित किया गया था जिसे केन्द्र सरकार द्वारा स्वीकृत कर दिया गया है। उक्त संस्थान की स्थापना के लिये तीन करोड़ रुपये से अधिक की राशि केन्द्र सरकार द्वारा उपलब्ध करायी जायेगी। मान्यवर, सम्भागीय परिवहन कार्यालयों का कम्प्यूटरीकरण किया जायेगा। मान्यवर, आधुनिक युग–संचार क्रान्ति तथा सूचना प्रौद्योगिकी का युग है। सूचना प्रौद्योगिकी का परिवहन कार्यालयों में युक्तियुक्त प्रयोग किये जाने के दृष्टिगत संभागीय परिवहन कार्यालय में महत्वपूर्ण तथा दिन प्रतिदिन के कार्य यथा वाहनों का पंजीयन, फिटनेस, परमिट चालान आदि का कार्य संभागीय परिवहन कार्यालय देहरादून में कम्प्यूटर के माध्यम से किया जा रहा है। जिसके परिणाम उत्साहवर्द्धक रहे हैं। मान्यवर, इसके अतिरिक्त संभागीय परिवहन कार्यालय हल्द्वानी का कम्प्यूटरीकरण किया जाना प्रस्तावित है। मान्यवर, परिवहन ढांचे का पुनर्गठन किया जा चुका है जिसके अन्तर्गत अल्मोड़ा में संभागीय परिवहन कार्यालय एवं प्रत्येक जनपद में परिवहन विभाग के कार्यालय की स्थापना का निर्णय लिया गया है। मान्यवर, ये सब कार्य जनहित में किये जा रहे हैं। मान्यवर, आज इस बजट में यह एक नई चीज देख रहे हैं। यह चीज धरातल पर और नई बसों के रूप में देखी जायेगी और देखी जा रही है। मान्यवर, मैं समझता हूँ कि इसमें कटौती का प्रस्ताव लाने की जरूरत ही नहीं है। इसी के साथ मैं अपेक्षा करता हूँ कि माननीय सदस्य अपना कटौती का प्रस्ताव न लायें।

श्री हरबंस कपूर–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या 24 परिवहन विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने बहुत ही सुन्दर शब्दों में अपनी तारीफ की है और बड़ी सफाई के साथ की है। माननीय मंत्री जी ने जो कहा वह कितना सत्य है इसके बारे में मैं कुछ कहना चाहता हूँ। मान्यवर, जो दुर्घटनाएं हुई हैं उनकी ओर मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान इंगित करना चाहता हूँ। मान्यवर, वर्ष, 2001–2002 में जो मुख्य दुर्घटनाएं हुई, उनमें 172 जानें गयीं, 247 गम्भीर रूप से घायल हुए। वहीं वर्ष, 2004 में दिसम्बर तक 172 के अनुपात में 333 की जानें गयी और 247 घायल लोगों के विपरीत 524 लोग घायल हुए। मैं चाहता हूँ माननीय मंत्री जी इस पर खुद गम्भीरतापूर्वक विचार कर लें।

जहाँ तक इन दुर्घटनाओं में कमी की बात माननीय मंत्री जी करते हैं तो ये आंकड़े बता रहे हैं। मान्यवर, 25 दिसम्बर को पिन्यालीसौड़ में बस के मिलंगना में गिरने से 25 यात्रियों की मृत्यु हो गयी थी।

मान्यवर, इस प्रकार से अन्य दुर्घटनाएं हमारे सामने हैं और इसके मुख्य कारण यह हैं कि निम्न गुणवत्ता वाले पार्ट्स भी बनते हैं दुर्घटना का सबब। सड़क पर कहीं भी पैराफिट नहीं लगा है। मान्यवर, मसूरी से धनौल्टी में लोग जाते हैं और वहाँ पैराफिट नहीं है। मान्यवर, कन्दर के पास तेज गति से चल रही बस का चालक नियंत्रण खो बैठा और बस 100 मीटर खाई में गिर गई। मान्यवर, इस जगह पर बीते 5 सालों में 5 वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गये हैं। इसके लिए पुलिस चालक को ही दोषी मान रही है। मान्यवर, इस तरह से बसों के पार्ट्स खराब होना, बस चालकों के शराब पीकर गाड़ी चलाना, टायरों की क्वालिटी ठीक न होना और सड़क के दोनों तरफ जो पैराफिट लगना चाहिए वह न होना कारण है। मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने दुर्घटनाओं को कम करने के लिए क्या किया, यह अपने भाषण में नहीं बताया। मात्र इतना कहकर कि दुर्घटनाओं में कमी आई है तो हम कल्पना कर सकते हैं। मान्यवर, केन्द्र सरकार ने 5 इण्टरसेप्टर दिये हैं जिससे कि वाहनों की गति का पता चल सके और शराब पिये हुए चालकों का पता लगाया जा सकता है। मान्यवर, यह इण्टरसेप्टर पहाड़ों की कमियों का पता लगायें इसके बजाये ये देहरादून और हरिद्वार की सड़कों पर चलते दिखाई देते हैं। मान्यवर, माननीय मंत्री जी और उनका विभाग इस सम्बन्ध में क्या कर रहा है यह बतायें ?

मान्यवर, जहाँ तक उत्तरांचल परिवहन निगम की बात माननीय मंत्री जी ने कही कि घाटा कम हुआ है। माननीय मंत्री जी जो नई बसें परिवहन निगम में आई हैं निश्चित रूप से क्या आपने डेपरिसिएशन का हिसाब लगाया है। आज जो कलपुर्जे नये हैं 1–2 साल बाद उनकी क्या स्थिति रहेगी इसका अन्दाज लगाया है ? मान्यवर, इस ओर ध्यान देते तो घाटा कम होता। मान्यवर, जहाँ दुर्घटनाओं की संख्या बढ़ रही है, मैंने मात्र उन दुर्घटनाओं का उल्लेख किया है जो बहुत बड़ी–बड़ी हुई हैं। मान्यवर, भीड़–भाड़ वाले शहरी क्षेत्रों में पैदल चलने वालों के लिए भी समस्या खड़ी हो गई है। मान्यवर, कोई स्कूटर या साइकिल सवार बड़े वाहनों की चपेट में आ जाता है तो उसका आंकलन नहीं किया गया है। हमें इस पर विचार करना होगा कि किस तरह ड्राइवरों को प्रशिक्षित किया जाय, शराब पर अंकुश लगाया जाये, गति को सीमित किया जाये इससे इन दुर्घटनाओं से मुक्ति मिल सकती है। जो दो हाइटेक बसें दिल्ली के लिए लगायी गई हैं उनको सवारी नहीं मिल रही है, वह घाटे में चल रही हैं उन बसों को दूसरे रूट में लगाये जाने की बात चल रही है। मान्यवर, उत्तरांचल में सड़क परिवहन आवागमन का एक महत्वपूर्ण साधन है। अन्य सुविधाएं न होने के कारण सड़क परिवहन को सुदृढ़ करने से इसका जनता को लाभ मिलेगा। मान्यवर, कर आरोपण की नीति में सुधार करना होगा। कर चुकाने में वह अपने आपको असमर्थ पा रहे हैं, ट्रान्सपोर्ट व्यवसाय समाप्ति की ओर जा रहा है। जो टैक्सी और निजी बसें हैं उनकी स्थिति अपने आप में बहुत अच्छी नहीं है। मान्यवर, निजी व्यवसायी को प्रोत्साहन देने के प्रयास करने चाहिए। मान्यवर, हमें सड़क परिवहन नीति को मजबूत करना होगा। इसी के साथ मैं आपका धन्यवाद प्रकट करता हूँ।

श्री हरभजन सिंह चीमा–

माननीय अध्यक्ष जी, दो तीन सुझाव हैं एक तो अभी कपूर जी ने जिक्र किया था कि बसें अनियंत्रित चलाये जाने के कारण बस दुर्घटनायें बहुत हो रही हैं और यह भी बताया कि कहाँ–कहाँ हुई, इन तीन सालों का रिकार्ड है। मान्यवर, ये अनियंत्रित बसें क्यों चलाते हैं, ड्राइवर के दिमाग में नशा है कि हम सरकारी कर्मचारी हैं। वह कहता है बचना है तो बचो, आपकी मर्जी, हम तो चढ़ा देंगे। कई बार ऐसी दुर्घटनाएं होती रहती हैं। ड्राइवर को पकड़कर पुलिस के पास ले जाने की बात होती है तो उनकी यूनियन इतनी तगड़ी होती है कि वह सड़क में जाम लगा देते हैं। मान्यवर, टनकपुर से चण्डीगढ़ जाने के लिए उसे 11 घंटे का समय लगता है। वह रेस में पाँव रखता है, उसको और कुछ नहीं दिखायी देता है। मान्यवर, मेरा यह कहना है कि जो 10–11 घंटे की जर्नी पड़ती है, तो उसे नींद आती है। इस प्रकार ये सारे कारण एक्सीडेन्ट के हैं। मान्यवर, किसी भी ड्राइवर को ज्यादा देर तक ड्राइविंग न करनी पड़े और दूसरा ड्राइवर उसका स्थान ले ले। इससे ड्राइवर तनावमुक्त रहेंगे। दूसरा माननीय अध्यक्ष जी, रोडवेज की बसों में कोई स्पीड लिमिट नहीं है। मैंने देखा है कि 40 किलोमीटर, 50 किलोमीटर लिखा रहता है। मान्यवर, प्राइवेट गाड़ी वाला 50 की स्पीड में वहाँ पर आ जाता है लेकिन रोडवेज की बस की स्पीड 80 किलोमीटर से कम नहीं होती है। इनके लिए स्पीड लिमिट सरकार द्वारा निर्धारित की जानी चाहिए।

मान्यवर, रेलवे के बाद ट्रक ट्रांसपोर्ट ही एकमात्र ऐसा साधन है जिसके द्वारा माल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुँचाया जाता है। आज ट्रांसपोर्ट की हालत बहुत ही खराब हो गयी है। पहले मान्यवर, पुलिस वाले रोक कर कहते थे कि कागज दिखाओ तुम्हारी लाईट नहीं जल रही है, हार्न नहीं बज रहा है। चलो 100 रुपये दो सब ठीक है। मान्यवर, अब क्या है। अब उसे यह पता है कि इस चौराहे पर 20 का नोट देना, इस चौराहे पर 50 का नोट देना। ड्राइवर पहले से ही पैसा निकाल लेता है। मान्यवर, यह चीज ट्रान्सपोर्ट को ले बैठी। दिल्ली से काशीपुर ट्रक भेजते हैं तो पहले वह पुलिस का खर्चा लिखाता था 50 या 100 रुपये। मान्यवर, यह लिखा जाता है। और आज वह पुलिस का खर्चा लिखाता है 450 रुपये। ये ईमानदारी के हैं, हेरा–फेरी के तो वह 900 भी कर सकता है। यह उसकी मर्जी है। (हँसी) हमारा साफ सुथरा प्रदेश है, साफ सुथरे हमारे माननीय मंत्री जी हैं अगर कम से कम हमारे उत्तरांचल में जो ट्रक सेवा है वह अगर ठीक ढंग से चलने लगे तो बहुत अच्छा होगा।

मान्यवर, बड़ा रोष है कि आपने हमारे काशीपुर के बस डिपो को रामनगर कर दिया। इससे जनता में बड़ा रोष है। बसों पर आपने रामनगर डिपो, श्रीनगर डिपो लिखवा दिया है। 10 में से एक बार अगर माननीय मुख्यमंत्री जी रामनगर से चुनाव लड़ गये तो आपने काशीपुर के बस डिपो को रामनगर कर दिया यह उचित नहीं है। मान्यवर, एक बात मैं कह रहा हूँ लेकिन इसे लिखना नहीं है। हमारे यहाँ सरदारों में मरासी एक जाति होती है। इनका काम होता है घरों में जाना और तारीफ करना और ये इतनी तारीफ कर देते हैं कि वे वहाँ से कुछ न कुछ लेकर ही लौटते हैं। मैं माननीय उनियाल जी को कह रहा हूँ कि ये कितनी भी तारीफ कर लें लेकिन इन्हें लाल बत्ती नहीं मिलेगी। (हँसी)

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, दो–तीन सुझाव माननीय मंत्री जी को देना चाहता हूँ। मान्यवर, जो आपके सम्भागीय परिवहन कार्यालय हैं उनमें जो परमिट देने की व्यवस्था है, वो बहुत जटिल है उसमें काफी समय लगता है। मान्यवर, कोई आदमी परमिट के लिए अप्लाई करता है तो 15–20 दिन से पहले उसके कागज मिल नहीं पाते हैं तो इसे सरलीकृत किया जाना चाहिए और उसे इस तरह का बनाया जाना चाहिए कि यह 2–3 दिन में ही उनको उपलब्ध हो जाय। मैं चाहूँगा कि माननीय मंत्री जी अपने उत्तर भाषण में जरूर इस पर कोई व्यवस्था दें। दूसरी बात यह है कि हरिद्वार से मण्डल गोपेश्वर के लिए एक बस सुबह–सुबह जाती थी, वह आज बन्द है और इसी प्रकार से हरिद्वार से एक बस चौखुटिया के लिए चलती थी और इसी प्रकार से हरसिल और गंगनानी के लिए बस जाती थी। हरिद्वार से तीन बसें उत्तरकाशी जाती थीं वह भी बन्द हो गयी हैं। इसी प्रकार श्रीनगर और टिहरी के लिए बसें थीं, लेकिन वर्तमान में यह सारी बसें बन्द हैं जिससे यात्रियों को बहुत असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। मान्यवर, हरिद्वार एक महत्वपूर्ण स्थान है। उत्तरांचल राज्य में लोग आते हैं और खासकर मिलेट्री वाले, जो सुबह की दो–तीन ट्रेनों में आते हैं, और उनके पास काफी सामान भी होता है। उनको श्रीनगर, उत्तरकाशी या चौखुटिया जाना होता है लेकिन वहाँ पर बस की सुविधा नहीं होती है, इससे बहुत परेशानी उनको उठानी पड़ती है। मेरा अनुरोध है कि माननीय मंत्री जी अपने उत्तर भाषण में इस चीज को जरूर लेंगे।

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, मैं श्री हरबंस कपूर जी के कटौती प्रस्ताव पर बल देने के लिए खड़ा हुआ हूँ। मान्यवर, कुछ महत्वपूर्ण सुझाव देना चाहता हूँ। मान्यवर, जनपद पिथौरागढ़ में नैनी–सैनी हवाई पट्टी है जो 1994 में बन गई थी लेकिन वह आज भी निष्प्रयोज्य है। यह जानकारी इसलिए यहाँ पर दे रहा हूँ क्योंकि इसकी मद में नागरिक उड्डयन भी है तो मैं मंत्री जी से अनुरोध करूँगा कि नैनी–सैनी हवाई पट्टी में शीघ्र से शीघ्र हवाई सेवा प्रारम्भ कराई जाये। इसके साथ ही यह भी अनुरोध है कि इसी वित्तीय वर्ष में इसके लिए बजट की व्यवस्था की जाय ताकि इसके लिए भूमि अधिग्रहीत की जाय और इसका विस्तारीकरण किया जाय ताकि यहाँ से नियमित हवाई सेवा संचालित हो सके। मान्यवर, इसके अतिरिक्त जो नई बसों का बेड़ा परिवहन विभाग के पास आया उसके आवंटन में पिथौरागढ़ के साथ पूर्ण न्याय नहीं हुआ है। मान्यवर, परिवहन निगम से जो नई बसें आनी हैं उसमें से इस जनपद को आवश्यकतानुसार बसें देने का प्रावधान कर दें। दूसरा मान्यवर, पिथौरागढ़ से बड़ावे और पिथौरागढ़ से बांस यह इण्टरकनेक्टेड रूट है इसके लिए बसें चलाई जाय और मान्यवर, देहरादून से पिथौरागढ़ के मध्य यदि डीलक्स बसें चला दी जाय तो मान्यवर, बेहतर सुविधा क्षेत्र के लोगों को मिल सकेगी और हम लोग भी बस से आ सकेंगे। मान्यवर, हम तो मांग करेंगे कि जो आप सुपर डीलक्स बसें चला रहे हैं वह चला दें, इसका उत्तर अपने भाषण में अवश्य दे दें। इसके अतिरिक्त ए0आर0टी0ओ0 के हर जिला मुख्यालयों में जो कार्यालय हैं उनको वहीं पर पंजीकरण कराने तथा वाहनों के परमिट और लाइसेंस देने की व्यवस्था होनी चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः अपने कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूँ।

श्री अध्यक्ष–

क्या आप अपना कटौती का प्रस्ताव वापस ले रहे हैं ?

श्री हरबंस कपूर–

मान्यवर, मैं माननीय पंत जी, कौशिक जी और चीमा जी का आभारी हूँ कि आपने मेरे कटौती के प्रस्ताव पर बल दिया। इसके साथ ही मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूँगा कि जो सुझाव माननीय सदस्यों ने दिये हैं उन पर मंत्री जी विचार करेंगे। माननीय मंत्री जी से एक और निवेदन करना चाहूँगा कि जब तक आपका विभाग डग्गामार गाड़ियों पर अंकुश नहीं लगायेगा तब तक आपका विभाग लाभ में नहीं आ सकता है। इसके अतिरिक्त जो परिवहन निगम में व्याप्त भष्ट्राचार है उस पर भी अंकुश लगाना होगा। आज की परिस्थितियों में उत्तरांचल राज्य में परिवहन विभाग एक महत्वपूर्ण विभाग बन गया है। माननीय मंत्री जी ने जैसा अभी कहा कि एन0जी0ओ0 के माध्यम से प्रशिक्षण की व्यवस्था कर रहे हैं। मान्यवर, अगर स्कूलों और कॉलेजों में एक अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ाया जाय तो निश्चित रूप से नागरिकों को और अधिक प्रशिक्षण दिया जा सकता है। मुझे उम्मीद है कि माननीय मंत्री जी इस विषय पर अवश्य विचार करेंगे।

श्री हीरा सिंह बिष्ट–

मान्यवर, सभी माननीय सदस्यों का मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। आप लोगों ने बहुत अच्छे सुझाव दिए हैं और साथ ही विभाग की जो कमियाँ हैं, उनकी ओर भी इंगित किया है। माननीय चीमा जी ने बड़े जोर–शोर से कहा कि काशीपुर के लोग नाराज हैं। तो मान्यवर, मैं अक्सर काशीपुर में रुकता हूँ और वहाँ पर ट्रांसपोर्टर मुझसे मिलते हैं, लेकिन कोई भी नाराज नहीं है। काशीपुर का डिपो यथावत है, रामनगर में नया डिपो बनाया गया है।

श्री हरभजन सिंह चीमा–

मान्यवर, वहाँ की बसों में पुताई हो गयी है और काशीपुर की जगह रामनगर लिख दिया गया है।

श्री हीरा सिंह बिष्ट–

मान्यवर, काशीपुर के लिए जितनी बसें एलॉटेड हैं, वह वहीं पर रहेंगी। माननीय प्रकाश पंत जी ने नैनी–सैनी के हवाई अड्डे के विस्तार की बात कही। मान्यवर, वह प्रकरण शासन में विचाराधीन है। जनता की भावनाओं के अनुरूप ही वहाँ पर काम होगा। बसों के लिए माननीय पंत जी ने कहा तो मान्यवर, मैं अवगत करा दूँ कि सभी जनपदों की तुलना में पिथौरागढ़ के लिए सबसे ज्यादा बसें संचालित हैं।

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, वहाँ के लिए नयी डीलक्स बसें चला दें तो अच्छा होगा।

श्री हीरा सिंह बिष्ट–

मान्यवर, जो नई हाई टैंक बसें चल रही हैं, वह स्पेशली 218 सेन्टीमीटर व्हील की बनायी जा रही हैं, जिनमें 58 के स्थान पर 45 सीटें हैं, जिससे कि यात्रियों को बैठने

में सुविधा हो। इस चेचिस की बसें पिथौरागढ़ के लिए चलाना सम्भव नहीं है। पर्वतीय क्षेत्र के जिला हैडक्वार्टरों से मांग आ रही है कि वहाँ के लिए डीलक्स बसें चलायी जाएं। हम कोशिश कर रहे हैं कि एक-दो डीलक्स बसें हर जनपद से चलाई जाएं।

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, इसका मतलब है कि अभी आपके द्वारा दिए जा रहे निःशुल्क पास का उपभोग हम नहीं कर सकते हैं। मान्यवर, पिथौरागढ़ से यहाँ तक बस में आने में करीब 20 घंटे का समय लगता है। इतनी लम्बी यात्रा कर पाना सम्भव नहीं है।

श्री हीरा सिंह बिष्ट–

मान्यवर, जब राजधानी गैरसैंण बन जाएगी तो आप इनमें सफर कर सकते हैं। मान्यवर, हम लापरवाही बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसलिए हम ड्राइविंग के ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खोल रहे हैं। प्रभावी प्रवर्तन के लिए हमने डी०एम० और एस०डी०एम० को इसके लिए अधिकार दिए हैं। हमारे सामने बहुत बड़ी दिक्कत यह भी है कि कई पद लोक सेवा आयोग के हैं और उत्तर प्रदेश से भी कई अधिकारी आने हैं, लेकिन वह नहीं आ रहे हैं। हम प्रयास कर रहे हैं, बहुत जल्द इनकी शार्टेज खत्म हो जाएगी।

श्री हरभजन सिंह चीमा–

मान्यवर, केवल सवारियों से ही ओवर लोडिंग नहीं होती है, बहुत से लोग बसों के ऊपर पूरा बाजार चढ़ा देते हैं। इस प्रकार बसों से जो ट्रकों का काम लिया जा रहा है, इसको रोका जाना चाहिए।

श्री हीरा सिंह बिष्ट–

मान्यवर, इसीलिए हमने यूटीलिटी के परमिट खत्म कर दिए हैं। मैं सदन के माध्यम से जनता से अपील करना चाहता हूँ कि कृपया जबरदस्ती बसों में ओवर लोडिंग न करें। मान्यवर, ड्राइवर के पास बैठ जाते हैं। अपने जीवन को खुद रिस्क में डालते हैं। अब यह उनका सौभाग्य है कि वह बच जाएं। पहाड़ी राज्यों में थोड़ी सी लापरवाही के कारण दुर्घटना घटित हो जाती है। मान्यवर, कोई भी दुर्घटना में तकनीकी फॉल्ट नहीं था। घनौल्टी के पास एक बस अभी हाल ही में गिरी तो वह ड्राइवर की लापरवाही के कारण और कर्णप्रयाग में जो बस गिरी वह ड्राइवर के ओवर टेक करने के कारण। हमारा भरपूर प्रयास रहता है कि बस की दुर्घटना बिल्कुल न हो इससे प्रदेश की इमेज खराब होती है। मान्यवर, ट्रकों की बात अभी माननीय सदस्य श्री चीमा जी ने कही। हमने जो कराधान नियम बनाया था, उत्तर प्रदेश का क्षेत्र बहुत बड़ा है। इसलिए हमें वहाँ तक की जानकारी है प्रति टन टैक्स 20 रुपये कम किया है। पहाड़ी मार्गों पर ट्रक रात्रि में चलाने एलाउ किये जाएं माननीय चीमा जी, यह नियमों में नहीं है। माननीय अच्छी बात है आप ट्रकों की इण्डस्ट्री से भी जुड़े हुए हैं। क्यों ट्रक वाले 50 का नोट पुलिस को देते हैं ?

श्री हरभजन सिंह चीमा–

मान्यवर, बिना 50 का नोट दिए वह निकल ही नहीं सकते हैं।

श्री हीरा सिंह बिष्ट–

मान्यवर, मुझे आज तक इस सम्बन्ध में कोई शिकायत नहीं प्राप्त हुई। जब कोई शिकायत प्राप्त होगी तो कार्यवाही की जायेगी।

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, आप एक बार सादे कपड़ों में सड़क पर जाइये तब आपको जानकारी होगी। (हँसी)

श्री हीरा सिंह बिष्ट–

मान्यवर, अभी यहाँ पर कहा गया कि हाई टैक बसें खाली जा रही हैं। मान्यवर, ऐसा नहीं है उनकी एडवांस बुकिंग हो रही है।

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, जो हमारे 'पास' है वे इन बसों में चल जायेंगे ?

श्री हीरा सिंह बिष्ट–

मान्यवर, चल जायेंगे। दुर्घटना की जाँच के लिए एक विशेषज्ञ कमेटी बनी है। सी0आर0टी0 पुणे और ए0आर0टी0 के प्रतिनिधि इसमें शामिल हैं। वे दुर्घटनाओं की छानबीन करेंगे। चालकों की फिटनेस का भी ध्यान रखा जा रहा है। दुर्घटनाओं के होने पर राज्य की इमेज खराब होती है, हम दुर्घटनाओं को रोकने के लिए कटिबद्ध हैं। मान्यवर, जहाँ लोड फैक्टर ठीक है, वहाँ पर हम बसें चला रहे हैं। माननीय मदन कौशिक जी ने जो बातें कही हैं उनका हम अवश्य ध्यान रखेंगे। मान्यवर, माननीय सदस्यों ने जो अपने–अपने बिन्दु बतायें हैं, उनको मैं देख लूँगा। मान्यवर, हमारे पास 200 बसें आनी हैं आप लिखकर हमें दें, मैं देख लूँगा, यदि जनहित में होगा तो इसे जरूर किया जायेगा।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, मेरे यहाँ से सबसे ज्यादा राजस्व प्राप्त होगा।

श्री हीरा सिंह बिष्ट–

मान्यवर, यदि ऐसा है तो इसका परीक्षण कर बस चला देंगे। मान्यवर, जैसा कि माननीय धीमा जी ने भ्रष्टाचार की बात कही कि रात के नौ बजे चलने पर बिना पैसे के ट्रक को रोक देते हैं। इस सम्बन्ध में मैं कहना चाहता हूँ कि आप इनको पैसा मत दीजिए क्योंकि ऐसा करने के लिए तो आप भी दोषी हैं। मान्यवर, इसकी शिकायत हमसे करिये। यदि सत्य पाया जाता है तो इस पर त्वरित गति से कार्यवाही की जायेगी। मान्यवर, इन्हीं शब्दों के साथ मैं माननीय कपूर जी से चाहता हूँ कि अपना कटौती का प्रस्ताव वापस लेने का कष्ट करें।

श्री हरबंस कपूर–

मान्यवर, भ्रष्टाचार को कैसे रोका जाय, इसके लिए कोई प्राविधान नहीं किया गया है।

श्री हीरा सिंह बिष्ट–

मान्यवर, मैं इस सदन के माध्यम से कह रहा हूँ कि यदि कोई भी अधिकारी, कर्मचारी इसमें लिप्त पाया जाता है तो आप उनकी शिकायत हमसे करिये। प्रमाण पाये जाने पर हम उन्हें टर्मिनेट कर देंगे।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 24 परिवहन विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2005 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 24 परिवहन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, तथा लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त रुपये 441926 हजार (चौवालीस करोड़ उन्नीस लाख छब्बीस हजार मात्र) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

नियम 51 के अन्तर्गत सूचना

श्री अध्यक्ष–

आज नियम 51 के अन्तर्गत कुल 12 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। मैं इनमें से उत्तरांचल निवास, नई दिल्ली में दैनिक वेतन पर कार्यरत् कर्मचारियों को स्थाई (कन्फर्म) किये जाने के सम्बन्ध में श्री नारायण पाल की सूचना को नियम 51 के अन्तर्गत स्वीकार कर रहा हूँ। शेष सूचनाएं अस्वीकार हुई।

जनपद चमोली के विकास खण्ड पोखरी के अन्तर्गत प्रा0वि0 विरसणसेरा में क्षतिग्रस्त विद्यालय भवन निर्माण के सम्बन्ध में श्री महेन्द्र भट्ट स0वि0स0 द्वारा दिनांक 28 मार्च, 2005 को दी गई सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का वक्तव्य

[नियम 51

महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान जनपद चमोली के वि0ख0 पोखरी के अन्तर्गत प्रा0वि0 विरसणसेरा में क्षतिग्रस्त विद्यालय भवन की ओर दिलाना चाहता हूँ।

महोदय, यह भवन सर्वशिक्षा सर्वेक्षण में चयनित होने के बाद भी उक्त भवन निर्माण के लिये किसी भी प्रकार की कार्यवाही नहीं की गयी। किसी भी दिन अप्रिय घटना की स्थिति बनी हुयी है।

अतः महोदय इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर सदन का ध्यान आकृष्ट करते हुए वक्तव्य की मांग करता हूँ।

विभागीय टिप्पणी]

संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा हृदयेश)–

*[सर्वशिक्षा अभियान की वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट 2005–06 में ब्लॉक कोर कमेटी से जनपद चमोली के विकास खण्ड पोखरी के अन्तर्गत प्राथमिक विद्यालय विरसणसेरा से सम्बन्धित कोई भी प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ, जिस कारण जिला परियोजना समिति की बैठक में प्रस्तावित नहीं किया गया। 10 वर्ष पुराने सभी विद्यालय भवनों का निरीक्षण सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी, पोखरी/ब्लॉक समन्वयक, पोखरी तथा तकनीकी सहायक पोखरी द्वारा कराने पर उक्त विद्यालय भवन की स्थिति ठीक है।]

श्री अध्यक्ष–

अब हम उठते हैं दिनांक 01 अप्रैल, 2005 को 11.00 बजे तक के लिए।

(सदन की कार्यवाही 08 बजकर 25 मिनट पर दिन शुक्रवार दिनांक, 01 अप्रैल, 2005 के दिन के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

देहरादून
दिनांक 30 मार्च, 2005

महेश चन्द्र
सचिव, विधान सभा,
उत्तरांचल।

*[वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया]।

संलग्नक 1

नत्थी 'क'

(देखिए अता0प्र0सं0 13 का उत्तर पीछे पृष्ठ 26 पर)

वर्ष, 2002–03, वर्ष 2003–04 एवं वर्ष 2004–05 में कृषि उत्पादन मण्डी परिषद् द्वारा किये गये कार्यों का विवरण :–

(1) वित्तीय वर्ष, 2002–03

क्र0सं0	विकास कार्य का विवरण	व्यय धनराशि लाख रु0 में
	निर्माण व्यय	
1.	मण्डी परिसर	342.64
2.	फल संग्रह केन्द्र	8.08
3.	सम्पर्क मार्ग	1418.98
4.	निदेशालय व्यय	1.53
5.	मछली बाजार व्यय	0.02
6.	रोप–वे व्यय	10.13
	वर्ष में कुल व्यय	1781.38

(2) वित्तीय वर्ष, 2003–04

क्र0सं0	विकास कार्य का विवरण	व्यय धनराशि लाख रु0 में
	निर्माण व्यय	
1.	मण्डी परिसर	538.86
2.	सम्पर्क मार्ग	1504.33
3.	निदेशालय व्यय	74.91
4.	रोप–वे व्यय	111.31
5.	स्ववित्त पोषित दुकानें (हल्द्वानी)	8.35
	वर्ष में कुल व्यय	2237.76

(3) वित्तीय वर्ष, 2004–05

क्र0सं0	विकास कार्य का विवरण	व्यय धनराशि लाख रु0 में
	निर्माण व्यय	
1.	मण्डी परिसर	475.39
2.	सम्पर्क मार्ग	640.27
3.	निदेशालय व्यय	155.91
4.	रोप–वे व्यय	6.33
5.	स्ववित्त पोषित दुकानें (हल्द्वानी)	129.60
6.	आवासीय कॉलोनी	11.83
	वर्ष में कुल व्यय	1419.33

जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत कोटद्वार के अन्तर्गत किये गये कार्यों का विवरण

क्र0 सं0	वर्ष	कार्यों का विवरण	नग	लम्बाई (कि0मी0 में)	लागत (लाख में)
1.	2002–03	–	–	–	–
2.	2003–04	सम्पर्क मार्ग निर्माण / मरम्मत	05	6.40	33.94
3.	2004–05 फरवरी 05 तक	सम्पर्क मार्ग निर्माण	06	6.10	79.27
		कुल व्यय			113.21

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 15 विधान सभा / 311–23–6–2007–200 पुस्तक (कम्प्यू0 / रीजियो)।